एकादश माला, खंड 16, अंक 16

बुधवार, 13 अगस्त, 1997
22 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 13 अगस्त, 1997/22 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
78	29	(छ)	(घ)
148	नीचे से 2	(क)	(क) से (ङ)
149	13	(क)	(क) से (घ)
185	18	डा. यू. वेंकटेस्वरलू	डा. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू
190	नीचे से 2	डा. यू. वेंकटेस्वरलू	डा. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू
235	16	(क)	(क) से (ङ)

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 13 अगस्त, 1997/22 श्रावण, 1919 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
	*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 304	2—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 320	28—44
	अतारांकित प्रश्न संख्या 3340 से 3526	44—265
सभा पटल पर रखे गए पत्र		265—267
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
	चौथा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	268
संविधान संशोधन विधेयक के बारे में		269—270
कार्य मंत्रणा समिति		
	सोलहवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	303
नियम 377 के अधीन मामले		304—308
(एक)	आरक्षित कोटे के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई रसोई गैस एजेंसी/पेट्रोल डीलरशिप का लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री विद्यासागर सोनकर	304
(दो)	फिरोजाबाद के औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता श्री प्रभु दयाल कठेरिया	304—305
(तीन)	मध्य प्रदेश में विशेषतः जबलपुर क्षेत्र में भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता श्री दादा बाबूराव परांजपे	305
(चार)	लद्दाख के अरगोन और सईद जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता श्री पी॰ नामग्याल	306
(पांच)	केरल के त्रिसूर जिले में वडक्कनचेरी में एक ऊपरि रेल पुल के निर्माण की आवश्यकता श्री एस॰ अजय कुमार	306
(छः)	तिरूअनन्तपुरम-कन्याकुमारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के तमिलनाडु में आने वाले भाग की मरम्मत का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता श्री एन॰ डेनिस	306—307
(सात)	बिहार में मुंगेर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता श्री ब्रह्मानन्द मंडल	307
(आठ)	चीते और बाघ के अवैध शिकार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता श्री के॰पी॰ सिंह देव	307—308

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें-(सामान्य), 1997-98—स्वीकृत	308—344
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर"	309—313
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	313—316
श्री पी॰सी॰ चाक्को	316—322
श्री सुरेश आर॰ ज्ञुधव	323—324
श्री सुकदेव पासवान	324—326
श्री के॰एच॰ मुनियप्पा	326—328
श्री भक्त चरण दास	328—329
श्री मंगत राम शर्मा	329—330
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	330—332
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	332—333
श्री रनेन बर्मन	333—334
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	334—335
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	336
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	336—337
श्री पी॰ चिदम्बरम	337—342
विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक	345—347
विचार के लिए प्रस्ताव	345
श्री पी॰ चिदम्बरम	345—346
श्री रामा सिंह रावत	346
खंड 2, 3 और 1	347
पारित करने के लिए प्रस्ताव	347
राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (दूसरा संशोधन) विधेयक—पारित	357—362
विचार करने के लिए प्रस्ताव	358
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	357—358
श्री रमाकान्त डी॰ खलप	358
श्री सत्य पाल जैन	358—359
श्री संतोष मोहन देव	359
श्री सिबैस्टिअन पाल	359
श्री संतोष कुमार गंगवार	359
खंड 2 से 4	360—362
श्री जार्ज फर्नान्डीज	362
पारित करने के लिए प्रस्ताव	362

विषय	कालम
कपास ओटाई तथा दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक—*पारित*	363
विचार करने के लिए प्रस्ताव	363
श्री आर•एल• जालप्पा	363
श्री अन्नासाहिब एम•के• पाटिल	363—364
श्री सुनील खान	364
खंड 2 और 1	364—365
पारित करने के लिए प्रस्ताव	365
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पारित	365
विचार करने के लिए प्रस्ताव	365
श्री मुही राम सैकिया	365
प्रो• रासा सिंह रावत	365—366
श्री जार्ज फर्नान्डीज	366—367
प्रो• ओमपाल सिंह "निडर"	367—369
श्री रमेश चेन्नितला	369
श्री संतोष कुमार गंगवार	369—370
श्री समीक लहिरी	370
श्री एस•आर• बोम्मई	370—372
खंड 2, 3 और 1	372
पारित करने के लिए प्रस्ताव	372—373
आय कर (दूसरा संशोधन) विधेकय—पुरःस्थापित	373—374

लोक सभा

बुधवार, 13 अगस्त, 1997/22 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के बिल के संबंध में सरकार क्या कर रही है, यह हम जानना चाहते हैं।...(*व्यवधान*)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष जी, बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, इसके लिये वहां की हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसलिये बिहार में प्रेजीडेंट रूल लागू किया जाये...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं, क्वश्चन ऑवर है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : यह जीरो ऑवर नहीं है, हम मानते हैं...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कहना है, जीरो ऑवर में कह लीजिये।

जस्टिस गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष जी, क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड करने के लिये नोटिस दिया हुआ है...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नवल किशोर राय को पुकारा है।

[हिन्दी]

जीरो ऑवर में कह लीजिये जो कुछ कहना हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने कहा है...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह प्रश्न काल है। आप इसे शून्य काल में उठाएं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने सांवैधानिक व्यवस्था के असफल होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पटना उच्च न्यायालय की सिफारिश के बारे में चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

योजना आयोग का पुनर्गठन

+

***301. श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1997 के ऑब्जर्वर में "प्लान पैनेल टु स्विंग इन ट्यून टु मार्केट इकॉनमी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर योजना आयोग को पुनर्गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रारूप प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। योजना आयोग की भूमिका वहीं चल रही है जिसका उल्लेख योजना आयोग की स्थापना करने वाले 15 मार्च, 1950 के मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प में किया गया था। नौवीं योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में मौजूदा आर्थिक परिदृश्य तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यथा सुस्पष्ट सहकारी संघवाद की भावना को भी ध्यान में रखा जायेगा। आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से आयोग द्वारा योजना आयोग के आंतरिक प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न था, उस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। पहली योजना से लेकर अब तक की योजना तक के जो कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि योजना आयोग सलाहकार के रूप में विधिवत् काम कर पा रहा है लेकिन योजनाओं की मानिटरिंग पर पकड़ योजना आयोग की नहीं होती है जिस कारण से अनेकों ऐसी योजनायें हैं, पहली योजना से अब तक लम्बित हैं। उदाहरणार्थ सिंचाई विभाग में सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से दो योजनायें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं जबकि पहले पूरी हो जानी

चाहिये थी। उत्तर में 15.3.1950 को मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प के द्वारा इस योजना आयोग का गठन किया गया, इसकी चर्चा की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। हमारी युनाईटेड फ्रंट की सरकार ने अपने कामन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से बीते एक साल में गरीबों के हितों के लिये अनेक कल्याणकारी, क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं जैसे आधे दाम पर अनाज दिया जाना। इसके लिये हम अपनी ओर से सरकार और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं लेकिन योजना आयोग के मामले में पूछना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग में संवैधानिक दर्जा देकर फिर नये सिरे से ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि जो भी योजना बनती है, उस योजना की मानिटरिंग या क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिये जो योजना आयोग के अधिकारी हैं और योजना आयोग की ओर से नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक पद्धति से योजना बने व योजना समय सीमा के अंदर कार्य करे, क्या इसके लिये गठन करने पर विचार करेंगे?

श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर : उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं को संवधानिक रूप देने का कोई मामला नहीं है क्योंकि कांस्टीट्युशनल दर्जा देने से जो फलैक्सिब्लिटी है, वह कम हो जायेगी। इसके लिये कुछ रीजन्स पढ़कर सुनाती हूं।

[अनुवाद]

योजना आयोग को एक सांविधिक निकाय बनाने के मुद्दे की विभिन्न स्तरों पर विस्तार से जांच की गई है तथा निम्नलिखित कारणों से योजना आयोग को सांविधिक राशियां न देने का निर्णय लिया गया था :

1. योजना आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में बिना किसी व्यावहारिक कठिनाई के चार दशकों से अधिक समय से कार्य कर रहा है।
2. भारतीय शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप के कारण स्थिति से निपटने के लिए एक निश्चित मात्रा में लचीलापन की आवश्यकता है जो योजना आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर खो सकती है।
3. योजना आयोग सरकार के नीति निर्धारण में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
4. योजना आयोग के सचिव तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष कई बैठकों में भाग लेते हैं तथा योजना आयोग की ओर से विचार व्यक्त करते हैं जिन्हें माना या अस्वीकृत किया जा सकता है।
5. प्रमुख मुद्दों या सार्वजनिक नीति पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय भी सामान्यतः आयोग से सलाह लेते हैं।
6. यह महसूस किया गया है कि यदि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाय तो योजना आयोग यह भूमिका नहीं अदा कर पाएगा तथा इसकी सलाह केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए बाध्यता बन जाएगी।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्ट किया है मैंने पहले भी चर्चा की थी और आपके माध्यम से फिर से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योजना आयोग की व्यवस्था है, कार्यान्वयन के क्षेत्र में जो पहली योजनाएं ली गईं, वे अब तक पूरी नहीं हुई हैं और उनकी लागत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद भी यदि सरकार की मंशा योजना आयोग के पुनर्गठन की नहीं है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे बिहार में बागमती परियोजना 32 करोड़ रुपये से शुरू हुई थी, उस पर दो सौ करोड़ रुपये खर्च हो गये, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। अदवाड़ा समूह की योजना पांच करोड़ रुपये से शुरू हुई थी, उस पर अब तक सौ करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं, परंतु वह पूरी नहीं हुई है। उसको लाभ किसानों और गांववालों को नहीं मिला। क्या सरकार इसमें कोई सुधार करेगी। मैं इसलिए ही पुनर्गठन की मांग करना चाहता हूं कि पुनर्गठन इसलिए करना चाहिए कि ताकि योजना आयोग सक्षम हो और योजना आयोग के माध्यम से जो योजनाएं बनें वे समय पर पूरी हों और स्पेशलाइजेशन वाले पेशेवर लोग उसमें मैम्बर हो सकें। अब तक अनुभवी और विशेषज्ञ लोग जरूर योजना आयोग के मैम्बर होते हैं। परंतु हम यह जानना चाहते हैं कि कृषि के विशेषज्ञ, उद्योग के विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ पेशेवर लोगों की उसमें कम भूमिका होती है। वैसे विशेषज्ञ जो कृषि और गांवों को समझने वाले हैं क्या उनका समावेश योजना आयोग में करने की कृपा करेंगे। यही हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : माननीय सदस्य ने क्रियान्वयन के पहलू की विस्तार से जांच की है। योजना आयोग कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं करता, यह संसाधनों के आवंटन, संसाधनों का अतंतरण, परियोजनाओं की पहचान आदि करता है। अन्ततः क्रियान्वयन राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा तथा केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।

जहां तक एक विशेष या विनिर्दिष्ट मुद्दे का संबंध है, मैं इस पर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यदि माननीय सदस्य मुझे बताएं कि उनका क्या उद्देश्य है तो मुझे विवरण प्राप्त करने में प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि ऑब्जर्वर में एक न्यूज आइटम था।

[अनुवाद]

आब्जर्वर में एक समाचार है, "प्लान पैनल टू स्वींग इन ट्युन टू मार्किट इकानोमी।"

[हिन्दी]

19 जुलाई को यह खबर छपी थी। उसके आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा था। सरकार ने इसका खंडन किया है। लेकिन इस न्यूज आइटम में यह साफ लिखा गया है :—

[अनुवाद]

अतः, दस पृष्ठ के एक आन्तरिक पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि आयोग को अपनी अनावश्यक गतिविधियां बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए इत्यादि।

[हिन्दी]

यह काफी लम्बा है। यानी अगर इस तरह की खबर समाचार पत्र में छपती है रौस्ट्रक्चरिंग के संबंध में और मार्केट इकोनोमी से तालमेल बैठाने के लिए प्लानिंग कमीशन के रूप के बदला जायेगा तो इस तरह के सवालों के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो ठीक है, सरकार ने इसके बारे में साफ उत्तर दे दिया है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन इसका खंडन आना चाहिए था। समाचार पत्रों में अगर इस तरह की खबरें छपती हैं तो प्लानिंग कमीशन या सरकार की ओर से इस बारे में खंडन होना चाहिए। नहीं तो तत्काल इसमें कई तरह की बातें आने लगती हैं कि कहीं हम प्लान्ड इकोनोमी को एकबारगी तिलांजलि तो नहीं देने जा रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार के भरोसे छोड़ देंगे तो ऐसी कई प्रकार की शंकाएं मन में पैदा होती है। इस तरह से हमारी यह शिकायत है कि सरकार को यह करना चाहिए था। मैं एक बात सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी प्रधान मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन का जो काम है वह प्लानिंग कमीशन करेगा। अब इम्पलीमेंटेशन के आस्पेक्ट को वह उस ढंग से रिव्यू नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपका एक रोल है कि जो भी सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं या सैण्ट्रल सैक्टर्स की स्कीम्स हैं उन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को आप रिव्यू करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हम डीसेन्ट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा विश्वास विकेन्द्रीकरण में है जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण और आर्थिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण है। तो ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और निचले स्तर पर योजना बने और बड़े पैमाने पर योजनाएं बनें। उस पर सरकार का रूख क्या है। आज की स्थिति में योजना आयोग में या केन्द्र सरकार के मंत्रालय में बैठकर माइक्रो प्लानिंग तक की बात हो जाती है। मैक्रो प्लानिंग ऊपर के लैवल पर होता है, वह बात तो समझ में आती है। लेकिन माइक्रो प्लानिंग भी योजना भवन में बैठकर या मंत्रालय में बैठकर होता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण वाटरशैड प्रोजेक्ट का देता हूं। वाटरशैड किस इलाके में किस ढंग से उपयोगी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी आप सवाल पूछिये।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यह सवाल ऐसा है कि इसका बैकग्राउंड दिये बिना यह बता नहीं पायेंगे। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूं। तो इस तरह की अब तक प्रवृत्ति है कि यहां से बैठकर माइक्रो लैवल की डीटेल्ड प्लानिंग होती है। तो इस प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर क्या सचमुच नीचे के स्तर पर प्लानिंग प्रोसेस को शुरू करने का विचार है और जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर प्लानिंग एजेन्सी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेन्सी जो बनी हुई हैं क्या उसको सममुच एक-तिहाई या आधी रकम प्लानिंग की सुपुर्द की जायेगी। जिला स्तर पर जिले के अंतर्गत जिन योजनाओं की जरूरत है, उसकी आप प्लानिंग कीजिए और उसको इम्पलीमेंट कराइये। क्या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि आपने कोआपरेटिव फैडरलिज्म की बात कही है, इसलिए उससे संबंधित यह सवाल है कि नौवीं योजना में आपकी सरकार की क्या अप्रोच होगी, यही हम सरकार से जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं अपने माननीय मित्र के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी हैं विशेषकर कृषि मंत्रालय की व्यवस्था करते हुए काफी जानकारी हो गयी है। उन्होंने पहले भी इसी विषय पर यहां चर्चा प्रारंभ की थी।

उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन्हें समझ लिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने नवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में देखा होगा, माइक्रो योजना पर विशेष जोर दिया गया है। इसीलिए हम न केवल संसाधनों को अंतरण कर रहे हैं। बल्कि आयोजना कार्य पंचायती राजस्तर पर भी अंतरित कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इनका दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण अपना लिया है।

साथ ही, चूंकि दृष्टिकोण पत्र पर यहां चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र के लिए इस विषय पर हमें अधिक सुझाव देने का यह बहुत अच्छा मंच है। एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूं वह यह है कि योजना आयोग और मेरी तरफ से नए विचारों का हमेशा स्वागत हैं।

नवीं योजना का मुख्य मंतव्य या मुख्य जोर विकेन्द्रीकरण पर है। साथ ही, विकेन्द्रीकरण से मेरा आशय मात्र संसाधनों के विकेन्द्रीकरण से नहीं है। इसका आशय माइक्रो योजना का विकेन्द्रीकरण से भी है क्योंकि आखिरकार एक गांव या एक पंचायत का व्यक्ति भलीभांति जानता है कि उसे विद्यालय की जरूरत है या कुएं की। यह ऐसी चीज है जिस पर उसे ही निर्णय लेना चाहिए। वही हम कहते रहे हैं और नवीं योजना, विशेषकर इसका दृष्टिकोण पत्र इसी पहलू पर जोर देता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने बताया है कि प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करते हैं, उसका इम्पलीमेंटेशन राज्य सरकारों को करना होता है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जवाब में

बताया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ऐसे सभी राज्यों में प्लानिंग कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किये हैं जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का विकास आदि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लान में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को इसका जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है और हम चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन कुछ अच्छी प्लानिंग करके निरीह महिलाओं और बच्चों को इसका लाभ दिलाये। यही मेरा सवाल है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र की चिन्ता से सहमत हूं। इसका अर्थ है कि वास्तव में हमें स्त्रियों तथा बालिकाओं की दशा पर अधिक बल देना चाहिए। वास्तव में मेरे माननीय मित्र ने देखा होगा कि अब हम बालिकाओं के भाग्य और भविष्य के बारे में वास्तविक योजना के बारे में कार्य कर रहे हैं। मैं उनमें से एक हूं जो इसमें दृढ़ विश्वास रखते हैं। जब तक इस देश में स्त्रियों के भाग्य और दशा में सुधार नहीं किया जाता, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अब मैं बालिकाओं पर विशेष बल दे रहा हूं। योजना में भी हम इसे अधिक महत्व दे रहे हैं।

साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वहीं पर बालिकाओं और स्त्रियों की दशा में आज की तुलना में कही अधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

जैसा कि वह देख सकती हैं कि योजना दृष्टिकोण पत्र, यदि वह कृपया इसे एक बार देखें, इस पर बल देता है। परन्तु इस संदर्भ में मैं पुनः दुहराता हूं कि जैसा कि मैंने अपने माननीय मित्र को पहले बताया था कि यदि उनके पास कुछ विशेष सुझाव हैं तो उनका स्वागत है तथा मुझे उन पर विचार करने में प्रसन्नता होगी।

कर्नल सोना राम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान योजना आयोग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका पुनर्गठन किया गया है या नहीं लेकिन इस पर दुबारा दृष्टिपात की निश्चित आवश्यकता निश्चित रूप से है।

मैं बारमेड़ का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसे कुछ कार्यक्रमों के लिए पृथक धनराशि आवंटित करने का प्रावधान है। महोदय कुछ धनराशि का आवंटन सीधे राज्य सरकार को किया जाता है और कुछ धनराशि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से आवंटित की जाती है। परन्तु अधिकांश धनराशि मार्गनिर्देशों के अनुरूप खर्च नहीं की जा रही।

मैं इसके लिए पिछले एक वर्षों से लड़ रहा हूं और मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं संबंधित मंत्री को पत्र लिखे हैं परन्तु नौकर-शाही, चाहे वह दिल्ली में हो अथवा जयपुर में, इतनी शक्तिशाली है कि वे जो भी करना चाहते हैं, करते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था कि इन समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, परन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पिछले वर्ष अधिकांश धनराशि जो बारमेड़ जिले के सीमा क्षेत्र के 50 कि॰मि॰ दूरी में खर्च की जानी थी उसे जयपुर में खर्च किया जा रहा था।

मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो धनराशि आवंटित की जाती है वह इन अल्पविकसित तथा मरूभूमि जिलों के लिए अत्यल्प है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि यह धनराशि उन्हीं कार्यक्रमों पर खर्च की जाये जहां के लिए इन्हें योजना आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए। दूसरे...

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक अनुपूरक की अनुमति है।

कर्नल सोना राम चौधरी : संसद सदस्यों और विधायकों को दिल्ली तथा जयपुर की संचालन समितियां या शक्तिप्राप्त समितियों में मनोनीत किया जाना चाहिए। उन्हें उन समितियां का सदस्य क्यों नहीं बनाया जा सकता, पिछले एक वर्ष से मैं इसके लिए लड़ रहा हूं परन्तु मंत्रालय में कोई मेरी बात की परवाह नहीं करता है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यदि उनका ऐसा अनुभव है, तो मुझे खेद है। मैं अपने माननीय मित्र से इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो बात की है उसे मान लिया गया है। यह एक अच्छा विचार है कि स्थानीय प्रतिनिधि चाहे वे पंचायती राज में हो अथवा किसी प्रशासन में हों, ऐसे व्यक्ति को जिन्हें वास्तव मैं जैसाकि मैंने अभी-अभी कहा, माइक्रोस्तर की योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैंने इस मुद्दे को नोट कर लिया है।

बारमेड़ के विशेष मामले में मैं फौरन जवाब नहीं दे पाऊंगा, परन्तु मैंने इसे नोट कर लिया है मैं इस देखूंगा और उन्हें पत्र लिखूंगा।

श्री जगमोहन : महोदय, क्या माननीय प्रधानमंत्री को पता है कि केन्द्रीय बुनियादी परियोजनाओं में समय और लागत के बढ़ जाने से जैसाकि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है 31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है?

महोदय, यदि गैर बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है तो लागत और समय बढ़ जाने से जनता पर 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह किस प्रकार की योजना है जिसमें उन विभिन्न संगठनों की क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता जिन्हें कार्य सौंपा गया है। इतना समय इतनी ऊर्जा तथा इतने संसाधन क्यों व्यर्थ किए जा रहे हैं जिनकी हमारे पास अत्यन्त कमी है।

अब यदि राष्ट्र को इतना अधिक समय और धन इस पर पुनः लगाना पड़े तो फिर इस आयोजना का बीच में मूल्यांकन करने का क्या फायदा है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे माननीय दोस्त ने जो व्यग्रता दिखाई है और जो टिप्पणी की है, उससे मैं सहमत हूं। वह

मुझसे अधिक समय तक सरकार में रहे हैं और मैं समझता हूं, वह मुझसे अधिक लागू करवाने वालों में से रहे हैं।

श्री जगमोहन : किन्तु एक भी योजना की सिफारिश मैंने नहीं की है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वह सरकार में लम्बे समय तक रहे हैं, किन्तु एक प्रशासक के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं।

खैर मूलतः मामला यह है कि वह बिल्कुल सही हैं कि यह हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा भार है; लागत बढ़ती है; देरी होती है; विशेषकर नौकरशाही के कारण देरी होती है और यह समस्त राष्ट्र की चिंता का विषय है। इस चिंता में मैं भी भागीदार हूं क्योंकि यदि हम इस पर बचत कर सकते हैं, तो हमारी योजना बहुत ऊंची जाएगी। हमारा विचार यह है कि यदि हम इसका और अधिक विकेन्द्रीकरण करते हैं और यदि हम स्थानीय स्तर पर छोड़ देते हैं, तो शायद इसे और अधिक तीव्रता से लागू किया जाएगा। मैं अपने माननीय मित्र से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें जांच करनी है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा इस प्रश्न पर दावा इस तथ्य से बनता है कि मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय इस योजना से जुड़ा हुआ था और अभी हाल ही में मैंने जिला योजना समिति और प्रखंड स्तर पर योजना समिति के साथ बैठक की।

मेरे पास दो तरह के प्रश्न हैं। एक यह है कि इस वक्तव्य के बावजूद इसे वैधानिक अथवा संवैधानिक निकाय क्यों नहीं बनाया जा सकता, समस्या यह है कि हमने राजनैतिक रूप से दो मध्यावधि मूल्यांकन किए थे। योजना के लिए राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजनीति द्वारा योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। परस्पर विरोधी लक्ष्यों में तर्कसगंतता देखने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय का होना आवश्यक है, जो उसे एक दिशा में लाने का प्रयत्न करें। यह केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार से अलग एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाए। यह स्वतंत्रता या तो संवैधानिक अथवा वैधानिक निकाय के रूप में सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रश्न के लिए उत्तर चाहता हूं, क्या ऐसी स्वतंत्रता आगे विकास के लिए अनिवार्य शर्त है अथवा नहीं।

अब मैं अपने प्रश्न के भाग (ख) पर आता हूं। मैंने यह प्रश्न सभी स्थायी समिति की बैठकों में उठाया था कि सहकारी आयोजना एक अप्रासंगिक स्थिति में है। आयोजना के बारे में मेरे विचारों को जिला योजना समिति से मिलने के बाद धक्का लगा था। उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है। जिला योजना समिति में कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं था। राज्य योजना समिति में भी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि उन्हें सभी चीजों के लिए योजना बनानी चाहिए। अल्पावधि की आवश्यकताएं उन स्तरों पर दिखायी जानी चाहिए और दीर्घावधि आवश्यकताओं को केन्द्र में होना चाहिए। केन्द्र के लिए, यही स्वतंत्रता है। क्या योजना आयोग या सरकार स्थानीय आवश्यकताओं अथवा अल्पावधि आवश्यकताओं के लिए जिला स्तर तथा प्रखंड स्तर पर आयोजना के लिए पूर्णकालिक संवर्ग की स्थापना हेतु निधियां प्रदान करने के लिए तैयार हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, क्या यह वैधानिक निकाय होना चाहिए अथवा योजना आयोग को जैसा है, वैसा ही रहना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा कि सरकारिया आयोग ने इसकी जांच भी की थी; और इस पर संसद में भी विचार किया गया था। संसद में आम राय यह भी कि वर्तमान प्रणाली सही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह बेहतर है अथवा नहीं, किंतु मैं केवल यह कह रहा हूं कि संसद ने ऐसा कहा था; संसद में दोनों सदनों में, यह कहा गया था कि सरकारिया आयोग की रिपार्टें स्वीकार की जानी चाहिए। यदि इसे एक बार स्वीकार किया जाता है, तो इसके स्पष्ट परिणाम होते। यह एक बात है।

दूसरी बात, जो आपने कही है वह यह है कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर नौकरशाही के समर्थन की आवश्यकता है, विशेषकर जिला स्तर पर। एक सुझाव है, जिस पर मैं गौर कर सकता हूं। मेरी केवल यह आशंका है कि-हम जल्दी में-हम निधियों का वेतन और भत्तों के लिए पुनः उपयोग न करने लगे क्योंकि इससे समस्या उत्पन्न होगी। मैं यह महसूस करता हूं कि यह जल्दी में की गई टिप्पणी है—विशेषतः जब आप संसाधनों और नीति निर्धारण का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार ने अभी सुझाव दिया है सूक्ष्म (माइक्रो) स्तर पर संभवतः यह अधिक आसान है; क्योंकि पंचायत में बैठे किसी व्यक्ति को नौकरशाही की मदद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसे किसी कुंए की आवश्यकता है या नहीं...(*व्यवधान*)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हजारों सुझाव आए हैं, किंतु एक भी जिला स्तर पर प्राप्त नहीं किया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इस सुझाव की मान्यता की ओर ध्यान देने का इच्छुक हूं। केवल एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ओर धन गंवाया जाएगा।

[हिन्दी]

डा॰ सत्यनारायण जटिया : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद प्रगति और विकास के लिए योजनाओं को बनाने का काम इस देश में किया गया और एक के बाद एक योजना बनाकर के हमने यह कहना शुरू कर दिया कि हमने प्रगति और विकास किया है, किंतु स्थिति यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों का जो रक्षण होना चाहिए और उनके लिए जो आवंटन होना चाहिए वह नहीं हुआ है और व्यावहारिक रूप से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके कारण उनकी अनदेखी हुई है और उनके हितों के रक्षण का काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का रक्षण करने के लिए क्या इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि क्या किसी विशेष जनजाति या जाति का प्रतिनिधित्व है अथवा नहीं। मुख्य मुद्दा यह है, मैं नहीं जानता कि क्या यह...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग का गठन हुआ है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र, मंत्री स्वयं उस समुदाय से हैं। वह अनुसूचित जाति के हैं। क्या वहां कोई अन्य सदस्य भी है?...*(व्यवधान)* श्री हाशिम अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यह संरचना मेरे दिमाग में रहती है। मुख्य बात जो दिमाग में रखनी चाहिए वह यह है कि निधियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को आवंटित की जाती है अथवा नहीं।

मैं समझता हूं कि मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं। अतः जब हम अधिक उपलब्धि चाहते हैं और जब हम उनके स्तर को और अधिक तेजी से बदलना चाहते हैं तो यहां इच्छा की कमी नहीं है, किंतु सामाजिक संसाधनों की कमी है और प्रायः कार्यान्वयन स्तर पर जो निधियां हमें प्राप्त होनी चाहिए, कई बार हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

श्री ई॰ अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार घोषणा कर रही है कि योजना निचले स्तर पर विकेंद्रीकृत की जाएगी, किंतु ऐसा अब तक नहीं किया गया है। किंतु ठीक इसी समय केरल में सरकार ने एक नई निम्नस्तरीय योजना का विकास किया है, जिसे जनता की योजना कहा जाता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में विचारार्थ ले जाया जाता है और उनके मापदंडों और समझ के अनुसार योजना तैयार की जाती है। वह बहुत ही प्रसिद्ध योजना है और एक नया विचार भी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो॰ मधु दण्डवते ने भी केरल सरकार की प्रशंसा की है। किंतु वहां जिला, राज्य और निचले स्तर पर लोगों के सभी वर्गों की पूरी भागीदारी है। समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार अन्य राज्यों के लिए केरल सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना को भी आदर्श रूप में लेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो योजनाएं और परियोजनाएं हमने निचले स्तर पर तैयार की हैं क्या उन्हें भारत सरकार द्वारा समर्थन और सहायता मिलेगी अथवा नहीं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं केरल सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं और उनका कार्यान्वयन चाहता हूं। मैं समझता हूं, योजना प्रक्रिया में यह अनुभव हुआ है कि कुछ राज्य अन्यों की तुलना में अधिक क्रियाशील हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम यहां एक तरह का विकास शून्यता पाते हैं जो कि बढ़ रहा है अधिक क्रियाशील राज्य निधियों का और अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने में सक्षम हैं तथा और अधिक लोगों को उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं मैं समझता हूं कि केवल केरल ही नहीं बल्कि कुछ अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और इसकी आवश्यकता भी है...*(व्यवधान)*

डा॰ कृपासिन्धु भोई : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री को अध्यक्ष-पीठ को संबोधित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 302, श्री रामेश्वर पाटीदार।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिए हमने 27 मिनट लिए हैं।

[हिन्दी]

कोई और क्वश्यन करना है अथवा नहीं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद : महोदय, उनके उत्तर में उपलब्धि का बोध है. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्यन इम्पोर्टेंट है और सब पूछना चाहते हैं इसलिए आधे घंटे की चर्चा कर लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न प्रस्तुत कर चुका हूं। श्री रामेश्वर पाटीदार, कृपया बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

आधा घंटा एक क्वश्चन में हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : प्रश्न काल को एक घंटे के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जहां केवल एक प्रश्न एक घंटा लेगा।

[हिन्दी]

श्री मृत्युञ्जय नायक (फूलबनी) : आंधे घंटे की चर्चा होती है या नहीं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर सैक्शन से एक आदमी लेता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी लोगों से पूछता हूं, प्रत्येक को नहीं बुलाया जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी कई पार्टियां ऐसी रह गयी हैं जो नहीं पूछ सकी हैं।

[अनुवाद]

उपग्रह संचार

***302. श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपग्रह संचार के उपयोग के प्रदर्शन हेतु अनेक पायलट कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) इस संबंध में लोक सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कई अन्य शैक्षिक तथा विकासात्मक एजेंसियों के सहयोग से इन्सैट प्रणाली पर एक प्रेषानुकर का उपयोग करते हुए एक प्रशिक्षण तथा विकास संचार चैनल का आयोजन किया है। प्रयोक्ताओं को नेटवर्क की जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक निदर्शन आयोजित किए गए।

इस नेटवर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोक्ता निम्नलिखित हैं :—

- गुजरात सरकार : पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (डी॰डब्ल्यू॰सी॰आर॰ए॰), खेत तलवाडी, जलविभाजक विकास, जलसेवा।
- मध्य प्रदेश सरकार : पंचायती राज (महिलाएं), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सहायक प्रसाविकाएं (सहायक मिडवाइफ) और जलविभाजक विकास।
- कर्नाटक सरकार : पंचायती राज (महिलाएं), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सहायक प्रसाविकाएं तथा जलविभाजक विकास।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰) कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में प्राइमरी शिक्षकों का स्कूल ओरिएन्टेशन (एस॰ओ॰पी॰टी॰) के अन्तर्गत प्राइमरी शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू): अकादमिक पार्षद के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण, दूरवर्ती शिक्षा आदि जैसे विविध विषयों में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम।
- अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन (ए॰आई॰एम॰ए॰): प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों एवं कार्यरत प्रबंधकों के लिए अद्यतन सेमिनार।
- इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान (आई॰ई॰टी॰ई॰) : व्यावसायिक डिग्रियां प्रदान करने के लिए विविध प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान से संबंधित विषयों में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम।
- महिला एवं बाल विकास विभाग : समेकित बाल विकास योजना (आई॰सी॰डी॰एस॰) के (आंगनवाड़ी) कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इंदिरा महिला योजना (आई॰एम॰वाई॰) कार्यक्रमों के तहत ढांचागत नीतियों और समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति निर्माताओं तथा फील्ड स्तर के क्रियान्वयन अधिकारियों के बीच टेली कान्फ्रेंसिंग।
- स्व नियोजित महिला एसोसिएशन (एस॰ई॰डब्ल्यू॰ए॰) : महिला संगठनों के लिए कार्यक्रम।
- सफाई विद्यालय : गुजरात की विविध नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन॰ओ॰एस॰) : मुक्त विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत परंपरागत शिक्षकों (ट्यूटरों) को उनकी भूमिका में आए बदलाव का एहसास दिलाने के लिए दिग्विन्यास कार्यक्रम।

यह चैनल अब एक प्रचालनात्मक चरण में पहुंच गया है। विविध प्रयोक्ताओं ने अपनी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए नेटवर्क को काफी उपयोगी पाया है तथा खास तौर पर अभिग्रहण नेटवर्कों की स्थापना की है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण, पंचायती राज प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा आई॰सी॰डी॰एस॰ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, इत्यादि जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसके उपयोग की संभावना है। इस समय, दो अपलिंक-एक इग्नू में और दूसरा इसरो, अहमदाबाद में उपलब्ध हैं।

ग्रामीण विकास के लिए एक उपग्रह आधारित विकास संचार और प्रशिक्षण नेटवर्क की प्रभावोत्पादकता के निदर्शन के लिए एक पाइलट परियोजना अर्थात् झाबुआ विकास संचार परियोजना (जे•डी•सी•पी•) को भी इसरो द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में संचालित किया जा रहा है। यह सांगोपांग परियोजना जिले में विकासात्मक गतिविधियों में संचार सहायता तथा फील्ड अधिकारियों एवं सामान्य लोगों के लिए अन्योन्यक्रिया प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी प्रभावोत्पादकता प्रदर्शित करेगी। यह देश में बड़े पैमाने पर प्रचालनात्मक प्रणालियों की आयोजना और स्थापना के लिए निवेश (इन्पुट) भी प्रदान करेगी।

इस परियोजना ने नवम्बर 1, 1996 को नियमित संप्रेषण कार्य प्रारंभ किया। परियोजना की आयोजना के चरण में ही यह बात महसूस की गई है कि इस प्रकृति और परिणाम की परियोजना का उचित मूल्यांकन कुछ समय बीतने के पश्चात ही किया जा सकता है। इसलिए यह परियोजना दो वर्षों की समयावधि के लिए योजित की गई है। विगत नौ माह से परियोजना को योजनानुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। गांवों में शाम के समय विकास कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अन्यान्यक्रिया सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। अधिकांश प्रारंभिक कठिनाईयों का समाधान कर लिया गया है तथा नेटवर्क सुस्थिर हो रहा है। प्रारंभिक मूल्यांकन से पता चलता है कि नेटवर्क संतोषप्रद रूप में कार्य कर रहा है। परियोजना की प्रगति के साथ और अधिक विस्तृत तथा सावधिक मूल्यांकन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि मेरा सवाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन "इसरो" का इनसेंट सेटेलाइट के जरिये, उपग्रह टी•वी• के जरिये गांव के और किसानों के विकास के लिए कार्यक्रम योजना के संबंध में है। इसके माध्यम से गांव में जहां दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी तक टी•वी• नहीं पहुंचा वहां उपग्रह टी•वी• के माध्यम से गांव के लोगों की और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की अपनी भाषा में उनकी अपनी समस्याओं जैसे कृषि के विकास की, सिंचाई की, परिवार नियोजन की और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर उनकी भाषा में कार्यक्रम प्रचारित किया जाता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को इसके लिए चुना है।

झाबुआ जिले में डेढ़ सौ गांवों में उपग्रह टी•वी• के जरिए अहमदाबाद के इसरो उपग्रह केन्द्र से संचालित किया जाता है और इसरो ही स्टूडियो में अपने कार्यक्रम बनाता है। आदिवासियों की भाषा में कार्यक्रम बनकर वहां प्रचारित किया जाता है। जो डेढ़ सौ गांवों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लिया है, उनमें पंचायतों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी होता है। जो लोग रूचि रखते हैं, उनको भी प्रशिक्षण देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके माध्यम से अभी तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है? यह योजना 1 नवम्बर, 1996 से चालू है और वहां लागू है। 9-10 महीनों में अभी तक इसका मूल्यांकन क्या रहा, आदिवासियों का रिसपौंस क्या है?

दूसरा, क्या इस योजना में गैर-सरकारी संठनों की भी सहायता ली जाएगी?

[अनुवाद]

श्री एस•आर• बालासुब्रहमण्यन : महोदय, 'इसरो' ने प्रशिक्षण, शिक्षा और विकास संचार के लिए 'इनसेट' प्रणाली का प्रयोग करते हुये कई प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन्हें दो मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक है प्रशिक्षण और विकास संचार चैनल और दूसरी है-झाबुआ विकास संचार परियोजना, जिसका माननीय सदस्य ने अभी-अभी उल्लेख किया है।

झाबुआ जिला देश में सर्वाधिक पिछड़े हुये जिलों में से एक है। वहां 84 प्रतिशत लोग जनजातीय हैं और साक्षरता दर बहुत कम है। यह मात्र 14 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर केवल 6 प्रतिशत है।

इसलिए सारा कुछ मूल्यांकन करने के पश्चात यह परियोजना 1 नवम्बर, 1996 को आरंभ की गई थी। 150 गांवों में प्रत्यक्ष अभिग्रहण सेट लगाये गये हैं जहां अहमदाबाद से दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाये जाते हैं। प्रत्येक 12 ब्लाक मुख्यालयों में बातचीत करने की भी सुविधा है ताकि अन्योन्यक्रिया प्रशिक्षण प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलती रहे। यह परियोजना काफी उपयोगी सिद्ध हुई है और पिछले नौ महीनों से यह काफी प्रगति कर रही है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और उसका मूल्यांकन क्या रहा?

[अनुवाद]

श्री एस•आर• बालासुब्रहमण्यन : हमारे पास इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। हम दो वर्षों के बाद इसका मूल्यांकन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का नम्बर 302 है। कहीं यह आई•पी•सी• का 302 न बन जाए। मेरे प्रश्न की भावना कहीं नगण्य न हो जाए और कहीं जेल में न बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे पहले 1975-76 में भी इसरो ने योजना आयोग और दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को लिया था और 6 राज्यों के 40-40 गांव लेकर ऐसे 240 गांवों में इसे लागू किया था। उनकी अपनी भाषा में कार्यक्रम होने से दुनिया में उस समय यह पहला रिकार्ड था जब 6 भाषाओं में इसे एक साथ किया गया था। इतने अच्छे कार्यक्रम को भी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में वापिस लोटी, बंद कर दिया गया था और उसके बाद टी•वी• के माध्यम से प्रचारित किया। मैं

जानना चाहता हूं कि जैसे इसे पहले बंद कर दिया गया था, कहीं दुबारा तो बंद नहीं कर दिया जाएगा? यह पॉयलट प्रोजैक्ट है। क्या इसे रैगुलर प्रोजैक्ट में रूप में आगे चलाएंगे?

दूसरा, इसी जिले के पड़ोस में मेरा जिला खरगोन है। वह आदिवासी जिला है। वहां 10 में से 8 सीटें आदिवासियों की हैं। क्या वहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा? पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितना धन रखा है और क्या प्रावधान किया गया है?

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन : महोदय, अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी उपग्रह अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका के ए टी एस 6 उपग्रह का उपयोग करते हुये उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग (एस आई टी ई) 1997-76 में किया गया था। आठवें दशक के उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग और अन्य परियोजनाओं को उत्तर में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हमने 'इनसेट' का उपयोग करते हुए कई कार्यक्रम आरंभ किये हैं ताकि यह पूर्णतः 'इसरो' की परियोजना बन सके।

यह प्रश्न लघु अवधि के प्रयोगों की बजाय ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित है जो शुरू किये गये हैं। अतः टी॰डी॰सी॰सी॰ और झाबुआ ऐसी दो परियोजनाएं हैं जो हमने शुरू की हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना से वहां के लोगों को शिक्षा और कृषि में भी काफी लाभ होता है। झाबुआ में यह कार्यक्रम नवम्बर, 1996 को शुरू किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कितना धन लगा और जो एक्टर हैं, झाबुआ जिला आदिवासी जिला है, वहां 85 प्रतिशत आदिवासी हैं, वह बात आपने भी कही है। वहां बहुत सारी भाषाएं हैं।

क्या उन भाषाओं में वहां के एक्टर तैयार किए गए हैं, ताकि उन आदिवासियों को जो कृषि में या शिक्षा में कार्य कर रहे हैं, उस समाज में एक विश्वास पैदा हो कि हमारे समाज के लोग भी यह काम कर सकते हैं, इसलिए क्या इनमें से आपने एक्टर तैयार किए हैं?

[अनुवाद]

श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन : महोदय, दो वर्षीय प्रायोगिक परियोजना की कुल लागत 7.5 करोड़ रुपये है। स्थानीय भाषा अर्थात् भीली का प्रयोग किया गया है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : महोदय, यह सही है लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम और अन्य सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए स्थानीय अभिनेताओं की क्या स्थिति रहेगी? मेरा प्रश्न यही है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, प्रश्न यह है कि कार्यक्रम स्थानीय लोगों की सहायता से तैयार किये जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में मुख्यतः लोक साहित्य, लोकोक्तियों और लोक मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक है कि आप इसके लिए दिल्ली से कलाकार और अभिनेता नहीं भेज सकते क्योंकि वे लोक साहित्य नहीं जानते होंगें। इसलिए मेरे विचार से यदि मेरे माननीय मित्र ने कार्यक्रम देखें होंगें तो उन्होंने यह पाया होगा कि वह स्थानीय प्रतिभा ही है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है।

श्री जी॰जी॰ स्वैल : महोदय, यह प्रश्न शिक्षा और प्रशिक्षण के संचार से संबंधित हैं। हमारे देश में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जरिये दूरवर्ती शिक्षा का कार्यक्रम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मुक्त विश्वविद्यालय उपग्रह कार्यक्रमों का उपयोग कर रहा है और यदि हां, तो किस रूप में और किस प्रकार। हम केवल इन बातों के बारे में सुनते हैं लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, उसका मैंने कोई उदाहरण नहीं देखा है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय उपग्रह के माध्यम से टी वी चैनलों का प्रयोग कर रहे हैं और वे उनका विभिन्न आयामों में प्रयोग कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र ने इस विशेष कार्यक्रम के बारे में जो पूछा है, वह महत्वपूर्ण 'इसरो' कार्यक्रमों से संबंधित है। 'इसरो' कार्यक्रम हमारे समाज के विशेष क्षेत्रों पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन अन्य मुक्त विश्वविद्यालय इसका अलग से प्रयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : सेटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल के कारण ग्रामीण विकास में पंचायत राज और महिलाओं के प्रशिक्षण में एक तेजी आई है, बढ़ोत्तरी हुई है। अभी हमारे पास सिर्फ दो अपलिंक केन्द्र हैं। एक 'इग्नू' और दूसरा अहमदाबाद में 'इसरो', इसलिए वर्तमान में मीडिया के महत्व को देखते हुए क्या सरकार और अपलिंक केन्द्र बनाना चाहती है, खासकर उन रिमोट एरियाज में जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, विशेषकर महिलाओं को आदिवासियों को प्रशिक्षित किया जा सके?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, टेलीविजन सहित समग्र संचार नीति की पुनरीक्षा की जा रही है। आप जानते हैं कि सभा के समक्ष एक विधेयक पेश किया जा रहा है जिसमें नई प्रणाली के संबंध में स्पष्ट किया जायेगा। प्रसार भारती विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। मेरा यह दृढमत है कि समाज के उत्थान के लिए सभी सरकारी चैनलों का अधिकांशतः प्रयोग किया जाना चाहिए। निजी चैनल भी स्थापित किये जा रहे हैं और मेरे विचार से मनोरंजन के अन्य तरीकें अधिकांशतः उनपर छोड़ दिये जाने चाहिए। लेकिन शिक्षा, पिछड़ापन, उत्थान जैसे सार्वजनिक लोक हित ही सरकारी चैनलों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरे विचार से जब भी हम कोई नई नीति तैयार करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगें।

श्री हरिन पाठक : महोदय, उपग्रह से संबद्ध इस शैक्षणिक चैनल को प्रसार भारती में शामिल नहीं किया जायेगा। मुझे इसी बात की चिंता है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ऐसा नहीं होगा। महोदय, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे माननीय सदस्य की यह बात समझ में आई है कि वह समाज के विशेष क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों पर बल दे रहे हैं?

श्री हरिन पाठक : जी हां।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अतः, ऐसा दोनों प्रकार से किया जा सकता है। संयोजन (अपलिंकिंग) एक तकनीकी समस्या है जिसके गुण भी हैं और दोष भी हैं। 'प्रोग्रामिंग साफ्टवेयर' सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। अतः मेरे विचार से 'प्रोग्रामिंग' का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार हमारे देश में अनेक समुदाय हैं जिन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

श्री के॰पी॰ सिंह देव : महोदय, 1976 में अंतरिक्ष विभाग ने एस आई टी ई परीक्षण, 1976 नामक एक अग्रणी परियोजना भी आरंभ की थी जिसे स्कूलों में सीधे रिसीविंग सेटों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा था। इसे दो वर्षों के बाद समाप्त कर दिया गया। उत्तर में यह कहा गया है कि झाबुआ परीक्षण केवल दो वर्षों के लिए ही किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज और अन्य के लिए शुरू किए गये शैक्षणिक और विस्तार कार्यक्रमों को भी दो वर्ष के पश्चात समाप्त कर दिया जायेगा?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे माननीय मंत्री स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रभारी थे। इसलिए स्वाभाविक है कि वह मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन साथ ही मुझे दो बातें स्पष्ट करने दीजिए। पहला परीक्षण तब किया गया जबकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था। हमने अमरीका से एक वर्ष के लिए उपग्रह उधार लिया था। उस समय तक उपग्रह हमें राष्ट्रीय आधार पर उपलब्ध नहीं थे। अब वे उपलब्ध हैं। अतः हमारे समक्ष मुख्य चुनौती यही है। हम उपग्रहों का प्रयोग क्यों करते हैं और हम किस प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं? परीक्षण मुख्यतः आंकड़े एकत्रित करने के लिए किये जा रहे हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रमों की ज्यादा मांग है और किस प्रकार की भाषा और कहावतों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो ज्यादा आकर्षक और मनमोहक हो। इस प्रकार प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार की जाती हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे ही हम अगले चरण में पहुंचें तो इसका न केवल अधिक विस्तार करना चाहिए अपितु हमें भी आंकड़ों से यह सीखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रबोधन और नवीकरण की अपेक्षा है?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि एक विशेष परियोजना, जे॰डी॰सी॰पी॰ परियोजना संचार की प्रभाविकता परिलक्षित करने, जो जिले में विकासात्मक कार्यों में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें अनुभव प्राप्त करने में दो वर्ष से अधिक समय लगेगा। लेकिन अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र ने काफी समय पहले 'खेड़ा' नामक एक काफी महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। यह संचार और प्रचार माध्यम से बातचीत करने का माध्यम है और प्रचार माध्यम से बातचीत करने के इस तरीके के संबंध में काफी अनुसंधान किया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि जब इस परियोजना का अध्ययन किया जा रहा था, तो क्या विशेष रूप से संचार और प्रचार माध्यम से बातचीत करने के इस तरीके के प्रभाव के संबंध में 'खेड़ा' प्रयोग से प्राप्त अनुभव पर विचार किया जाएगा?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मान्यवर, सरकार के द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशनस और इसरो के माध्यम से शिक्षा, महिला और बाल-कल्याण के बारे में जानकारी देना और आदिवासी में चेतना तथा जागृति पैदा करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, राजस्थान में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं और समाज के किस प्रकार के वर्ग को लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? प्रश्न का "ब" भाग है

[अनुवाद]

"इलैक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान के सहयोग से दूरवर्ती दूर-शिक्षा तकनीकों का प्रयोग करने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों हेतु पाठ्यक्रम"

[हिन्दी]

इस मामले में शिक्षा देने का काम उपग्रह संचार प्रणाली, इसरो के माध्यम से कोई भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं, यह कार्यक्रम कब प्रारम्भ हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, यदि मैंने सही समझा है, तो मेरे माननीय मित्र मुझसे यह पूछ रहे हैं, और यदि मैं गलत हूं, तो मुझे बतायें वह यह कि क्या इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जायेगा अथवा नहीं। क्या मैं सही हूं? क्या आपने यही पूछा है।?

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। छोटे कार्यक्रम जैसे महिला से संबंधित, बाल-कल्याण, आदिवासियों में जागृति पैदा करना, इन्सर्टेंट एजुकेशन शुरू किए गए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य था, बड़े तकनीकी पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पायलट स्कीम थी।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान के सहयोग से दूरवर्ती दूर-शिक्षा तकनीकों का प्रयोग करने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों हेतु पाठ्यक्रम —

[हिन्दी]

इस कार्यक्रम की क्रियान्विति अभी तक क्यों नहीं हुई है और इसके क्या कारण हैं? "ब" भाग - राजस्थान में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जो दूरसंचार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में लोग लाभान्वित हो रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, बात यह है कि जहां तक ज्ञान के अन्य आयामों का संबंध है, जैसाकि उत्तर में बताया गया है, आई एस आर ओ की ही बात नहीं हैं बल्कि अन्य माध्यम भी हैं जिनका कि उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से इसे इस प्रकार की चीजों के लिए उपयोग के लाया जा रहा है। किन्तु इस कार्यक्रम के विस्तार के संबंध में हमने अभी कार्यशाला आयोजित की हैं। हो सकता है कि आई एस आर ओ सभी कार्यक्रमों को पूर्ण कर पाये। इस संबंध में हमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी आयामों में अन्य उपग्रह संगठनों को भी शामिल करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी कहा है यही हमारी नई शुरूआत है तथा इसके लिये ये आंकड़े हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

श्री के-एस-आर- मूर्ति : महोदय, इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में गांवों के रिसीविंग सेट कार्य नहीं करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से 90 प्रतिशत कार्य नहीं करते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि कार्यक्रम का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता।

हम सब जानते हैं कि परिवार नियोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसा क्यों हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है? वे ऐसे कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं देते हैं तथा इसके स्थान पर इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों आदि पर धनराशि का उपयोग कर लेते हैं।

श्री एस-आर- बालासुब्रह्मण्यम : महोदय, यह एक सतत प्रक्रिया है। वास्तव में वे सभी इस संपर्क माध्यम का उपयोग कर रहे हैं।

गर्भ निरोधक टीका

*303. **श्री के-पी- सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने महिलाओं के लिए विश्व का पहला गर्भ निरोधक टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस टीके की क्षमता की जांच करने और परिवार नियोजन के क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक-टीका विकसित किया जा रहा है।

(ख) इस टीके के चरण-I और II मानव नैदानिक परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। यह टीका सुरक्षित पाया गया है लेकिन टीके के प्राप्तकर्ताओं में इस टीके को लगवाने की इच्छा और इसकी मांग बने रहने के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) इसके राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में उपयोग करने पर विचार किये जाने से पहले गर्भावस्था में सुरक्षा के लिए आनुवंशिकीय रूप से विविध जनसंख्या में इसकी प्रभावकारिता को पूर्वानुमान लगाकर स्थापित करने के लिए अभी भी पर्याप्त अनुसंधान कार्य करने की जरूरत हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : हमारे अनुसंधान संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक टीका विकसित किया जा रहा था। तथापि मानव पर पहला और दूसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किये जाने के बाद हमने यह देखा कि इसके परिणाम स्थायी नहीं थे। वे एक से नहीं थे और अलग-अलग व्यक्ति पर भिन्न-भिन्न थे। इस संबंध में हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं वह यह हैं कि इस समय हमें अनेक प्रयास करने आवश्यक हैं जो हमारे लिए व्यवहार्य नहीं होंगे। अनुसंधान चल रहे हैं ताकि हम इस कार्यक्रम को एक ही टीके तक सीमित कर सकें किन्तु हमें लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

श्री के-पी- सिंह देव : उत्तर के भाग (ख) में यह बताया गया है कि टीके के चरण-एक और चरण-दो मानव नैदानिक परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने परीक्षण किए गए हैं तथा क्या वे पात्र व्यक्तियों या अमात्र व्यक्तियों पर किए गए हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि ऐसे प्रयोग स्वैच्छिक दंपतियों पर किए जाते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कितने संसद सदस्य इसमें शामिल हैं?

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह 100 महिलाओं पर किया गया था। चूंकि माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि अभी तक कोई भी संसद सदस्य इसमें शामिल नहीं है। यह अल्पावधिक सुरक्षा पैरामीटरों पर किया गया था जिससे कि इसके बाद में कोई प्रभाव न पड़े। चरण-दो भी उन्हीं केन्द्रों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में किया गया था।

श्री के-पी- सिंह देव : महोदय उत्तर के भाग (ग) में यह बताया गया है कि अभी भी पर्याप्त अनुसंधान कार्य किया जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

(आई सी एस आर) में किया जा रहा है या नहीं। चूंकि यह कार्यक्रम अपने प्रकार का पहला कार्यक्रम है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहमति और अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है या नहीं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : प्रारम्भ में यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शुरू किया गया था और हमने ही इसका वित्तपोषण किया था। बाद में, हमने अन्य वित्तपोषण स्रोतों के धनराशि प्राप्त करने हेतु कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक सिफारिशें करता है तथा हमारे विभिन्न दूसरे कार्यक्रमों की निगरानी करता है। किन्तु जो कुछ भी हम यहां कर रहे हैं उसके लिए हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह जो वैक्सीन तैयार हुआ, उसका श्रीगणेश कब हुआ था? यह एक्सपेरीमेंट दिल्ली में हुआ है या कहीं और भी हुआ है? मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जड़ीबूटियां वनवासी कई क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। क्या सरकार ने उन जड़ीबूटियों की खोज या उनका उपयोग करने का कोई प्रयास किया है?

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह सच है कि परिवार नियोजन के अनेक तरीके हैं। हम चिकित्सा की भारतीय वैकल्पिक पद्धति खोजने के लिए गहन अनुसंधान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जहां जड़ीबूटियों का हम उपयोग भी कर रहे हैं और आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि पी॰जी॰आई॰ चंडीगढ़, ए॰आई॰आई॰एम॰एम॰ नई दिल्ली और सफदरजंग में भी यह एक्सपेरीमेंट किया गया है और उम्मीद है कि चंद दिनों में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिंस में हम कोई तरीका ढूंढ़ निकालेंगे जो साईंटिफिकली कम्प्यूट कर सके।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इन जड़ी-बूटियों का उपयोग वनवासी क्षेत्र में हो रहा है लेकिन इन जड़ी-बूटियों का पता उनको लग सके, क्या इसकी ओर सरकार कोई ध्यान देगी?...(*व्यवधान*)

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, जड़ी-बूटियों का उपयोग कर रहे हैं, अभी आयुर्वेदिक कॉन्ट्रासेप्टिव में रिसर्च चालू है और इसको चंद दिनों में निकाला जाएगा।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रयोग चल रहे हैं, ये काफी खर्चीले हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि देहातों में यह जो प्रयोग कम खर्च में होते हैं इन प्रयोगों को सुलभ करने के लिए, गांवों में प्रचार करने के लिए क्या कोई योजना सरकार के पास है?

श्रीमती रेणुका चौधरी : विलेज एफर्टस में साइंटिफिक डाकूमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, ये इंसानों पर इस्तेमाल की जाएंगी और इसके साइड इफेक्ट बहुत डेंजर हो सकते हैं।

[अनुवाद]

हम मानव जीवन और इसकी देखभाल के प्रति चाहे लापरवाही नहीं बरत सकते है! इसलिए मानव सुरक्षा घटकों को ध्यान में रखते हुए जो भी राशि इस पर खर्च की जा रही, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गर्भ निरोधक टीके के लिए मंत्री जी बोल रही हैं तो उससे पहले भी महाराष्ट्र में और देश के देहातों में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। कई बार ऑपरेशंस भी होते हैं और वे फैल्योर होते हैं। जब पुरूषों का ऑपरेशन फैल्योर होता है तो बड़ी सामाजिक और पारिवारिक समस्या पैदा होती है। उस महिला के साथ बहुत अन्याय होता है तो ऐसे ही अगर गर्भ निरोधक टीका लगाने के बावजूद भी कोई महिला प्रेगनेंट हो जाए तो उसके लिए बहुत ही संकट पैदा होगा। क्या उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाने की तैयारी की है?

श्रीमती रेणुका चौधरी : माननीय सदस्य ने जो बताया वह बिलकुल ठीक है। मैं आपसे सहमत हूं।...(*व्यवधान*)

श्रीमती रजनी पाटिल : आप महिला हैं इसलिए आपको सहमत होना ही चाहिए।...(*व्यवधान*)

श्रीमती रेणुका चौधरी : जहां भी कुछ ऐसी बात होती है तो महिला का नुकसान ही होता है।

[अनुवाद]

यह सच है कि किए जा रहे परिवार नियोजन आपरेशन बहुत दक्षता से करने होंगे और इस दिशा में किसी प्रकार की असफलता से हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भारी धक्का लगेगा। इसलिए किसी प्रकार के टीके अथवा दवा जो निर्माणाधीन है, को स्वीकृति देने से पूर्व हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह इसलिए है कि हमने ऐसे करणों को ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए।...(*व्यवधान*) देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी रूप से चले, यह तो देश की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन यह कार्यक्रम महिलाओं की सेहत की कीमत पर चले, यह न उचित है और न वांछनीय है। आज सौभाग्य से एक महिला देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी है, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह कहना चाहूंगी कि केवल इस वेक्सीन का ही प्रश्न

नहीं है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव या मेजर्स इस समय फैमिली प्लानिंग के लिए चल रहे हैं उसमें कई बार महिलाओं को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से कॉपर-टी के यूज से यूट्रेस के कैंसर की बेहद शिकायतें आ रही हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, जैसे इस वेक्सीन के बारे में आपने कहा कि सेफ है मगर प्रीडिक्टबल नहीं है। अभी बहुत एहतियात की जरूरत है तो जो प्रसाधन या साधन ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कितने सेफ हैं उनका भी आप कोई रिव्यू करवाने की कोशिश करेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, मैं सभा को यह बताना चाहती हूं कि गर्भ निरोधक संबंधी हमारीं सुविधाओं में नितान्त सावधानी बरती जाती है।

[हिन्दी]

यह सवाल ही नहीं उठता

[अनुवाद]

कि कापर-टी का उपयोग करने से कैंसर हो रहा है। पहले गर्भाशय में उपयोग किए जाने वाले उपकरण ऐसे होते थे जिनसे कैंसर हो जाता था और अब इन उपकरणों पर रोक लगा दी गयी है तथा इस बात की निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है कि लोग इनसे प्रभावित न हो सकें।

[हिन्दी]

आपने एक बहुत मूल सवाल उठाया है कि मेल पार्टिशिपेशन फैमिली प्लानिंग में बहुत कम है। पूरे भारत में तीन प्रतिशत पुरुष ही फैमिली-प्लानिंग में भाग लेते हैं। इस हाउस की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मेल-हार्मोन डवलप...*(व्यवधान)* ताकि आपको भी टीका लगे, इसका भी इन्तजाम किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या टीका सभी एम•पीज• को लगाना है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, इस बारे में न तो मुझे खुशी है न ही कोई दुख है। बढती जनसंख्या का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है, यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि पुरुष को परिवार में महिलाओं को जानना चाहिए तथा उसका आदर करना चाहिए। पुरुषों को यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि पुरुष अपनी भूमिका ठीक प्रकार निभाते हैं तभी इस देश का विकास हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि यदि पुरुष अपने आपको परिवार नियोजन में शामिल किए बिना यह कहते रहें कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए तो मैं नहीं जानती कि इस देश का विकास किस प्रकार हो सकता है।

आई•सी•सी•आर• में भ्रष्टाचार

+

***304. श्री प्रमोद महाजन :**

श्री संदीपान थोरात :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1997 के "पायनीयर" में "कल्चर आफ करप्शन इन आई•सी•सी•आर•" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आई•सी•सी•आर• में कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आई•सी•सी•आर• के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो उस समीक्षा का क्या परिणाम निकला है; और

(च) यदि हां, तो आई•सी•सी•आर• को पुनः सक्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) संगठन में कोई "भ्रष्टाचार की संस्कृति" नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यालय पर शासी निकाय तथा महा सभा द्वारा नजर रखी जाती है जिसमें संसद के प्रतिनिधियों सहित उच्च पदस्थ व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम, प्रशासन तथा वित्त की देखभाल के लिए उप-समितियां हैं। संगठन के खातों की प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो विदेश मंत्रालय के समग्र क्षेत्राधिकार में एक स्वायत्त निकाय है, सहित विदेश मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की क्रियाविधि के अध्ययन के लिए एक विशेष उप-समिति की स्थापना की थी जिसकी रिपोर्ट 19 दिसम्बर को लोकसभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी।

(ङ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की समग्र कार्य-विधि ऊपर 2 (घ) में उल्लिखित विभिन्न निकायों और समितियों की अनुशंसाओं द्वारा निर्देशित होती रही है। संसद द्वारा मंत्रालय की वार्षिक

रिपोर्ट की समीक्षा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकलाप के लिए निर्देश का कार्य करती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा स्थायी समिति की रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और उस पर कार्रवाई की गई है। समिति द्वारा मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों पर पहली अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट 22 दिसंबर, 1995 को समिति के सामने रखी गई थी। समिति की टिप्पणियों तथा सुझावों पर मंत्रालय ने 22.7.97 को प्रत्युत्तर दिया था।

(च) सामान्य नीति के तौर पर सरकार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों की कार्य प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है तथा माननीय सदस्यों तथा स्थायी समिति की ओर से अनुपालन के लिए दिये गये सुझावों पर सावधानी पूर्वक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त परिषद के अपने निकायों और समितियों द्वारा सुधार के लिए की गई अनुशंसाएं सतत् रूप से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की क्रियाविधि को निर्देशित करती रहती हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : सर, यह इतना लम्बा उत्तर है कि 12 तो इसमें ही बज जाएंगे। एक-आध सप्लीमेंटरी वे ही खुद को पूछ लें और क्वश्चन आवर समाप्त करें।

श्रीमती कमला सिन्हा : आप सुन तो लें।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप क्वश्चन आवर में पढ़कर सुनाएंगी तो मैं बाद में आकर सारा सुन लूंगा।

श्रीमती कमला सिन्हा : आप सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् एक महत्वपूर्ण संस्थान है, प्रतिष्ठित है और 50 वर्ष से चल रहा है। एक-आध अपवाद को छोड़कर उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान पर भ्रष्टाचार के आरोप होना या करना, यह किसी के लिए शोभा की बात नहीं है, न किसी की इसमें इच्छा है। लेकिन जिस प्रकार का उत्तर सरकार की ओर से आया हैं, मुझे लगता है कि यह निराशाजनक उत्तर है। भ्रष्टाचार की संस्कृति, इस शब्द का प्रयोग शायद समाचार पत्रों ने किया होगा, संस्कृति नहीं होगी, विकृति होगी। लेकिन इस परिषद् पर संसद सदस्यों ने...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप बहुत टाइम ले रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मेरे टाइम की आप क्यों चिंता कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* संसद सदस्यों ने आरोप किये हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि स्वयं इस परिषद् में उपेन्द्र जी और शारदा प्रसाद जी, इन दो उपाध्यक्षों के भ्रष्टाचार और अनियमितता देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट भी है, उस पर एक्शन बताया। इतना सारा होने के बाद, "यहां भ्रष्टाचार नहीं है" ये किस आधार पर कह रही हैं। क्या इनको इस समिति की कोई जानकारी है?

श्रीमती कमला सिन्हा : अध्यक्ष जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफैयर के सामने यह मुद्दा उठाया गया था और स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी बातों की जानकारी के लिए एक छोटी कमेटी बहाल की थी।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आई॰सी॰सी॰आर॰ की उपेन्द्र और शारदा प्रसाद कमेटी की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं उसी की बात कर रही हूं। पूरी छानबीन के बाद पूरी रिपोर्ट पेश की गयी। माननीय उपेन्द्र और शारदा प्रसाद जी, इन दोनों की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गयी थी, उनकी भी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि जो भी एलीगेशन "पायोनियर" अखबार में निकला, वह सही नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री प्रमोद महाजन : मैं पॉयनियर अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। जो ऐलिगेशन लगाए गए थे, उसके अनुसार एक्शन लेने के लिए कहा था या नहीं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उपाध्यक्ष जी, इसमें दो बातें हैं। लॉग टर्म स्टैंडिंग कमेटी ने दो साल पहले रिपोर्ट दी थी। वह बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। उसको पूरा इम्लीमैंट किया गया। आपने देखा होगा कि उस समय से पहले उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष नहीं थे। हमने उस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया। उपराष्ट्रपति इसके आज भी अध्यक्ष हैं और रहेंगे। दूसरी बात यह है कि

[अनुवाद]

आपने उन विशेष व्यक्तिगत आरोपों का जिक्र किया है। उन आरोपों को देखा जायेगा। मेरे सामने एक कागज रखा है जिससे यह पता चलता है कि उन दोनों व्यक्तियों का सार्वजनिक जीवन में और संसद में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा है कि लगाये गए आरोप सही नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार

***305. श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का राज्य के उन सभी अन्य जिलों में भी लागू करने की स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया है जिन्हें आज की तारीख तक इस योजना के अंन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित क्षयरोग नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत संशोधित राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अगले 3 वर्षों में 15 राज्यों के 102 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) इलाज से ठीक होने की 85 प्रतिशत की दर प्राप्त करने के लिए सरकार नए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रही है।

I. मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बीपैक में रोगीवार पेटिका में क्षय-रोधी औषधियों की शतप्रतिशत आवश्यकताएं पूरी करना।

II. सीधी देख-रेख में अल्पावधि-उपचार (डी ओ टी एस) प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाना।

III. थूक की बेहतर जांच करने के लिए औषधियों की सुधरी हुई अबाधित आपूर्ति।

(ग) से (ङ) जी हां। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से उत्तर प्रदेश के 30 अल्पावधि रसायधिकित्सा वाले जिलों को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-III में शामिल करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के चार जिलों में 96.4 लाख जनसंख्या को कवर कर चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 39 अल्पावधि रसायधिकित्सा वाले जिलों में इस कार्यक्रम को बाद में आरम्भ करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा बशर्ते कि वे अनुमानित मानदण्डों को पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

हारमोन विकास संबंधी बीमारियां

***306. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हारमोन विकार से संबंधित बीमारियों की बढ़ती हुई संख्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हारमोन विकार से संबंधित बीमारियों के निदान तथा उपचार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) यह बताने के लिए कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है कि हार्मोन-संबंधी रोगों में वृद्धि हुई है। हार्मोन्स के असंतुलन से होने वाले पोषण संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयोडीन अल्पता-जन्म विकार नियंत्रण कार्यक्रम, शुरू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसंख्या का सर्वेक्षण, आयोडीकृत नमक का प्रचार और लोगों में जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। मधुमेह के निवारण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक योजना पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के चुने हुए अस्पतालों में हार्मोन-संबंधी विकारों के निदान तथा उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश वार्ता

***307. श्री अमर रायप्रधान** : क्या प्रधान मंत्री बंगलादेश में भारतीयों के बारे में 10 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल की जनवरी, 1997 में दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में किन-किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसका अंतिम नतीजा क्या रहा;

(ख) भू-सीमा का जनवरी, 1997 तक सीमांकन कार्य पूरा कर लेने के लिए कितने सर्वेक्षण दल कार्य कर रहे थे तथा आज की तारीख तक और कितने सर्वेक्षण दल बढ़ाये गये है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण दलों की संख्या में वृद्धि से भू-सीमा के सीमांकन कार्य में सरकार को कोई सहायता मिली है, यदि हां, तो किस हद तक?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) बंगलादेश में भारतीयों के मामले में 10 मार्च, 1997 को दिए गए उत्तर के संदर्भ में, जनवरी, 1997 में दिल्ली में हुई भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें सुरक्षा संबंधी मसले, सीमापार आवागमन, चकमा शरणार्थियों की वापसी, वर्तमान वीसा प्रणाली की समीक्षा, सीमा सुरक्षा बल एवं बंगलादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता, नोडल अधिकारियों को क्रियाशील करना, और सीमा का सीमांकन शामिल थे। सीमा के सीमांकन के संदर्भ में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच भू-सीमा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए दोनों पक्ष सर्वेक्षण टीमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। भारतीय पक्ष ने

भी यह बताया कि बस्तियों का आदान-प्रदान सीमांकन कार्य पूरा होने तथा भारतीय कानून के अनुसार सभी आवश्यक विधिक तथा संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल सेक्टर, मेघालय सेक्टर, असम सेक्टर तथा त्रिपुरा सेक्टर में प्रत्येक में जनवरी, 1997 तक दोनों देशों का एक संयुक्त सर्वेक्षण दल नियुक्त किया गया है। तब से दलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, पश्चिमी बंगाल सेक्टर में, जहां सीमा के सीमांकन का अधिकतर कार्य किया जा रहा है, दिसम्बर, 1996 के बाद से सीमांकन कार्य के लिए नियुक्त संयुक्त सर्वेक्षण दलों के सदस्यों को बढ़ाकर दो सर्वेक्षक, चार अमीन, तथा दो कम्प्यूटर कर दिया है। 18-21 जुलाई, 1997 तक ढाका में आयोजित पश्चिमी बंगाल सेक्टर हेतु सीमा सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष सर्वेक्षण दल को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो सर्वेक्षकों, सात अमीनों तथा दो कम्प्यूटरों की संख्या करने पर सहमत हुए थे।

फील्ए सत्र 1996-97 के दौरान पश्चिमी बंगाल सेक्टर के सर्वेक्षण दल को मजबूत बनाने के परिणामस्वरूप दूसरे देशों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र की परिधि की सीमा सहित सीमा के गैर-सीमांकित भाग के चारों ओर थियोडोलाइट ट्रेवर्स द्वारा यंत्रीय कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बेरूबेरी, खुदीपारा और सिंगापारा में दूसरे देश द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों की सही गणना के लिए यंत्रीय प्रेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

चीन-भारत संबंध

*308. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने यह स्पष्ट किया है कि वह पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही दलों का न तो समर्थन करेगा और न ही उन्हें सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने यह भी निर्णय किया है कि वह कश्मीर के मामलों में आत्मनिर्णय का समर्थन नहीं करेगा;

(घ) यदि हां, तो भारत ने इस कदम का किस सीमा तक स्वागत किया है; और

(ङ) व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा क्या नयी पहलें की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ङ) चीन की सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि वे अलगाववादी गतिविधियों को सहायता दे रहे हैं। चीन का यह कहना है कि उसने दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है और कभी करेगा भी नहीं।

चीन ने कहा है कि कश्मीर का प्रश्न इतिहास की देन है। चीन ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत और पाकिस्तान संयमपूर्ण परामर्शों और शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से इस प्रश्न का समाधान खोज लेंगे। सरकार सदा से यह कहती आई है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है और सदैव रहेगा।

भारत और चीन सभी क्षेत्रों में परस्पर लाभपूर्ण संबंधों के विकास की दिशा में काम करने और द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक मात्रा में आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय विषय शामिल करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने पर सहमत हुए हैं। 1996 में द्विपक्षीय व्यापार 1.4 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ। दोनों देशों में 50 से अधिक संयुक्त उद्यम हैं। हाल के वर्षों में भारत और चीन ने विविध क्षेत्रों में क्रियात्मक सहयोग और आदान-प्रदान बढ़ाया है। भारत और चीन के बीच संयुक्त आर्थिक दल और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध उप-दल की आगामी बैठक इस वर्ष के अन्त में बुलाए जाने की संभावना है।

घरेलू नौकरानियों को परेशान किया जाना

*309. श्री टी॰ गोविन्दन :
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों में कार्यरत भारत की घरेलू नौकरानियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इन घरेलू नौकरानियों के शारीरिक, मानसिक और यहां तक कि यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन घरेलू नौकरानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) किसी निश्चित समय में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नौकरानियों की सही संख्या की गणना करना मुश्किल होगा, क्योंकि उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वे नियोक्ता देश में आगमन के साथ-साथ प्रस्थान के समय विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में अपना नाम दर्ज नहीं कराती हैं। तथापि, विगत तीन वर्ष के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा जिन नौकरानियों को उत्प्रवासन अनुमोदन दिए गए थे उनकी सही-सही संख्या के आकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा सदन के पटल पर रख दिए जाएंगें।

विगत एक वर्ष के दौरान खाड़ी देशों में कार्यरत नौकरानियों से प्राप्त शिकायतों की मिशनवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ये शिकायतें मुख्य रूप से मजदूरी का भुगतान न करने अथवा विलम्ब

से भुगतान करने, पर्याप्त क्षतिपूर्ति के बिना लम्बे समय तक काम लेने तथा श्रम साध्य काम लेने, भारत वापस आने के लिए छुट्टी न देने, प्रयोजकों द्वारा यात्रा दस्तावेजों को अपने पास रोक लेने, संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने, दुर्व्यवहार इत्यादि से संबंधित हैं। इन शिकायतों में कुछ शिकायतें यौन उत्पीड़न की भी हैं।

जब कभी मिशन/केन्द्रों में शिकायतें नौकरानियों से प्राप्त होती हैं, मिशन इन मामलों को तत्परता से मिटाने के लिए प्रयोजनक/नियोक्ता के साथ उठाते हैं। जहां और जब भी आवश्यक होता है, शिकायत निवारण के लिए नियोक्ता को राजी करने के लिए विदेशी सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जाता है। जब कभी मिशन/केन्द्र के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई हल संभव नहीं होता है, वहां नौकरानियों की स्वदेश वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव सहायता दी जाती है।

संभावित दुर्व्यवहार से बचने के लिए चालीस वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की विदेशों में नौकरानी के रूप में कार्य करने के लिए उत्प्रवासन का अनुमोदन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, यह भी बाध्यकारी है कि नौकरानियों की भर्ती से संबंधित करारों को उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित भारतीय मिशन से विधिवत रूप से सत्यापित कराना होता है।

विवरण

विगत एक वर्ष के दौरान खाड़ी देशों में स्थित मिशनों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या

	देश का नाम जिसमें मिशन स्थित है	शिकायतों की संख्या
1.	संयुक्त अरब अमीरात	24
2.	ईराक	शून्य
3.	बहरीन	74
4.	सऊदी अरब	190
5.	ओमान	97
6.	कुवैत	850
7.	यमन	4
8.	कतर	216

हेपेटाइटिस-सी

***310. डा॰ बल्लभ भाई कठीरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 1997 से रक्त दान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हेपेटाइटिस-सी की जांच कराना अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिसूचना के जारी करने से पहले, सरकार के पास केन्द्र, राज्य तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों, को, जिनके रक्त बैंक देश में हैं, आपूर्ति किए जाने के लिए पर्याप्त उपकरण थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस दिशा में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) यकृतशोथ-"ग" (हैपेटाइटिस-सी) के लिए रक्त की जांच को अनिवार्य बनाने की व्यवहार्यता के लिए तकनीकी और आर्थिक विश्लेषण प्राप्त करने और एक समय अनुसूची तैयार करने हेतु रक्ताधान, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रशासकों में गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। तब तक रक्त का एच॰सी॰वी॰ परीक्षण स्वैच्छिक बना रहेगा।

[हिन्दी]

मधुमेह

***311. प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में इस समय मधुमेह के मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) मधुमेह की घटनाओं पर कोई राष्ट्रव्यापी विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) विभाग के लिए नौंवी योजना आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए वर्ष 1997-98 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ रूपए की राशि का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

एड्स/एच•आई•वी• के लिए औषधि अनुसंधान कार्यक्रम

*312. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स/एच•आई•वी• से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए भारत में चलाए गए औषधि अनुसंधान कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में एड्स के इलाज के लिए किसी आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी दवा का पता लगाने हेतु किसी अनुसंधान को प्रायोजित किया जा रहा है; और

(घ) एड्स के इलाज का पता लगाने संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) एड्स के लिए उपचार का पता लगाने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एक "विशेष दल" का गठन किया है जिसका कार्य विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के अंतर्गत अनुसंधान विषयक प्रस्तावों की विवेचनात्मक जांच करना है। परिषद् ने हाल ही में एच•आई•वी• संक्रमण के लिए कुछ पारंपरिक औषधियों के रिट्रोवायरल-रोधी गुणों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे में सुविधाएं स्थापित की हैं। ये अध्ययन अभी शुरू ही हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने इस सुविधा के लिए 6.42 लाख रूपये का आबंटन किया है।

हमारे देश में एच•आई•वी•/एड्स के औषध उपचार के क्षेत्र में अनुसंधान विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में किया जा रहा है।

एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली :

महाराष्ट्र में एड्स अनुसंधान एवं नियंत्रण केन्द्र, मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के तीन औषध उपचार परीक्षण किए गए हैं। प्रारंभिक निष्कर्षों से सी•डी• 4 काउंट्स में वृद्धि का पता लगता है। अध्ययन के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

होमियोपैथी चिकित्सा प्रणाली :

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् ने होमियोपैथी चिकित्सा की भूमिका का मूल्याकंन करने के लिए 1989 से अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए हैं। ये अध्ययन क्षेत्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई और क्लीनिकल होमियोपैथी अनुसंधान यूनिट, चेन्नई में किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् ने क्षेत्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई में एच•आई•वी• संक्रमण में होमियोपैथिक औषधियों का एक स्वतंत्र यादृच्छिक प्लेस्बो नियंत्रित सर्वेक्षण भी किया है। इस अध्ययन के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने केवल एच•आई•वी•/एड्स में अनुसंधान के लिए हाल ही में केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्थान की स्थापना का अनुमोदन किया है।

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् ने 1989 से 67.89 लाख रूपये खर्च किए हैं। इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1995-96 के दौरान प्रदान किए गए 25.25 लाख रूपये शामिल हैं।

सिद्ध औषधियों पर अनुसंधान

एच•आई•वी•/एड्स के उपचार में सिद्ध औषधों की भूमिका के विषय में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ थोरेसिक मेडिसिन, तम्बरम, चेन्नई में अनुसंधान किया जा रहा है। परन्तु इन अध्ययनों के अंतिम परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए 8 लाख रूपये की निधियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

यकृतशोथ (हैपेटाइटिस)

*313. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रकार के यकृतशोथ (हैपेटाइटिस) का पता लगाया गया है;

(ख) क्या देश में यह घातक यकृतशोथ (हैपेटाइटिस) महामारी तेजी से फैल रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस बीमारी से प्रभावित होने वाले और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस बीमारी के उपचार के लिए विश्व भर में इस्तेमाल किए जाने वाले टीके खरीदने में असमर्थ है क्योंकि यह भारत में अत्यधिक महंगा पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश में टाइप ए,बी,सी,डी,ई और जी वाइरल हैपेटाइटिस का पता चला है। जनसंख्या के प्रभावित असुरक्षित होने वाले भागों में फैली स्थानिकमारी से इस रोग के महामारी के रूप में फैलने का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वाइरल

हैपेटाइटिस (सभी टाइप की) से संक्रमित हुए व्यक्तियों और इससे जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनकी संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	संक्रमित व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनकी संख्या
1994	98880	1183
1995	98940	943
1996	116031	799

(घ) और (ङ) हैपेटाइटिस के उपचार के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं हैं। हैपेटाइटिस "बी" के निवारण के लिए बाजार में वाणिज्यिक आधार पर टीका उपलब्ध है। देश में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक स्वदेशी विनिर्माता को हाल ही में अनुमति भी प्रदान की गई है। हैपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा क्योंकि ऐसा कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्तमान परिव्यय अपर्याप्त हैं।

वाइरल हैपेटाइटिस के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(I) सभी रक्त दानों को हैपेटाइटिस "बी" के लिए जांच अनिवार्य है।

(II) सुरक्षित यौनाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करना शुरू किया गया है।

(III) प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंज और सूई के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(IV) केन्द्र सरकार के अस्पतालों के कार्मिकों, जिन्हें अत्यधिक जोखिम रहता है, को हैपेटाइटिस से रोग-प्रतिरक्षित करने हेतु निदेश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे इसी प्रकार के उपाय करें।

(V) अन्य बातों के साथ-साथ पीने के सुरक्षित पानी के इस्तेमाल और पर्यावरणिक स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देकर गहन स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को बढ़ावा दिया गया है।

[अनुवाद]

उपग्रह का उपयोग

*314. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर-सरकारी फर्मों को "इनसैट" ट्रांसपॉन्डर्ज़ का उपयोग करने और उन्हें उपग्रह खरीदने की अनुमति देकर उपग्रह के उपयोग और स्वामित्व पर से सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने का क्या औचित्य है;

(ग) गैर-सरकारी उपभोक्ताओं को क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन प्रस्तुत की जाने वाली संभावित व्यापारिक शर्तें कौन-कौन सी हैं; और

(घ) दूरसंचार विभाग फ्रीक्वेंसीज को किस प्रकार आबंटित करेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) टेलीफोनी, आंकड़ा, टी॰वी॰ तथा ध्वनि प्रसारण एवं मोबाइल सेवाओं के लिए उपग्रहों का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। उपग्रह संचार प्रणाली देश में संचार नेटवर्क के लिए एक मौलिक अवसंरचना बन गयी है, तथा इसलिए क्रमबद्ध विकास के लिए इसे उचित रूप में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय उपग्रह प्रणालियों को उन विविध संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों का पालन करना होता है, जिसमें भारत एक पार्टी है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने भारत में उपग्रह संचार के लिए एक ढ़ांचा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली पर प्रेषानुकर क्षमता व्यावसायिक शर्तों पर गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को भी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि क्षमता उपलब्ध हो, (ख) भारतीय निजी पार्टियों को व्यावसायिक संचार उपग्रह स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा पार्टियों को भारतीय उपग्रहों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आई॰टी॰यू॰) के साथ ऐसी उपग्रह प्रणालियों और नेटवर्क के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) में सहायता प्रदान की जाएगी, (ग) इस संबंध में तैयार किए जाने वाले मानदंडों एवं शर्तों के अनुसार भारतीय तथा विदेशी उपग्रह दोनों के साथ भारतीय क्षेत्र से प्रचालन की अनुमति दी जाएगी, किन्तु भारतीय उपग्रहों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जहां तक उपग्रह आधारित प्रसारण का प्रश्न है, उपग्रह संचार की ढ़ांचा नीति से संबंधित विविध प्रावधान प्रस्तावित प्रसारण कानून के अनुसार होंगे।

यह आशा की जाती है कि ढ़ांचा नीति के प्रतिपादन से स्वस्थ और समृद्ध संचार उपग्रह और भू-उपकरण से संबद्ध उद्योग तथा भारत में उपग्रह संचार सेवा से संबद्ध उद्योग का विकास होगा। इससे इन्सैट प्रणाली के बृहत्तर उपयोग का द्वार भी खुलेगा।

(ग) और (घ) प्रसारण के उद्देश्य से क्षमता का प्रावधान प्रस्तावित प्रसारण कानून के अनुसार होगा। दूरसंचार विभाग के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त निजी वीसैट सेवा प्रदान करने वालों तथा घनिष्ट प्रयोक्ता ग्रुपों को पहले से ही व्यावसायिक आधार पर इन्सैट क्षमता

उपलब्ध करायी जा रही है। लाइसेंस प्राप्त वीसैट सेवा प्रदानकर्ता उस आवृत्ति का भी उपयोग करता है, जिस पर प्रेषानुकर प्रचालित होते हैं।

36 मेगाहर्त्स बेण्ड चौड़ाई वाले एक पूर्ण विस्तृत सी-बैण्ड प्रेषानुकर तथा 34 डी•बी•डब्ल्यू• उपग्रह समतुल्य समानुवर्ती विकिरणित ऊर्जा (एरिप) के लिए वार्षिक अन्तरिक्ष-खण्ड शुल्क इस समय 275 लाख रूपये है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने वाली तारीख को 25 प्रतिशत वार्षिक अन्तरिक्ष-खण्ड किराया शुल्क की दर से अन्तरिक्ष-खण्ड आरक्षण शुल्कों के भुगतान पर तथा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से अन्तरिक्ष-खण्ड को पूर्व-क्रय के आधार पर सुरक्षित रखा जाता है। आवृत्ति आबंटन के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एस•ए•सी•एफ•ए•) तथा इन्सैट नेटवर्क प्रचालन एवं नियंत्रण केन्द्र (एन•ओ•सी•सी•) के लिए स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निर्धारित आवृत्ति का आबंटन किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित दवाइयां

*315. **श्री मनोज कुमार सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "क्वीना क्राइन" सहित कुछ प्रतिबंधित दवाइयां देश के कुछ बड़े शहरों में गर्भ निरोधक के रूप में पुनः प्रयोग की जाने लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) देश में किसी प्रतिबंधित गर्भ निरोधक के इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं है। "क्वीना क्राइन" औषध प्रतिबंधित औषध नहीं है क्योंकि इसका देश में कभी प्रचलन नहीं हुआ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने यथोचित अनुमोदन से 1993 में सीमित परीक्षण शुरू किए थे जिन्हें 8 चयनित महिलाओं पर किए गए परीक्षणों से गर्भ धारण की रोकथाम करने में भारी अस्वीकार्य असफलता का पता चलने पर 1.9.94 में बंद कर दिया गया। हाल ही में समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलूर के कुछ डाक्टरों/अभिकरण द्वारा यह औषधि दी जा रही है। जिन तीन मामलों में पूछताछ की गई है, उनके संबंध में यह सूचित किया गया है कि इस औषध का फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। "क्वीना क्राइन" के सेवन के बारे में छानबीन करना जारी है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक समझी जाएगी, वह की जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ शांति समझौता

*316. **डॉ• कृपासिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक लोक मंच ने दोनों देशों से अनुरोध किया है कि दोनों देशों की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर वे शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले में कोई वार्ता फिर से शुरू होने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पाकिस्तान के साथ सभी अनुसुलझे मसलों को शिमला समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार शान्तिपूर्ण ढगं से द्विपक्षीय विचार विमर्शों के जरिए हल करने के लिए वचनबद्ध है। पुनः शुरू हुई विदेश सचिव स्तर की दूसरे दौर की बातचीत के समापन पर 23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत के लिए विभिन्न मसलों का पता लगाया है और इसके लिए एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने का निश्चय हुआ है जिसके तहत यह बातचीत सम्पन्न होगी। इस संयुक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि बातचीत का अगला दौर सितम्बर, 1997 में दिल्ली में होगा। सरकार पाकिस्तान के साथ विश्वास, मंत्री और सहयोग के संबंध स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है।

म्यांमार के साथ व्यापार

*317. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम सरकार ने म्यांमार और बंगलादेश के साथ नदी और सड़क मार्गों से सीमा व्यापार पुनः शुरू करने के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस थलरूद्ध राज्य के लिए व्यापार और पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। सरकार को मिजोरम सरकार से म्यांमार तथा बंगलादेश के साथ क्रमशः चम्फाई और देमागिरि से भूतल मार्ग द्वारा सीमावर्ती व्यापार पुनः खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार ने चम्फाई-रीह मार्ग के जरिए सीमावर्ती व्यापार खोलने के लिए म्यांमार सरकार से सम्पर्क किया है। म्यांमार सरकार मुख्यतः इस आधार पर सीमावर्ती व्यापार के लिए इस मार्ग को चालू करने पर सहमत नहीं हुई है कि पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बंगलादेश के मामले में मिजोरम सरकार ने देमागिरी के जरिए सीमावर्ती व्यापार करने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने बंगलादेश को मिजोरम तथा देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य बातों के साथ-साथ सीमावर्ती व्यापार खोलने में अपनी रूचि से अवगत करा दिया है। मार्च, 1997 में सम्पन्न भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की 5वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार के प्रबंधों को कार्यान्वित करने के लिए 1997 के अन्त तक सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में मिजोरम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की निर्यात सम्भावना का अध्ययन करने के लिए एक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थापित किया है। प्रस्तावित अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ विषय है : (I) क्षेत्र में निर्यात सम्भावना के उत्पादों की पहचान करना; (II) मौजूदा आधारभूत और सहायक सुविधाओं का मूल्यांकन करना तथा उनकी कमियां; (III) मौजूदा औद्योगिकरण का विश्लेषण और निर्यातोन्मुख औद्योगिक आधार की सम्भावना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना; (IV) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की व्यवहार्यता; (V) बंगलादेश और म्यांमार के लिए भूतल तथा जल मार्गों का अध्ययन; (VI) नदी मार्ग के जरिए बंगलादेश को बांस का निर्यात; और (VII) पूर्वोत्तर क्षेत्र से सीमावर्ती व्यापार बढ़ाने के लिए मौजूदा स्थिति का विश्लेषण और इसके लिए अपेक्षित उपाय।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा गठित कार्य दल ने मिजोरम में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन सम्भावना का आकलन किया है। अप्रैल, 1997 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस कार्य दल ने मिजोरम के पर्यटक आकर्षण तथा इस राज्य में पर्यटन के विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना की पहचान की है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

***318. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के राज्य वार अलग-अलग कितने एलौपैथिक, होमयोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधालयों को अलग-अलग राज्यवार खोला गया;

(ग) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और अधिक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों को खोले जाने हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय राज्यवार स्वीकृत नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों की संख्या के मानदंडों के अनुसार और अन्य शर्तों के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं। शहर-वार संलग्न विवरण में सूचना दर्शाई गई है।

1994 के दौरान, दिल्ली में दो और जबलपुर में एक एलोपैथिक औषधालय खोला गया। 1995 के दौरान दिल्ली में एक एलोपैथिक औषधालय खोला गया। 1996 के दौरान गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम में तीन-तीन एलोपैथिक औषधालय स्वीकृत किए गए जो अब खुल चके हैं। 1994-95 में बेंगलौर में भी एक यूनानी औषधालय स्वीकृत किया गया।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न भागों अर्थात् दिल्ली, कोचीन, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, जोधपुर, शिलांग, भोपाल आदि से मुख्यतः और अधिक एलोपैथिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर करने के लिए सामान्यतः अनुरोध प्राप्त हुए हैं जहां पर पहले ही एलोपैथिक औषधालय कार्य कर रहे है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मानदंडों को पूरा करने को ध्यान में रखकर उपलब्ध करवाई जाती हैं।

विवरण

(क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :-

क्र॰सं॰	शहर का नाम	औषधालयों की संख्या			
		एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	87	13	13	04
2.	अहमदाबाद	03	01	01	-
3.	इलाहाबाद	07	01	01	-

1	2	3	4	5	6
4.	लखनऊ	06	01	01	01
5.	कानपुर	09	01	02	–
6.	मेरठ	06	01	01	–
7.	बंगलौर	10	02	01	01
8.	भुवनेश्वर *	01	–	–	–
9.	मुम्बई	28	02	04	–
10.	नागपुर	11	02	01	–
11.	पुणे	07	01	02	–
12.	कलकत्ता	17	01	02	01
13.	हैदराबाद	13	02	02	02
14.	जबलपुर	03	–	–	–
15.	जयपुर	05	01	01	–
16.	चेन्नई	14	01	01	–
17.	पटना	05	01	01	–
18.	रांची*	01	–	–	–
19.	तिरुवंनतपुरम	03	–	–	–
20.	गुवाहटी	03	–	–	–

* केवल महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों के लिए

रोजगार के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*319. **श्री मंगलराम प्रेमी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा रिक्तियों के केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाने संबंधी अनिवार्यता असंवैधानिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अभी भी रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना किए जाने के क्या कारण हैं तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को तुरन्त क्रियान्वित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्पाद शुल्क अधीक्षक मलकापटनम एवं कुछ अन्यों द्वारा दर्ज सिविल अपील में जारी किए गए अपने आदेशों में यह निदेश दिया है कि जहां मांग कर्ता प्राधिकारी/प्रतिष्ठान उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन हेतु नाम भेजने के लिए आवश्यक रूप से रोजगार कार्यालय को सूचित करता रहेगा एवं रोजगार कार्यालय चयन हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों का नाम भेजेगा, वहीं इसके अतिरिक्त मांगकर्ता प्राधिकारी प्रतिष्ठान, समाचार पत्रों एवं ऐसे अन्य माध्यमों से रिक्तियों के प्रकाशन के द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की मांग करेगा। सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दर्ज करने की प्रक्रिया में है।

शांति संधि

*320. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री, सहयोग और शांति संबंधी 25 वर्ष पुरानी संधि जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, के नवीकरण के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) भारत और बंगलादेश के बीच मैत्रीपूर्ण, सहयोग और शांति संधि 1972 में उस समय के विशेष सन्दर्भ में सम्पन्न हुई थी। भारत और बंगलादेश ने मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंध विकसित किए हैं और इनके द्विपक्षीय संबंधों में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सरकार ने इस संधि का नवीकरण करना आवश्यक नहीं समझा है।

मस्टर रोल पर कर्मचारी

3340. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मस्टर रोल पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ श्रेणियों में "हेंड रिसीट" के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करते हुए हेंड रसीट पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों को नियमित करने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को किस आधार पर नियमित किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमोरड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) के॰लो॰नि॰वि॰ ने बताया है कि दैनिक मज़दूर रखने पर प्रतिबन्ध लगने के बाद इस प्रकार के लगभग 657 कर्मचारी रखे गए हैं।

(ग) और (घ) इन श्रमिकों को इस विषय में वर्तमान नियम दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(ङ) और (च) ऐसा कोई मामला निर्माण महानिदेशालय, के॰लो॰नि॰वि॰ के ध्यान में नहीं आया है।

अवैध उत्खनन

3341. **श्री हाराधन राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1979 में सरकार द्वारा गठित अवैध उत्खनन संबंधी समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सिफारिशों को मनवाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महासागर के आसपास के देशों के साथ आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता

3342. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**
श्री अनन्त गंगाराम गीते :
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर के आसपास के देशों के साथ कोई व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इन देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग कब तक शुरू होने की आशा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रीम संगठन (आई ओ आर-ए आई सी) में शामिल हुआ है, इसमें 14 देश शामिल हैं।

(ख) क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रीम संगठन के उद्देश्यों और प्रयोजनों में निम्नलिखित आते हैं -

(I) इस क्षेत्र और इसके सदस्य राज्यों की लगातार समृद्धि और संतुलित विकास तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए समान आधार तैयार करना;

(II) आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालना जिनसे सहभागी हितों को संवर्धित करने तथा आपसी लाभों का उपभोग करने की अधिकतम सम्भावनाएं प्रदान करना। इस दिशा में व्यापार सुकर बनाने, संवर्धन और उदारीकरण, विदेशी निवेश उन्नयन, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान, और पर्यटन, वास्तविक लोगों एवं सेवाएं उपलब्धकर्ताओं का आवागमन और मूलभूत ढांचा एवं मानव संसाधन विकास संबंधी आर्थिक सहयोग के लिए परियोजनाएं तैयार करना तथा उनका अनुपालन करना;

(III) सदस्य राज्यों के व्यापार, उद्योग, अकादमियों, विद्वानों तथा लोगों के बीच निकट क्रिया व्यापार को बढ़ावा देना;

(IV) सार्वभौमिक आर्थिक मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य राज्यों के बीच सहयोग तथा वार्ता संवर्धित करना;

(V) सदस्य राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के बीच निकट संबंधों द्वारा विशेष तौर पर मानव संसाधन के विकास में सहयोग संवर्धित करना।

(ग) क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रीम संघ इसके चार्टर के स्वीकार कर लेने के साथ ही प्रचालित हो गया है। मारिशस में मार्च, 1997 में हुई क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रीम संगठन मंत्रियों की परिषद की प्रथम बैठक में सहयोग संबंधी कार्यक्रम प्रक्षेपित किया गया।

केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3343. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1997 को केरल में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और परिवार नियोजन केन्द्र कार्यरत थे;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 31.12.96 को उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल में 959 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्य में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। केरल में 163 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और 82 प्रसवोत्तर केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं और

उनका रख-रखाव किया जाता है। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में इन केन्द्रों को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

	1994-95	1995-96	1996-97
ग्रामीण परिवार			
कल्याण केन्द्र	394.50	495.00	495.00
प्रसवोत्तर केन्द्र	257.00	257.00	255.00

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

3344. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1997 के "हिन्दुस्तान" (हिन्दी) में "कम वेतन पाने वालों को भी बड़े अस्पताल की सुविधा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, आई•एम•पी• चिकित्सालयों और अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा राज्यवार उनकी विस्तार क्षमता क्या है;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को अन्य बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम•पी• वीरेन्द्र कुमार) : (क) (ख) (घ) और (ङ) जी हां। हिन्दुस्तान (हिन्दी) में प्रकाशित समाचार प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में क•रा•बी• के लाभानुभोगियों को अति विशिष्ट इलाज, चिकित्सा व्ययों की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति के प्रावधान, क•रा•बी• अस्पतालों में आधुनिक उपस्करों के प्रावधान आदि से संबंधित हैं। दिल्ली और नोएडा को छोड़कर क•रा•बी• योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख मुहैया कराने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। राज्य सरकारों को क•रा•बी• अस्पतालों में सुविधाएं न उपलब्ध होने पर मामलों को किसी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में संदर्भित करने का पूरा अधिकार दिया गया है।

(ग) क•रा•बी• अस्पतालों/औषधालयों आदि की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31.3.96 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे औषधालयों, आई•एम•पी• क्लीनिकों, अस्पतालों और बिस्तरों की राज्यवार स्थिति

क्र•सं•	राज्य	क•रा•बी• औषधालयों की संख्या	आई•एम•पी• क्लीनिक	क•रा•बी• अस्पताल	प्रयोगाधीन बिस्तर	क•रा•बी• अस्पताल में बिस्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	135	1	9	872	823
2.	आसाम	26	–	1	126	50
3.	बिहार	56	–	6	458	362
4.	चंडीगढ़ प्रशा•	2	–	–	42	–
5.	दिल्ली	47	–	3	905	800
6.	गोवा	5	48	1	53	20
7.	गुजरात	121	161	9	2126	1345
8.	हरियाणा	69	–	4	666	405
9.	हिमाचल प्रदेश	7	–	1	60	50
10.	कर्नाटक	145	–	7	1735	1095
11.	केरल	136	–	13	1304	1274

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	64	1	6	826	615
13.	महाराष्ट्र	78	1523	12	4458	3870
14.	मेघालय	1	–	–	–	–
15.	उड़ीसा	53	–	4	263	225
16.	पांडिचेरी	13	–	1	107	75
17.	पंजाब	70	26	7	729	465
18.	राजस्थान	65	–	3	582	280
19.	तमिलनाडु	158	–	8	2344	1855
20.	उत्तर प्रदेश	145	–	16	1988	1656
21.	प॰ बंगाल	36	1364	13	3826	3262
22.	जम्मू एवं कश्मीर	8	–	–	–	–
	योग :	1440	3124	124	23470	18527

* इसमें क॰रा॰बी॰ में अस्पताल, सौध और आरक्षित बिस्तरें शामिल है।

स्ववित्त पोषण योजना

3345. श्री सुशील चन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्ववित्त पोषण आवास योजना को पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं।

आदर्श नागरिक चार्टर

3346. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रोगियों को समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार अस्पतालों में मॉडल सिविल चार्टर (आदर्श नागरिक चार्टर) कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार के अस्पतालों के लिए प्रारूप आदर्श नागरिक चार्टर सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों को उनके विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दिया गया था। इस चार्टर के उद्देश्य में नागरिकों को चिकित्सीय उपचार और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना; और इस संबंध में कोई भी शिकायत दूर करना शामिल है। इस चार्टर में अन्य बातों के साथ-साथ भेदभाव किए बिना उपलब्ध सुविधाओं तक पहुंच की व्यवस्था करना; यदि आवश्यक हो, तो अस्पताल पहुंचने पर आपाती परिचर्या प्रदान करना; और चौबीसों घंटे शिकायतें दर्ज करना और ऐसी शिकायतों की देखभाल करने के लिए चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी शामिल है।

अस्पताल परियोजना के लिए धनराशि

3347. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अस्पताल परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे आवंटन किन शर्तों के आधार पर किए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में मेडिकल कालेज और अस्पतालों के विस्तार और विकास के लिए वित्तीय सहायतार्थ कोई और अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान मेडिकल कालेजों में अर्बुदविज्ञान के स्कंधों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में अस्पतालों तथा कैंसर अनुसंधान के लिए कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद को उपकरणों की खरीद के लिए मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता संलग्न **विवरण** में दी गई है।

यह सहायता उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने आदि जैसे सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन करने पर दी गई।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता से द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ङ) राज्य प्रस्तावों पर विदेशी अभिकरणों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के माध्यम से कार्रवाई की जाती है और इन्हें अन्तिम रूप देने में सामान्य रूप से 24 महीने तक का समय लगता है जो राज्य द्वारा परियोजना के डिजाइन तथा निर्माण पर लगे समय पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष	क्र॰ सं॰	संस्थान	राशि लाख रु॰ में	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1994-96	1.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	100.00	अर्बुदविज्ञान स्कंध का विकास
	2.	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल इलाहाबाद क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र	50.00	उपकरणों की खरीद
1995-96	1.	सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज आगरा	75.00	कोवाल्ट थिरेपी यूनिट की खरीद
	2.	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल इलाहाबाद क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	50.00	उपकरणों की खरीद
1996-97	1.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ	50.00	अर्बुदविज्ञान स्कंध का विकास
	2.	सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज आगरा	25.00	कोवाल्टथिरेपी यूनिटें
	3.	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल इलाहाबाद-क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र	50.00	उपकरणों की खरीद

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

3348. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी नियुक्तियां की गई और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पदवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है और इन पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम

3349. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 देश के कई राज्यों में अभी भी प्रभावी है जबकि 1973 में पारित किया गया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस नवीनतम अधिनियम को नहीं अपनाया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) संसद द्वारा पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को 22 मई 1987 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और यह भारत के राजपत्र की दिनांक 11 जनवरी, 1993 के असाधारण अधिसूचना सं॰ 35 के तहत देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पांचवां वेतन आयोग

3350. श्री के॰पी॰ नायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे वेतन आयोग ने संशोधित वेतनमान की कम से कम आधी धनराशि का भुगतान पेंशनभोगियों को करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश से सहमत न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सिफारिश पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.1996 से पहले सेवानिवृत हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए सूत्र के अनुसार समेकित किए जाने की उसकी (वेतन आयोग की) सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। 1986 से पहले सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में सरकार ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली है कि कर्मचारियों की पेंशन इस प्रकार समेकित करने से पूर्व, कार्यरत कर्मचारियों के मामले में लागू सूत्र अपनाकर, 1.1.86 को उनका वेतन सैद्धान्तिक रूप से निर्धारित करके अद्यतन किया जाए। सरकार का यह विचार है कि उपर्युक्त उपाय से पेंशन-भोगियों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

3351. श्री राम नाईक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई॰एस॰आई॰सी॰) में आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीमित व्यक्ति अपने बकाया को शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में किन कारणों का पता लगाया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमारी, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट की आकस्मिकताओं में चिकित्सा देखरेख और नकद लाभों का प्रावधान है। जबकि नकद लाभ क॰रा॰बी॰नि॰ द्वारा प्रशासित किये जाते हैं परन्तु दिल्ली और नौएडा के अलावा, चिकित्सा देखरेख राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा प्रशासित की जाती है। क॰रा॰बी॰ अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता, दवाईयों, उपकरणों की कमी आदि की शिकायतें हैं। क॰रा॰बी॰ चिकित्सा देखरेख में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सुझाव जो दिया गया है वह क॰रा॰बी॰नि॰ का राज्य स्तर का अनुषंगी निगम गठित करना है। इस सुझाव के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सुझाव मांगे गये हैं।

इंडिया हेबीटैट सेन्टर

3352. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएशन आफ दि इंडिया हेबीटैट सेन्टर लोधी रोड, नई दिल्ली के नियम और विनियम क्या हैं तथा इसके निदेशक मण्डल/बोर्ड आफ गवर्नर्स और प्रबंधकीय समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडिया हेबीटैट सेन्टर को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है;

(ग) ऐसोसियेट सदस्य के रूप में उक्त केन्द्र में प्रवेश पाने और नामांकित होने के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) ऐसोसियेट सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी नामांकन फीस अदा की गई और उनसे अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;

(ङ) सदस्यता के लिए आवेदन करने वालों की संख्या क्या है और उनमें से कितने आवेदन रद्द कर दिए गए और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इंडिया हेबीटैट सेन्टर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) भारत पर्यावास केन्द्र के नियम और विनियमों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। प्रशासी परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :

1. अध्यक्ष (चयन में)
2. श्री बी॰ सुरेश, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हुडको।
3. श्री बी॰एस॰ मिन्हारा, संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
4. डा॰ आर॰के॰ पचौरी, निदेशक, टी ई आर आई
5. श्री पी॰पी॰ बोरा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक
6. डा॰ डी॰पी॰ चड्ढा, अध्यक्ष, आल इंडिया ब्रिक्स एंड टाइल्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन
7. श्री रजत नन्दी, कार्यकारी निदेशक, ए॰आई॰एम॰ए॰
8. श्री एन॰ श्रीनिवासन, कार्यकारी निदेशक, सी आई आई
9. श्री टी॰एन॰ गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, बी एम टी पी सी
10. प्रो॰ आर॰एन॰ आयंगर, निदेशक, सीबीआरआई, रूड़की।

(ख) चूंकि भारत पर्यावास केन्द्र एक पंजीकृत सोसाइटी है, इसलिए उसे भारत सरकार द्वारा कोई धन या अनुदान राशि नहीं दी जाती। तथापि, केन्द्र को सरकारी भूमि संस्थागत दरों पर पट्टे पर दी गई है।

(ग) सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए भारत पर्यावास केन्द्र की प्रशासी परिषद ने एक संवीक्षा समिति बनाई थी। भारत पर्यावास केन्द्र की सदस्यता के लिए आम जनता से भी आवेदन मिले थे, किन्तु सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों को दी गई जिनसे भारत पर्यावास केन्द्र की प्रशासी परिषद की राय में, उन उद्देश्यों में योगदान की उम्मीद थी, जिनके लिए केन्द्र की स्थापना की गई है। लेकिन सदस्यता खुली नहीं है।

(घ) कुल 5625 व्यक्ति सह (एसोसिएट) सदस्य के रूप में सूचीबद्ध हैं। 4882 सदस्यों ने प्रत्येक 5000/- रु॰ के हिसाब से कुल 2,44,10,000 रुपये प्रवेश शुल्क, 495 सदस्यों ने 10,000/- रु॰ की दर (7.5.94 से बढ़ोत्तरी के बाद) कुल 49,50,000/- रु॰ प्रवेश शुल्क अदा किया है। 248 सदस्यों को अभी प्रवेश शुल्क मिलना है। अब तक एकत्र कुल राशि 2,93,60,000/- रु॰ है।

(ङ) कुल 14,309 व्यक्तियों ने सदस्यता हेतु आवेदन किया था जिसमें प्रशासी परिषद द्वारा सदस्यता हेतु 8162 आवेदन स्वीकार नहीं किए गए।

(च) और (छ) संस्थागत सदस्य भारत पर्यावास केन्द्र में पहले से कार्यरत हैं। भारत पर्यावास केन्द्र में कुछ सुविधाएं बनकर तैयार हैं, लेकिन मुकदमेबाजी के चलते उन्हें चालू नहीं किया गया है।

विवरण

भारत पर्यावास नियम एवं विनियम

1. **परिभाषा**

इन नियमों एवं विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "केन्द्र" से तात्पर्य भारत पर्यावास केन्द्र से है।

(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य केन्द्र की सामान्य संस्था से तथा प्रशासी परिषद का अध्यक्ष से है।

(ग) "परिषद" से तात्पर्य केन्द्र की प्रशासी परिषद से है।

(घ) "निदेशक" से तात्पर्य केन्द्र के निदेशक से है।

(ङ) "सामान्य संस्था" से तात्पर्य केन्द्र की सामान्य संस्था से है।

2. **सदस्यता**

(क) **संस्थागत सदस्य :**

केन्द्र के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्रों या परिसरों के सभी आबंटियों को केन्द्र का संस्थागत सदस्य रखा जाएगा। किन्तु शर्त यह है कि यदि परिषद का यह अभिमत है कि किसी आबंटिती को प्रवेश देने से, केन्द्र के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में केन्द्र को सहायता नहीं मिलेगी, तो परिषद मंत्रालय के अनुमोदन से उसको सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दे सकती है।

(ख) **समवाय सदस्य**

मानव बसाव के समुचित विकास में रूचि रखने वाले किसी अन्य संगठन या संस्था को परिषद द्वारा यथा विहित शर्तों और निबंधनों पर समवाय सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(ग) **व्यक्तिक सदस्य**

समुचित पर्यावास संयुत पर्यावरण मुद्दों से हितवद्ध किसी भी व्यक्ति को, परिषद यथा निर्धारित शर्तों पर, नीचे लिखी किसी विशिष्ट सदस्यता श्रेणी में सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकती है :

(I) संस्थायिक सदस्य
(II) आजीवन सदस्य
(III) साधारण सदस्य
(IV) सहयोगी सदस्य
(V) अस्थायी सदस्य
(VI) दीर्घावधि अस्थायी सदस्य (विदेशी नागरिक)
(VII) दीर्घावधि अस्थायी सदस्य (भारतीय नागरिक)
(VIII) अनिवासी विदेश आबाद भारतीय सदस्य
(IX) शोध सहयोगी।

किन्तु शर्त यह है कि साधारण व्यक्तिक सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 500 से अधिक नहीं होगी।

(घ) कोई भी संस्थागत सदस्य, केन्द्र की पूर्व अनुमति लिए बिना, अपनी सदस्यता किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा। अन्य सभी मामलों में सदस्यता अहस्तांतरणीय है।

(ङ) केन्द्र की सुविधाओं का प्रयोग करने के लिये संस्थागत एवं समवाय सदस्यों द्वारा नामांकित व्यक्तियों के मामले में केन्द्र की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(च) केन्द्र सभी सदस्यों की एक पंजिका रखेगा जिसमें उनके नाम, पते एवं व्यवसाय का उल्लेख होगा।

(छ) केन्द्र अपनी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अपने सभी सदस्यों को भेजेगा।

(ज) केन्द्र का वित्त वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिवस से अनुवर्ती वर्ष के मार्च माह के अंतिम दिवस तक होगा।

3. लागत-खर्च की सदस्यों के बीच हिस्सेदारी

(क) भूमि विकास, निर्माण एवं रखरखाव की लागत खर्च की राशि आबंटियों के बीच, परिषद द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार, उन्हें आबंटित परिसर के अनुपात में विभाजित होगी। हिस्सा राशि की अदायगी में चूक के कारण और कार्य में रूकावट या विलम्ब होने की दशा में, केन्द्र द्वारा प्रारम्भ परियोजना को चालू रखने हेतु अपेक्षित धन के लिए परिषद प्रमोटर सदस्य को अनुरोध कर सकती है तथा यदि चूककर्त्ता की सदस्यता को, उसके द्वारा पूरी बकाया राशि और उस पर परिषद द्वारा लगायी गई शास्ति राशि की अदायगी किये जाने तक निलंबित कर सकती है। साथ ही, यदि बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया जाता है, तो चूककर्त्ता सदस्य को परिसर का आबंटन एवं उसकी केन्द्र सदस्यता को, उपर्युक्त पैरा 2 के उप-पैरा 6 में दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा एक महीने का नोटिस भेजने के बाद, रद्द कर दी जाएगी और उस परिसर का आबंटन, प्रशासी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य संस्था को कर दिया जाएगा।

(ख) आबंटिती केन्द्र को रखरखाव एवं परिषद द्वारा समय-समय यथानिर्धारित एवं अपेक्षित अन्य प्रभारों का भी भुगतान करेगा।

(ग) साधारण सहयोगी एवं व्यक्तिक सदस्यों को, परिषद द्वारा तय प्रवेश शुल्क वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. संरक्षक

केन्द्रीय शहरी विकास के मंत्री एवं राज्य मंत्री केन्द्र के संरक्षक होंगे। केन्द्र किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को केन्द्र के संरक्षक के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

5. अतिथि सदस्य

परिषद एक बार में अधिकतम पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अतिथि-सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है। अतिथि सदस्यता शुल्क की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

6. अध्यक्ष

संस्थागत सदस्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दो वर्ष तक की अवधि के लिये केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे और वह व्यक्ति पुनः नियुक्ति के लिए योग्य होगा। जब तक ऐसा चयन नहीं कर लिया जाता है, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव केन्द्र के अध्यक्ष होंगे।

7. निदेशक, खजांची एवं सचिव

(क) निदेशक, खजांची (यथा आवश्यकता अवैतनिक या पूर्ण-कालिक) तथा सचिव की नियुक्ति परिषद करेगी।

(ख) निदेशक भारत पर्यावास केन्द्र का मुख्य कार्यपालक होगा और वह सभी वित्तीय प्रशासनिक कार्यों एवं समय-समय पर सुपुर्द कार्यों के लिए प्रशासी परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा।

8. सामान्य संस्था

(क) सामान्य संस्था से निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(I) अध्यक्ष

(II) परिषद के सभी सदस्य

(III) प्रत्येक संस्थागत सदस्य के दो नामिती

(IV) सभी संस्थापक सदस्य

(V) सभी समवाय सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व उनके मुख्य कार्यपालक करेंगे।

(VI) सभी आजीवन सदस्य।

(VII) सभी साधारण व्यक्तिक सदस्य

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष केन्द्र की आम वार्षिक बैठक उसके अध्यक्ष द्वारा यथा-निर्धारित तारीख, समय एवं स्थान पर बुलाई जाएगी।

(ग) अध्यक्ष जब कभी भी उपयुक्त समय तथा सामान्य संस्था के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की मांग, जो कम से कम एक तिहाई संस्थागत सदस्यों तथा एक तिहाई आजीवन सदस्यों से समर्थित हो, एक विशेष आम बैठक बुला सकता है।

(घ) निदेशक सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले बैठक तारीख, एमय एवं स्थान की सूचना देगा। किन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष द्वारा किसी अत्यावश्यक मसले पर विचार-विमर्श के लिए अल्प सूचना पर बैठक न बुलाई गई हो।

(ङ) बैठक की कार्यसूची व टिप्पणियां, यदि हो तो, निदेशक द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। यदि बैठक अत्यावश्यक मसले पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई जाती है तो कार्यसूची व टिप्पणियां बैठक की सूचना के साथ भेजी जाएंगी।

(च) तथापि, यदि किसी सदस्य को बैठक की सूचना या कार्यसूची प्राप्त नहीं होती तो भी बैठक में कार्यसूची के अनुसार चर्चा आगे जारी रखी जा सकती है।

(छ) अनुच्छेद (5) में किसी तथ्य के होते हुए, अत्यावश्यक प्रकृति के किसी मामले में, जो भले ही बैठक की कार्यसूची में शामिल नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी की जा सकती है।

(ज) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति से बैठक में उपस्थित एवं साधारण बैठक में वोट देने के अधिकृत सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष चुनेंगे जो बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(झ) बैठक में उठने वाले सभी प्रश्नों पर, उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर होने पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा। संस्थागत सदस्यों के नामिती अपने प्रतिनिधित्व वाली संस्था से प्राधिकार पत्र लेकर आएंगे।

(ञ) यदि कोई इच्छुक संस्थागत सदस्य, प्रस्ताव देना चाहता है तो वह अपने प्रस्ताव के समर्थन में कारणों सहित संक्षिप्त आलेख के साथ अपने प्रस्ताव की सूचना निदेशक को भेजेगा। यह प्रस्ताव, सूचना प्राप्त होने के 15 दिन बाद की तारीख की बैठक की कार्यसूची को मद में शामिल किया जाएगा। किन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष स्व-विवेक पर, ऐसे प्रस्ताव को किसी पूर्व बैठक की कार्यसूची में शामिल करने की अनुमति दे सकते हैं।

(ट) केन्द्र के कार्यों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का इच्छुक कोई सदस्य ऐसा प्रश्न सात दिन के नोटिस पर भेजेगा।

(ठ) प्रस्ताव करने का इच्छुक कोई समवाय/व्यक्तिक सदस्य अपने प्रस्ताव के समर्थन पूर्ण औचित्य के साथ एक संक्षिप्त आलेख सहित अपने प्रस्ताव की सूचना निदेशक को देगा। यह प्रस्ताव अगली बैठक की कार्यसूची मद में शामिल किया जाएगा किन्तु शर्त यह है कि प्रस्ताव को शामिल करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया हो। साथ ही यह भी शर्त है कि ऐसे प्रस्ताव का कम से कम दो संस्थागत सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया हो।

(ड) अध्यक्ष प्रस्ताव या प्रश्न को विचारार्थ स्वीकार करने के बारे में निर्णय लेंगे और यदि उनकी राय में प्रस्ताव से इन विनियमों का उल्लंघन होता है या वह अन्यथा अग्राह्य है तो वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम होगा।

(ढ) जब किसी मसले पर मतदान होता है तो पीठासीन अधिकारी हाथ उठाने को कहेगा और इस प्रकार प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मतों की गणना करेगा और परिणाम घोषित करेगा।

(ण) बैठक का कोरम साधारण निकाय के सदस्यों का एक तिहाई संख्या का होगा यदि बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घण्टे के भीतर कोरम पूरा नहीं है तो सदस्यों की मांग पर आहत बैठक भंग कर दी जाएगी। अन्य किसी मामले में यह बैठक पीठासीन अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित समय और तारीख के लिए स्थगित हो जाएगी। स्थगित बैठक कोरम पूरा न होने की दशा में भी चर्चा -कार्यवाही जारी रखेगी।

(त) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त निदेशक द्वारा तैयार किए जाएंगे और पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन से केन्द्र के सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे। परिचालित किए जाने के बाद कार्यवृत्त की आगामी बैठक में पुष्टि होगी और सामान्यतया कार्यवृत्त की पुष्टि हुई मान ली जाएगी किन्तु यदि कोई उपस्थित सदस्य कथन की कार्यवृत्त में गलत अथवा अपूर्ण सूचित किये जाने की बात व कार्यवृत्त को लेकर एतराज करता है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों की आम राय लेकर कार्यवृत्त में आवश्यक संशोधन कर सकता है और तब संशोधित कार्यवृत्त की पुष्टि होगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

9. **प्रशासी परिषद्**

(क) केन्द्र का नियंत्रण और कार्य-प्रबंध एक परिषद को सौंपा जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(I) केन्द्र का अध्यक्ष

(II) केन्द्र निदेशक

(III) शहरी विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

(IV) हुडको अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

(V) संस्थागत सदस्यों के नामिति, जिनका चयन इस प्रकार होगा :-

(क) 250 वर्ग मीटर तक के सुपर निर्मित क्षेत्र वाली संस्थाओं से दो सदस्य।

(ख) 250 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1000 वर्ग मीटर तक के सुपर निर्मित क्षेत्र वाली संस्थाओं से दो सदस्य।

(ग) 1000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्ग मीटर तक सुपर निर्मित क्षेत्र वाली संस्थाओं से एक सदस्य

(घ) 2500 वर्ग मीटर से अधिक सुपर निर्मित क्षेत्र वाली संस्थाओं से एक सदस्य। इनमें हुडको शामिल नहीं हैं क्योंकि वह उपर्युक्त धारा (4) में आता है।

समूह (क) और (घ) में प्रत्येक संस्था द्वारा अकारांत क्रम से अपने नामक अनुसार नामांकन किया जाएगा।

(VI) दो सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा समवाय सदस्यों में से परिषद द्वारा इस बावत यथा-विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(VII) दो ऐसे सदस्यों को, जो पर्यावास से जुड़े क्षेत्रों में अथवा शिक्षा विज्ञान, संस्कृति, कला या अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त हो और जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो, को परिषद द्वारा सहयोजित किया जाएगा।

(VIII) व्यक्तिक सदस्यों में से दो सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

प्रशासी परिषद में नामांकन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिषद में कम से कम एक महिला सदस्य हो।

प्रशासी परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(ख) केन्द्र का सचिव ही परिषद सचिव होगा।

(ग) परिषद की बैठक सामान्यतया हर 6 महीने में एक बार बुलाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा और उसके उपलब्ध न होने पर उपस्थित सदस्य अपने बीच से किसी व्यक्ति का चयन करेंगे जो बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(घ) बैठक का कोरम छह (6) सदस्यों की उपस्थिति का होगा।

(ङ) केन्द्र का अध्यक्ष स्वयं द्वारा आवश्यक समझे गये, प्रकरणों में, यह निदेश दे सकता है कि कोई कार्य संकल्प सदस्यों के बीच परिचालित कर दिया जाए और इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों के बहुमत हस्ताक्षर अनुमोदित संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जितना कि परिषद की बैठक में पारित संकल्प होता है।

10. **परिषद की शक्तियां और दायित्व**

(क) परिषद, अपने उद्देश्यों को पाने के लिए इन नियमों, विनियमों और उनके अन्तर्गत निर्मित उपनियमों के अनुसार केन्द्र के कार्यों के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी और उसके पास वे समस्त शक्तियां होगी जो इस प्रयोजनार्थ के लिये आवश्यक और समयोचित होगी।

(ख) पूर्ववर्ती नियम खंडों द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यधर्मिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी :-

(I) नियम 2 (2) के अनुसार सदस्यता आवेदनों पर निर्णय लेना।

(II) केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना।

(III) केन्द्र के लिए राशि प्राप्त करना, उसे जमा करना और खर्च करना तथा केन्द्र की परिसम्पत्तियों का प्रबंध करना।

(IV) केन्द्र के कार्यों के प्रभावी प्रबंध हेतु अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति और नियंत्रण तथा उनकी भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन करना।

(V) केन्द्र के कर्मचारियों से पूर्व कर्मचारियों अथवा उनकी पत्नियों, विधवाओं और परिवारों या आश्रितों अथवा उनके निकट संबंधियों के कल्याण के लिए परिषद द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रावधान करना।

(IV) केन्द्र के लिए तथा उसकी ओर से संविदा करार करना।

(VII) केन्द्र की ओर से सभी कानूनी कार्यवाहियों का दावा करना और बचाव करना।

(VIII) केन्द्र के कामकाज के सम्पादन अथवा केन्द्र से संबंधित किसी मामले में सलाह देने के लिए समितियां नियुक्त करना तथा केन्द्र के कार्यों के प्रबंध और प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए समय-समय पर उपनियम बनाना, अपनाना तथा उनमें परिवर्तन करना।

(IX) केन्द्र के उद्देश्यों के आयोजन व सम्पादन के प्रसंग में सभी प्रकार के व्यय का भुगतान करना।

(X) शिकायतों की सुनवाई तथा निपटान।

(XI) केन्द्र के लिए निबंधन कार्यालय उपकरण साज, फर्नीचर, साज समान, आदि सहित किसी परिसम्पत्ति की स्वत्व या विशेषाधिकार की उचित समझी गई शर्तों और कीमतों पर अधिप्राप्ति या खरीद अधिग्रहण।

(XII) केन्द्र कृत संविदाओं अथवा करारों की पूर्ति का निर्वाह करना।

(XIII) व्यक्ति विशेष को केन्द्र की तरफ से संविदाओं पर बातचीत करने, संविदा के निष्पादन व कार्यान्वयन या निरसन के लिए अधिकृत करना।

(XIV) स्टाफ आदि के लिए इमारतों, गोदामों, शेडों, उद्यानों वाहन विशेष विराम स्थलों, क्वार्टरों आदि को निर्माण के लिए भूमि की खरीद या अधिप्राप्ति।

(XV) मशीनरी तथा सामग्री की खरीद।

(XVI) केन्द्र की भूमि भवनों के उन खंडों की बिक्री जो उसकी आवश्यकता से अधिक है।

(XVII) केन्द्र की परिसम्पत्तियों या परिसरों को किराए पर अथवा पट्टे पर देना।

(XVIII) केन्द्र की सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों को रेहन रखना।

(XIX) बैंकों में खाता खोलना तथा केन्द्र के अधिकारी (अधिकारियों) के लिये पैसा निकालने, स्वीकार करने, पृष्ठांकित करने तथा चेक विनियम बिल, प्रोमिजरी नोट आदि जारी करने के लिए अधिकृत करना अथवा जारी करना।

(XX) केन्द्र की सामान्य सील लगाने तथा उसके सुरक्षित रख-रखाव के लिये नियम बनाना।

(XXI) सामान्य सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वार्षिक रिपोर्ट, लेखा ब्यौरों आदि पर विचार करना और अनुमोदन करना।

(XXII) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

(XXIII) केन्द्र की उपयोग तथा प्रयोजन हेतु जमानती या गैर जमानती ऋण लेना या दान लेना, राशि की जमा स्वीकार करना।

(XXIV) केन्द्र की ऐसी धनराशि को जिसकी इसमें उद्देश्यों के लिए तत्काल जरूरत नहीं है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना अथवा हुडकों में निवेश करना तथा उसका हिसाब रखना।

(XXV) परामर्शदाताओं, सलाहकारों तथा निर्माण प्रबंध डिजाइन परामर्शियों की नियुक्ति और उनको पारिश्रमिक का भुगतान।

(XXVI) कार्यकारी समिति अथवा उस प्रयोजनार्थ अन्य समितियों को या केन्द्र के निदेशक को अथवा अन्य किसी अधिकारी को केन्द्र के कार्यों के सुचारू प्रवर्तन हेतु आवश्यक समझी गयी का समय-समय प्रत्यायोजन।

(XXVII) अन्य उन सभी कार्यों/सामान की संभाल करना जो केन्द्र के उद्देश्य के अनुरूप हो, अथवा या उनमें से सभी या किसी एक की प्राप्ति के लिए संगत/लाभ कम समझे गये हों।

11. **कार्यकारिणी समिति**

(क) एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसे वित्त प्रशासन, निर्माण, भुगतान, रखरखाव, सुविधा प्रबंध, स्थान का आबंटन तथा किराए पर देना, कानूनी मामले, सदस्यता से संबंधित मामले तथा केन्द्र को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन के मामलों से संबंधित शक्तियां दी जायेगी तथा इसका स्वरूप इस प्रकार होगा :

(I) अध्यक्ष, भारत पर्यावास केन्द्र - अध्यक्ष

(II) हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको-सदस्य

(III) भारत पर्यावास केन्द्र के निदेशक-सदस्य

(IV) प्रशासी परिषद द्वारा उनमें से ही तीन व्यक्ति निर्वाचित किए जायेंगे जिनमें से दो व्यक्ति संस्थागत सदस्यों के प्रतिनिधि होने चाहिये।

(V) प्रशासी परिषद में शहरी विकास मंत्रालय का नामज़द अधिकारी सदस्य होगा। पर्यावास केन्द्र का निदेशक, कार्यकारिणी समिति का संयोजक होगा।

(ख) कार्यकारिणी समिति के शक्तियों व दायित्वों का प्रत्यारोपण समय समय पर प्रशासी परिषद द्वारा किया जायेगा।

(ग) समिति की बैठक हेतु तीन सदस्यों का कोरम होगा जिनमें से एक सदस्य अनिवार्यतः पर्यावास केन्द्र का अध्यक्ष अथवा निदेशक होगा।

(घ) कार्यकारिणी समिति की उसके अध्यक्ष की इच्छा-अनुसार साल में न्यूनतम चार बैठकों के पैमाने पर कितनी ही बार बैठकें हो सकती हैं।

(ङ) कार्यकारिणी समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नयी समिति का गठन न हो जाये।

(च) कार्यकारिणी समिति किसी कार्य के संचालन तथा संपादन के लिए किसी व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझे, को सहयोजित कर सकती है। किन्तु ऐसा सहयोजित सदस्य मत देना का अधिकार नहीं होगा।

12. **समितियां**

परिषद अवश्य समझे गये कार्यों के निष्पादन के लिए समितियों तथा उपसमितियों का गठन कर सकती है। प्रत्येक समिति में संयोजक तथा अन्य सदस्य, जिन्हें परिषद द्वारा उपयुक्त समझा जाए, होंगे। परिषद को किसी समिति को निर्देश, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, देने का अधिकार होगा तथा समिति ऐसे निर्देश मानने को बाध्य होगी।

13. **धन, बजट, लेखा व लेखापरिवद**

(क) केन्द्र की अपनी अलग निधि होगी और केन्द्र की समस्त आय इसी निधि में जमा होगी।

(ख) उक्त निधियों की सारी धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा बैंकों अथवा हडको, जो भी कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित हो, में जमा की जाये।

(ग) कार्यकारिणी समिति की ओर से उपर्युक्त निधि के सभी लेन देन निदेशक अथवा परिषद द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) सभी प्राप्त धनराशि प्रारम्भ में उक्त निधि में जमा की जायेगी। कोई भी प्राप्त राशि सीधे व्यय के लिए नहीं दी जायेगी।

(ङ) निधि में से सभी प्रकार का भुगतान परिषद द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा चैकों के माध्यम से किया जायेगा तथा 5000/- से कम राशि का भुगतान नकद किया जा सकता है।

(च) निधि में केन्द्र के नाम पर जमा धनराशि, जिसकी केन्द्र के किसी कार्य हेतु तत्काल आवश्यकता नहीं है, को निदेशक परिषद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

(छ) निदेशक द्वारा, जहां तक सम्भव हो, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आगामी वित्त वर्ष के लिए एक बजट तैयार कर परिषद को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होगा।

(ज) इस प्रकार से तैयार बजट की जांच की जायेगी तथा इसे परिषद द्वारा आवश्यक समझे गये संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जायेगा।

(झ) निदेशक केन्द्र के लेखाओं के समुचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ञ) प्रधान लेखा बही में सामान्य लेजर तथा नकदी बही शामिल होगी। इनका रखरखाव परिषद द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इन प्रधान लेखा बहियों के अलावा कुछ अन्य आवश्यक समझी गयी सहायक बहियां भी होगी जिन्हें भूमि, भवनों इत्यादि सभी परिसम्पत्तियों के विवरण दिखाने तथा उचंत लेन देन के समाशोधन के लिए रखा जायेगा।

(ट) केन्द्र की आय तथा व्यय का ब्यौरा विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत होगा जो संचालन द्वारा सूचना अधिनियमन हेतु आवश्यक समझी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(ठ) सभी भुगतान निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

(ड) निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जायेगा।

(ढ) इस प्रकार तैयार वार्षिक लेखाओं की परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी। निदेशक लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित सभी लेखा रजिस्टर, दस्तावेज तथा सहायक कागजात प्रस्तुत करेंगे।

(ण) लेखा परीक्षा रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात परिषद यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट अपनी अभियुक्तियों सहित आम सभा को प्रस्तुत करेगी।

14. **उप नियम**

परिषद द्वारा नियमों तथा विनियमों के उद्देश्यों को पाने के लिए समय समय पर उप नियम बनाये जा सकते हैं।

15. **नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन तथा उनकी व्याख्या**

(क) नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/संकुचन प्रशासी परिषद तथा आम सभा के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

(ख) केन्द्र में संविधान तथा नियमों में संशोधन प्रशासी परिषद द्वारा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जा सकेगा तथा इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में संस्थागत सदस्यों में से कम से कम चार मनोनीत सदस्यों द्वारा संशोधन के पक्ष में मत दिया जाना आवश्यक होगा।

16. **प्रशासी परिषद की वार्षिक सूची**

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 की अपेक्षाओं के अनुसार सदस्यों की सूची हर साल सोसायटियों के पंजीयक को प्रस्तुत की जायेगी।

17. **कानूनी कार्यवाहियां**

केन्द्र अपने निदेशक के नाम से कानूनी कार्यवाही करेगा और केन्द्र के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही केन्द्र निदेशक के नाम से होगी।

18. **संस्था अंतर्नियमावली में संशोधन**

संस्था की अंतर्नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली में लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 तथा 12 (क) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

19. **कार्या का विसर्जन तथा उनका समायोजन**

यदि केन्द्र का विघटन जरूरी होता है तो इसका विघटन संघ प्रदेश दिल्ली में लागू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 तथा 14 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही होगा।

20. **अधिनियम गत कार्यवाही की व्याप्ति**

दिल्ली प्रदेश में लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की समस्त धाराओं के सभी प्रावधान इस केन्द्र पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत पर्यावास केन्द्र के नियमों तथा विनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि है।

हस्ताक्षर/	हस्ताक्षर/
अध्यक्ष	निदेशक

गैराजों को किराए पर देना

3353. श्री एस• अजय कुमार : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से सेक्टर डी, टाइप-II, मंदिर मार्ग, डी आई जेड एरिया, नई दिल्ली में गैराजों में अनधिकृत निर्माण करने और उन्हें किराए पर चढ़ाने तथा अन्य क्षेत्र जहां सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं, के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा• उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेक्टर डी, मन्दिर मार्ग में 15 गैराजों का निरीक्षण किया गया। 6 गैराज में ताले लगे थे। 8 गैराजों में कोई उप किरायेदारी नहीं थी। एक गैराज को दरजी की दुकान के रूप में दुरूपयोग, करते पाया गया। इस सेक्टर (टाइप-II) में अनधिकृत निर्माण के तीन मामले भी पाये गये। इन सभी आवंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

ओशनेरियम

3354. श्री चर्चिल अलेमाओ :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडियाज फर्स्ट ओशनेरियम टू कम अप एट गोवा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इन पर कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है;

(घ) इस "ओशनेरियम" की स्थापना से संबंधित कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और ओशनेरियमों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस•आर• बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ओशनेरियम वह अन्तर्जलीय जगत है जिसमें समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात को बड़े आकार के तट आधारित टैंक में जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा और अनुरक्षित किया जाता है, जिन्हें एक्रिलिक सुरंग में से गुजरते हुए देखा जा सकता है। महासागर विकास विभाग लोगों में समुद्री जीवन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक आवास के सदृश ओशनेरियम की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सुसाध्य बनाने में जुटा हुआ है। इन उद्देश्यों के लिए इस विभाग द्वारा बिल्ड, ओन, आपरेट एण्ड मेनटेन (बूम) आधार पर गोवा में ओशनेरियम की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। गोवा सरकार ने, गोवा में इस प्रकार की सुविधा के लिए अपनी सहमति प्रकट की। विश्वव्यापी निविदा के माध्यम से एक भारतीय कम्पनी नामतः मैसर्ज भारत ओशनिक प्राइवेट लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम को स्टूडियों "सी" और मैसर्ज ओशनिक अण्डरवॉटर वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड, आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से इस सुविधा को स्थापित करने के लिए चुना गया। इस संघ ने गोवा थीम पार्क लिमिटेड नामक कम्पनी का गठन किया है जिसने दिसम्बर, 1996 में गोवा सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा सरकार ने ओशनेरियम और इससे सहायक आकर्षणों की स्थापना के लिए मीरामार में 32,000 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराई है। ओशनेरियम परिसर में अन्तरजलीय सुरंग सहित प्रमुख टैंक, सूक्ष्म जगत, टचपूल, खिलोना रेलगाड़ी, संगीतमय फव्वारे, अनुसंधान और शैक्षणिक सुविधाएं, जलजीवशाला, जलपान गृह, नाट्यशाला, स्मृति चिन्हों की दुकान आदि शामिल हैं। प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं हैं—(क) समुद्रवर्ती अनुसंधान और प्रदर्शनी सुविधाएं (ख) इन्टरनेट सम्पर्क और संचार प्रणालियां (ग) हॉल ऑफ फेम (शैक्षिक), (घ) कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों सहित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रंगभूमि (ङ) जल/भूमि पर रोमांचक सवारी, खेलों की सुविधाएं और (च) गोवा/भारतीय शिल्पकृति और रसोई के लिए सांस्कृतिक/खुदरा सामान केन्द्र। शार्क, कछुआ, रंगबिरंगी मछलियां, प्रवाल आदि की 350 प्रजातियों के लगभग 6000 प्राणियों को जीवित अवस्था में प्रदर्शित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) यह परियोजना बूम आधार पर स्थापित की जा रही है। कम्पनी द्वारा इस पर 68 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश (पूंजी उपकरणों पर आयात शुल्क सहित) किया गया है तथा इसके द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रचालन लागत का वहन किया जाता है।

(घ) निर्माण सम्बन्धी कार्य अक्तूबर, 1997 में प्रारम्भ होने की आशा है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई रूचि के आधार पर देश के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के ओशनेरियम अधिमानतः बूम आधार पर स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार का प्रस्ताव है। तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई में इसी प्रकार के ओशनेरियम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध जांच

3355. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति लिए बिना जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) अण्डमान और निकोबार के प्रशासन के ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है और जिन्हें सेवानिवृत्ति के तीन महीने पश्चात् भी न तो अनंतिम पेंशन और न ही भविष्य निधि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कोई जांच की जा सकती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह अपेक्षित सूचना अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से एकत्र कर रहा है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

बाल श्रम

3356. डा॰ अरविन्द शर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 1997 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "हरियाणा में लगभग तीन हजार बाल मजदूर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा उक्त निर्देशों में से कितने का पालन हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है;

(ग) केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश से इस बुराई को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में जो राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिये हरियाणा सरकार को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो यह धनराशि क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी हां। यह समाचार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य में किए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था।

(ख) पहले चरण का सर्वेक्षण करने के बाद, राज्य सरकार ने खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से बालकों को कार्य से निकालने, बाल श्रम कल्याण-सह-पुनर्वास निधियों की स्थापना करने और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करके बालकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं से 20000/- रु॰ प्रति बालक की दर से प्रतिपूर्ति की वसूली करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की है।

(ग) खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को शामिल किया गया है। इस मामले पर 7-8 जुलाई, 1997 को आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था जबकि सभी राज्य सरकारों ने बाल श्रम प्रथा को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई थी।

(घ) और (ङ) बाल श्रम के संबंध में सर्वेक्षण कराने के लिए हरियाणा के 16 जिलों को 1.75 लाख रुपए प्रति जिले के हिसाब से भारत सरकार द्वारा पहले ही 28 लाख रुपए निर्गत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने भी वित्त वर्ष 1997-98 के लिए 5 लाख रुपए नियत किया है।

कैंसर सैंटर हेतु धनराशि

3357. श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर अस्पताल की स्थापना हेतु मेहंदी नवाज़ जंग इंस्टीट्यूट फोर कैंसर तथा श्रीमती बसवाथारक रामाराव मेमोरियल सैंटर को अनुदान दिए जाने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बी॰डी॰एस॰ डिग्रियों को मान्यता देना

3358. श्री राधा मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया, रूमानिया, रूसी संघ जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां भारत में उच्च शिक्षा और प्रैक्टिस के लिए मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मान्यता भूतलक्षी प्रभाव से दी जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) आस्ट्रेलिया और रूसी क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई निम्नलिखित दंत्य अर्हताएं दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 के प्रयोजनों के लिए तब ही मान्यता प्राप्त हैं जबकि वे भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। रूमानिया के विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई दंत्य अर्हता को मान्यता नहीं दी गई है।

1. सिडनी विश्वविद्यालय, सिडनी (आस्ट्रेलिया)
2. क्वीन्सलैंड विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया
3. मास्को मेडिकल स्टोमाटोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, मास्को

(ग) किसी देश के साथ कोई पारस्परिकता नहीं है।

अवैध निर्माण

3359. श्री सोमजी भाई डामोर : *क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारस सिनेमा कंप्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसे खाली कराये जाने की सूचना दिए जाने के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य तथा नवीकरण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे खाली कराये जाने के संबंध में दी गई सूचना का औचित्य क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों/सिनेमा दर्शकों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि परिसर को खाली कराने के 25-7-97 के आदेश के प्रत्युत्तर में, अब उस स्थल पर कुछ परिमार्जन कार्य हो रहा है। पारस सिनेमा के मालिक ने परिसर खाली कराने के आदेश के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम के अपीली अधिकरण के समक्ष अपील भी दायर की है और उस पर अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को मौका मुआवजा करके 28-8-97 के पहले रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा, परिसर के दो कब्जाधारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, जो विचाराधीन है। इस मामले में अगली कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर निर्भर करती है।

निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 349 के तहत भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

ल्यूकोडरमा

3360. श्री आर॰ देवदास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ल्यूकोडरमा का उपचार करने के लिए कोई प्रभावशाली दवाई विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ल्यूकोडरमा का उपचार करने के लिए भारतीय औषधि अथवा होम्योपैथी प्रणाली के अंतर्गत कोई अनुसंधान कार्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) श्वित्र के उपचार की विभिन्न विधियां हैं : जैसे सोरेलेन औषधें, सिस्टेमिक और टॉपिकल स्टेरायड्स, प्लेसेंटल एक्सट्रेक्ट इत्यादि जो काफी रोगियों में प्रभावकारी हैं।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत किए गए अनुसंधानों के ब्यौरे विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

भा॰चि॰प॰ एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत श्वित्र पर किए गए अनुसंधान

यूनानी

इस विकार के एक सुरक्षित, कारगर और सफल उपचार को विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्जित श्वित्र के अनुसंधान में लगी हुई है। यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न यूनानी योगों की जांच की जा रही है।

आयुर्वेदिक

इस परिषद के अन्तर्गत श्वित्र के रोगियों में आयुष-57, एक कोडिड औषध का परीक्षण किया जा रहा है। इस औषध का भिन्न-भिन्न प्रभाव पाया गया।

होम्योपैथी

होम्योपैथी की खोज से अर्जित श्वित्र के बहुत से रोगियों को होम्योपैथिक उपचार के अन्तर्गत रखने की सूचना दी गई है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने 1985 में अपने नैदानिक अनुसंधान एकक, सूरत (गुजरात) में अर्जित श्वित्र में होम्योपैथिक औषध के नैदानिकीय मूल्यांकन शुरू किए थे। रोगियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में इस अध्ययन को वापिस ले लिया गया। तथापि, होम्योपैथिक औषधें व्यक्ति के गठन अर्थात् मानसिक/भावनात्मक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, अतः किसी रोग/विकार का विशिष्ट रूप से उपचार करने के लिए किसी औषध का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

भारतीय विज्ञान के स्तर में गिरावट

3361. श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय विज्ञान के गिरते स्तर की जानकारी है;

(ख) क्या विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए प्रमुख विज्ञान संबंधी नीतिगत निर्णयों से कार्यकारी बेंच स्तरीय वैज्ञानिकों को अवगत नहीं कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1996 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन तथा परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन द्वारा भाग लिए गए विभिन्न शासकीय बैठकों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) यह सही नहीं है कि भारतीय विज्ञान का स्तर गिर रहा है।

(ख) और (ग) विभिन्न स्तरों पर नीति संबंधी की गई पहल और लिए गए निर्णय सभी संबंधित स्तर के वैज्ञानिकों को क्रियान्वयन हेतु सूचित किए जाते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाली जानकारी को भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए इस संबंध में कोई सरकारी बैठकें नहीं हुई।

वाणिज्य दूतावास का कार्यालय

3362. **डा॰ अरूण कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री वाणिज्य दूतावास के कार्यालय संबंधी मुद्दे के बारे में मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आनरेरी वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति संबंधी सभी राजनयिक मुद्दों को निपटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्य दूतावास के कब तक खुल जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) इससे पूर्व कि भारत सरकार तत्कालीन युगोस्लाव मेसीडोनिया गणराज्य की सरकार को भारत में एक मानद प्रधान कोंसलावास खोलने की अनुमति देने पर विचार करे, अभी कुछ ऐसे राजनयिक मुद्दे हैं जिन्हें निपटाया जाना आवश्यक है।

सरकारी क्वार्टरों की बालकनियां

3363. **श्री एन॰एन॰ कृष्णदास** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के सैक्टर "डी" में स्थित टाइप-II के कुछ क्वार्टरों की बालकनी जीर्णशीर्ण अवस्था में है और इन्हें खतरनाक घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बालकनियों की मरम्मत कार्य हेतु निर्धारित धनराशि का सम्बद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा अन्य अप्राधिकृत कार्य करने हेतु अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इसके द्वारा टाइप-II सेक्टर-डी, मंदिर मार्ग स्थित सरकारी क्वार्टरों के लिए मंजूर की गयी धनराशि/अनुदानों के दुरूपयोग के संबंध में "एरिया वेलफेयर एसोसिएशन" तथा संसद सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चूक करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) सेक्टर डी, मन्दिर मार्ग के कुछ टाइप-II क्वार्टरों के बालकनी (छज्जा) खराब हालत में है। मरम्मत कार्य चल रहा है। तथापि, किसी भी बालकनी (छज्जा) को संकटग्रस्त (खतरनाक) घोषित नहीं किया।

(ख) जी, नहीं। बालकनी (छज्जा) के मरम्मत पर व्यय का कोई विशेष बजट प्रावधान नहीं किया गया है। बालकनी के मरम्मत पर व्यय शीर्ष 2216-पी॰डब्ल्यू मरम्मत के तहत समेकित आवंटन से होगी। अन्य धन-राशि अंतरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मामले की जांच की गई और किसी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई है।

सरकारी फ्लैटों का निर्माण

3364. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान सरकारी फ्लैटों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नागपुर शहर में कुछ फ्लैटों का निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 1078 तथा 1100 क्वार्टर बनाने का लक्ष्य है।

(ख) जी, हां।

(ग) नागपुर में निर्माणाधीन क्वार्टरों के ब्यौरे इस प्रकार है :-

टाईप	क्वार्टरों की संख्या
I	16
II	120
III	112
IV	32
V	24

इस प्रयोजन हेतु 1997-98 में 2.10 करोड़ रु॰ रखे गये हैं।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

3365. **श्री विजय पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गुजरात में विदेश मंत्रालय के कार्यालय में कितने कर्मचारी प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के मामले में शामिल पाये गये;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ई॰एस॰आई॰ अस्पतालों में दवाइयां

3366. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ई॰एस॰आई॰ अस्पताल, वसईदारापुर, नई दिल्ली तथा ई॰एस॰आई॰ अस्पताल शाहदरा, दिल्ली द्वारा नकली और घटिया तथा बीती मियाद की दवाओं की सप्लाई दिये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) क॰रा॰बी॰नि॰ के केन्द्रीय स्टोर द्वारा औषधियों और गैर-आई एस आई चिकित्सीय मदों की खरीद में कदाचार के बारे में शिकायतें थीं। मामले की जांच करायी गई और चार विभागीय अधिकारियों जिन्हें प्रथम दृष्ट्या कदाचार में लिप्त पाया गया, को आरोप पत्र दिए गए हैं। घटिया दर्जे की दवाइयों और मरहम-पट्टी की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी पाए गए आपूर्तिकर्ताओं को क॰रा॰बी॰ अस्पतालों/औषधालयों में सप्लाई करने से बहिष्कृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मानवाधिकारों का उल्लंघन

3367. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी देश के किसी भी नागरिक को भारत आने हेतु वीजा प्रदान किया जाता है जबकि भारत के नागरिकों को अमरीका, कनाडा, जापान और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा करने हेतु वीजा नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन हेतु सरकार द्वारा यू॰एन॰ओ॰ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से कोई विरोध दर्शाया गया है अथवा कार्यवाही की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) भारत आने के लिए किसी भी विदेशी को वीजा देने का निर्णय वीजा मामलों से सम्बद्ध भारत सरकार की नीति और नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसी प्रकार भारतीय नागरिकों को अन्य देशों की यात्रा पर जाने के लिए सम्बद्ध देशों की वीजा नीति और नियमों के अनुसार वीजा दिया जाता है।

हर विदेशी नागरिक भारतीय वीजा प्राप्त करने का स्वतः पात्र नहीं बन जाता। वीजा प्रदान करना किसी भी राज्य का एक प्रभुता सम्पन्न अधिकार है। इसीलिए व्यावहारिक रूप से भारत और अन्य देशों द्वारा उन अन्य देशीय आवेदकों को वीजा देने से इंकार कर दिया जाता है जो अपने आपको सही व्यक्ति होने का प्रमाण नहीं दे पाते अथवा जिन्हें अन्यथा अवांछनीय व्यक्ति माना जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बकाया राशि का भुगतान न करना

3368. **डा॰ बलिराम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरोना शू कम्पनी (लि॰) के अधिकांश कामगारों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) क्या इन कामगारों की अन्य बकाया राशि यथा बोनस, चिकित्सा पुनर्भुगतान आदि का भी कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस चूक के लिए कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

3369. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के हजारों फ्लैट बिजली, पानी, सीवर आदि के अभाव के कारण वर्षों से अनाबंटित पड़े हैं लेकिन जब उन्हें आबंटित किया जाता है उस समय उनकी कीमत आज की तिथि के अनुसार ली जाती है न कि उनके निर्माण के समय और आवंटन के लिए तैयार तिथि के अनुसार ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निवारक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) फ्लैटों का मूल्य मांग-पत्र जारी करने की तारीख से वसूल किया जाता है तथा इसकी गणना "लाभ-हानि रहित" आधार पर अनुमोदित नीति के अनुसार की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी 1994 की सिविल अपील सं॰ 6205 में डीडीए बनाम पुष्पेन्द्र कुमार जैन के मामले में इसका समर्थन किया है कि फ्लैट का अधिकार मांग-एवं-आवंटन पत्र जारी किए जाने पर ही उत्पन्न होता है तथा यह पत्र जारी करने की तारीख को प्रचालित मूल्य अथवा दरें लागू होंगी।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि अब से डीडीए फ्लैटों में बुनियादी सेवाएं/सुविधाऐं उपलब्ध कराने के बाद ही मांग एवं आवंटन पत्र जारी किए जायेंगे। विभिन्न अभिकरणों के मध्य बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामले

3370. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों के अंतर्गत दंडित किया गया है;

(ख) प्राधिकरण द्वारा कितने अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही की गयी है तथा कितने मामलों में मुकदमा चल रहा है अथवा सी॰बी॰आई॰ जांच के अधीन है;

(ग) उनके विरूद्ध लगाये गये तथा सिद्ध हुए अभियोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी॰डी॰ए॰ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1990 से 6 कार्मिकों को भ्रष्टाचार के आरोप में दण्डित किया गया है।

(ख) और (ग) 1990 से संलग्न विवरण-I में दिये गये विवरणानुसार भ्रष्टाचार के आरोपों में असाधारण दंड हेतु दो कार्मिकों को अभियोग पत्र दिये गये हैं और संलग्न विवरण-II में दिये गये विवरणानुसार 58 कार्मिकों की न्यायालय में सुनवाई हो रही है।

(छ) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत त्रिआयामी कार्यनीति पर विचार किया गया है यथा स्थलों/कार्यालयों में आकस्मिक जांच और शिकायतों को शीघ्र निपटा कर निषेधात्मक निगरानी/अभिज्ञान और रोक/दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

1990 से अब तक की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के मामले

क्र॰सं॰	कार्मिक का नाम व पदनाम	फाइल सं॰	आरोपों का सारांश
1.	श्री महेन्द्र सिंह, उ॰श्रे॰लि॰	एफ-25(59) 91/सतर्कता	रिश्वत का मामला। असाधारण दण्ड हेतु 31-3-92 को अभियोग पत्र जारी किया गया था।
2.	श्री एस॰सी॰जोशी, क॰ इंजीनियर	एफ-25 (17) 93/सतर्कता	रिश्वत का मामला। असाधारण दंड हेतु 8-2-96 को अभियोग पत्र जारी किया गया था।

विवरण–II

भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण न्यायालय में पेश हो रहे कार्मिकों के नाम

1.	श्री रामेश्वर दयाल, मेट	एफ आई आर सं॰ 31/83 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
2.	श्री धर्मबीर सिंह, माली	एफ आई आर सं॰ 34/85 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
3.	श्री श्रीकृष्ण वर्मा, मेट	एफ आई आर सं॰ 30/85 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
4.	श्री डी॰के॰ गोयल, स॰ इंजीनियर	एफ आई आर सं॰ 30/87 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
5.	श्री योगेन्द्र सिंह, सर्वेक्षक श्री ओम प्रकाश, खलासी	एफ आई आर सं॰ 5/88 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
6.	श्री शिवराज सिंह, उ॰श्रे॰लि॰	एफ आई आर सं॰ 21/88 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
7.	श्री सुभाष चन्द चौहान, क॰इंजी॰ श्री कान्ती कुमार, मेट	आरसी 60 (ए)/88 डीएलआई सीबीआई	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
8.	श्री ओम प्रकाश, चपरासी	एफ आई आर सं॰ 27/90 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
9.	श्री लेखराज सिंह, उ॰श्रे॰लि॰	एफ आई आर सं॰ 9/86 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
10.	श्री धर्मवीर सिंह, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 10/90 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
11.	श्री हरस्वरूप वर्मा, क॰इंजी श्री अशोक कुमार गुप्ता	एफ आई आर सं॰ 13/91 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
12.	श्री विजय बहादुर सिंह	एफ आई आर सं॰ 23/91 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
13.	श्री राजकुमार मल्होत्रा	एफ आई आर सं॰ 29/91 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
14	श्री एस॰सी॰ जोशी	आरसी 68 (ए)/91 डीएलआई एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
15.	श्री इन्द्र दत्त, पटवारी	आरसी 70 (ए)/91 डीएलआई एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
16.	श्री सुखदेव राज, सहायक	एफ आई आर सं॰ 5/92 पीएस एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
17.	श्री किशोर कुमार, कानूनगो श्री आर॰के॰ नागपाल, उ॰श्रे॰लि॰ श्री जगपाल सिंह, पटवारी	आरसी 50 (ए)/92 डीएलआई एसीबी	न्यायालय में सुनवाई लम्बित है।
18.	श्री नरेन्द्र प्रसाद, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 2/93 पीएस एसीबी	एसीबी के पास जांच लम्बित
19.	श्री विजय सिंह, अधीक्षक श्री संतोष कुमार, माली आर सी	एफ आई आर सं॰ 19/93 पीएस एसीबी	एसीबी के पास जांच लम्बित
20.	श्री एस॰के॰ गुप्ता, क॰इंजी॰	आरसी 34(ए)/93 डी एल आई	न्यायालय में पेशी लम्बित
21.	श्री करतार सिंह, समार्हता श्री जे॰सी॰ वर्मा, कानूनगों	आरसी 32(ए)/93 डी एल आई	न्यायालय में पेशी लम्बित
22.	श्री श्रीनिवास, कानूनगो	आरसी 56(ए)/93 डी एल आई	न्यायालय में पेशी लम्बित
23.	श्री ओम प्रकाश, कार्मिक अधी॰ श्री राज सिंह, मेट वर्क चार्ज	एफ आई आर सं॰ 56/93 पीएस एसीबी	एसीबी के पास जांच लम्बित
24.	श्री मो॰ अब्बास, क॰इंजी॰	आरसी 50(ए)/94 डीएलआई	न्यायालय में पेशी लम्बित
25.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, क॰इंजी॰	आरसी 65(ए)/94 डीएलआई	मामला न्यायालय में लम्बित
26.	श्री पी॰के॰ शर्मा, क॰इंजी॰ श्री के॰सी॰ वर्मा, क॰इंजी॰	आरसी 68(ए)/94 डीएलआई	मामला न्यायालय में लम्बित

27.	श्री ओम कवर शर्मा, एएफआई	एफ आई आर सं॰ 43/44 पीएस एसीबी	मामला न्यायालय में लम्बित
28.	श्री हरिन्द्र पाल, स॰इंजी॰ श्री राजिन्द्र कुमार, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 49/94 पीएस एसीबी	मामला जांच हेतु लम्बित
29.	श्री आर॰सी॰ केश्वानी, स॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 1/95 पीएस एसीबी	मामला जांच हेतु लम्बित
30.	श्री पन्ना लाल गर्ग, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 35/95 पीएस एसीबी	मामला जांच हेतु लम्बित
31.	श्री एन॰एस॰ रावल, स॰ समाहर्ता	आरसी 94(ए)/95 डीएलआई	न्यायालय में पेशी लम्बित
32.	श्री जे॰आर॰ गुप्ता, लेखाधिकारी	आरसी 104(ए)/95 डीएलआई	न्यायालय में पेशी लम्बित
33.	श्री प्रेम सागर राय, क॰इंजी॰ श्री प्रेम नारायण, बेलदार	एफ आई आर सं॰ 11/96 पीएस एसीबी	न्यायालय में पेशी लम्बित
34.	श्री जी॰एस॰ परवानी, क॰इंजी॰ श्री अशोक कुमार मलिक, मेट	एफ आई आर सं॰ 13/96 पीएस एसीबी	एसीबी के पास जांच लम्बित
35.	श्री बलदेव राज, क॰इंजी॰ श्री एस॰के॰ कटारिया, क॰इंजी॰	आरसी 53(ए)/56 डीएलआई	न्यायालय में पेशी लम्बित
36.	श्री भजन लाल गोयल, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 33/91 पीएस एसीबी	न्यायालय में पेशी लम्बित
37.	श्री एस॰सी॰ गौतम, क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 13/90 पीएस एसीबी	न्यायालय में पेशी लम्बित
38.	श्री महिपाल सिंह, आशु॰	एफ आई आर सं॰ 27/88 पीएस एसीबी	न्यायालय में पेशी लम्बित
39.	श्री कैलाश चन्द, उ॰श्रे॰लि॰	एफ आई आर सं॰ 10/85 पीएस एसीबी	न्यायालय में पेशी लम्बित
40.	श्री मुकेश कुमार, पटवारी	आरसी 82(ए)/96 डीएलआई	सीबीआई में मामला जांच हेतु लम्बित
41.	श्री करण पाल, सुरक्षा गार्ड	आरसी 2(ए)/97 डीएलआई	सीबीआई में मामला जांच हेतु लम्बित
42.	श्री एस॰सी॰ वर्मा, स॰इंजी॰	आरसी 18(ए)/97 डीएलआई	सीबीआई में मामला जांच हेतु लम्बित
43.	श्री कर्मवीर सिंह, क॰इंजी॰	आरसी 51(ए)/97 डीएलआई	सीबीआई में मामला जांच हेतु लम्बित
44.	श्री अन्ना वनखेडे, उ॰श्रे॰लि॰	आरसी 55(ए)/97 डीएलआई	सीबीआई में मामला जांच हेतु लम्बित
45.	श्री के॰एन॰ पुजारी,	एफ आई आर सं॰ 32/93	न्यायालय में पेशी लम्बित
46.	श्री के॰एस॰ वर्मा, क॰इंजी॰	आरसी 23(ए)/93 डीएलआई **आय से अधिक सम्पत्ति**	न्यायालय में पेशी लम्बित
47.	श्री एस॰सी॰ गर्ग, स॰इंजी॰	एफ आईआर सं॰ 42/94 पीएस एसीबी **आय से अधिक सम्पत्ति**	जांच लम्बित
48.	श्री बलदेव राज, क॰इंजी॰	आर सी 63(ए)/96 डीएलआई **आय से अधिक सम्पत्ति**	सीबीआई में जांच लम्बित
49.	श्री के॰के॰ कटारिया, क॰इंजी॰	आर सी 60(ए)/97 डीएलआई	सीबीआई में जांच लम्बित
50.	श्री अभिलाष सिंह, मेट	आर सी 64(ए)/96 डीएलआई	सीबीआई में जांच लम्बित
51.	श्री वी॰के॰ जैन, क॰इंजी॰	आर सी 25(ए)/96 डीएलआई	सीबीआई में जांच लम्बित
52.	श्री नत्थू सिंह क॰इंजी॰	एफ आई आर सं॰ 427 दिनांक 19-10-93	रोहिणी सै॰ 17 पाकेट ए और बी में 30.5 मी॰
53.	श्री पी॰के॰ नागपाल क॰इंजी॰ सिविल	एफ आई आर सं॰ 427 दिनांक 19-10-93	और 18 मी॰ सड़क के प्रारम्भिक कार्य बाबत
54.	श्री एन॰के॰ गुप्ता, क॰इंजी॰ सिविल	एफ आई आर सं॰ 427 दिनांक 19-10-93	जाली घुगतान के संबंध में।
55.	श्री नरेन्द्र कुमार, स॰ले॰अधि॰	एफ आई आर सं॰ 427 दिनांक 19-10-93	
56.	श्री कर्ण सिंह, अ॰श्रे॰लि॰	एफ आई आर सं॰ 427 दिनांक 19-10-93	
57.	श्री बेदपाल सिंह, उ॰श्रे॰लि॰	एफ आई आर सं॰ 14/82	उनके द्वारा की गई अपील लम्बित है।
58.	श्री चूड़ामणि सहायक,	आर॰सी 46 (ए)/90 डीएलआई	उनके द्वारा की गई अपील लम्बित है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति पश्चात भुगतान हेतु बकाया राशि

3371. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी॰पी॰एस॰यू॰ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात कानूनी रूप से दी जाने वाली धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नकद नुकसानों के कारण अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् सांविधिक देयों का भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। 5.12.96 को वित्त, उद्योग, वस्त्र मंत्रियों वाले मंत्रियों के दल द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा मजदूरी और अन्य सांविधिक देयों का भुगतान न किये जाने की स्थिति की समीक्षा की गयी थी। मंत्रियों के दल ने यह निर्णय लिया कि प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की पिछली और चालू देयताओं को दर्शाने वाली समेकित स्थिति मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाए।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों को सांविधिक देयों का भुगतान न किए जाने संबंधी एक नोट पर मंत्रिमंडल द्वारा 19.7.97 को विचार किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर आगे विचार किए जाने के लिए समिति के (अध्यक्ष के रूप में) कृषि मंत्री, सदस्य के रूप में वित्त मंत्री तथा श्रम राज्य मंत्री को शामिल करके एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया था।

[हिन्दी]

संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेतु धनराशि

3372. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ हेतु इंडो-फ्रेंच एसिसटेंस प्रोटोकाल के अंतर्गत फ्रांस से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) संजय गांधी स्नातकोत्तर *आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से भारत-फ्रांस प्रोटोकोल के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।* कैंसर के उपचार के लिए 3.56 मिलियन फ्रांसिसी फ्रांक मूल्य के उपस्कर और औजारों सहित एक गामा कैमरा की आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव फ्रांसिसी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की संस्तुति 16.7.1997 को आर्थिक कार्य विभाग को की गई है। यह परियोजना भारत फ्रांस प्रोटोकोल, 1996 में शामिल की गई है जिस पर 19.12.1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा प्रस्ताव 72 मिलियन फ्रांसिसी फ्रांक की लागत का चिकित्सीय सुविधाओं के उन्नयन और संस्थापन के लिए है। इसे अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सरकारी अधिकारियों का संसद सदस्यों और विधायकों के साथ व्यवहार

3373. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों और विधायकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी राय जानने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नेपाल द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र

3374. श्री बृज भूषण तिवारी :
श्री हरिवंश सहाय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत-नेपाल सीमाओं पर वाल्मीकिनगर (बिहार) के समीप भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल द्वारा कितने एकड़ भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया गया है तथा किन परिस्थितियों में किया गया है तथा नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर कब अधिकार किया था;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल के कब्जे से क्षेत्र वापिस लेने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नेपाल के कब्जे से भूमि कब तक वापस लेने का सरकार का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ङ) भारत-नेपाल सीमा के पास बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के वाल्मीकि नगर के नजदीक गण्डक नदी के किनारों के साथ-साथ सुस्ता-नरसंही में भारतीय क्षेत्र पर नेपाल के अनाधिकृत कब्जे का मसला नेपाल के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

इस क्षेत्र में सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण 1902 में हुआ था। तथापि, गण्डक नदी का मार्ग बदल जाने के फलस्वरूप अनाधिकृत कब्जे की समस्या चली आ रही है। इस समय सीमा-निर्धारण का कार्य 1981 में गठित संयुक्त तकनीकी स्तरीय भारत-नेपाल सीमा समिति के मार्ग निर्देशन में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर के पास के क्षेत्र में सीमा के संयुक्त निर्धारण का एक कार्यक्रम भारत नेपाल संयुक्त तकनीकी समिति की 18वीं बैठक में तैयार किया गया था। आशा है कि दूसरे क्षेत्रीय-कार्य मौसम अर्थात् दिसम्बर, 1997 जून, 1998 के दौरान फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान अनाधिकृत कब्जे वाले क्षेत्र का सही क्षेत्रफल निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपचार

3375. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री एन• रामकृष्ण रेड्डी :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हास्पिटल्स आस्टिरिटी मैसर्ज कास्ट्स ट्यूबरकुलोसिस पेशेन्ट्स डीयर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित राजन बाबू ट्यूबरकुलोसिस हास्पिटल में सेकेंड-लाइन का उपचार बन्द कर दिया गया है जबकि शहर में इस प्रकार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां तो उक्त उपचार को बंद किए जाने का क्या कारण हैं; और

(घ) समाज के निर्धन वर्ग के क्षयरोगियों का इलाज पुनः शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) राजन बाबू क्षय रोग अस्पताल एक रेफरल अस्पताल है और यहां पर केवल अंतरंग रोगियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में दाखिल रोगियों को फर्स्ट लाइन और सेकिंड लाइन, दोनों तरह के उपचार प्रदान किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण

3376. **श्री अन्नासाहिब एम•के• पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र तथा राज्य दोनों जगह प्रशासनिक कार्यों के कम्प्यूटरीकरण हेतु अनेक उपाए किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किए गए कार्यक्रमों तथा सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा नवीनतम समीक्षा के अनुसार इस संबंध में की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान सरकार के प्रशासनिक कार्यों का पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकरण हेतु तैयार की गयी/प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी चरण-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न कार्यालयों तथा सरकारी संगठनों में सप्लाई किए गए कम्प्यूटरों का उपयोग नहीं किया जाता है अथवा उनका कभी-कभार ही उपयोग किया जाता है; और

(ङ) प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर नेटवर्क का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी• सवान्नूर) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने प्रशासनिक कुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों में कम्प्यूटर संस्कृति लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) कार्यक्रम शुरू किया था। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए एन आई सी ने बड़ी संख्या में डाटा बेस और सूचना पद्धतियां विकसित की हैं। देश में विभिन्न स्तरों पर सूचना विनियमन के लिए एन आई सी ने निकनेट नामक देश व्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित किया है जिसके 1000 से अधिक सेटेलाइट आधारित नोड हैं। एन आई सी इन स्तरों पर अवस्थित अपने केन्द्रों के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासनों के कर्मचारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(ग) निकनेट 10 वर्ष से प्रचालन में है और देश में सेवाओं की बढ़ती हुई मांग के कारण इसमें बड़ा विस्तार अपेक्षित है। एन आई सी ने इस मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा आधारसंरचना को उन्नत बनाने और नौवीं योजना में इसे जिला स्तर से नीचे विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी नहीं। विभिन्न कार्यालयों और सरकारी संगठनों को दिए गए कम्प्यूटरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इनमें से बहुत से सिस्टम एक दिन में 10-12 घण्टे उपयोग में लाए जा रहे हैं। कम्प्यूटर अनेक सरकारी कार्यालयों का अभिन्न अंग बन गए हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा आधारसंरचना को उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) एन आई सी ने अनेक नई सेवाएं शुरू की हैं जैसे ई-मेल, इंटरनेट, ईडीआई और एफ टी पी। अनेक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रक संगठनों ने नियमित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन अनुप्रयोगों के डाटा ट्रैफिक के अलावा इन सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

इन कार्यकलापों ने मिलकर बहुत अधिक ट्रैफिक उत्पन्न कर निकनेट आधार संरचना में भारी विस्तार को आवश्यक बना दिया है। यह एन आई सी द्वारा मुहैया कराए गए व्यापक और गहन प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हुआ है।

भ्रष्टाचार के मामले

3377. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए गए सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, बेईमानों और आय से अधिक सम्पत्ति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उपर्युक्त मामले में संलिप्त अधिकारियों की ग्रेड-वार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के विरूद्ध स्वयं ही काई कार्यवाही की है जिन पर बेईमानी और भ्रष्ट होने का संदेह है;

(ङ) क्या उन्होंने अपने अधीन कार्यरत सतर्कता विभाग की शक्तियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) सतर्कता मैनुअल के अनुसार सामान्य नियम के रूप में भ्रष्टाचार आदि के मामलों के जांच के काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने होते हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान समूह "क" अधिकारियों के खिलाफ 56 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस अवधि में समूह "क" के 17 अधिकारियों को आरोप पत्र दिए गए।

(घ) जी, हां।

(ङ) सतर्कता ढांचे के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि मामलों का निपटान दक्षतापूर्वक हो सके। शक्तियों का प्रदान अनुशासनिक प्राधिकारी के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जाता है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम संख्या ।

3378. श्री पी॰ नामग्याल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 का लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद् (एल॰ए॰एच॰डी॰सी॰) अधिनियम, संख्या 13 सितम्बर, 1997 को समाप्त होने जा रहा है अथवा इसकी अवधि व्यपगत होने जा रही है;

(ख) क्या लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद् के अधिकारियों ने अधिनियम में कतिपय कारगर परिवर्तन/संशोधन करने तथा इसके कार्यकरण को और प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर यथा प्रयोज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 357 (2) के अनुसार संसद या राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा इसका अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा के पश्चात एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर, अमल में नहीं लाया जा सकता है। चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 9.10.1996 को समाप्त हो गया था इसलिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1995 भी 9.10.1997 से अमल में आना बंद हो जाएगा जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा इसका अनुमोदन न कर दिया जाए।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1995 को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल के

अगस्त, 1997 में होने वाले आगामी सत्र में, आवश्यक विधायन प्रस्तुत किया जाएगा। परिषद द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य सरकार द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।

गरीबी उन्मूलन

3379. **श्री आर• साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, चीन और भारत ने गरीबी को कम करने का प्रयाय किया है जबकि चीन के परिणाम उल्लेखनीय है तथा भारत के मिले-जुले हैं;

(ख) यदि हां, तो चीन में गरीबी मिटाने की सफल उपलब्धि के क्या कारण हैं, जो भारत में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो गरीबी मिटाने में भारत चीन से कितना पिछड़ रहा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी• सवान्नूर) : (क) से (ग) भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 1973-74 के 54.88 से 1983 में 44.48 तक तथा 1993-94 में और अधिक 35.97 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। ये अनुनान उपयोग व्यय के न्यूनतम स्तर पर आधारित गरीबी मानदण्ड से निकाले जाते हैं; जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके भोजन के उपभोग से 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति-प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के अनुबद्ध कैलोरी मापदंड तथा कुछ मात्रा में गैर-खाद्य व्यय जैसे वस्त्र, आवास, शिक्षा, परिवहन आदि को पूरा करने के योग्य बनाते हैं। गरीबी के चीनी अनुमान, समान्यतः आय आधारित है और इसीलिए भारतीय अनुमानों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

जीवन रक्षक दवाइयों पर प्रतिबंध

3380. **श्री शरत पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कैंसर तथा एड्स जैसी जीवन रक्षक दवाईयों पर लगाये गये प्रतिबंधों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क छूट प्रमाणपत्र जीवन रक्षक औषधियों के लिए इलाज करने वाले फीजिशियन की सिफारिश पर केवल रोगी को जारी किए जाते हैं। औषध नियंत्रक (भारत) विशेषज्ञों से परामर्श करके नई कैंसर-रोधी और नई एड्स-रोधी औषधियों के पंजीकरण को अधिकतम प्राथमिकता प्रदान करते हैं और ऐसे आवेदनों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार न्यूनतम समय में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

3381. **श्री आनंदरत्न मौर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को शीघ्र ही आधारभूत उद्योग का दर्जा प्रदान करने की संभावना है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित कार्यदल ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस•आर• बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर गठित कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को आधारभूत विकास 'मूलसंरचना' उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

(घ) सिफारिश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पहाड़ी इलाकों का विकास करने हेतु धनराशि

3382. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौ पहाड़ी जिलों (उत्तरांचल) को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के विकास के समान धनराशि मुहैया कराने का निर्णय किया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरांचल का विकास करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बराबर धनराशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी• सवान्नूर) : (क) से (घ) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास तथा इस हेतु निधियों के आबंटन का उत्तरदायित्व, प्राथमिक रूप से, संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार, इस संबंध में, केन्द्रीय सहायता के वितरण तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु संशोधित गाडगिल फार्मूले के माध्यम से, राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता

प्राप्त करते हैं जबकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है तथा इसे केन्द्रीय सहायता के वितरण में उपयुक्त महत्व दिया जाता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्षेत्रकीय कार्यनीतियों तथा आबंटनों को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य योजना आयोग में, अभी प्रगति पर हैं। हालांकि, राज्य सरकार एवं अन्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों के आधार पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सहायता बढ़ाने के लिये, पूर्व में ही प्रयास किये गये हैं। 1994-95 से 1996-97 तक, प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश को इसके पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 7.93 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त राशि, विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवायी जाती रही है। आगे, 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिये, 10 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई गयी है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग के सुधार हेतु 5 करोड़ रु॰ की राशि उपलब्ध करवाई गयी।

यूरेनियम का खनन

3383. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादुगोडा में यूरेनियम का खनन करने के परिणामस्वरूप विकिरण सक्रियता के उत्पन्न होने की समस्या की जानकारी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निवासी/आदिवासी नेत्र रोग, बच्चों में विकलांगता तथा कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त खनन कार्य में विकिरण सक्रियता के मानदण्ड निर्धारित करने के बारे में कोई विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क), (ख) और (ग) जादुगोडा में यूरेनियम के खनन और पेषण में सुरक्षा संबंधी मानदण्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाते हैं जोकि इनके क्रियान्वयन को मानीटर और विनियमित भी करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और इसकी सुरक्षा समितियों द्वारा पुनरीक्षित विकिरण और पर्यावरण मानीटरन कार्यक्रमों से स्पष्ट पता चला है कि यूरेनियम खानों और मिलों में कर्मचारियों, जन-सामान्य और पर्यावरण की सुरक्षा को विकिरण और पर्यावरण के पहलुओं की दृष्टि से पर्याप्त रूप से सुनिश्चित किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में होने वाले नेत्र रोग, बच्चों में विकलांगता और कैंसर की किसी घटना के लिए यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की खनन गतिविधियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए विकिरण सक्रियता की उन्मुक्त की जाने वाली अनुमेय मात्रा के मानकों का यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ जोकि खानों और मिलों का प्रचालन करती है, द्वारा अनुपालन किया जाता है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

टाइटेनियम उद्योग

3384. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टाइटेनियम उद्योग में विदेशी कंपनियों के प्रवेश तथा इल्मेनाइट के खनन क्षेत्र में अनुमति दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) केरल में टाइटेनियम उद्योग में तथा इल्मेनाइट के खनन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को अनुमति दिए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

मंत्रियों के कार्यालयों/आवासों का जीर्णोद्धार

3385. श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बंगलों के जीर्णोद्धार, परिवर्द्धन तथा रद्दों बदल हेतु व्यय की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक मंत्री के कार्यालय तथा आवास के जीर्णोद्धार परिवर्तन तथा रद्दों बदल पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च हुई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) (I) क्वार्टरों/फ्लैटों के लिए टाइपवार वार्षिक आर्थिक अधिकतम सीमा नीचे दी गई है :—

क्वार्टर/फ्लैटों की प्रकृति	आर्थिक सीमा (रु॰)
सी-I, सी-II	21,000/-
VI, VIII	31,500/-

(II) मंत्रियों/सांसदों/जजों के कार्यकाल के दौरान सरकारी निवास की आर्थिक अधिकतम सीमा इस प्रकार है :—

वर्ग	आर्थिक अधिकतम सीमा (रु॰)
मंत्री	1,00,000/-
जज	50,000/-
सांसद	30,000/-

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चाय बागानों में लगे कामगार

3386. श्री द्वारका नाथ दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में रुग्ण और अप्रयुक्त चाय बागानों के कामगारों की दयनीय स्थिति से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कामगारों के पुनर्वास के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथियारों की आपूर्ति

3387. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा;

(ख) क्या यह गारण्टी इस तथ्य पर आधारित है कि भारत रूसी हथियारों का प्रमुख खरीददार है;

(ग) क्या आधुनिक टैंकों के बारे में रूसी पेशकश पर निर्णय लेने में भारत के द्वारा विलम्ब किये जाने पर रूस अप्रसन्न है;

(घ) क्या भारत से क्रयादेश न मिलने पर रूस महत्वपूर्ण संघटकों को यूक्रेन को आपूर्ति करने पर बाध्य होगा और यूक्रेन टैंक के सौदे में इसे पाकिस्तान को बेचेगा; और

(ङ) टैंक की रूसी पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसी पेशकशें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उनके गुणावगुणों के आधार पर विधिवत् विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर यात्रा

3388. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रबंध किये हैं;

(ख) उन्हें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा प्रत्येक स्थान पर कितने-कितने तीर्थयात्री गये हैं;

(ग) तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की जान और माल की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं; और

(घ) क्या वर्षा अथवा तूफान जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था, का सामना करने के लिए पूरे सुरक्षा प्रबंध कर लिये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं में परिवहन, आवास, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा और मार्गरक्षण, दिल्ली और भारतीय भू-भाग और चीन के क्षेत्र में आने वाले मार्गस्थ स्थानों के बीच बेतार संचार व्यवस्था कायम करना, आपात स्थिति के मामले में तीर्थयात्रियों को विमान द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और संबंधित प्रचार-प्रसार तथा अन्य साज-समान की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

1996 में, 435 तीर्थयात्रियों ने 14 जत्थों में यह यात्रा की। 5 अगस्त, 1997 को 340 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में इस यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अगले 4 जत्थों की सितम्बर 1997 में, यात्रा समाप्त होने से पूर्व प्रस्थान करने की संभावना है।

सरकार तीर्थयात्रियों के जान और माल की सुरक्षा, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं अथवा जीवन को होने वाले खतरों की स्थितियां भी शामिल हैं, को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केन्द्रीय और राज्य पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के सहयोग से हर संभव उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में शीर्षस्थ पद

3389. श्री भेरूलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल कितने व्यक्ति निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव तथा सचिव पद पर नियुक्त किए गए;

(ख) क्या सरकारी विभागों में शीर्षस्थ पदों को भरने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) (ग) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) अगस्त, 94 से जुलाई, 97 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान निदेशक के 45 पद, संयुक्त सचिव के 29 पद, अपर सचिव के 9 पद तथा सचिव/उसके समकक्ष स्तर के 5 पद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्त करके भरे गए।

(ख) से (घ) वरिष्ठ पदों पर तैनाती/नियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता तय करते समय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का यथासम्भव सीमा तक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

पदोन्नति से संबंधित विषय

3390. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा सहित राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पदोन्नति के संबंध में पत्र भेजा है;

(ख) क्या मंत्रालय ने अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में हाल ही में संविधान में किए गए संशोधन और इसी प्रकार के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पत्र में संशोधन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा सहित राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्य सेवा संदर्भ के अधिकारियों के पदोन्नति के मुद्दे पर विचार करते हुए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) अगस्त, 1993 में जारी किए गए अनुदेशों द्वारा सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के संबंध में दिया गया आरक्षण, उपर्युक्त निर्णय की तारीख से पांच वर्ष की अवधिपर्यन्त अर्थात् 15.11.1997 तक जारी रहेगा। इन अनुदेशों की एक प्रति, सूचना तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए सभी राज्य-सरकारों के मुख्य सचिवों को भी भेजी गई थी। इन अनुदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य-सरकारों के अधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी विषय, केवल संबंधित राज्य सरकार का ही सरोकार है।

[हिन्दी]

अमरनाथ जानेवाले तीर्थयात्री

3391. श्री विजय अन्नाजी मुडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में अमरनाथ यात्रा के दौरान कितने व्यक्ति लापता हो गए;

(ख) इन लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को कोई सहायता उपलब्ध करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) 2.12.1996 को सरकार को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में डॉ॰ नितीश कुमार सेनगुप्ता ने उन व्यक्तियों की संख्या 243 बतायी है, जिनकी अगस्त, 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मृत सूचित किए गए 243 व्यक्तियों में से 174 की शिनाख्त हो गयी थी। शेष शवों, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, की फोटो लेने के बाद उनका विभिन्न स्थानों पर दाह-संस्कार कर दिया गया था। सेनगुप्ता रिपोर्ट में अगस्त, 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान लापता 2 व्यक्तियों के ब्यौरों का उल्लेख किया गया है।

सभी अज्ञात व्यक्तियों के शवों, जिनका दाह-संस्कार किया गया था, के फोटो बाद में सभी राज्य सरकारों को भेजे गए थे और इन्हें दूरदर्शन पर और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिखाया गया था ताकि उनके परिवार के सदस्य उन्हें पहचान सकें। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट में उल्लिखित एक लापता व्यक्ति सहित 17 अन्य शवों की पहचान कर ली गयी।

(ग) से (ङ) पहचाने गए मृतक तीर्थयात्रियों के नजदीकी रिस्तेदारों को 2 लाख रु॰ का अनुग्रहपूर्वक अनुदान वितरित किया जा रहा है, जिसे प्रधान मंत्री राहत निधि और जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 3:। के अनुपात में उपलब्ध किया जा रहा है।

केवल उन्हीं तीर्थयात्रियों के परिवारों को राहत दी जाती है जिनके बारे में संबंधित राज्य द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि उनकी मृत्यु यात्रा के दौरान हुई।

[अनुवाद]

अमरनाथ यात्रा

3392. श्री देवी बक्स सिंह :
डा॰ रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न की गई अशांति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न किए जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। यात्रा शांतिपूर्ण रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू से पवित्र गुफा तक यात्रियों की हिफाजत/सुरक्षा के लिए हर एहतियात बरते गए हैं और घटना रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग के साथ-साथ चौकियां स्थापित की गयी हैं जिन पर सुरक्षा बलों तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिक तैनात किए गए हैं।

अवसंरचनात्मक सुविधाएं

3393. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शहरी आबादी के बड़े प्रतिशत को सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में सभी के लिए सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जहां तक सफाई का सवाल है राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में करीब 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सफाई राज्य का विषय होने के नाते शहरी क्षेत्रों को सफाई सुविधाएं मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, संघ सरकार मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत की शहरी सफाई की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करने का प्रयास करती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत के जलवाही शौचालयों में तब्दील करने तथा जहां नहीं है वहां नए शौचालयों का निर्माण करने का है। कार्यक्रम के तहत अब तक 1062.64 करोड़ रु॰ की कुल परियोजना लागत पर 33,78,879 शौचालयों के परिवर्तन/निर्माण के लिए 1156 शहरों में 761 स्कीमें मंजूर की गयी है। स्वास्थ्य सेवा के बारे में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में निम्नलिखित संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाएं मुहैया कराई जा रही है :—

(1) जिला स्तरीय पोस्ट मार्टम केन्द्र	550
(2) उप जिलास्तरीय पोस्ट मार्टम केन्द्र	1012
(3) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	1083
(4) स्वास्थ्य केन्द्र	871

उपर्युक्त के अलावा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना आयोग द्वारा आबंटित संसाधनों से किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने भी राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
(2) राष्ट्रीय कोढ़ उन्मूलन कार्यक्रम
(3) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
(4) राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
(5) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
(6) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय और लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

3394. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा दुर्गम है;

(ख) यदि यह यात्रा लद्दाख से शुरू हो तो यात्रियों को चलना नहीं पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो लद्दाख के बजाय उत्तर प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस मौसम में शुरू की जाती है;

(घ) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिए भविष्य में यह यात्रा लद्दाख से होकर शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में सरकार की क्या योजना और नीति है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) कैलाश और मानसरोवर की परिक्रमा सहित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर्वतीय भू-भाग के आर-पार पैदल तथा घोड़े पर बैठकर करनी होती है।

(ख) पर्वतीय भू-भाग और यात्रा के कठिन स्वरूप के कारण यात्रा और परिक्रमा के लिए अपनाए गए किसी भी रास्ते में यात्रा पैदल या घोड़े पर बैठकर की जाती है।

(ग) 1981 में भारत और चीन के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय करार के अनुसार, कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश में लिपुलेख दर्रे से होकर की जाती है।

(घ) से (च) सरकार ने तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए लद्दाख सहित अतिरिक्त मार्गों को खोलने का मसला उठाया है। इन प्रस्तावों पर चीन की सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

चण्डीगढ़ में गंदी बस्तियां

3395. श्री सत्य पाल जैन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में गंदी बस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो गंदी बस्तियों में कुल कितनी जनसंख्या है तथा वहां पर कितनी झुग्गी-झोपड़ियां हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को जल, विद्युत, विद्यालय, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) झुग्गी वासियों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ङ) चंडीगढ़ में निम्नलिखित लेबर कालोनियां विद्यमान है :—

1. कोलोनी सं॰ 4, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, चण्डीगढ़।
2. जनता कालोनी, सेक्टर-25
3. कुम्हार कालोनी, सेक्टर-25
4. मद्रासी कालोनी, सेक्टर-26 के पास
5. ग्वाला कालोनी, रेलवे क्रोसिंग के पास
6. रंधावा कालोनी, रेलवे क्रोसिंग के पास
7. लेबर कालोनी, सेक्टर-31-सी
8. लेबर कालोनी, सेक्टर 53, काझेरी गांव के पास
9. लेबर कालोनी, करसन गांव के पास, फेज-II
10. लेबर कालोनी, गांव पलसोरा
11. कुलदीप कालोनी, सेक्टर-52
12. आदर्श कालोनी, सेक्टर-54
13. सुखनगर कालोनी, सेक्टर-52
14. पंडित कालोनी, सेक्टर-52

विभिन्न कालोनियों में जल आपूर्ति में पेय जल के लिए विभिन्न कालोनियां में नलके लगायें गये हैं। आगे निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :—

1. विभिन्न कालोनियों में ट्यूबवेल लगाना।
2. भूमिगत हौज बनाया जाना प्रस्तावित है।
3. विभिन्न कालोनियों में खुली सीवर नालियों के स्थान पर सीवर लाइन बिछायी जा रही हैं।
4. बापू धाम कालोनी और कालोनी सं॰ 5 में सुलभ शौचालय का निर्माण प्रस्तावित है।
5. विभिन्न कालोनियों में सड़कें चौड़ी की जा रही हैं।

टी॰सी॰पी॰ओ॰ की सूचना के अनुसार वर्ष 1991 में चण्डीगढ़ की अनुमानित स्लम आबादी 1.612 लाख थी।

सतर्कता के मामले

3396. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता संबंधी काफी मामले पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका श्रेणीवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के विरूद्ध उनके सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारियों ने झूठे मामले बनाए हैं ताकि उन्हें पदोन्नति और विदेशों में तैनाती से वंचित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के निवारणार्थ क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों से चल रहे सतर्कता के मामलों की कुल संख्या बहुत कम है। मामलों पर सुनवाई श्रेणियों के आधार पर नहीं बल्कि आरोपों की प्रकृति और उनकी गम्भीरता के आधार पर विचार करते हुए की जाती है।

(ग) और (घ) दोषी अधिकारी के विरूद्ध विशिष्ट प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर उपयुक्त प्राधिकारियों के परामर्श से सतर्कता के मामले शुरू किए जाते हैं। सतर्कता मामलों को आरम्भ करने में किसी श्रेणी विशेष को निशाना बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। इस मंत्रालय के सतर्कता का उद्देश्य आम तौर पर कर्मचारियों में सुधार

लाना और उन्हें फिर से बहाल करना होता है जिनमें यथासंभव तत्परता के साथ रचनात्मक निर्णय लिए जाते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचार अपनाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं ताकि मामलों का निपटारा न्याय की भावना से किया जा सके और सभी संबंधितों के साथ न्याय हो सके।

धूम्रपान की प्रवृत्ति

3397. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सिगरेट/बीड़ी के सेवन की प्रवृत्ति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) धूम्रपान सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1987-88 में उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षण के 43वें दौर के दौरान तम्बाकू पर प्रश्न शामिल किए। इस सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान है कि भारत में 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लगभग 19.4 करोड़ पुरूष और महिलाएं किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। यह एक ही बार का सर्वेक्षण है और इसलिए कोई रूझान विश्लेषण संभव नहीं है। तथापि अप्रत्यक्ष अनुमान बताते हैं कि गत 8 से 10 वर्ष के दौरान भारत में तम्बाकू के उपयोग में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रशासनिक निर्देशों के अन्तर्गत भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पताल औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या संस्थापनाओं, शिक्षण संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू उड़ानों, रेलों में वातानुकूलित शयन कक्षों, उपनगरीय रेलों और वातानुकूलित बसों में तम्बाकू सेवन निषिद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों तथा जन परिवहनों में धूम्रपान भी निषिद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 1975 के अनुसार सिगरेट के सभी डिब्बों/पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दर्शाना आवश्यक है।

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत चेतावनी "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" आवश्यक है।

(3) तम्बाकू अथवा तम्बाकू से संबंधित उत्पादों से संबंधित विज्ञापन दूरदर्शन पर प्रसारित करना निषिद्ध है।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

3398. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी :**
श्री रनजीब बिसवाल :
श्री जयप्रकाश अग्रवाल :
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :
श्री हंस राज अहीर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय राज्यवार कितने-कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिकल कालेज हैं;

(ख) एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिकल कालेजों में से कितने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और कितने केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ग) गत वर्षों के दौरान इन कालेजों को केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे मेडिकल कालेजों को अपने-अपने राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों/अनुरोधों को अनुमोदित कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कालेजों के राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश में राज्य-वार मान्यता प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सा कालेजों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी जाती है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भेजे गए आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा कालेजों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी जाती है। 1997-98 के दौरान प्रवेश देने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा अनुमत्य होम्योपैथिक चिकित्सा कालेजों की संख्या संलग्न विवरण-V दी गई है।

(ख) ऐलोपैथिक चिकित्सा कालेजों की सूची संलग्न विवरण-III में दी जाती है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कालेजों को उसमें दर्शाया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार चिकित्सा कालेज नामतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, जवाहर लाल

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, पॉडिचेरी और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ हैं। आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा कालेजों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) नये चिकित्सा कालेजों को स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 10क के अन्तर्गत अनुमति देने के लिए जिन न्यासों/सोसाइटियों/राज्य सरकारों ने आवेदन किया है। उनके नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कालेजों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(च) जी नहीं।

(छ) और (ज) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 1993 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अनुसार नये चिकित्सा कालेजों को खोलने के लिए सोसाइटियों/न्यासों/राज्य सरकारों से प्राप्त किए गए प्रस्तावों की भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श लेते हुए जांच की जायेगी।

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कालेजों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही है।

विवरण-I

देश में राज्य-वार मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों की संख्या

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मान्यता प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सा कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	3
3.	बिहार	8
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	4
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	6
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	19
12.	केरल	5
13.	मध्य प्रदेश	6
14.	महाराष्ट्र	27
15.	मणिपुर	1
16.	उड़ीसा	3
17.	पॉडिचेरी	1
18.	पंजाब	5
19.	राजस्थान	5
20.	तमिलनाडु	13
21.	उत्तर प्रदेश	9
22.	पुश्चिम बंगाल	7
	कुल :	138

विवरण-II

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद

भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध 8 के कालेजों की राज्य-वार सूची

	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध
आंध्र प्रदेश	4	2	
असम	1	–	
बिहार	9	4	
दिल्ली	1	2	
गुजरात	9	1	
हरियाणा	4	–	
जम्मू व कश्मीर	–	2	
हिमाचल प्रदेश	1	–	
कर्नाटक	8	2	
केरल	4	–	
मध्य प्रदेश	7	1	
महाराष्ट्र	21	6	
उड़ीसा	4	–	
पंजाब	4	–	
राजस्थान	5	2	
तमिलनाडु	2	1	2
उत्तर प्रदेश	10	7	
पश्चिम बंगाल	1	1	
	95	31	2

विवरण-III

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऐलोपैथिक चिकित्सा कालेजों की सूची।

क्र॰सं॰	कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य का नाम	*निरीक्षण की तारीख*	*प्रबंध*
1	2	3	4
	I. आंध्र प्रदेश		
	(1) आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय आफ हैल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा		
1.	आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	1923	सरकारी
2.	रांगडिया मेडिकल कालेज, काकीनाडा (आं॰प्र॰)	1958	सरकारी
3.	गंटूर मेडिकल कालेज, (आंध्र प्रदेश)	1946	सरकारी
4.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	1980	सरकारी
5.	उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1946	सरकारी
6.	गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1954	सरकारी
7.	काकातिया मेडिकल कालेज, वारांगल (आंध्र प्रदेश)	1959	सरकारी
8.	कुरूनूल मेडिकल कालेज, कुरूनूल (आंध्र प्रदेश)	1957	सरकारी
9.	एस॰वी॰ मेडिकल कालेज, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	1960	सरकारी
10.	डंकन कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1985	ट्रस्ट
	II. असम		
	(2) गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी		
11.	गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी (असम)	1960	सरकारी
	(3) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर असम (पहले गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संबंद्ध था)		
12.	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर (असम)	1968	सरकारी
	(4) डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़		
13.	असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, (असम)	1947	सरकारी
	III. बिहार		
	(5) एल॰एन॰ मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा		
14.	दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरियासराय (बिहार)	1946	सरकारी
	(6) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर		
15.	श्री कृष्णा मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	1970	सरकारी
	(7) पटना विश्वविद्यालय, पटना		
16.	पटना मेडिकल कालेज, पटना	1925	सरकारी
	(8) रांची विश्वविद्यालय, रांची		
17.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	1960	सरकारी
18.	एम॰जी॰एम॰ मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	1961	सरकारी
	(9) भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर		
19.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, भागलपुर	1971	सरकारी

1	2	3	4
	(10) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया		
20.	ए॰एन॰ मगध मेडिकल कालेज, गया	1970	सरकारी
21.	नालंदा मेडिकल कालेज, पटना	1970	सरकारी
IV. चंडीगढ़			
	(11) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़		
22.*	मेडिकल कालेज, चंडीगढ़	1991	सरकारी
V. दिल्ली			
23.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1956	सरकारी
	(12) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली		
24.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1916	सरकारी
25.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1958	सरकारी
26.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल कालेज, दिल्ली	1971	विश्वविद्यालय
VI. गोवा			
	(13) गोवा विश्वविद्यालय		
27.	गोवा मेडिकल कालेज, पणजी	1963	सरकारी
VII. गुजरात			
	(14) गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद		
28.	बी॰जे॰ मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1946	सरकारी
29.	म्युनीसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1964	म्युनिसीपल कार्पो॰
	(15) एम॰एस॰ यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, (बड़ौदा)		
30.	मेडिकल कालेज, बड़ौदा	1949	सरकारी
	(16) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट		
31.	एम॰पी॰ शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	1955	सरकारी
	(17) साउथ गुजरात युनिवर्सिटी, सूरत		
32.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत	1964	सरकारी
	(18) सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यासागर, गुजरात		
33.	प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाद	1987	ट्रस्ट
VIII. हरियाणा			
	(19) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक		
34.	पं॰ भगवत दयाल शर्मा पोस्टग्रैजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक	1960	सरकारी
IX. हिमाचल प्रदेश			
	(20) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला		
35.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	1966	सरकारी

नोट : इस कालेज को अनंतिम रूप से छह महीने के लिए अर्थात् 1.3.97 से 31.8.97 तक मान्यता दी गई है।

1	2	3	4
X. जम्मू व कश्मीर			
	(21) कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर		
36.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	1959	सरकारी
	(22) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू		
37.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू	1972	सरकारी
XI. कर्नाटक			
	(23) मणिपाल अकादमी आफ हायर एजुकेशन		
38.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल	1953	ट्रस्ट
39.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर	1955	ट्रस्ट
	(24) बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर		
40.	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1955	सरकारी
41.	सैंट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलौर	1963	सोसाइटी
42.	एम॰एस॰ रमैय्या मेडिकल कालेज, बंगलौर	1979	ट्रस्ट
43.	डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1980	ट्रस्ट
44.	कंपेगोडा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बंगलौर	1980	सोसाइटी
45.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकर	1988	ट्रस्ट
46.	श्री देवराज उर्स मेडिकल कालेज, तुमाका कोलार टुमका	1986	ट्रस्ट
	(25) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर		
47.	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	1924	सरकारी
48.	जे॰एस॰एस॰ मेडिकल कालेज, मैसूर	1984	ट्रस्ट
49.	आदिचुंनचुनगिरिक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज बेलूर,	1985	ट्रस्ट
	(26) कवांपु विश्वविद्यालय, कर्नाटक		
50.	जे॰जे॰एम॰ मेडिकल कालेज, दावणगेरे (कर्नाटक)	1965	ट्रस्ट
	(27) कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़		
51.	कर्नाटक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हुबली	1957	सरकारी
52.	जे॰एल॰एन॰ मेडिकल कालेज, बेलगाम	1963	ट्रस्ट
53.	बी॰एल॰डी॰ई॰ए॰ श्री बी॰एम॰ पाटिल मेडिकल कालेज, हास्पिटल एंड रिसर्च सैंटर, बीजापुर	1986	ट्रस्ट
54.	अल-अमीन मेडिकल कालेज, बिजापुर	1984	ट्रस्ट
	(28) गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग		
55.	एम॰आर॰ मेडिकल कालेज, गुलबर्ग	1963	ट्रस्ट
56.	विजयानगर इंस्टि॰ आफ मेडिकल साईंसिज, वेल्लरी	1961	सरकारी
XII. करेल			
	(29) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम		
57.	मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	1951	सरकारी
58.	टी॰डी॰ मेडिकल कालेज, अलपै (अलपुजा)	1963	सरकारी

1	2	3	4
	(30) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोटायम		
59.	मेडिकल कालेज, कोटायम	1960	सरकारी
	(31) कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट		
60.	मेडिकल कालेज, कालीकट	1957	सरकारी
61.	मेडिकल कालेज, त्रिचुर	1981	सरकारी
XIII.	**मध्य प्रदेश**		
	(32) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर		
62.	मेडिकल कालेज, जबलपुर	1955	सरकारी
	(33) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर		
63.	जी॰आर॰ मेडिकल कालेज, ग्वालियर	1946	सरकारी
	(34) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर		
64.	एम॰जी॰एम॰ मेडिकल कालेज, इंदौर	1948	सरकारी
	(35) बरकतउल्साह विश्वविद्यालय, भोपाल		
65.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	1955	सरकारी
	(36) ए॰पी॰ सिंह विश्वविद्यालय, रीवा		
66.	एस॰एस॰ मेडिकल कालेज, रीवा	1963	सरकारी
	(37) रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर		
67.	प॰ जे॰एल॰एन॰ मेडिकल कालेज, रायपुर	1963	सरकारी
XIV.	**महाराष्ट्र**		
	(38) बोबी विश्वविद्यालय, बुम्बई		
68.	ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई	1945	सरकारी
69.	सेठ जी॰एस॰ मेडिकल कालेज, बम्बई	1925	बिरहान मुम्बई महानगर पालिका
70.	टी॰एन॰ मेडिकल कालेज, बम्बई	1964	–तदैव–
71.	एल॰टी॰एम॰ मेडिकल कालेज, बम्बई	1964	–तदैव–
72.	पदमश्री डा॰ डी॰वाई॰ पाटिल मेडिकल कालेज, बम्बई	1989	ट्रस्ट
73.	महात्मा गांधी मिशनश मेडिकल कालेज, नई बम्बई		
	(39) पूना विश्वविद्यालय, पूना		
74.	बी॰जे॰ मेडिकल कालेज, पूना	1964	सरकारी
75.	आर्मड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पूना	1962	सरकारी (रक्षा मंत्रालय)
76.	रूरल मेडिकल कालेज, लोनी	1984	ट्रस्ट
77.	एन॰डी॰एम॰वी॰पी॰ समाज मेडिकल कालेज, नासिक	1990	ट्रस्ट
	(40) भारती विद्यापीठ डीमड विश्वविद्यालय, पुणे		
78.	भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पुणे (पहले पूना विश्वविद्यालय से संबंद्ध)	1989	ट्रस्ट

1	2	3	4
	(41) उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव		
79.	श्री भूसाहेब हायर गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, धुले (पहले पूना विश्वविद्यालय से संबंद्ध)	1988	सरकारी
	(42) शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर		
80.	मिराज मेडिकल कालेज, मिराज	1962	सरकारी
81.	डॉ॰ वी॰एम॰ मेडिकल कालेज, सोलापुर	1963	सरकारी
82.	कृष्णा इंस्टि॰ आफ मेडिकल साईंसिज, कराड	1984	ट्रस्ट
83.	डी॰वाई॰ पाटिल एजुकेशन सोसायटी डी॰वाई॰ पाटिल मेडिकल कालेज, कोलापुर	1989	सोसायटी
	(43) डा॰ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद		
84.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1956	सरकारी
85.	एस॰आर॰टी॰आर॰ मेडिकल कालेज, अम्बेजोगई	1974	सरकारी
86.	महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1989	प्राईवेट
	(44) स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय, नादेड़		
87.	गवनमेंट मेडिकल कालेज, नादेड़ (पहले डा॰ बी॰ए॰एम॰ विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से संबद्ध)	1988	सरकारी
	(45) नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर		
88.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	1947	सरकारी
89.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर	1968	सरकारी
90.	महात्मा गांधी इंस्टि॰ आफ मेडिकल साईंसिज, सेवाग्राम वर्धा	1969	कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी
91.	जे॰एन॰ मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा	1990	ट्रस्ट
92.	एन॰के॰पी॰ सलेव इंस्टि॰ आफ मेडिकल साईंसिज, नागपुर	1990	सोसायटी
	(46) अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती		
93.	डा॰ पंजाब्री एलियास भूसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती	1984	सोसायटी
94.	श्री बसंतराव नायक गर्वमेंट मेडिकल कालेज, यवतमाल	1989	सरकारी
XV.	**मणिपुर**		
	(47) मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर		
95.	रीजनल इंस्टि॰ आफ मेडिकल साईंसिज, इम्फाल	1972	सोसायटी
XVI.	**उड़ीसा**		
	(48) उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर		
96.	एस॰सी॰बी॰ मेडिकल कालेज, कटक	1944	सरकारी
	(49) बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर		
97.	एम॰के॰सी॰जी॰ मेडिकल कालेज, बरहामपुर	1962	सरकारी
	(50) सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर		
98.	बी॰एस॰एस॰ मेडिकल कालेज, बुरला	1959	सरकारी
XVII.	**पांडिचेरी**		
	(51) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी		
99.	जवाहरलाल इंस्टि॰ आफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च पांडिचेरी	1956	सरकारी

1	2	3	4
XVIII. पंजाब			
	(52) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला		
100.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला	1953	सरकारी
101.	गुरू गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट	1973	सरकारी
	(53) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़		
102.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, लुधियाना	1953	ट्रस्ट
103.	दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना	1963	सोसायटी
	(54) गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर		
104.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर	1943	सरकारी
XIX. राजस्थान			
	(55) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		
105.	एस॰एम॰एस॰ मेडिकल कालेज, जयपुर	1947	सरकारी
106.	एस॰पी॰ मेडिकल कालेज, बीकानेर	1959	सरकारी
107.	आर॰एन॰टी॰ मेडिकल कालेज, उदयपुर	1961	सरकारी
108.	डा॰ एस॰एन॰ मेडिकल कालेज, जोधपुर	1965	सरकारी
109.	जे॰एल॰एन॰ मेडिकल कालेज, अजमेर	1965	सरकारी
XX. तमिलनाडु			
	(56) डा॰ जी॰आर॰ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मद्रास (टी॰एन॰)		
110.	चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई	1835	सरकारी
111.	स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास	1930	सरकारी
112.	किलपॉक मेडिकल कालेज, मद्रास	1960	सरकारी
113.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर	1942	ट्रस्ट
114.	चेंगलपट्टु मेडिकल कालेज, चेंगलपट्टु	1965	सरकारी
115.	थंजावुर मेडिकल कालेज, थंजावुर	1959	सरकारी
116.	कोयंबटूर मेडिकल कालेज, कोयंबटूर	1966	सरकारी
117.	तिरूनेलवेली मेडिकल कालेज, तिरूनेलवेली	1965	सरकारी
118.	मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई	1954	सरकारी
119.	मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सेलम	1986	सरकारी
120.	पी॰एस॰जी॰इंस्टि॰ आफ मेडिकल साइंस, कोयंबूटर	1985	ट्रस्ट
	(57) श्री रामचन्द्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, मद्रास		
121.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, एंड रिसर्च इंस्टि॰ पोरूर, मद्रास (पूर्व में डा॰ एम॰जी॰आर॰ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंद्ध)	1985	ट्रस्ट

1	2	3	4
	(58) अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाईनगर		
122.	राजा मुथईया मेडिकल कालेज, अन्नामलाई नगर	1985	ट्रस्ट
XXI.	**उत्तर प्रदेश**		
	(59) आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा		
123.	एस॰एन॰ मेडिकल कालेज, आगरा	1939	सरकारी
	(60) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद		
124.	एम॰एल॰एन॰ मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1961	सरकारी
	(61) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़		
125.	जे॰एन॰ मेडिकल कालेज, अलीगढ़	1961	यूनिवर्सिटी
	(62) बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी		
126.	इंस्टि॰ आफ मेडिकल साइंस, बी॰एच॰यू॰ वाराणसी	1960	यूनिवर्सिटी
	(63) कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर		
127.	जी॰एस॰वी॰एम॰ मेडिकल कालेज, कानपुर	1955	सरकारी
	(64) बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी		
128.	एम॰एल॰बी॰ मेडिकल कालेज, झांसी	1968	सरकारी
	(65) लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ		
129.	के॰जी॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ	1911	सरकारी
	(66) चौधरी धचरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ		
130.	एल॰एल॰आर॰एम॰ मेडिकल कालेज, मेरठ	1966	सरकारी
	(67) गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर		
131.	बी॰आर॰डी॰ मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972	सरकारी
XXII.	**पश्चिम बंगाल**		
	(68) कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता		
132.	मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1938	सरकारी
133.	आर॰जी॰कार॰ मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1916	सरकारी
134.	एन॰आर॰एस॰ मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
135.	कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
136.	बी॰एस॰ मेडिकल कालेज, बांकुरा	1956	सरकारी
XXIII.	**उत्तरी बंगाल यूनिवर्सिटी, सुश्रुत नगर**		
137.	उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग (सिलिगुडी)	1968	सरकारी
XXIV.	**बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान**		
137.	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान	1969	सरकारी

विवरण-IV

न्यासों/सोसाइटियों/राज्य सरकारों से प्राप्त किए गए एलोपैथिक चिकित्सा कालेजों को शुरू करने का अनुरोध

क्र॰सं॰	आवेदक का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें कालेज को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।
1.	अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल आफ मेन्नोनाइट ब्रेथर्न चर्च आफ इंडिया, जाडचेरिया, महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश	मेडिकल कालेज जाडेचरा, आंध्र प्रदेश
2.	ममता एजुकेशनल सोसायटी, खम्माम आंध्र प्रदेश	मेडिकल कालेज खम्माम, आन्ध्र प्रदेश
3.	अध्यक्ष, अनन्तपुर मेडिकल कालेज, ट्रस्ट, अनन्तपुर	मेडिकल कालेज अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश
4.	निदेशक, अरुणाचल प्रदेश रिलीफ एंड वेलफेयर (चैरीटेबल) सोसायटी), इटानगर	मेडिकल कालेज, इटा नगर
5.	निदेशक, महर्षि शिक्षा संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	मेडिकल कालेज, शिमला
6.	सचिव-सह-आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	मेडिकल कालेज टांडा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
7.	सचिव, वेंकटेश एजूकेशन सोसायटी, बैंगलौर	मेडिकल कालेज बैंगलौर, कर्नाटक
8.	सचिव, रैय्यत शिक्षण संस्थान, सतारा	मेडिकल कालेज पुणे, महाराष्ट्र
9.	सचिव, हैदराबाद (सिंद), नेशनल कालेज बोर्ड, मुम्बई	मेडिकल कालेज मुम्बई, महाराष्ट्र
10.	सचिव, तिरुमुरूगा किरूपानंन्दा वैरियार सुन्दर स्वामीगल ट्रस्ट, सैलम, तमिलनाडु	मेडिकल कालेज भुवनेश्वर, उड़ीसा
11.	अध्यक्ष, मणिपाल पई फांउडेशन, मणिपाल	मेडिकल कालेज गंगटोक, सिक्किम
12.	अध्यक्ष, कृष्णा हीरानंद मेमोरियल सोसायटी, जम्मू तवी	मेडिकल कालेज, जम्मू तवी
13.	निदेशक प्रिंसिपल, पंजाब इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, जालंधर	मेडिकल कालेज जालंधर, पंजाब
14.	सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	मेडिकल कालेज, त्रिची
15.	अध्यक्ष, तिरूमुरूगा किरूपानंदा वैरियार तिरू सुन्द्रा, स्वागीगल ट्रस्ट, नई दिल्ली	मेडिकल कालेज सितापुर, उत्तर प्रदेश
16.	अध्यक्ष, सुभार्ती के॰के॰बी॰ चैरिटेबल ट्रस्ट, मेस्ठ	मेडिकल कालेज मेरठ
17.	प्रबंधक, आल इंडिया चिल्ड्रेन केयर एंड एजूकेशन डेवलपमेंट सोसायटी, आजमगढ़	मेडिकल कालेज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
18.	सचिव, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हैल्थ रिसर्च सेन्टर	मेडिकल कालेज मुरादाबाद, उ॰प्र॰
19.	सचिव, इरा एजूकेशन ट्रस्ट, लखनऊ	मेडिकल कालेज लखनऊ
20.	सचिव, सुमिता हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसायटी, लखनऊ	मेडिकल कालेज, लखनऊ
21.	सचिव, श्री गुरू रामदास चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतसर	मेडिकल कालेज, अमृतसर

विवरण-V

देश में होम्योपैथी मेडिकल कालेजों की संख्या

राज्य वार सूची (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	होम्योपैथी कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	असम	2
3.	बिहार	1
4.	चंडीगढ	1
5.	दिल्ली	1
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–
11.	कर्नाटक	9
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	7
14.	महाराष्ट्र	26

1	2	3
15.	मणिपुर	–
16.	उड़ीसा	4
17.	पांडिचेरी	–
18.	पंजाब	5
19.	राजस्थान	1
20.	तमिलनाडु	3
21.	उत्तर प्रदेश	10
22.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल :	97

[अनुवाद]

क्रोमाइट खान कामगार

3399. **श्री रनजीव बिसवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट खान कामगारों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्रोमाइट खानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रोमाइट खाना कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा निर्धारण के लिए मानदंड

3400. **श्री विश्वेश्वर भगत :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा निर्धारण संबंधी मानदंड को हाल ही में संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी और ग्रामीण लोगों की राज्यवार अनुमानित संख्या और प्रतिशतता क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) और (ख) गरीबी रेखा को न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावकारी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार परिभाषित किया जाता है जो 1973-74 की कीमतों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु॰ प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु॰ प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय है तथा जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता के एक प्रतिमान के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं की एक बास्केट के सदृश है। यही परिभाषा, गरीबों की संख्या के अनुमान एवं अनुपात पर गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनायी गयी है।

(ग) योजना आयोग, विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण एवं शहरी लोगों की संख्या एवं प्रतिशत का अनुमान, उपभोक्ता व्यय पर पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर लगाता है। राज्यवार गरीबी के नवीनतम अनुमान (प्रतिशत से संख्या) वर्ष 1993-94 (एन एस एस 50 वां दौर) हेतु उपलब्ध है। एक विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और संख्या 1987-88 (संशोधित विशेषज्ञ दल)

राज्य		ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की सं॰ (लाख)	लोगों की प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.52	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3.	असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.85
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14 92

1		2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू और कश्मीर	19.05	30.34	1.86	8.16	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.40	40.14	156.46	33.16
11.	केरल	55.95	25.78	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	218.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.60	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	180.80	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.61	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अ॰ व नि॰ द्वीपसमूह	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादरा व नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षयद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
अखिल भारत :		2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

नोट :

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाना है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन और दीव के लिए किया जाता है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात को अनुमान के लिए किया जाता है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर व नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादर और नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान के लिए किया जाता है।
8. हिमाधल प्रदेश के गरीबी अनुपात का प्रयोग जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 1993-94 के लिए किया जाता है।

कैंसर पीड़ित बच्चे

3401. श्री एल॰ रमना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष डेढ़ से दो लाख बच्चों को कैंसर हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारत में सभी अस्पतालों द्वारा कैंसर (जिनमें बाल कैंसर शामिल है) के होने के बारे में आंकड़े नेमी रूप से एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। सन् 1982 से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा कैंसर की घटना के बारे में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। मुम्बई, बेंगलूर, चेन्नई और दिल्ली में स्थापित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़े के आधार पर वर्ष 1996 के दौरान भारत में 15 वर्ष से कम आयु के 30,000 बच्चों को कैंसर होने का अनुमान लगाया गया है।

प्रमुख बाल कैंसरों में श्वेतरक्तता विलम्स टयूमर्स, रेटिनोब्लास्टोमा मस्तिष्क कैंसर, लसीकार्बुद आदि शामिल हैं। इन कैंसरों का हेतुविज्ञान ज्ञात नहीं है। तथापि रेटीनोब्लास्टोमा तथा श्वेतरक्तता में पारिवारिक वृतान्त महत्वपूर्ण हैं। डाउन्स लक्षण तथा अन्य गुणसूत्रीय अपसामान्यताएं, विकिरण का प्रभाव भी श्वेतरक्तताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हेतु विज्ञानीय कारक हैं। एड्स और कुछ अन्य इम्यूनो डिफिसिएंसी वाले राज्यों में हाडकिन्स लसीकार्बुद का खतरा अधिक पाया गया है। एप्सटीनबार विषाणु संक्रमण हाडकिन्स रोग के विकास के लिए जोखिम वाला घटक माना जाता है।

(ग) इस समस्या का सामना करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :-

1. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में वृद्धि करना
2. मेडिकल कालेजों में अर्बुदविज्ञान खंडों का विकास करना
3. कोबाल्ट 60 टेलीथिरेपी उपकरण की संस्थापना
4. जिला कैंसर नियंत्रण परियोजनाएं

[अनुवाद]

पोलियो के रोगी

3402. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में पोलियो के रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोलियो के उन्मूलन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1997-98 के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पोलियो की 1995 और 1996 में सूचित घटनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पोलियो उन्मूलन के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, व्यय वित्त समिति द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नौवीं योजना अवधि में 5112.53 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पोलियो उन्मूलन के लिए आवंटन भी शामिल है। वर्ष 1997-98 के लिए निधियों का आवंटन 1996-97 के दौरान निर्मुक्त राशियों के अनुसार होगा। पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के वर्ष 1996-97 के समग्र नगद आबंटनों में से निर्मुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1996-97 के दौरान 31.22 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया था।

विवरण-I

1995

राज्य	पोलियो												
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	7	7	8	6	6	7	11	14	15	1	8	6	96
असम	1	0	11	1	1	4	5	3	0	0	0	1	27
बिहार	0	28	4	29	48	150	120	49	35	46	43	3	555
गुजरात	10	16	7	0	1	10	7	20	16	8	9	5	109
हरियाणा	10	3	3	5	5	7	10	21	20	9	22	5	120
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	2	1	1	9	1	2	4	13	7	3	3	2	48
केरल	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
मध्य प्रदेश	5	3	0	1	5	16	5	14	13	13	8	3	86
महाराष्ट्र	18	17	13	17	13	10	41	52	30	37	33	13	294
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	7
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	1	0	0	6	5	1	3	0	1	0	0	0	17
पंजाब	7	2	5	2	8	6	3	4	1	4	5	2	49
राजस्थान	5	6	3	5	5	5	3	6	6	8	5	9	66
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	20	18	25	14	34	20	12	11	40	29	8	7	238
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	42	20	25	34	63	79	101	273	60	64	33	35	829
पश्चिम बंगाल	23	36	1	13	38	22	25	31	63	1	10	15	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	8	11	9	17	12	12	40	99	116	62	41	12	439
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग :	159	168	115	159	248	351	392	612	428	285	228	118	3263

1996

राज्य	पोलियो												
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	4	3	1	0	1	3	0	3	2	1	1	1	20
असम	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10
बिहार	44	0	9	0	6	1	0	0	1	0	1	0	62
गुजरात	2	0	1	1	2	2	1	2	4	2	1	4	20
हरियाणा	2	4	1	1	0	3	6	7	10	4	2	5	47
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	5	7	7	4	2	9	34
केरल	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मध्य प्रदेश	1	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	1	8
महाराष्ट्र	16	17	8	8	19	22	26	65	63	5	2	11	262
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
पंजाब	2	0	1	0	0	0	3	1	3	0	2	2	14
राजस्थान	1	1	3	3	1	2	2	8	6	2	1	0	30
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	4	7	8	9	14	12	11	10	6	3	7	4	95
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
उत्तर प्रदेश	3	12	3	4	3	5	17	26	36	4	12	10	135
पश्चिम बंगाल	15	11	21	4	18	9	10	6	0	3	0	0	97
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	8	10	10	3	1	7	17	36	31	8	15	13	157
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग :	104	65	70	36	66	68	102	171	169	43	48	63	1005

विवरण–II

पल्स पोलियो टीकाकरण 1996–97 के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पी ओ एल एवं परिवहन के लिए धनराशि	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	55.50	113.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.75	44.00
3.	असम	57.25	79.00
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.50	11.00
5.	बिहार	111.50	172.00
6.	चण्डीगढ़	4.00	8.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	2.75	8.00
8.	दमण एवं दीव	5.50	11.00
9.	गुजरात	45.75	67.00
10.	गोवा	4.00	11.00
11.	हिमाचल प्रदेश	30.00	41.00
12.	हरियाणा	32.00	61.00
13.	जम्मू व कश्मीर	37.75	52.00
14.	कर्नाटक	45.75	70.00
15.	केरल	31.50	52.00
16.	लक्षद्वीप	2.75	8.00
17.	मध्य प्रदेश	103.25	145.00
18.	महाराष्ट्र	75.50	100.00
19.	मेघालय	16.25	26.00
20.	मणिपुर	22.00	29.00
21.	मिजोरम	11.00	17.00
22.	नागालैंड	19.25	25.00
23.	उड़ीसा	69.50	100.00
24.	पंजाब	34.00	61.00
25.	राजस्थान	71.75	103.00
26.	सिक्किम	10.25	17.00
27.	तमिलनाडु	56.00	85.00
28.	त्रिपुरा	11.00	17.00
29.	उत्तर प्रदेश	172.25	214.00
30.	पश्चिम बंगाल	46.00	67.00
31.	दिल्ली	20.00	37.00
32.	पाण्डिचेरी	8.00	17.00
	भारत	1253.25	1869.50

भारत में बढ़ती गरीबी

3403. श्री भक्त चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1997 के "द ट्रिब्यून" में "पावर्टी राइजिंग इन इंडिया–वर्ल्ड बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश से गरीबी को मिटाने संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) गरीबी को मिटाने के लिए सरकार की और क्या-क्या योजनाएं हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में गरीबी घटाना और विश्व–बैंक 1990 में प्रगति और चुनौतियां शीर्षक के तहत वर्ल्ड बैंक अध्ययन पर समाचार पत्र रिपोर्ट के अनुसार उल्लेख किया गया है कि (क) शहरी गरीबी का अनुपात बहुत बढ़ गया है (ख) सरकार गरीबी का सामना करने के लिए निजी क्षेत्रक को उत्साहित करने के लिए कुछ अधिक नहीं कर रही है। (ग) गरीबी को कम करने में और अधिक सफलता गम्भीर रूप से चालू सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। (घ) भारत की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल विकास पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 1977–78 में 51.32 प्रतिशत से घट कर 1993–94 में 35.97 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) गरीबी की जीवन दशा और आय में सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें आय बढ़ाने और रोजगार अवसरों के सृजन के कार्यक्रम शामिल हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई), गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू बी एसपी) और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) 9वीं योजना के एप्रोचपेपर ने आर्थिक विकास की 7 प्रतिशत दर को अपनाया है जिससे महत्वपूर्ण रूप से गरीबी के स्तर के कम होने की संभावना है। इसके अलावा इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए सीधे राज्य के हस्तक्षेप को जारी रखने की आवश्यकता और गरीबी उन्मूलन के अधिक प्रभावी हथियार बनाने के लिए स्वरोजगार और अनुपूरक मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के पुनः डिजाइन को मान्यता दी है।

मलिन बस्ती विकास योजना

3404. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मलिन बस्तियों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्लम विकास हेतु राज्यों/संघ राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए कानपुर में अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान स्लम विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यों के लिए 250 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया गया था। चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 के लिए इस कार्यक्रम के तहत 330 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं। इसे शहरी स्थानीय निकायों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार संवितरित करना राज्य सरकारों का कार्य है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को 1996-97 में 31.28 करोड़ रुपये दिये गये थे और चालू वर्ष के दौरान 40.11 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्लम विकास कार्यक्रम

दिशा-निर्देश

राज्यों/संघ राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के बजट में राज्यों में स्लम विकास कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना आयोग ने वर्ष 1991 में अनुमानित स्लम आबादी के आधार पर 250 करोड़ रुपये के राज्यवार नियतन की गणना की है। इस धन-राशि के उपयोग बाबत निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सुझाव दिया गया है :—

1. कार्यक्रम के उद्देश्य और घटक

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में पर्याप्त और संतोषजनक जल-आपूर्ति, स्वच्छता बुनियादी (बेसिक) शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल पूर्व और प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा सुविधाओं आदि का प्रावधान होगा। स्कीम का एक उद्देश्य आवास का प्रावधान, सामुदायिक अधिकार, कूड़े व ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा पर्यावरणीय सुधार और आत्म निर्भरता की पद्धति का सृजन करते हुए विभिन्न समाज क्षेत्रीय कार्यक्रमों की सापेक्षता भी है। मुख्य ध्यान सामुदायिक आधारभूत ढ़ाचें, आश्रय का प्रावधान, शहरी गरीब महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना, प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और सहायता तथा गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, निजी संस्थानों और अन्य नियमों की भागीदारी पर दिया जाये।

2. शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

74वें संशोधन की मूल भावना के आधार पर नये शहरी क्षेत्र के लिए निधियां जारी करने से पूर्व चुने गये शहरी स्थानीय निकायों की विद्यमानता आवश्यक होगी। इस कार्यक्रम के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को नोडल एजेंसी के रूप में होने पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्य के लिए प्रस्ताव सामुदायिक योजना के रूप में समुदाय आधारित संगठनों से ही आने चाहिए जिसे स्वीकृति हेतु जिला शहरी विकास अधिकरण के लिए समुचित टिप्पणियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अग्रेषित किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन जहां तक संभव हो, शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाये। शहरी स्थानीय निकाय को निष्पादन में यथा संभव समुदाय आधारित संगठनों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक इस कार्यक्रम के तहत अनुरक्षण और मरम्मत के कार्यों को निष्पादित कराने का संबंध है, वास्तविक दायित्व संबंधित समुदाय आधारित संगठनों का होना चाहिए।

3. सापेक्षता

इस कार्यक्रम में प्रत्येक स्लम के भीतर कुछ चुनिंदा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने पर विचार किया गया है। कार्यक्रम में इन सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए जो अन्यत्र मुहैया नहीं करायी गई हैं जिनके अभाव में सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में इस कार्यक्रम के तहत मुहैया न करायी जा सकी सुविधाओं की व्यवस्था करायी जायेगी। तथापि, इस प्रावधान की स्पष्ट शर्त है कि सापेक्षता के तहत निधियों उन सुविधाओं के अनुपूरण के लिए स्रोत्र होगी जिससे समाजिक क्षेत्र की स्कीमों की बेहतर सुपुर्दगी प्राप्त की जा सकेगी और किसी भी हालत में ये निधियों वैकल्पिक सुविधाओं अथवा उनके किसी भाग के उपयोग में नहीं लायी गयी है।

4. राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी गई निधियों के लिए कुछ अनुपात में अपनी निधि का वहन करना होगा।

5. मानीटरिंग

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) द्वारा नियमित आधार पर की जायेगी जो जिला शहरी विकास प्राधिकरणों (डुडाज) और शहरी स्थानीय निकायों को

आवश्यक जानकारी तथा निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का प्रबोधन शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग करेगा।

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों का अनियमित रूप से कार्य करना

3405. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विभिन्न उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों के अधिकारी 15 दिनों की निर्धारित अवधि में रिक्त पदों को भरने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में 15 दिन से अधिक अवधि तक लम्बित रहने वाले ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण को दुरूस्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नाम भेजने संबंधी कार्रवाई निर्धारित समय के अंतर्गत की जाती है।

(ग)(1) योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों के नाम, यदि 500 उम्मीदवारों के नाम भेजने हो 10 दिनों के भीतर, यदि 1000 तक उम्मीदवारों के नाम भेजने हो 15 दिनों के भीतर एवं यदि 1000 से अधिक नाम भेजने हो तो हर स्थिति में 1 महीने के भीतर, नियोक्ताओं को भेजने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

(2) उम्मीदवारों के सात दिनों के भीतर भेजे जाने वाले नामों की सूची तैयार करने के पश्चात उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी नियोक्ता को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने एवं सूची एकत्र करने संबंधी सूचना दूरभाष पर देगा। यदि नियोक्ता का प्राधिकृत कर्मचारी दो दिन के भीतर नहीं आता है तो उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी रिक्तियों की अधिसूचना की प्राप्ति के 10 वें दिन यह सुनिश्चित करेगा कि नियोक्ता को अभ्यर्थियों की सूची निश्चित रूप से पहुंच जाए।

(3) योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची को और शीघ्रता से तैयार करने के लिए रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया गया है। उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय (तकनीकी) पूसा, नई दिल्ली में 60,000 (लगभग) अभ्यर्थियों के ब्यौरों को कम्प्यूटर में दर्ज किया गया है तथा पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण के समय कम्प्यूटरीकृत रोजगार पहचान-पत्र X-10 (बी) जारी किया गया।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता

3406. **श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों और मैडिकल कालेजों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों और मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और अब तक कितनी राशि की सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों और मेडिकल कालेजों को सहायता राशि आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के कुछ गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी सहायता कराने से इनकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना के अतंर्गत गैर सरकारी संगठनों तथा मेडिकल कालेजों को केन्द्र से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का आवंटन

3407. **श्री काशी राम राणा :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक व्यक्तियों को उनके जीवन के प्रति खतरे को देखते हुए सरकारी आवास का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) पूर्व में जान जोखिम की धमकी को देखते हुए अलग-अलग मामलों में सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति से अनेक लोगों को सरकारी वास आवंटित किये गये हैं। ऐसे लोगों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) मंत्रिमण्डल आवास समिति (सीसीए) द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों और सम्पदा निदेशालय के दिनांक 10.10.1996 के का॰ज्ञा॰ के अनुसार साधारण पूल वास, जो टाइप-VI से ऊपर का नहीं होता है, सुरक्षा आधार पर जैड + श्रेणी के लोगों को बाजार/विशेष दर पर लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने तथा गृह मंत्रालय की विशेष सिफारिश पर आरम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। तदनुसार वे आवंटी जो पात्र नहीं है उन्हें बेदखली नोटिस दिये जा रहे हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	नाम, पदनाम तथा वास संख्या सर्व/श्री
1.	एच॰के॰एल॰ भगत, पूर्व सांसद, सी-1/26, पंडारा पार्क
2.	के॰पी॰एस॰ गिल, पूर्व महानिदेशक पंजाब पुलिस, 11, तालकटोरा रोड़
3.	एम॰एस॰ बिट्टा, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, 14, तालकटोरा रोड़
4.	श्रीमती अकबर जहां बेगम, पूर्व सांसद, सी1/29, पंडारा पार्क
5.	सुबोध कान्त सहाय, पूर्व मंत्री, सी 1/2, लोदी गार्डन
6.	जी॰सी॰ सक्सेना, पूर्व राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) 68, लोदी स्टेट
7.	श्रीमती गुरचरण कौर, 16, विंडसर प्लेस
8.	भीष्म नारायण सिंह, पूर्व मंत्री, सी 1/1, पंडारा पार्क
9.	के॰के॰ तिवारी, सी 1/24, पंडारा पार्क
10.	जनरल ओ॰पी॰ मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) सी 1/12, लोदी गार्डेन
11.	ओ॰एन॰ श्रीवास्तव, राज्यपाल, (नागालैण्ड), सी 11/19, वापा नगर
12.	महन्त सावन दास सिंह, 21, महादेव रोड़
13.	एस॰एस॰ शर्मा, पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन, 99, काका नगर
14.	प्रो॰ भीम सिंह, अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर पैंथर पार्टी, 4, वी॰पी॰ हाउस
15.	श्रीमती अमरजीत कौर, स्व॰ भाई समिन्दर सिंह की पत्नी, डी-11 (एम॰एस॰) वी॰के॰एस॰ मार्ग
16.	श्री बूटा सिंह, सी 1/6, लोदी गार्डेन
17.	सज्जन कुमार, 15, जी॰आर॰जी॰ रोड़
18.	जगदीश टाइटलर, 10, लोदी एस्टेट
19.	श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा, 35, लोदी एस्टेट

[अनुवाद]

मास्टर प्लान का उल्लंघन

3408. श्री सनत मेहता : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय परिसर दिल्ली मास्टर प्लान के उपनियमों का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय दिल्ली के विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है;

(घ) विश्वविद्यालय परिसर के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली की हरित पट्टी के अंतर्गत आते हैं; और

(ङ) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 100 एकड़।

(घ) और (ङ) इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय परिसर के 100 एकड़ क्षेत्र के लिए भू-उपयोग को कृषि हरित पट्टी से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक (विश्वविद्यालय) में बदलने की अधिसूचना सरकार द्वारा 31.7.89 को जारी की गयी। इस भू-उपयोग परिवर्तन में पेड़ पौधों सहित 60 एकड़ भूमि विद्यमान पेड़-पौधे सहित हरित पट्टी के लिए संरक्षित रखी गयी है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सर्वेक्षण

3409. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन॰ए॰सी॰ओ॰) ने हाई रिस्क बिहेवियर के लिए 65 शहरों में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन से पता चला है कि देश में बेसहारा बच्चे, यौन कार्यकर्ता और जनजातीय लोग एड्स फैलाने के मुख्य कारक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह रिपोर्ट और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रकाशित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पांच लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले 65 शहरों में, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की

राजधानियां भी शामिल हैं; हाई रिस्क बिहेवियर अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी।

लेकिन, अध्ययन 36 शहरों में किए गए हैं। इनमें से 21 शहरों की अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो गई हैं।

(ग) और (घ) यह अध्ययन देह व्यापार करने वाली महिलाओं, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों, पार-यौन सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों, हिजड़ों, सुइयों से नशीली दवा लेने वालों, बार-बार यात्रा करने वाले व्यक्तियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों में हाई रिस्क बिहेवियर के पैटर्न का पता लगाने के लिए किया गया है। कुछ शहरों में आवारा बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन आदिवासियों को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

- देह व्यापार करने वाली महिलाएं कोठों, घरों, गलियों तथा अंशकालिक रूप से कार्य करने वाली पाई गई हैं। इनकी भौतिक स्थितियों, गतिशीलता की स्वतंत्रता, भुगतान की दरों, एच आई वी/एड्स के बारे में जानकारी, सुरक्षित यौन संबंध का पालन करने और जानकारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच में काफी भिन्नता थी।
- ऐसे पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, अदृश्य होते हैं और जानकारी देने के अनिच्छुक होते हैं। तथापि, सभी के कई लोगों के साथ यौन संबंध होते हैं। इनमें अधिकांश विवाहित हैं और वे युवा व्यक्तियों के साथ संबंध रखने को प्राथमिकता देते हैं तथा ऐसे लोग कण्डोम का नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते हैं।
- पार-यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति/हिजड़े/भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन मुख्य धारा से दूर होते हैं। इनके अनेक से यौन संबंध होते हैं तथा ये लोग मान्य स्रोतों से स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने के अनिच्छुक होते हैं। वे अपने को एच आई वी/एड्स का खतरा नहीं समझते हैं।
- ट्रक ड्राइवरों के प्रायः कई लोगों के साथ यौन संबंध होते हैं और उनका विश्वास है कि यौन संबंध से वाहन चलाने के कारण होने वाली गरमी में कमी आती है। एक सकारात्मक निष्कर्ष यह है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और यौन संचारित रोगों का इलाज कराने में संकोच नहीं करते। हाई रिस्क बिहेवियर वाले अन्य सभी से उनकी एड्स/एच॰आई॰वी॰ के बारे में जानकारी अधिक होती है।
- सुइयों के माध्यम से नशीली दवाएं लेने वाले व्यक्तियों का प्रायः पता नहीं चल पाता और उनसे सम्पर्क करना कठिन होता है। फिर भी यह पता लगा है कि यह समस्या बढ़ रही है और समाज के सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों के लोगों में है। गरीबों और कम जानकारी रखने वाले लोगों में सुइयों, सिरिंजों का प्रयोग बार-बार किया जाता है।

(ङ) और (च) इन अध्ययनों की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं हुई हैं। तथापि, इन अध्ययनों के परिणामों का उपयोग नीति निर्माताओं, प्रशासकों और कार्यक्रम कार्यान्वयकों द्वारा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इन अध्ययनों के निष्कर्ष शहर विशेष के लिए परियोजनाएं तैयार करते समय उपयोग में लाए जाएंगे।

गुजरात में रोजगार की योजना

3410. डा॰ ए॰के॰ पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ गुजरात के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) से (ग) भारत सरकार, देश में, गुजरात राज्य सहित रोजगार सृजन हेतु कई स्कीमों, जैसे, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण रोजगार-सृजन स्कीम, नेहरू रोजगार योजना, प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) एवं रोजगार आश्वासन स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, योजना परिव्यय, वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

स्कीम का नाम	1995-96			1996-97		
	परिव्यय (करोड़ रु॰)	निर्धारित वास्तविक लक्ष्य (व्यक्ति)	वास्तविक उपलब्धि	परिव्यय (करोड़ रु॰)	निर्धारित लक्ष्य (व्यक्ति)	वास्तविक उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना	145.00	8500	10190	145.00	8500	5765
2. केवीआईसी द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन स्कीम	130.00	-	-	130.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3. नेहरू रोजगार योजना	131.92	4397	1777	–	–	1512
4. प्रधानमंत्री को एकीकृत शहरी-गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	100.00	–	–	100.00	–	–
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30.59	–	–	30.59	–	47545*
6. जवाहर रोजगार योजना	147.54	–	–	63.76	109.14**	105.20**
7. रोजगार आश्वासन स्कीम	87.12	–	–	73.12	–	122.98**

* = परिवारों की संख्या

** = रोजगार के लाख श्रम-दिवस

एड्स नियंत्रण केन्द्र

3411. श्री केशव महन्त :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु स्थापित की गई बासठ निगरानी केन्द्रों तथा नौ रेफरल केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एच•आई•वी• ग्रसित रोगियों का कतिपय सरकारी अस्पतालों में उपचार नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालों में इन रोगियों की अनदेखी नहीं किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या क़दम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश में स्थापित किए गए 62 निगरानी केन्द्रों और 9 रेफरेंस केन्द्रों के स्थानों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को इस बात के अनुदेश जारी किए थे कि सभी एच•आई•वी• पाजिटिव रोगियों का अवश्य ही भेदभाव किए बिना उपचार किया जाना चाहिए।

विवरण

निगरानी केन्द्रों की सूची

क्र•सं•	राज्य/संघ राज्य का नाम		निगरानी केन्द्र का नाम
1	2		3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, उस्मानिया कालेज, हैदराबाद।
		2.	माइक्रोबायोलॉजी विभाग, आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापट्टनम।
		3.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, एस•वी• मेडिकल कालेज, तिरुपति।
		4.	निगरानी केन्द्र, इन्स्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, हैदराबाद।
		5.	निगरानी केन्द्र, भारतीय नौवहन अस्पताल, कल्याणी, विशाखापट्टनम।
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.	निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, ईटा नगर।
3.	असम	7.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।
4.	बिहार	8.	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना।
5.	गोआ	9.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गोआ मेडिकल कालेज, पणजी।
6.	गुजरात	10.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, बी•जे• मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।
7.	हरियाणा	11.	माइक्रोबायोलाजी, विभाग, मेडिकल कालेज, रोहतक।
8.	हिमाचल प्रदेश	12.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला।

1	2	3	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	13.	इम्यूनोपैथोलाजी विभाग, शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर।
		14.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गवर्नमैंट मेडिकल कालेज, जम्मू।
10.	कर्नाटक	15.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, बैंगलूर मेडिकल कालेज, बैंगलूर।
		16.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल।
		17.	निगरानी केन्द्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल एण्ड न्यूरोसर्जरी, बैंगलूर।
11.	केरल	18.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम।
		19.	निगरानी केन्द्र, भारतीय नौवहन अस्पताल, कोच्चि।
12.	मध्य प्रदेश	20.	पैथोलाजी विभाग, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल।
		21.	जनजातिय स्वास्थ्य का क्षेत्रिय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।
		22.	चोइतराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर।
13.	महाराष्ट्र	23.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, सेठ जी॰एस॰ मेडिकल कालेज, मुम्बई।
		24.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, जे॰जे॰ अस्पताल, मुम्बई।
		25.	सायन अस्पताल, मुम्बई।
		26.	बी॰वाई॰एन॰ नायर अस्पताल, मुम्बई।
		27.	राजाबाड़ी अस्पताल, घाटकोपर, मुम्बई।
		28.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, बी॰जे॰ मेडिकल कालेज, पुणे।
		29.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर।
		30.	निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, कोल्हापुर।
		31.	निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, चन्द्रपुर।
		32.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, मिराज।
		33.	निगरानी केन्द्र, भारतीय नौवहन अस्पताल, अश्वीनी, मुम्बई।
		34.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, सेना मेडिकल कालेज, पुणे।
14.	मणिपुर	35.	निगरानी केन्द्र, जे॰एन॰ अस्पताल, इम्फाल।
15.	मेघालय	36.	निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, शिलांग।
16.	मिजोरम	37.	निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, ऐजोल।
17.	नागालैण्ड	38.	निगरानी केन्द्र, नागा अस्पताल, कोहिमा।
		39.	निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, दीमापुर।
18.	उड़ीसा	40.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, एस॰सी॰बी॰ मेडिकल कालेज, कटक।
		41.	निगरानी केन्द्र, क्षेत्रीय चिकित्सा-अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर।
19.	पंजाब	42.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर।
20.	राजस्थान	43.	माइक्रोबायोलाजी, विभाग, सवाई माधो सिंह अस्पताल, जयपुर।
21.	सिक्किम	44.	निगरानी केन्द्र, एस॰टी॰एन॰एम॰ अस्पताल, गंगतोक।
22.	तमिलनाडु	45.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ एण्ड हास्पिटल फार चिल्ड्रेन, मद्रास।
		46.	माइक्रोबायोलाजी विभाग, मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई।
		47.	निगरानी केन्द्र, मेडिकल कालेज, चेन्नै।

1	2	3
23.	त्रिपुरा	48. निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, अगरतला।
24.	उत्तर प्रदेश	49. माइक्रोबायोलाजी विभाग, के॰जी॰ मेडिकल कालेज, लखनऊ।
		50. निगरानी केन्द्र, केन्द्रीय जालमा कुष्ठरोग संस्थान, आगरा।
		51. माइक्रोबायोलाजी विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी।
		52. माइक्रोबायोलाजी विभाग, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़।
		53. निगरानी केन्द्र, कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद।
25.	पश्चिम बंगाल	54. निगरानी केन्द्र, राष्ट्रीय स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, कलकत्ता।
26.	दिल्ली	55. माइक्रोबायोलाजी विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज, शाहदरा, दिल्ली।
		56. माइक्रोबायोलाजी विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली।
		57. माइक्रोबायोलाजी विभाग, सेना कमाण्ड अस्पताल, दिल्ली छावनी।
27.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	58. निगरानी केन्द्र, जी॰बी॰ अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर।
28.	चण्डीगढ़	59. इम्यूनोपैथी विभाग, पी॰जी॰आई॰, चण्डीगढ़।
29.	दादरा और नगर हवेली	
30.	दमण और दीव	
31.	लक्षद्वीप	60. निगरानी केन्द्र, गवर्नमेंट अस्पताल, कवारत्ती।
32.	पाण्डिचेरी	61. निगरानी केन्द्र, गवर्नमैंट जनरल अस्पताल, पाण्डिचेरी।
		62. माइक्रोबायोलाजी विभाग, जिपमेर, पाण्डिचेरी।

एच॰आई॰वी॰ रेफरल केन्द्रों की सूची

1. दिल्ली संचारी रोग संस्थान, दिल्ली।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
3. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोहेमाटोलाजी, मुम्बई।
4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कोलेरा एण्ड एन्टेरिक डिसीज, कलकत्ता।
5. स्कूल आफ ट्रोपिकल मेडिसिन्स, कलकत्ता।
6. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।
7. नेशनल एडस रिसर्च इंस्टीट्यूट (नारी) पुणे।
8. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल।
9. क्रिस्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर।

रोगियों को भेजे जाने वाले केन्द्रों को रोग-पुष्टि संबंधी परीक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। उन्हें निदान, एच॰आई॰वी॰ किटों की गुणवत्ता नियंत्रण, एच॰आई॰वी॰ परीक्षण के लिए दिशानिर्देश एच॰आई॰वी॰ परीक्षण में प्रशिक्षण और कोई अन्य कार्यकलाप, जो एच॰आई॰वी॰ परीक्षण के मानकीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है, के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

3412. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन पदों पर अन्य जातियों के लोग कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बकाया रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद घोटाला

3413. श्री अमरपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कई करोड़ रुपए के आयुर्वेद घोटाले में संलिप्त कुछ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मोतियाबिंद

3414. श्री छीतुभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टांके लगाए मोतियाबिंद के आपरेशन की "अद्यतन फोटो एमल्सिफिकेशन" तकनीक आरम्भ किए जाने से लोगों को अंधा होने से बचाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तकनीक को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा करने के लिए फाको एमल्सिफिकेशन परम्परागत तकनीक के मुकाबले अधिक परिष्कृत तकनीक है। उपकरण के रख-रखाव के लिए आवर्ती लागतें ऊंची हैं और सीमित संख्या में ही शल्य चिकित्सक इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें सापेक्षतया अधिक लम्बे समय तक सीखने की आवश्यकता होती है। इस तकनीक का उपयोग इस समय बहुत सारी शल्यचिकित्साओं में नहीं किया जाता है और इसका उपयोग उन तक सीमित होना चाहिए जो दृष्टि को शीघ्र बहाल करने की मांग करते हैं और खर्च को वहन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

औषधीय गुणों वाले पादपों की मांग

3415. श्री सिद्दया कोटा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से औषधी गुणों वाले पादपों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग अत्यधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) महानिदेशक वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी, कलकत्ता के प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त फार्मेसी में उपयोग किए गए पादपों तथा पादपों के भागों के निर्यात आंकडे भारत के चिकित्सीय पादपों की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।

वर्ष	निर्यात की कीमत (करोड़ रुपये में)
1992-93	रु॰ 109,51
1993-94	रु॰ 101,67
1994-95	रु॰ 146,87
1995-96	रु॰ 206,88

[हिन्दी]

कम लागत वाले सफाई कार्यक्रम

3416. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के पुनर्वास के लिए स्वीकृति धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशि के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) कम लागत सफाई कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत धन के दुरूपयोग के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है।

(ग) मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई योजना के दिशा निर्देशों में कार्यक्रम के तहत जारी राशि के अन्य प्रयोजन में अन्तरण/दुरूपयोग पर अन्तर है, धनराशि केन्द्र सरकार की ओर से स्कीम की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को ध्यान

में रखकर हुडको द्वारा जारी की जाती है जो नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के तहत जारी धन का अन्य प्रयोजनार्थ अन्तरण/दुरूपयोग न होने पाए। राज्य सरकारों को कार्यक्रम के तहत जारी धन की लगातार मोनिटरिंग और समुचित उपयोग सुनिश्चित करना होता है।

मंत्रालय भी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के लिए जारी धन का उपयोग नियत उद्देश्य के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

पारंपरिक चिकित्सा पद्धति

3417. श्री एन॰ डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वास्थ्य रक्षक औषधियों संबंधी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेष किस्म की जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास/पुनरोद्धार के लिए कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) इन पद्धतियों के व्यवस्थित विकास के लिए भा॰चि॰प॰ एवं होम्योपैथी के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई है;

(2) भा॰चि॰प॰ के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध और यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषदें स्थापित की गई हैं;

(3) भा॰चि॰प॰ शिक्षा एवं भा॰चि॰प॰ की प्रेक्टिस को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय भारतीय परिषद स्थापित किया गया है।

(4) भा॰चि॰प॰ के मौजूदा कालेजों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

(5) भा॰चि॰प॰ की औषधों के मानक निर्धारण के लिए इन पद्धतियों में पृथक भेषज-संहिता समितियां बनाई गई हैं। भारतीय चिकित्सा भेषज-संहिता प्रयोगशाला के नाम से गाजियाबाद में एक भेषज-संहिता प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

(6) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधों में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने औषधीय पादपों के विकास और खेती-बाड़ी की एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(7) जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। इसी प्रकार इस चिकित्सा पद्धति में उन्नत शिक्षण के लिए बैंगलूर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान शुरू किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संगठनों द्वारा अतिविशा, बिल्वा, सतावरी, गुग्गुलु, यस्तीमधु इत्यादि जैसी औषधीय मूल्य की जड़ी-बूटियां उगाई जा रही है।

परमाणु विद्युत केन्द्र

3418. श्री के॰एस॰ रायुडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर में प्रति केंद्र 500 मेगावाट क्षमता वाले दो परमाणु विद्युत रिएक्टर की स्थापना में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके निर्माण की समयावधि क्या तय की गई है और इसमें विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में तारापुर में 2×500 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य संयंत्र का निर्माण कार्य वित्तीय कठिनाईयों की वजह से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, हालांकि इस परियोजना हेतु प्रशासिनक मंजूरी जनवरी, 1991 में दे दी गई थी। परियोजना का काम शुरू किए जाने तक, पर्यावरण और अन्य कार्यों संबंधी अनुमति ले ली गई हैं, स्थल संबंधी अवसंरचनात्मक विकास-कार्य पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना के मुख्य उपस्कर प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ग) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 का स्थल संबंधी खुदाई कार्य 1997-98 की अंतिम तिमाही में शुरू हो जाने की आशा है।

(घ) मूल कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परियोजना का निर्माण-कार्य परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति मिल जाने की तारीख से 105 माह के भीतर पूरा हो जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना की आधार लागत में निर्धारित से अधिक आई लागत 2413.5 करोड़ रुपए है, जोकि मुख्यतः मुद्रास्फीति की वजह से है।

[हिन्दी]

संक्रामक रोग

3419. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संक्रामक रोग फैलने की रिपोर्टें किन-किन राज्यों से प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन बीमारियों के शिकार हुए व्यक्तियों को सहायता देने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रावधान के अंतर्गत बीमारियों के शिकार व्यक्तियों तथा इससे प्रभावित राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप राज्यों में 1997 (जुलाई तक) के दौरान रोगों के प्रकोपों की जांच की है।

(ख) मलेरिया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठ आदि से संबंधित राष्ट्रीय रोग कार्यक्रम संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए चल रहे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :—

(1) डेंगू ज्वर और हैजा जैसे प्रकोप प्रवण रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करके वितरित किए गए हैं।

(2) अनुरोध करते ही प्रकोपों की जांच करने के रूप में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(3) राज्य/जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार समिति राष्ट्रव्यापी रोग निगरानी तंत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। रोग निगरानी स्कीम में उल्लिखित कार्यवाई के बिन्दु हैं—सूचना को एकत्र करके इसका आदान-प्रदान करना, प्रयोगशाला की नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करना, केन्द्र की नेटवर्किंग और रोग की व्याप्तता का निरंतर अनुवीक्षण करना।

(ग) और (घ) ऐसे रोगों के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

3420. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास तथा शान्तिपूर्ण उपयोग करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस समय ऐसा करार किन-किन देशों के साथ किया जा चुका है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जी, हां। बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अन्य अन्तरिक्ष एजेंसियों के साथ भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की सहयोग की नीति है। जब कभी भी पारस्परिक हित की बात होती है, विशिष्ट देशों के साथ सहयोग के लिए करार करने पर विचार किया जाता है।

(ग) आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, नार्वे, रूस, स्वीडन, सीरिया, युनाइटेड किंगडम तथा उक्रेन के साथ करार अथवा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण

3421. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न धार्मिक, स्थलों के नजदीक दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण होने का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अतिक्रमणों के कारण आम रास्तों पर रूकावट आई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस संदर्भ में ऐसा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, डी॰डी॰ए॰ की भूमि पर विभिन्न धार्मिक स्थानों से जुड़े तथा विभिन्न प्रकार के अतिक्रमणों का पता लगाना और हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी भी ऐसे अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, आम रास्ते की रूकावट साफ करने बावत हटा दिये जाते हैं।

एड्स नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से ऋण

3422. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व बैंक से कुछ ऋण लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण में से उस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी राशि खर्च की गई है जिसके लिए वह प्राप्त किया गया था और एड्स पर नियंत्रण पाने में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखने के लिए विश्व बैंक से नए ऋण की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत में एड्स का नियंत्रण और रोकथाम की एक योजना सितम्बर, 1992 में 84 मिलियन यू॰एस॰ डालर के विश्व बैंक ऋण के साथ शुरू की गई थी। कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं :—

(क) एच॰आई॰वी॰ नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता का सुदृढ़ीकरण;

(ख) जागरूकता और समुदाय सहयोग को बढ़ावा देना;

(ग) रक्त निरापदता और इसके विवेकपूर्ण प्रयोग को सुधारना;

(घ) निगरानी और क्लीनिकल प्रबंधन क्षमता को बनाना; और

(ङ) यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना।

ऋण की अदायगी एड् एकाउंट एंड आडिट के नियंत्रक के माध्यम से विश्व बैंक को प्रतिपूर्ति के दावें प्रस्तुत करके की जाती है और 31 मार्च, 1997 तक भारत सरकार को 52.59 मिलियन यू॰एस॰ डालर की राशि प्राप्त हुई।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने देश में काफी प्रगति की है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एड्स कक्ष स्थापित किए गए हैं; 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है; 504 एस॰टी॰डी॰ क्लीनिकों को सुदृढ़ीकरण किया गया है; 62 निगरानी केन्द्रों और 55 प्रहरी स्थलों की सहायता से निगरानी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है। राष्ट्रीय और राज्य रक्ताधान परिषदों की स्थापना की गई है; दूरदर्शन, रेडियो और जन अभियानों की सहायता से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। 9वीं योजनावधि के लिए द्वितीय एच॰आई॰वी॰/एड्स नियंत्रण परियोजना तैयार की जा रही है और इसे जल्दी ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

केन्द्रीय होमियोपैथिक अनुसंधान केन्द्र का विस्तार

3423. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सचिवोतपुरम, कुरूथि कोटयम केन्द्रीय होमियोपैथिक अनुसंधान केन्द्र का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद जो सोसायटीज पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, का 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केरल सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि पर कोट्टायम में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) के लिए एक नए भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन पर्याप्त निधियों की उपलब्धता और अन्य स्वीकृतियों के अध्यधीन है।

पाकिस्तान को यूक्रेन से टैंकों की आपूर्ति

3424. **श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूक्रेन सरकार ने पाकिस्तान को 320 और टी 80 मुख्य टैंक देने के आदेश की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है;

(ख) क्या रूसी सरकार ने यूक्रेन का टैंकों के कल पुर्जे भेजने संबंधी निर्यात परमिट रदद कर दिया है ताकि पाकिस्तान को पूरी आपूर्ति न हो सके;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मामले को रूसी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमलेश सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा स्थापित सम्पर्कों के प्रत्युत्तर में और उनकी अपनी पहल पर रूसी प्राधिकारियों ने उक्रेन-पाकिस्तान टी-80 टैंक की खरीद को पूरा करने के संबंध में उक्रेन के साथ रूसी असहयोग को उच्च स्तरीय आश्वासन दिए हैं। रूस की ओर से इस प्रतिबद्धता का अनुपालन किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को लाभ

3425. **श्री रामशकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा को नौकरी दी जाती है परन्तु उसकी जमा धनराशि जैसे भविष्य निधि, बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी, चाहे उसे रोजगार दिया जाए या नहीं, दिवंगत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन के अनुसार, भविष्य-निधि, बीमा (केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना) इत्यादि से संबंधित धनराशि प्राप्त करने की हकदार होती है। यदि कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो उपर्युक्त धनराशि उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर देय होती है। विभागाध्यक्षों आदि को समय-समय पर दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार सहित, कर्मचारी को देय राशि के भुगतान में देर नहीं होने देना सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए जाते रहे हैं।

[अनुवाद]

जालन्धर में मेडिकल कालेज

3426. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब में जालन्धर में मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना को आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए वित्तीय आवंटन कार्यान्वयन हेतु धन के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यह कालेज कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पंजाब आयुर्विज्ञान संस्थान से जालन्धर में एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन एवं सिफारिशों के लिए प्रस्ताव को भारतीय चिकित्सा परिषद भेजा गया है।

(ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण पंजाब सरकार को प्राथमिकता के अनुसार अपने आवंटन की योजना बनानी होती है। तथापि, पंजाब सरकार से उपर्युक्त कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 25.00 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। चूंकि इस मंत्रालय की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें सज्यों द्वारा चलाये जाने वाले मेडिकल कालेजों को सहायता प्रदान की जाए, राज्य सरकार का अनुरोध योजना आयोग को भेज दिया गया है।

(घ) कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती, यह भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार आधारभूत ढांचे की उपलब्धता पर आधारित है।

चिकित्सा शिक्षा

3427. **श्री गोरधनभाई जावीया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निरन्तर चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1996-97 के दौरान ऐसे कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 34 सी॰एम॰ई॰ कार्यक्रम आयोजित किए गये।

(ग) अब तक आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रम ज्ञान प्रद, उपयोगी और चिकित्सा कार्मिकों के ज्ञान को अद्यतन बनाने में सहायक रहे हैं।

उड़ीसा में मलिन बस्तियों का विकास

3428. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को मलिन बस्तियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, राज्यों/संघ प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के मुद्दे

को लेकर अगस्त, 1996 में शुरू किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान स्लम विकास के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों को 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। चालू वर्ष अर्थात 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 330 करोड़ रु॰ की राशि रखी गयी है। उड़ीसा राज्य को इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए क्रमशः 4.50 करोड़ रु॰ तथा 5.77 करोड़ रु॰ की राशि दी गयी है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्लम विकास कार्यक्रम

दिशा-निर्देश

राज्यों/संघ राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के बजट में राज्यों में स्लम विकास कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना आयोग ने वर्ष 1991 अनुमानित स्लम आबादी के आधार पर 250 करोड़ रुपये के राज्यवार नियतन की गणना की है। इस धन-राशि के उपयोग वावत निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सुझाव दिया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य और घटक

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में पर्याप्त और संतोषजनक जल-आपूर्ति स्वच्छता बुनियादी (बेसिक) शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल पूर्व और प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा सुविधाओं आदि का प्रावधान होगा। स्कीम का एक उद्देश्य आवास का प्रावधान, सामुदायिक अधिकार, कूड़े व ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा प्रर्यावणीय सुधार और आत्म निर्भरता की पद्धति का सृजन करते हुए विभिन्न समाज क्षेत्रीय कार्यक्रमों की सापेक्षता भी है। मुख्य ध्यान सामुदायिक आधारभूत ढ़ाचे, आश्रय को प्रावधान शहरी गरीब महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना, प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और सहायता तथा गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, निजी संस्थानों और अन्य निकयों की भागीदारी पर दिया जाये।

शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

74वें संशोधन की मूल भावना के आधार पर नये शहरी क्षेत्र के लिए निधियां जारी करने से पूर्व चुने गये शहरी स्थानीय निकायों की विद्यमानता आवश्यक होगी। इस कार्यक्रम के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को नोडल एजेंसी के रूप में होने पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्य के लिए प्रस्ताव सामुदायिक योजना के रूप में समुदाय आधारित संगठनों से ही आने चाहिए जिसे स्वीकृति हेतु जिला शहरी विकास अधिकरण के लिए समुचित टिप्पणियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अग्रेषित किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन जहां तक संभव हो, शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाये। शहरी स्थानीय निकाय को निष्पादन में यथा संभव समुदाय आधारित संगठनों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक इस कार्यक्रम के तहत अनुरक्षण और मरम्मत के कार्यों को निष्पादित कराने का संबंध है, वास्तविक दायित्व संबंधित समुदाय आधारित संगठनों का होना चाहिए।

सापेक्षता

इस कार्यक्रम में प्रत्येक स्लम के भीतर कुछ चुनिंदा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने पर विचार किया गया है। कार्यक्रम में इन सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए जो अन्यत्र मुहैया नहीं करायी गई हैं जिनके अभाव में समाजिक क्षेत्र की स्कीमों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में, इस कार्यक्रम के तहत मुहैया न करायी जा सकी सुविधाओं की व्यवस्था करायी जायेगी। तथापि, इस प्रावधान की स्पष्ट शर्त है कि सापेक्षता के तहत निधियों उन सुविधाओं के अनुपूरण के लिए स्रोत्र होगी जिससे समाजिक क्षेत्र की स्कीमों की बेहतर सुपुर्दगी प्राप्त की जा सकेगी और किसी भी हालत में ये निधियां वैकल्पिक सुविधाओं अथवा उनके किसी भाग के उपयोग में नहीं लायी गयी है।

राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी गई निधियों के लिए कुछ अनुमीत में अपनी निधि का वहन करना होगा।

मानीटरिंग

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूड) द्वारा नियमित आधार पर की जायेगी जो जिला शहरी विकास प्राधिकरणों (डुडाज) और शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक जानकारी तथा निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का प्रबोधन शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग करेगा।

उग्रवाद का गुणगान

3429. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या प्रधान मंत्री उग्रवाद के गुणगान के बारे में 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6236 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जमायते इस्लामी के उन 1103 कट्टर कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है जिन्हें राज्य में उग्रवाद के सात वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अध्यापक नियुक्त किया गया है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार की नौकरियों में ऐसे तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा उठाये गये उपचारात्मक कदम क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी नागरिक

3430. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान अपेक्षित पासपोर्ट वीसा वाले कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत आये हैं तथा कितने भारतीय पाकिस्तान गये हैं;

(ख) निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कितने पाकिस्तानी नागरिक लौट गये हैं तथा कितने नागरिक यह अवधि बढ़वाते जा रहे हैं; और

(ग) पासपोर्ट/वीसा की अवधि बढ़वाये बिना ही कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय से रह रहे हैं और कितने गुमशुदा बताये जाते हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) वर्ष 1996 और 1997 (जून तक) के दौरान भारत की यात्रा पर आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या इस प्रकार है :—

1996	57,921
1997 (जून तक)	45,390

पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों की संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान करने के संबंध में पाकिस्तान हमें सूचना नहीं देता है।

(ख) और (ग) 1996 और 1997 (जून तक) में क्रमशः 53, 144 तथा 38, 699 पाकिस्तानी राष्ट्रिक निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लौट गए। 30.4.1997 की स्थिति के अनुसार, 2903 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लापता होने की खबर है।

[अनुवाद]

श्रमिक विद्यालय

3431. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने श्रमिक विद्यालय चल रहे हैं और वे कहां-कहां चल रहे हैं;

(ख) इनके क्या उद्देश्य हैं और इन विद्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या इन संस्थानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) श्रमिक शिक्षा से संबंधित योजना को भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय अर्थात् केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बोर्ड का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कामकाजी वर्ग की प्रभावी प्रतियभागिता को बढ़ावा देना और कामकाजी वर्ग के बीच जागरूकता लाना है। आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्नम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा आयोजित किए गए शिविरों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :—

केन्द्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान ग्रामीण असंगठित कमजोर वर्ग और छोटे उद्योगों से संबंधित कर्मकारों के लिए आयोजित किए गए शिविरों तथा विशेष सेमिनारों की संख्या।		
	1994-95	1995-96	1996-97
हैदराबाद	95	77	60
विजयवाड़ा	73	71	45
विशाखापट्नम	93	96	59

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कोई नया केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

3432. श्री पी॰ कोदंडा रमैय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की पावती पंद्रह दिनों के अंदर भेजने तथा इसका उत्तर दो महीने के अंदर दिए जाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कोई नियंत्रण लगाया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जी, हां। संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धांत केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 57, 60 और 122 के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिए गये हैं।

इन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और 15 दिनों के भीतर उनका उत्तर भेजा जाएगा। परन्तु जहां अंतिम उत्तर भेजने में विलंब

होने की संभावना हो अथवा किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी हो तो अंतिम उत्तर भेजे जाने की संभावित तिथि का उल्लेख करते हुए, एक पखवाड़े के भीतर अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा। नियम-पुस्तिका में, अंतिम उत्तर दो माह के भीतर भेजने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 57 और 60 में निर्दिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें। उनसे यह आग्रह भी किया गया है कि वे कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 122 में की गई व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर शीघ्र भेजे जाएं, एक मानीटरिंग प्रणाली तैयार करें। राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा मंत्रियों/राज्य मंत्रियों को पत्र भी लिखे गए हैं।

विश्व बैंक सहायता

3433. डा॰ अमृत लाल भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी सहायता मांगी गई हैं और इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लम्बित मामले

3434. श्री थामस हंसदा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी व्यक्ति की नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए योग्यता के बारे में सलाह देने में सक्षम है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कितने मामलों में सलाह दी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जुलाई 31, 1997 तक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास, उसके द्वारा सलाह दिए जाने के 1522 मामले लंबित थे। इनमें से 385 मामलों में, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने प्रशासनिक मंत्रालयों से स्पष्टीकरण इत्यादि मांगा है।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को अपने कार्य-निष्पादन में स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए ऐसे मामलों का शीघ्र निपटाया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा, कोई भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।

(ग) नीति के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित मामलों में सतर्कता की दृष्टि से केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह ली जाए। अतः इस बारे में, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, आगे समुचित निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही लिया जाना अपेक्षित है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने नियुक्तियों, प्रोन्नतियों इत्यादि से संबंधित सतर्कता-निकासी के 412 मामले (1994 में 101 मामले, 1995 में 201 मामले तथा 1996 में 110 मामले) प्राप्त हुए तथा इन पर कार्रवाई की गई।

संवर्ग समीक्षा

3455. श्रीमती शीला गौतम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपकीय कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के समूह "ग" के मंत्रालयी कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो समूह "ग" के आशुलिपिकों के संवर्ग पर समूह "ग" के मंत्रालयी कर्मचारियों के संवर्ग के साथ विचार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ग-एक अभियांत्रिकी सेवाओं की संवर्ग समीक्षा को भी स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों की संवर्ग समीक्षा पर साथ-साथ विचार नहीं करने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) जब सरकार ग्रुप "सी" लिपिकीय स्टाफ बावत काडर समीक्षा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था उस समय सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ के इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप "ए" के लिए काडर समीक्षा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था। चूंकि विभिन्न वर्गों में आशुलिपिक पदों की

आवश्यकता ग्रुप "ए" अधिकारियों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आशुलिपिकों के काडर समीक्षा प्रस्तावों पर विचार ग्रुप "ए" अधिकारियों के काडर समीक्षा प्रस्तावों को तैयार किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ के ग्रुप "ए" अधिकारियों की काडर समीक्षा के कार्यान्वयन के बाद सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ के सबोर्डिनेट काडर के आशुलिपिकों की काडर समीक्षा संबंधी प्रस्ताव हाथ में लिया गया है।

लॉनों का रख-रखाव

3436. **डा॰ बलिराम :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय बागबानी विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं केवल विभाग के अति-विशिष्ट व्यक्तियों और अधिकारियों के लॉनों तथा आवास के रख-रखाव तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार की अन्य कालोनियों में लॉनों और पार्कों का रख-रखाव न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन लक्ष्मीबाई नगर तथा सरोजनी नगर सहित नई दिल्ली में केन्द्र सरकार की कालोनियों में स्थित सभी पार्कों लॉन/पार्कों का रखरखाव सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मेला

3437. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मेले का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो चीन का दौरा करने वाले उद्योगपतियों सहित भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) उक्त मेले में कुल कितनी राशि की संविदाएं प्राप्त की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) विजिटेक्स फाउण्डेशन (इण्डिया) द्वारा 7-11 जुलाई, 1997 को बीजिंग, चीन में "भारतीय औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी" का आयोजन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया गया था और इसे चीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विनिमय केन्द्र, बीजिंग द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। अन्य संगठनों के साथ-साथ सीएमसी लिमिटेड नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय सॉफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र, (सीडैक) तथा प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर) नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्वायत्त संस्थाओं ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी के साथ-साथ, 11 जुलाई, 1997 को "सूचना प्रौद्योगिकी-भारत की क्षमताएं" पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया था। भारत की ओर से सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और चीन की ओर से चीन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अध्यक्ष इसके मुख्य वक्ता थे।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत प्रतिभागी संगठनों को अनेक पूछताछ प्राप्त हुई हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। किन्तु, किसी विशिष्ट संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

परिवार कल्याण विभाग में खामियां

3438. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 1995-96 के दौरान गंभीर खामियां पायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट (1997 की संख्या 2) में 1995-96 के दौरान परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ग) और (घ) टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के नोट नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को एशियाई विकास बैंक सहायता

3439. श्री सुशील चन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को एशियाई विकास बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में शहरी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) परियोजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले शहरों/कस्बों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। चूंकि वर्ष 1998-2000 के लिए एशियाई विकास बैंक के विचाराधीन परियोजनाओं की सिद्धांततः मंजूरी दी जा चुकी है, और महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए यह परियोजना एशियाई विकास बैंक को नहीं भेजी गई।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शहरी जल आपूर्ति परियोजनाएं

क्र॰सं॰	परियोजना	लागत (करोड़ रु॰)
1.	नासिक, पुणे क्षेत्र अहमद नगर, जलगांव, पुणे, शोलापुर, सांगली, सतारा जिला 24 शहर	905.85
2.	कोंकण क्षेत्र, 3 जिला थाने, सिन्धुदुर्ग, रायगढ़, 8 कस्बे	144.57
3.	औरंगाबाद, क्षेत्र जालना, औरगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, नान्देड़, परभानी 18 कस्बे	1529.94

[अनुवाद]

अंधता नियंत्रण कार्यक्रम

3440. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक प्रायोजित अंधता निवारण योजना को कर्मचारियों के उपेक्षा के कारण बन्द करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत लगभग 18, 185 दृष्टिहीनों का मोतियाबिन्द ऑपरेशन किया जाना था लेकिन अभी तक केवल 4, 413 लोगों का ऑपरेशन किया गया है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य का केवल 25 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सकता है और क्या इस बात की आशंका है कि शेष निधि व्यगत हो जाएगी;

(घ) क्या विश्व बैंक ने इस योजना के अन्तर्गत इस योजना कार्यान्वयन के बाद से इस प्रयोजन हेतु अब तक 9 लाख रुपये जारी किए हैं तथा इस वर्ष के लिए 3 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) परियोजना के प्रथम तीन वर्षों (1994-97) के दौरान मोतियाबिन्द ऑपरेशन के 6,50,000 ऑपरेशन के लक्ष्यों के मुकाबले मोतियाबिन्द के 7,02,523 ऑपरेशन किए गए। यह उपलब्धि उक्त लक्ष्य का 108.08 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना के तहत विभिन्न घटकों के लिए नगद अनुदान के रूप में परियोजना के प्रथम तीन वर्षों (1994-97) में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अब तक 363 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए नगद अनुदान के रूप में 151.25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 372 लाख रुपये नियुक्त किए गए हैं। सिविल कार्य जिसके प्रारंभिक चरणों में कुछ विलम्ब हुआ था, को छोड़कर परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्यकलाप यथानियत समयसीमा में शुरू किये जा रहे हैं। फिर भी कार्य में अब गति आ गई है और उसमें संतोषप्रद रूप से प्रगति हो रही है।

जम्मू कश्मीर में योजना

3441. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र में चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं क्या हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया कुल आबंटन कितना है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित आबंटन क्या है;

(ग) क्या सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना के लिये निमित्त धन का उपयोग गैर-योजना परियोजनाओं में किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) 8वीं योजना के दौरान मद-वार आबंटन इस प्रकार है :—

क्र॰सं॰	मद	अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि एवं समवर्गी सेवा	429.30
2.	ग्रामीण विकास	99.60
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	216.50
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	205.52
5.	ऊर्जा	1177.48
6.	उद्योग एवं खनिज पदार्थ	194.00
7.	परिवहन एवं संचार	280.60
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	10.70
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	120.90
10.	सामाजिक सेवाएं	1226.00
11.	सामान्य सेवाएं	39.40
	कुल	4000.00

जम्मू और कश्मीर के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 19.6.97 को विचार-विमर्श किया गया। उपरोक्त योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथापि, उस राज्य के लिए 9000-10,000 करोड़ रुपये की योजना निर्दिष्ट की गई है।

(ग) और (घ) कम राजस्व की प्राप्ति, सुरक्षा खर्च में वृद्धि व इस राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण विकास कार्यों पर कम खर्च के कारण उत्पन्न गैर योजना घाटे को पूरा करने के लिए योजना निधियों का अपवर्तन किया गया है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1992-93	200.00 करोड़ रुपये
1993-94	200.00 करोड़ रुपये
1994-95	86.66 करोड़ रुपये

डी॰डी॰ए॰ फ्लैटों का आवंटन

3442. श्री अमर रायप्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 तथा 1981 के दौरान क्रमशः रिहायशी रोहिणी योजना के अंतर्गत एम॰आई॰जी॰ तथा एल॰आई॰जी॰ श्रेणी के प्लाटों के आवंटन हेतु डी॰डी॰ए॰ में कुल कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये थे;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को आज तक प्लाट प्राप्त नहीं हुए है; और

(ग) इन व्यक्तियों को प्लाट कब तक आवंटित कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) डीडीए ने बताया है कि 1981 के दौरान रोहिणी रिहायशी योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत प्लाटों के आंवटन के लिए डीडीए में क्रमशः 25,889 तथा 38,105 व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 1979 में ऐसी कोई योजना आरंभ नहीं की गई थी।

(ख) उपर्युक्त में से जिन व्यक्तियों को उक्त योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के प्लाट आज तक आवंटित नहीं किए गए हैं, उनकी संख्या क्रमशः 13835 तथा 20013 है।

(ग) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह कार्य विभिन्न कारणों पर निर्भर है जैसे दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण, दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस भूमि का अंतरण करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, डी॰डी॰ए॰ के पास धनराशि उपलब्ध होना, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत बोर्ड (डेसू) इत्यादि जैसे संबंध अभिकरणों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराना आदि।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय में अनियमितताएं

3443. श्री एस॰ अजय कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान 5 फरवरी, 1997 को काला बाड़ी मार्ग स्थित केन्द्र सरकार सेवा योजना एलौपैथी औषधालय संख्या 76 में स्थानीय दवाइयों की खरीद करने के मामले में कुछ गंभीर अनियमिताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) अक्तूबर-दिसम्बर, 1996 में किसी लाभार्थी के लिए इंडेंट किए गए कुछ इंजेक्शन एक पहचान न किए गए व्यक्ति द्वारा ले लिए गए थे। इस मामले में जांच-पड़ताल की गई और इन परिस्थितियों में अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

लाइट रेल ट्रांसमिशन परियोजना

3444. श्री धर्मभिक्षम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद लाइट रेल ट्रांसमिशन परियोजना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोई राशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार भी इस परियोजना में हिस्सा ले रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलकर हैदराबाद की हल्की रेल परिवहन परियोजना (एल॰आर॰टी॰एस॰) परियोजना चलाने के लिए गठित शहरी जन परिवहन कम्पनी (यू॰एम॰टी॰सी॰) की कुल साम्य पूंजी में 15 प्रतिशत अंशदान की सहमति दी थी। भारत सरकार ने उस कम्पनी की साम्य पूंजी में इतनी ही धनराशि देने की सहमति दी थी। किन्तु, राज्य सरकार ने यू॰एम॰टी॰सी॰ की साम्य पूंजी में भारत सरकार के 7.15 करोड़ रु॰ के अंशदान की तुलना में अब तक केवल 15 लाख रु॰ ही दिये हैं।

(ङ) परियोजना पूरी होने की संभावित तारीख के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3445. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपऐ की राशि जारी न कराने के बारे में केन्द्र सरकार से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1996 से किन सदस्यों ने शिकायतें की हैं और शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) विकास संबंधी योजनाओं के लिए समय पर धनराशि जारी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) इस योजना के प्रारम्भ से गुजरात में प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) और (ख) कुछ संसद सदस्यों ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक करोड़ रु॰ की राशि जारी नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत की है। जनवरी 1, 1996 से आज तक जिन सदस्यों ने शिकायतें की हैं उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के लिए सभी सांसदों के संबंध में निधियों का निर्मोचन किया जा चुका है। यह देखते हुए कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार निधियों का निर्मोचन निर्माण कार्यों के वास्तविक और वित्तीय प्रगति को देखकर किया जाता है, सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्ष 1997-98 के लिए 50 लाख रु॰ की पहली किश्त उन सांसदों को जारी की जाएगी जिनकी अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रुपये से कम है। तदनुसार सभी जिलाधिकारियों को व्यय का विवरण भेजने का अनुरोध किया गया है जिससे कि सरकार पहली किश्त जारी कर सके। निधियों के जारी नहीं करने के बारे में प्राप्त 22 शिकायतों में से 11 सांसदों को पहली किश्त जारी की जा चुकी है एवं बाकी के सांसदों के लिए संबंधित जिलाधिकारियों से सूचना मंगाई जा रही है।

(ङ) इस योजना के प्रारंभ से गुजरात के प्रत्येक सांसद को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

उन सांसदों के नामों की सूची जिनसे कि जनवरी, 1996 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के लिये प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

I. 1996 में की गई शिकायतें

सांसद का नाम	की गई कार्यवाही
1	2
1. ब्रिगेडियर के॰पी॰ सिंह देव (लोक सभा)	1996-97 में जारी की गई निधियां
2. डा॰ बी॰बी॰ दत्ता (राज्य सभा)	"
3. श्री सन्तोष गंगवार (लोक सभा)	"

1		2
4.	श्री सन्तोष मोहन देव (लोक सभा)	1996-97 में जारी की गई निधियां
5.	श्री दवा लाम्बा (राज्य सभा)	"
6.	श्री नवल किशोर राय (लोक सभा)	"
7.	श्री अजीत जोगी (राज्य सभा)	"
8.	श्री पी॰वी॰ राजेश्वारा राय (लोक सभा)	"
9.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (लोक सभा)	"
10.	श्री वेद प्रकाश गोयल (राज्य सभा)	"
11.	श्री रासा सिंह रावत (लोक सभा)	"
12.	श्री ओ॰एल॰ नोगदु (राज्य सभा)	"
13.	श्रीमती रत्नामाला डी॰ सवान्नूर (लोक सभा)	"
14.	श्री गंगा चरण राजपूत (लोक सभा)	"
15.	श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे (राज्य सभा)	"
16.	श्री सनत मेहता (लोक सभा)	"
17.	श्री के॰ कंडासामी (लोक सभा)	"
18.	श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति (लोक सभा)	"
19.	श्री महेन्द्रा भाटिया (लोक सभा)	"
20.	श्री विजय शंकेशवर (लोक सभा)	"
21.	श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी (राज्य सभा)	"
22.	श्री थावरचन्द जालोट (लोक सभा)	"
23.	श्री विजय गोयल (लोक सभा)	"
24.	श्री राम नायक (लोक सभा)	"
25.	श्री रामचन्द्रन पिल्लई (राज्य सभा)	"
26.	श्री सुरेन्द्रा कुमार सिंह (राज्य सभा)	"
27.	श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी (राज्य सभा)	"
28.	श्री नरेश यादव (राज्य सभा)	"
29.	श्री टी॰जी॰ वेंकटरमन (राज्य सभा)	"
30.	श्री शंकरराय काले (लोक सभा)	"
31.	श्री एडुराडो फेलीरियो (लोक सभा)	"
32.	श्री ताराचन्द्रन मेजूमदार (लोक सभा)	"
33.	श्रीमती शीला इरानी (लोक सभा)	"
34.	श्री एस॰आर॰ भोमी (राज्य सभा)	"

1	2
II. 1997 में की गई शिकायतें	
1. श्री चन्द्रेश पटेल (लोक सभा)	1997-98 में जारी की गई निधियां
2. श्री ज्योत्ना राय (राज्य सभा)	"
3. श्री संतोष गंगवार (लोक सभा)	"
4. श्री छीतुभाई गामीत (लोक सभा)	"
5. श्री मुकेश आर॰ पटेल (लोक सभा)	"
6. श्री जयंत के॰ मल्होत्रा (राज्य सभा)	"
7. श्री बी॰एल॰ शंकर (लोक सभा)	"
8. श्री कारनेन्दु भट्टाचार्य जी (राज्य सभा)	"
9. श्री शिवानन्द एच॰ कौजालगी (लोक सभा)	"
10. श्रीमती जयावंती मेहता (लोक सभा)	"
11. श्री वल्लभ भाई आर॰ कठीरिया (लोक सभा)	"
12. श्री आर॰बी॰ राय (लोक सभा)	जिलाधिकारी से मांगी गई सूचना
13. श्री पी॰वी॰ राजेश्वर राय (लोक सभा)	"
14. श्री सुरेश ए॰ केसवानी (राज्य सभा)	"
15. श्री सनत मेहता (लोक सभा)	"
16. श्री श्रीकांत कुमार जेना (लोक सभा)	"
17. श्री राम गोपाल यादव (राज्य सभा)	"
18. श्रीमती सरोज खापरडे (राज्य सभा)	"
19. श्री रायपति साम्बाशिव राव (लोक सभा)	"
20. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव (राज्य सभा)	"
21. श्री जगमोहन (लोक सभा)	"
22. श्री गोविन्द राम मिरी (राज्य सभा)	"

विवरण-II

क्र॰सं॰	लोक सभा सदस्य का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र	1993-97 को भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)	1997-98 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)	1993-98 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)
1	2	3	4	5
1.	श्री पी॰एस॰ गढ़वी (लोस) कच्छ	305.0	0.0	305.0
2.	श्री सनत मेहता (लोस) सुरेन्द्र नगर	305.0	0.0	305.0
3.	श्री के॰वी॰सी॰ पटेल (चन्द्रेश) (लोस) जामनगर	305.0	50.0	355.0

1	2	3	4	5
4.	डॉ॰ वल्लभभाई आर॰ कथिरिया (लोस) राजकोट	305.0	50.0	355.0
5.	श्री गोरधनभाई जे॰ जाविया (लोस) पोरबन्दर	305.0	50.0	355.0
6.	श्रीमती भावनाबेन डी॰ धिखलिया (लोस) जूनागढ़	305.0	0.0	305.0
7.	श्री दिलीप संघानी (लोस) अमरेली	305.0	50.0	355.0
8.	श्री आर॰जी॰ राणा भाई (लोस) भावनगर	305.0	0.0	305.0
9.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (लोस) धांधुका (अ॰जा॰)	305.0	0.0	305.0
10.	श्री हरिन पाठक (लोस) अहमदाबाद	305.0	50.0	355.0
11.	श्री विजय पटेल (लोस) गांधीनगर	305.0	0.0	305.0
12.	डॉ॰ ए॰के॰ पटेल (लोस) महेसाणा	305.0	0.0	305.0
13.	श्री महेशकुमार एम॰ कनोडिया (लोस) पाहण (अ॰जा॰)	305.0	0.0	305.0
14.	श्री बी॰के॰ गढ़वी (लोस) बनासकांठा	305.0	50.0	355.0
15.	श्रीमती निशा ए॰ चौधरी (लोस) साबरकांठा	305.0	50.0	355.0
16.	श्री जयसिंह श्री एम॰ चौहान (लोस) कपडवंज	305.0	0.0	305.0
17.	श्री सोमजी भाई पी॰ दामोर (लोस) दोहद (अ॰ज॰जा॰)	305.0	0.0	305.0
18.	श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास (लोस) गोधरा	305.0	50.0	355.0
19.	श्री दिनशा जे॰ पटेल (लोस) खेडा	305.0	0.0	305.0
20.	श्री ईश्वरभाई खोडाभाई चावड़ा (लोस) आनन्द	305.0	0.0	305.0
21.	श्री एन॰जे॰ राठवा (लोस) छोटा उदयपुर	305.0	50.0	355.0
22.	श्री सत्यजीत सिंह, श्री दिलीपसिंह गायकवाड़ (लोस) बरोड़ा	305.0	50.0	355.0
23.	श्री चन्दुभाई देशमुख (लोस) बरूच	305.0	50.0	355.0
24.	श्री कांशीराम राणा (लोस) सूरत	305.0	0.0	305.0
25.	श्री छीतूभाई डी॰ गामीत (लोस) मांडवी (अ॰ज॰जा॰)	305.0	50.0	355.0
26.	श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (लोस) बुलसार (अ॰ज॰जा॰)	305.0	0.0	305.0
	कुल राज्य : लोकसभा	7930.0	600.0	8530.0

क्र॰सं॰	राज्य सभा सदस्य का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र	1993-97 को भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)	1997-98 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)	1993-98 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु॰ लाख में)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (रास) अहमदाबाद	300.0	50.0	350.0
2.	श्री कनक सिंह एम॰ मांगरोला (रास) बरूच	205.0	0.0	205.0

1	2	3	4	5
3.	श्री चिमनभाई मेहता (रास) अहमदाबाद	200.0	0.0	200.0
4.	श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (रास) वडोदरा	305.0	0.0	305.0
5.	श्री राजुभाई ए॰ परमार (रास) अहमदाबाद	305.0	0.0	305.0
6.	श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला (रास) राजकोट	305.0	0.0	305.0
7.	श्री अहमद पटेल (रास) बरूच	305.0	0.0	305.0
8.	श्री माधवसिंह सोलंकी (रास) खेड़ा	305.0	0.0	305.0
9.	श्री दिनेश भाई त्रिवेदी (रास) अहमदाबाद	205.0	0.0	205.0
10.	डॉ॰ योगिन्द्र कु॰ भगतराम अलघ (रास) वडोदरा	100.0	0.0	100.0
11.	श्री रामसिंह रतवा (रास) वडोदरा	5.0	0.0	5.0
12.	श्री वी॰ भाई पटेल (रास) साबरकांठा	5.0	0.0	5.0
13.	श्री भट्ट बी॰ रणछोड़ लाल (रास) अहमदाबाद	100.0	0.0	100.0
14.	श्री अनन्तत्रे देवशंकर दवे (रास) कच्छ	305.0	50.0	355.0
15.	श्री बंगारू लक्ष्मणजी बी॰ नरसिन्हा (रास) सुरेन्द्रनगर	100.0	0.0	100.0
16.	श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी (रास) पंचमहल	305.0	0.0	305.0
	कुल राज्य : राज्यसभा	3355.0	100.0	3455.00
	कुल राज्य: लोकसभा और राज्यसभा	11285.0	700.0	11985.0

[अनुवाद]

विदेशों में तैनाती

3446. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों को विदेश में तैनात करने के संबंध में कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये मार्ग निर्देश भारतीय दूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और इनकी एजेंसियों में तैनाती के संबंध में भी लागू होते हैं;

(ग) क्या इन मार्ग निर्देशों का वास्तव में सख्ती से पालन किया जाता है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों में तैनाती के लिए चयनित अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के आई ए एस अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के विदेशी स्थित पदों पर विदेशी नियोजनों विकासशील देशों में द्विपक्षीय नियुक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियोजनों में भारत सरकार के युद्धबंदी संबंधी पदों पर भारतीय विशेषों की प्रतिनियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हुए हैं। जहां तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तैनाती का संबंध है, उनकी नियुक्ति का निर्णय बारी के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए अनुभव और वरिष्ठता संबंधी उपयुक्तता के आधार पर लिया जाता है।

(ग) विदेशों में नियुक्तियों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनाती के मामलों पर कार्रवाई करते समय इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश तैनातियों के लिए चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश तैनाती के लिए चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची

क्र॰सं॰	अधिकारी का नाम	पदनाम तथा उस संगठन का नाम जहां तैनात किया गया	कार्यकाल
1.	कोप्युल राजू भा॰प्र॰से॰ (आ॰प्र॰ :81)	परियोजना समन्वयक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश	09/06-08/97
2.	पी॰वी॰ रमेश बाबू भा॰प्र॰से॰ (आ॰प्र॰ :85)	परामर्शदाता, विश्व स्वास्थ्य संगठन	03/96-10/97
3.	मुख्तियार सिंह भा॰प्र॰से॰ (बिहार :76)	परियोजना समन्वयक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	06/95-06/98
4.	पी॰के॰ शिवानंदन भा॰प्र॰से॰ (केरल :72)	स्थानीय परामर्शदाता, विश्व बैंक	08/96-03/97
5.	राम सिंह भा॰प्र॰से॰ (केरल :75)	संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक, पपुआ न्यू गिनी	09/94-10/96
6.	वी॰के॰ मजोत्रा भा॰प्र॰से॰ (मध्य प्रदेश :66)	मिनिस्टर (आर्थिक तथा वाणिज्यिक) तथा आवासीय निदेशक भारतीय निवेश केन्द्र, टोकियो	12/92-01/96
7.	टी॰एस॰ संधु भा॰प्र॰से॰ (राजस्थान: 81)	परियोजना निदेशक यूनिसेफ, पटना	07/92-06/97

सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरण

3447. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से अन्य नगरों में स्थानान्तरित करने का है ताकि राजधानी में भीड़ कम हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। उन केन्द्र सरकार के कार्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन्हें दिल्ली से बाहर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिल्ली से बाहर शिफ्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्र सरकार के कार्यालयों का विवरण

क्र॰सं॰	शिफ्ट किए जाने वाले कार्यालय का नाम
1	2
1.	तट रक्षक (मुख्यालय)
2.	अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, डाक विभाग
3.	निरीक्षण निदेशालय, एन॰आई॰ सर्कल।
4.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।
5.	प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत विभाग।
6.	केन्द्रीय अनुसंधान तथा रोजगार प्रशिक्षण सेवा संस्थान, श्रम मंत्रालय।
7.	भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग।
8.	प्रकाशन विभाग।
9.	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, सीमा उत्पाद तथा मादक द्रव्य अकादमी।
10.	अखिल भारतीय मुद्रा तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि तथा सहकारिता विभाग।
11.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड।

खाली पड़े परिसर

3448. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री खाली पड़े परिसरों के बारे में 19 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3780 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाली पड़े/आवंटित न किए गए परिसरों की जितनी बार नीलामी की गई थी उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) खाली पड़े/आवंटित न किए गए वाणिज्यिक परिसरों को उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को किराए पर न देने के क्या कारण हैं जिन्होंने उन्हें नाम मात्र के किराए पर लेने का विकल्प रखा था;

(ग) क्या घटिया निर्माण, घटिया आयोजना और ज्यादा कीमत के कारण डी॰डी॰ए॰ के परिसरों में निवेश करना निजी निर्माताओं की तुलना में घाटे का सौदा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिली सूचना के अनुसार खाली/अनार्बटित सम्पत्तियों की गत तीन वर्षों के दौरान 168 बार नीलामी की गई, विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	नीलामी संख्या
1994-95	85
1995-96	63
1996-97	20

(ख) सेवा निवृत सरकारी कार्मिकों अथवा शिक्षित बेरोजगार युवकों को दुकानों के आवंटन की कोई स्कीम या नीति नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं।

शुक्ला आयोग

3449. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के अंतराल का पता लगाने के लिए गठित शुक्ला आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) और (ख) योजना आयोग में सदस्य श्री एस॰पी॰ शुक्ला की अध्यक्षता में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए उच्च स्तरीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट 7 मार्च, 1997 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी थी।

उच्च स्तरीय आयोग ने बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बैकलॉग और आधार संरचना विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, संचार, सिंचाई, बाढ़, नियंत्रण आदि में अंतरालों की गम्भीर रूप से जांच की थी और संस्थानात्मक सुधार, अतिरिक्त संसाधन जुटाव और विकास कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी के उपायों सहित इन अंतरालों को पाटने के लिए और स्थानीय अर्थ-व्यवस्था के नवजीवन उत्साह के लिए नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों की सिफारिश की है। उच्च स्तरीय आयोग ने उत्तर पूर्वी राज्यों को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं मुहैया कराने के लिए कुल लागत का भी अनुमान लगाया है और 9वीं पंचवर्षीय योजना में आधार संरचना विकास के लिए निधियों की आवश्यकता को भी सूचित किया है।

(ग) उच्च स्तरीय आयोग की सिफारिशों में कार्यक्रम, नीतिगत पहलू और उपाय दिए गए हैं, जो राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित अन्य एजेंसियों से संबंधित हैं।

उन कार्यक्रमों के संबंध में जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है जैसे कि बुनियादी न्यूनतम सेवाएं और कुछ आधार संरचना विकास परियोजनाएं, मुख्य सलाहकार (उ॰पू॰) की अध्यक्षता में योजना आयोग की एक टीम प्रत्येक संबंधित राज्य का दौरा करने और 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वर्षवार निधियों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण का निदेश दिया गया है। टीम ने पहले ही दो राज्यों का दौरा किया है और शेष राज्यों को भी बहुत शीघ्र कॅवर कर लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इन राज्यों को सहायता मुहैया कराने के लिए निधियों का पता लगाने हेतु मैकेनिज्मी भी तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध सिफारिशों के संबंध में, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि किस सीमा तक इन सिफारिशों का उनके, अपने-अपने 9वीं योजना कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, बैठकें आयोजित की गई है/की जा रही हैं।

बोफोर्स मामले के संबंध में रिपोर्ट

3450. श्री प्रमोद महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोफोर्स मामले में विशेष जांच दल (एस॰आई॰टी॰) की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन है; और

(ग) विशेष जांच द्वारा रिपोर्ट की जांच पूरी करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) सरकार से यह अपेक्षित नहीं है कि वह केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की जांच-रिपोर्ट का पुनरीक्षण करे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जिस किसी सिफारिश पर, कानून के प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता हो, वह सिफारिश सरकार को प्रस्तुत की जाती है। बोफोर्स मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने अपनी सिफारिशों के साथ, एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। कानून के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति को इस बात पर निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं कि उक्त मामले की जांच और उसके आधार पर अपेक्षित कार्रवाई शीघ्रता से की जाए और इसके साथ-साथ इस समिति को अंतर-मंत्रालयीय समन्वय भी कायम रखने के निदेश दिए गए हैं।

भ्रष्टाचार के मामले

3451. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए गए सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, बेइमानी और आय से अधिक सम्पत्ति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई हैं;

(ख) उपर्युक्त मामलों में संलिप्त अधिकारियों की ग्रेड-वार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेइमानी संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के विरूद्ध स्वयं ही कोई कार्यवाही की है जिन पर बेइमान और भ्रष्ट होने का संदेह है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उन्होंने अपने अधीन कार्यरत सतर्कता विभाग की शक्तियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) सिविल कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है। इस मंत्रालय का सतर्कता एकक ऐसे मामलों की जांच नहीं करता। 1995-96 में इस मंत्रालय के सतर्कता एकक द्वारा बेइमानी वाले 34 मामलों की जांच की गयी जिनमें 55 अधिकारी लिप्त थे।

(ख) उपरोक्त मामलों में लिप्त अधिकारियों के ग्रुपवार ब्यौरे इस प्रकार है :—

ग्रुप-ए		30
ग्रुप-बी		14
ग्रुप-सी	:	10
ग्रुप-डी		01

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान इस मंत्रालय के सतर्कता एकक में भ्रष्टाचार और बेइमानी के 46 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 12 शिकायतों को जांच के बाद बन्द कर दिया गया, 2 शिकायतें केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेजी गयी, 10 शिकायतें जांच के विभिन्न अवस्थाओं में हैं, 3 शिकायतें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी सलाह हेतु भेजी गयी, 5 शिकायतों में साधारण शास्ति की कार्रवाई आरम्भ की गयी, 6 शिकायतों में असाधारण शास्ति हेतु कार्रवाई की गयी, 4 शिकायतों में चेतावनी दी गयी और 4 शिकायतों में साधारण/असाधारण शास्ति हेतु नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिये गये।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार

3452. श्री आर॰ साम्बसिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने संसाधन सम्पन्न सेंट्रल एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पारगमन समझौते से सेंट्रल एशियाई देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को सुधारने में कितनी सहायता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां। भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने तेहरान में 22 फरवरी, 1997 को विदेश मंत्री स्तर पर माल के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन से संबद्ध एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए।

(ख) 26 फरवरी, 1997 को लोक सभा में विदेश मंत्री द्वारा अपनी ओर से एक वक्तव्य दिया गया जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) माल के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन पर यह त्रिपक्षीय करार उन भारतीय व्यापारियों के लिए विविध सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो तुर्कमेनिस्तान और अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार के लिए ईरानी पारगमन मार्ग का उपयोग करते हैं। भारतीय व्यापारी इस मार्ग का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं।

विवरण

भारत गणराज्य, ईरान इस्लामिक गणराज्य और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के अंतर्राष्ट्रीय पारगमन से सम्बद्ध करार के संबंध में विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा लोक सभा/राज्य सभा में अपनी ओर से दिया जाने वाला वक्तव्य

26 फरवरी, 1997

मुझे इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तेहरान में 22 फरवरी, 1997 को भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ। यह अप्रैल, 1995 में शुरू की गई उस प्रक्रिया में सफलता मिली है जब इस विषय पर तीनों देशों द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया गया था। तीनों पक्षों ने इस करार को अन्तिम रूप देने के लिए मैत्री, परस्पर समझबूझ और रचनात्मक

सहयोग की भावना से मिलकर कार्य किया है। इस करार का सम्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि भारत के ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। एक-दूसरे के बीच परस्पर और भविष्य में इससे सहमत होने वाले सी॰आई॰एस॰ देशों के साथ आर्थिक सहयोग संवर्धित करने से संबंधित इन देशों की सरकारों के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा गया है।

इस करार का मुख्य उद्देश्य भारत से ईरान तथा तुर्कनिस्तान और अन्य देशों जो भविष्य में इस व्यवस्था से जुड़ते हैं, एवं इन देशों से भारत के साथ माल के बहु-रूपात्मक आवागमन के लिए उचित न्यायिक और वैधानिक रूपरेखा प्रदान करना है। इस करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

* यह माल के पारगमन के लिए प्रलेखन और निरीक्षण आवश्यकताओं को यथासंभव कम करने के साथ सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं को सुगम और सरल बनाता है तथा इसे गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इसमें यह उपबंध है कि जबतक अनियमितताओं का संदेह न हो तब तक इस करार के तहत भेजा जाने वाला माल पारगमन के समय मार्ग में सीमाशुल्क क्षेत्राधिकार की जांच के अध्यधीन नहीं होगा।
* यह पारगमन में मार्गस्थ मालों के लिए निर्यात और आयात शुल्कों या अन्य करों में छूट की व्यवस्था करता है। केवल विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार लगाये जायेंगे जैसा कि आंतरिक विधान द्वारा अनुबद्ध किया गया है और जैसा कि अन्य सभी देशों में लागू है।
* हस्ताक्षरकर्ता इस करार के अन्तर्गत जहाजी माल के पारगमन में लगे कर्मचारियों के लिए एक सरलीकृत वीजा व्यवस्था की स्थापना करने की संभावना की जांच करने पर भी सहमत हुए हैं।
* इस करार के अनुपालन का पर्यवेक्षण करने, इसमें किए जाने वाले, परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने तथा इससे संबद्ध अन्य किसी मामले पर विचार करने के लिए नियमित संयुक्त तंत्र होगा।

यह करार भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान और सी॰आई॰एस॰ क्षेत्र में हमारे अन्य आर्थिक साझीदारों के बीच व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी मार्ग विकसित करने संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। मैंने और तुर्कमेनिस्तान और ईरान के मेरे समकक्षों ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हमारे तीनों देशों के बीच साझे प्रयास संवर्धित करने और उन्हें विकसित करने की महत्ता पर जोर दिया। मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माल के पारगमन से संबंधित यह त्रिपक्षीय करार एक मुख्य तत्व होगा।

माननीय सदस्यों को यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामान्य श्री सपर्मुराद ए॰ नियाजोव इस समय भारत की राजकीय सद्भावना यात्रा पर आए हुए हैं। विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्ष महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के विचारों से अवगत हुए हैं। दोनों पक्षों ने भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के पारगमन से सम्बद्ध त्रिपक्षीय संधि के सम्पन्न होने का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तीनों देश इस बात से भी सहमत हुए हैं कि इस ऐतिहासिक करार के सम्पन्न हो जाने से इन तीनों देशों तथा उन सी॰आई॰एस॰ देशों के बीच जो भविष्य में इससे सहमत होंगे, से व्यापार और अन्य प्रकार का आर्थिक सहयोग और संवर्धित होगा। इस करार से बहुआयामी आर्थिक सहयोग के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण विकसित होगा और इस क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व तथा विकास सुदृढ़ होगा।

अंत में, मैं इस करार को सम्पन्न कराने में ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान की सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग तथा उस रचनात्मक भावना के लिए जिसमें हमारे तीनों देशों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के अधिकारियों ने एकजुट होकर काम किया है, की सराहना करना चाहूंगा।

भारतीय व्यापार कानून

3453. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कांउसिल ऑफ आरबिट्रशन अर्जेज टू हार्मोनाइज इंडियन बिजिनेश मास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में नए सिरे से की गई पहल/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) भारत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत ने इस संबंध में व्यापक विधान भी पारित किए हैं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाधन, 1985 से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के आदर्श कानून के अनुसार तैयार माध्यमस्थम और समझौता अधिनियम, 1996 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग समझौता नियम, 1980 तथा विदेशी माध्यमस्थम पंचाट, 1958 को मान्यता देने तथा लागू करने से सम्बद्ध न्यूयार्क अभिसमय भारत ने राजनयिक सम्मेलन, 1980 द्वारा अंगीकृत अन्तर्राष्ट्रीय माल की बिक्री के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिमिलन अभिसमय के माध्यम से एक पक्षकार बनने के लिए कार्रवाई भी आरम्भ कर दी है जिसके लिए अन्तर मंत्रालयी परामर्श जारी है।

टिटेनियम औद्योगिक परिसर

3454. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में के॰एम॰एम॰एल॰ द्वारा विनिर्मित टिटेनियम डाइऑक्साइड के नई इकॉनोमिक नीति के आलोक में विपणन के अच्छे अवसर हैं;

(ख) क्या सरकार केरल में चवारा में टिटेनियम औद्योगिक परिसर स्थापित करने में केरल सरकार की सहायता करने पर विचार कर रही है ताकि मूल्यवान टिटेनियम आधारित सामरिक और वाणिज्यिक उत्पादों की मांग पूरी की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) के पास केरल के जिला कोलाम में चवारा में एक बड़ी खनन और खनिज पृथक्करण यूनिट पहले से ही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही अथवा आई आर ई एल के माध्यम से केरल में आगे और पूंजी निवेश किया जाना नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

घोटालों संबंधी रिपोर्ट

3455. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए विभिन्न घोटालों तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर व्यापक रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, जो कि एक जांच-एजेन्सी है, देश के कानून के अनुरूप मामला-दर-मामला आधार पर जांच कार्य करता है। जिन मामलों में भ्रष्टाचार/आपराधिक कदाचार को साबित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं, उनमें केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो अपनी जांच के निष्कर्ष के आधार पर संविधित न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करता है तथा उसके बाद कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। अतः जिन मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने जांच की है, उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट का तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मकान गिराने का अभियान

3456. श्री सत्य पाल जैन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मकान गिराने की कार्यवाही की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गिराये गये मकानों की कुल संख्या, नष्ट हुई अन्य संपत्ति की कीमत और मकान गिराने वाले दस्ते द्वारा जब्त किये गये माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) मकान गिराने की यह कार्यवाही किस नियम के प्रावधान के अंतर्गत की गई और क्या गिराने के पहले प्रभावित लोगों को नोटिस दिया गया था और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था;

(घ) क्या जब्त किये गये माल की उचित रसीद जारी की गई थी और उन्हें मुआवजा दिया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शर्मा समिति

3457. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1994 में शर्मा समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गयी तथा लागू की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

सहयोग की भावना से मिलकर कार्य किया है। इस करार का सम्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि भारत के ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। एक-दूसरे के बीच परस्पर और भविष्य में इससे सहमत होने वाले सी॰आई॰एस॰ देशों के साथ आर्थिक सहयोग संवर्धित करने से संबंधित इन देशों की सरकारों के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा गया है।

इस करार का मुख्य उद्देश्य भारत से ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान और अन्य देशों जो भविष्य में इस व्यवस्था से जुड़ते हैं, एवं इन देशों से भारत के साथ माल के बहु-रूपात्मक आवागमन के लिए उचित न्यायिक और वैधानिक रूपरेखा प्रदान करना है। इस करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

* यह माल के पारगमन के लिए प्रलेखन और निरीक्षण आवश्यकताओं को यथासंभव कम करने के साथ सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं को सुगम और सरल बनाता है तथा इसे गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इसमें यह उपबंध है कि जबतक अनियमितताओं का संदेह न हो तब तक इस करार के तहत भेजा जाने वाला माल पारगमन के समय मार्ग में सीमाशुल्क क्षेत्राधिकार की जांच के अध्यधीन नहीं होगा।
* यह पारगमन में मार्गस्थ मालों के लिए निर्यात और आयात शुल्कों या अन्य करों में छूट की व्यवस्था करता है। केवल विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार लगाये जायेंगे जैसा कि आंतरिक विधान द्वारा अनुबद्ध किया गया है और जैसा कि अन्य सभी देशों में लागू है।
* हस्ताक्षरकर्ता इस करार के अन्तर्गत जहाजी माल के पारगमन में लगे कर्मचारियों के लिए एक सरलीकृत वीजा व्यवस्था की स्थापना करने की संभावना की जांच करने पर भी सहमत हुए हैं।
* इस करार के अनुपालन का पर्यवेक्षण करने, इसमें किए जाने वाले, परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने तथा इससे संबद्ध अन्य किसी मामले पर विचार करने के लिए नियमित संयुक्त तंत्र होगा।

यह करार भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान और सी॰आई॰एस॰ क्षेत्र में हमारे अन्य आर्थिक साझीदारों के बीच व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी मार्ग विकसित करने संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। मैंने और तुर्कमेनिस्तान और ईरान के मेरे समकक्षों ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हमारे तीनों देशों के बीच साझे प्रयास संवर्धित करने और उन्हें विकसित करने की महत्ता पर जोर दिया। मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माल के पारगमन से संबंधित यह त्रिपक्षीय करार एक मुख्य तत्व होगा।

माननीय सदस्यों को यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामान्य श्री सपर्मुराद ए॰ नियाजोव इस समय भारत की राजकीय सद्भावना यात्रा पर आए हुए हैं। विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्ष महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के विचारों से अवगत हुए हैं। दोनों पक्षों ने भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के पारगमन से सम्बद्ध त्रिपक्षीय संधि के सम्पन्न होने का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तीनों देश इस बात से भी सहमत हुए हैं कि इस ऐतिहासिक करार के सम्पन्न हो जाने से इन तीनों देशों तथा उन सी॰आई॰एस॰ देशों के बीच जो भविष्य में इससे सहमत होंगे, से व्यापार और अन्य प्रकार का आर्थिक सहयोग और संवर्धित होगा। इस करार से बहुआयामी आर्थिक सहयोग के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण विकसित होगा और इस क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व तथा विकास सुदृढ़ होगा।

अंत में, मैं इस करार को सम्पन्न कराने में ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान की सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग तथा उस रचनात्मक भावना के लिए जिसमें हमारे तीनों देशों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के अधिकारियों ने एकजुट होकर काम किया है, की सराहना करना चाहूंगा।

भारतीय व्यापार कानून

3453. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कांउसिल ऑफ आरबिट्रशन अर्जेंज टू हार्मोनाइज इंडियन बिजिनेश मास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में नए सिरे से की गई पहल/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) भारत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत ने इस संबंध में व्यापक विधान भी पारित किए हैं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन, 1985 से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के आदर्श कानून के अनुसार तैयार माध्यमस्थम और समझौता अधिनियम, 1996 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग समझौता नियम, 1980 तथा विदेशी माध्यमस्थम पंचाट, 1958 को मान्यता देने तथा लागू करने से सम्बद्ध न्यूयार्क अभिसमय भारत ने राजनयिक सम्मेलन, 1980 द्वारा अंगीकृत अन्तर्राष्ट्रीय माल की बिक्री के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिमिलन अभिसमय के माध्यम से एक पक्षकार बनने के लिए कार्रवाई भी आरम्भ कर दी है जिसके लिए अन्तर मंत्रालयी परामर्श जारी है।

टिटेनियम औद्योगिक परिसर

3454. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में के॰एम॰एम॰एल॰ द्वारा विनिर्मित टिटेनियम डाइऑक्साइड के नई इकॉनोमिक नीति के आलोक में विपणन के अच्छे अवसर हैं;

(ख) क्या सरकार केरल में चवारा में टिटेनियम औद्योगिक परिसर स्थापित करने में केरल सरकार की सहायता करने पर विचार कर रही है ताकि मूल्यवान टिटेनियम आधारित सामरिक और वाणिज्यिक उत्पादों की मांग पूरी की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) के पास केरल के जिला कोलाम में चवारा में एक बड़ी खनन और खनिज पृथक्करण यूनिट पहले से ही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही अथवा आई आर ई एल के माध्यम से केरल में आगे और पूंजी निवेश किया जाना नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

घोटालों संबंधी रिपोर्ट

3455. श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए विभिन्न घोटालों तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर व्यापक रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, जो कि एक जांच-एजेन्सी है, देश के कानून के अनुरूप मामला-दर-मामला आधार पर जांच कार्य करता है। जिन मामलों में भ्रष्टाचार/आपराधिक कदाचार को साबित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं, उनमें केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो अपनी जांच के निष्कर्ष के आधार पर संविधित न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करता है तथा उसके बाद कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। अतः जिन मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने जांच की है, उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट का तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मकान गिराने का अभियान

3456. श्री सत्य पाल जैन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मकान गिराने की कार्यवाही की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गिराये गये मकानों की कुल संख्या, नष्ट हुई अन्य संपत्ति की कीमत और मकान गिराने वाले दस्ते द्वारा जब्त किये गये माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) मकान गिराने की यह कार्यवाही किस नियम के प्रावधान के अंतर्गत की गई और क्या गिराने के पहले प्रभावित लोगों को नोटिस दिया गया था और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था;

(घ) क्या जब्त किये गये माल की उचित रसीद जारी की गई थी और उन्हें मुआवजा दिया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शर्मा समिति

3457. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1994 में शर्मा समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गयी तथा लागू की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों में परिवर्धन/परिवर्तन के मुद्दों पर विचार हेतु दिल्ली के उपराज्यपाल, ने 17.10.1994 को निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति बनायी थी :—

(1) श्री एस॰के॰ शर्मा – अध्यक्ष

(2) श्री केवल के॰ शर्मा, आयुक्त (आवास), दि॰वि॰प्रा॰ – सदस्य

(3) श्री प्रदीप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, दि॰न॰नि॰ – सदस्य

(4) श्री दीपक नारायण, मुख्य इंजीनियर (क्यूसी) – सदस्य

(5) श्री एस॰ ओलफ मुख्य-वास्तुक दि॰वि॰प्रा॰ – सदस्य

(6) श्री हंस राज, निदेशक (सतर्कता) दि॰वि॰प्रा॰ – सदस्य

(ग) जी, हां।

(घ) समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित बाबत है :—

(1) पड़ोस समितियों के प्रावधान हेतु नागरिक कानून;

(2) पड़ोस समिति को फर्शी क्षेत्र के 5 प्रतिशत की अनुमति देने का अधिकार;

(3) परावर्तन की अनुमति;

(4) बिल्डिंग कंट्रोल (भवन नियंत्रण) का काम दिल्ली नगर निगम को सौंपना;

(5) पुराने उपांतरण;

(6) इमारत की मंजूरी पड़ोस समिति से परामर्श के बाद देना।

(ङ) समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न इलाकों में प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के आवंटियों द्वारा किये गये कुछ किस्म के परिवर्द्धनों/परिवर्तनों में रिआयत देने का निर्णय किया है। प्राधिकरण द्वारा परिवर्द्धनों/परिवर्तनों में रियायत देने बाबत दिनांक 13.12.1996 के कार्यालय आदेश सं॰ एफ 2(83)94/समन्वय (आवास)/खण्ड/26 विवरण की एक प्रति संलग्न है।

विवरण-I

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सं॰एम॰2 (83)/94/कोआई॰(एच॰) पार्ट-I 13 दिसम्बर, 1996

कार्यालय आदेश

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने दिनांक 27.8.96 के संकलन सं॰ 101/96 द्वारा निर्णय लिया है कि विभिन्न स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के आवंटितियों द्वारा किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों/परिवर्तनों को क्षम्य परिवर्धन/परिवर्तन समझा जाए और आबंटन की शर्तों के अंतर्गत आवंटितियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न की जाए।

1. मम्टी को कमरे में बदलना।
2. बरामदे में ग्रिल एवं ग्लेजिंग।
3. आगे के आंगन की दीवार को 7 फुट ऊंचाई तक एवं पीछे की आंगन की दीवार को 10 फुट की ऊंचाई तक जाली/फेंसिंग द्वारा उठाना।
4. आंगन में अतिरिक्त दरवाजे लगाना।
5. दरवाजों एवं खिड़कियों पर जहां रोशनदान न हो वहां इन्हें लगाना।
6. पिछले या आगे के आंगन में दरवाजे लगाना।
7. खिड़कियों की जगह अलमारी लगाना।
8. दरवाजा बन्द करना।
9. पानी की टंकी का स्थान परिवर्तन करना/मुंडेर की दीवार 5 फुट की ऊंचाई तक उठाना और पानी की दूसरी टंकी लगाना।
10. यदि कमरे या डब्ल्यू सी की छत न हो तो इन्हें खुला शौचालय समझा जाए एवं इनकी अनुमति दी जाए।
11. बालकनी की दीवार एवं छत मुंडेर को ग्रिल या ग्लेजिंग द्वारा 5 फुट या लिटल ऊंचाई तक उठाना।
12. पीछे के आंगन में बाथरूम एवं डब्ल्यू सी का निर्माण।
13. केवल एक मंजिला निर्मित मकानों के मामले में उचित अनुमति लेकर मूल ढांचे को हटाना और उसका पुनः निर्माण करना बशर्ते कि वे भवन उपविधियों के मानदंडों को पूरा करते हों, स्थानीय प्राधिकरण से इसका पूर्व अनुमोदन लिया गया है।
14. रसोई, बाथरूम एवं डब्ल्यू सी की अवस्थिति को संरचनात्मक सुरक्षा की शर्त पर समुचित पावर कनेक्शन के साथ आपस में बदलना।
15. जहां छत पर जाने के लिए जीना न बनाया गया हो वहां खुले जीने का निर्माण करना।
16. आगे के शीशे के दरवाजों/खिड़कियों को अधिकमत 2 फुट और मौजूदा छज्जे तक आगे बढ़ाना।
17. भूतल क्षेत्र पर आम रास्ते को प्रभावित किए बिना पानी की अतिरिक्त पी बी सी टंकी लगाना।
18. स्कूटर/कार गैराज में संरचनात्मक मजबूती की शर्त पर अधिकतम 2"-6" की गहराई तक पानी की अतिरिक्त टंकी लगाना/बनाना।
19. कमरों में लोफ्ट या शेल्फ लगाना।
20. जलरोधी उपचार वाले फर्श बनाना।

21. आधी ईंट (साढ़े चार इंच) की दीवार को हटाना।

22. आम रास्ते/बरसाती नालों को प्रभावित किए बिना आगे के गेट पर ढ़लान बनाना।

23. बाहरी खिड़कियों पर 2 चौड़े प्रोजेक्शन तक रोशनदान लगाना।

24. कमरों में फाल्स सीलिंग।

25. मौजूदा दीवारों में एक्जॉस्ट फैन या एयर कंडीशनर के लिए अधिकतम 2"-6" 1"-9" आकार का खुला स्थान बनाना।

26. खुली छत को फाइबर ग्लास/ए सी शीट/जी आई शीट/पाइपों एवं मानक ऐंगल आयरन सेक्शन आदि जैसे हल्के भार वाली सामग्रियों से 9 फुट ऊंचाई तक स्लोपिंग स्फ्स द्वारा ढंकना और शीशे लगाना।

हस्ता/-
(केवल के॰ शर्मा)
आयुक्त (आवास)

आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰

3458. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रजनीब बिसवाल :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित समेकित छोटे और मझोले शहरों के विकास संबंधी योजना के अन्तर्गत अब तक राज्यवार विकसित छोटे और मझोले शहरें का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ अन्य शहरों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां। आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के अब तक 904 छोटे और मझले शहरों को शामिल किया गया है। (राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है)।

(ख) जी, हां।

(ग) नौंवी योजना के दौरान आई डी एस एम टी के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों के विवरण देना इस स्तर पर संभव नहीं है, क्योंकि आई डी एस एम टी के अंतर्गत प्राथमिकता वाले शहरों का चयन करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है और परियोजनाएं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है।

विवरण

आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत शामिल शहरों के राज्य-वार विवरण (1979-80 से आज तक)।

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	शहरों की संख्या
1.	असम	19
2.	आंध्र प्रदेश	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	4
4.	बिहार	40
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	51
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू व कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	76
11.	केरल	32
12.	मध्य प्रदेश	72
13.	महाराष्ट्र	96
14.	मणिपुर	11
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	41
19.	पंजाब	23
20.	राजस्थान	43
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	98
23.	त्रिपुरा	8
24.	उत्तर प्रदेश	85
25.	पश्चिम बंगाल	66
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1
2.	दादरा और नगर हवेली	2
3.	दमन व दीव	1
4.	लक्षद्वीप	1
5.	पांडिचेरी	6
	कुल :	904

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण हेतु सहायता

3459. प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने तथा व्यय की गई 90.13 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से लेखों के समाधान के लिए कर्मचारियों की एक टीम तैनात करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आंकड़ों में काफी भिन्नता है।

[हिन्दी]

चिकित्सकों का प्रवासन

3460. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रवजन करने वाले अथवा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले चिकित्सकों की संख्या में तेजी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने चिकित्सकों ने प्रवजन किया है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा ऐसे चिकित्सकों के प्रवजन को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्दीय सरकारी अस्पतालों में कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों की संख्या
1993	05
1994	04
1995	06
1996	07
कुल	22

यू॰एस॰ए॰ में माइग्रेशन के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी "भारत लौटने के लिए कोई बाध्यता नहीं" प्रमाणपत्र आवश्यक है। पिछले चार वर्षों के दौरान किसी भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी को कोई ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता

3461. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार देश में शहरी बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि की मात्रा क्या है तथा यह सहायता किन शर्तों पर दी जायेगी; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक उपलब्धि करा दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) चूंकि भारत में शहरी अवस्थापना परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु विश्व बैंक की ऋणद नीति पुनरीक्षाधीन है, इसलिए देश में विशेषरूप से शहरी अवस्थापना सुविधाओं के लिए धन के प्रावधान हेतु विश्व बैंक का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक रूप से उपयोगी अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश हेतु आई॰एल॰ एंड एफ॰एस॰ (अवस्थापना ऋणद और वित्त सेवाएं) हेतु 200 मिलियन अमेरिकी डालर आई॰बी॰आर॰डी॰ (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) का ऋण स्वीकृत किया है। यह राशि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ शहरी अवस्थापनाओं सहित विभिन्न सेक्टरों की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी।

(ख) भारत में शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ऋण देने बाबत विश्व बैंक की नीति निर्धारण के अभाव में, इस समय विश्व

बैंक द्वारा शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए सहायता की राशि और शर्तों एवं निबंधनों के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में उपलब्धियां

3462. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी वर्षों में क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में अन्तरिक्ष के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

- भारत में निर्मित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2सी (इन्सैट-2सी) का दिसम्बर 7, 1995 को तथा इन्सैट-2डी का जून 4, 1997 को प्रमोचन किया गया। ये दोनों उपग्रह दूरसंचार और दूरदर्शन प्रसारण के लिए अन्तरिक्ष क्षमता का संवर्धन करते हुए इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड (इन्सैट-1 डी, इन्सैट-2 ए तथा इन्सैट-2 बी) के साथ शामिल हो गए हैं। इन्सैट-2 सी तथा इन्सैट-2 डी ने के॰यू॰ बैण्ड के माध्यम से मोबाइल उपग्रह सेवा, व्यावसायिक संचार जैसी नई क्षमताओं को जोड़ा है और मध्य-पूर्व एशिया से दक्षिण-पूर्व एशिया तक दूरदर्शन क्षेत्र का विस्तार किया है।
- भारत में निर्मित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 सी (आई॰आर॰एस॰-1 सी) का दिसम्बर 28, 1995 को तथा आई॰आर॰एस॰-पी 3 उपग्रह का मार्च 21, 1996 को प्रमोचन किया गया। आई॰आर॰एस॰-1 सी उपग्रह, जो इस समय विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत सिविलियन सुदूर संवेदन उपग्रह है, ने संसाधनों के मानीटरन और प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित किया है। आई॰आर॰एस॰-पी 3, भारतीय सुदूर संवेदन नीतभार के अलावा, समुद्री सुदूर संवेदन और एक्स-किरण खगोलिकी नीतभार के लिए माडुलर प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिकी क्रमवीक्षक ले गया है।
- मार्च 21, 1996 को शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा से तीसरे और अंतिम विकासात्मक प्रमोचन (पी॰एस॰एल॰वी॰-डी 3) के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी॰एस॰एल॰वी॰) का विकास कार्य सम्पन्न। पी॰एस॰एल॰वी॰-डी 3 ने पूर्व निर्धारित ध्रुवीय सूर्यतुल्यकाली कक्षा में आई॰आर॰एस॰-पी 3 उपग्रह को स्थापित कर दिया। अब भारत अपने सुदूर संवेदन उपग्रहों को अपने देश से ही प्रमोचित करने में समर्थ है।
- उपपैमाने (एक टन) के दाब-भरित क्रायोजेनिक इंजिन का स्वदेशी विकास कार्य सम्पन्न। इस उपलब्धि से स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के विकास में प्रोत्साहन मिला है, जिसे भारत में भूतल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी॰एस॰एल॰वी॰) में नियोजित किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुला जिले में ग्रामीण विकास हेतु विकास संचार और प्रशिक्षण के सांगोपांग निदर्शन के लिए नवम्बर 1, 1996 को झाबुआ विकास संचार परियोजना (जे॰डी॰सी॰पी॰) नामक एक द्विवर्षीय पाइलट परियोजना की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 150 सीधे अभिग्राही टी॰वी॰ सैटों की उन 150 गांवों में स्थापना की गई है, जोकि इन्सैट के माध्यम से बेहतर कृषि कार्यों, भूमि और जल संसाधन प्रबंध, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान इत्यादि पर उस क्षेत्र के लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप में तैयार किए कार्यक्रमों का अभिग्रहण करते हैं। यह परियोजना एक राष्ट्रव्यापी ग्रामसैट नेटवर्क की स्थापना के लिए सूचना (इन्पुट) प्रदान करेगी।

(ख) आगामी वर्षों में क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

- सितम्बर/अक्तूबर, 1997 अथवा 1998 के पूर्वार्ध में भारत के अपने प्रमोचक राकेट, पी॰एस॰एल॰वी॰ का उपयोग करते हुए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई॰आर॰एस॰-1डी) का प्रमोचन। आई॰आर॰एस॰-1डी, जोकि आई॰आर॰एस॰-1सी के समरूप है, अन्य देशों में पहले से आई॰आर॰एस॰-1सी से आंकड़ों का अभिग्रहण करने वाले विविध प्रयोक्ताओं सहित सुदूर संवेदन सेवाओं में अग्रेतर वृद्धि करेगा।
- वर्ष 1998 में इन्सैट-2ई का प्रमोचन। यह उपग्रह प्रयोक्ता समुदाय की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड की क्षमता में और अधिक वृद्धि करेगा। इन्सैट-2ई में मौसमविज्ञानीय नीतभार भी शामिल होगा, जोकि इन्सैट-2ए और इन्सैट-2बी में रखे नीतभार से ज्यादा उन्नत है। इन्सैट-2ई में रखे ग्यारह 36 मेगाहर्त्स सी-बैण्ड प्रेषानुकर क्षमता के समतुल्य प्रेषानुकरों को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह (इन्टेलसैट) संगठन को व्यावसायिक आधार पर लीज पर दिया जाएगा।

- वर्ष 1998/1999 के दौरान पी॰एस॰एल॰वी॰ द्वारा आई॰आर॰एस॰-पी4 का प्रमोचन। यह उपग्रह समुद्री संसाधन सर्वेक्षण के लिए सुदूर संवेदन नीतभारों को ले जाएगा।
- वर्ष 1998/1999 के दौरान प्रायोगिक उपग्रह "जीसैट" सहित जी॰एस॰एल॰वी॰ की प्रथम विकासात्मक जांच उड़ान। जी॰एस॰एल॰वी॰ भारत को इन्सैट वर्ग के संचार उपग्रहों को भूस्थिर अंतरक्ष कक्षा में स्थापित करने की क्षमता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

3463. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में आमतौर पर विलम्ब किया जाता है तथा मंजूर और जारी की गयी धनराशि में अनावश्यक कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अब तक किये गये निर्माण कार्य निम्न स्तर के हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति के निवारणार्थ हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) से (ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के निर्माण कार्यों के कुछ मामलों में धीमी गति से कार्यान्वयन होने एवं निम्न गुणता की सूचना मिली है। जब भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो मामले को शीघ्र सुधारक/उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

दुग्ध में डी॰डी॰टी॰ की मात्रा

3464. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में दुग्ध में डी डी टी की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमत सीमा से लगभग 14 गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है;

(ग) क्या दूध में अधिक डी डी टी की मात्रा/वी एच सी अवशिष्टों के होने के कारण भारत अगले पांच वर्षों में दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दूध में डी डी टी की मात्रा को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई सूचित साक्ष्य नहीं है कि डी डी टी की सह्य सीमा अनुमत सीमा से 14 गुणा अधिक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में खाद्य संदूषकों की निगरानी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें अन्य बातों के साथ पाया गया कि जांच किए गए 2205 नमूनों में से 37 प्रतिशत नमूनों में डी डी टी अवशेष सह्य सीमा से अधिक थे।

(ग) आयात करने वाले देशों ने अपने खाद्य कानूनों के अंतर्गत नाशक जीवमार अवशेषों की सह्य सीमा निर्धारित की है जिनको भारत से दूध उत्पाद निर्यात करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। नाशक जीवमार अवशेष उनका प्रयोग करने के बाद कई दशकों तक मिट्टी में बने रहते हैं। यह तथ्य विश्व व्यापी है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है।

(घ) सरकार ने पहले ही कृषि में डी डी टी और बी॰एच॰सी॰ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बी एच सी के प्रयोग पर 1.4.97 से प्रतिबन्ध लगाया गया है। डी डी टी, के प्रयोग को धीरे-धीरे खत्म करने का निर्णय लिया गया है, जो कि अब राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां मच्छर वेक्टर विशेषरूप से अतिसंवेदनशील है, सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां पर डी डी टी लागत सार्थक है और केवल आवश्यक जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए इसके प्रयोग को सीमित करेगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग

3465. डॉ॰॰कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन इकाइयों के उत्थान के लिए दोनों सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किन विशेष प्रस्तावों पर विचार किया गया; और

(घ) उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार ने भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए), कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात (एमसीए), बी॰टेक तथा आईटीआई स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की है।

प्रशिक्षण संस्थान

3466. **श्री विजय हाण्डिक :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग पर निगरानी रखने के लिये किसी एजेंसी की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां हैं। योजना से संबंधित राज्य निदेशक प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ संबद्ध स्थानीय सलाहकार समितियों के माध्यम से उद्योग-संस्थान के परस्पर प्रभाव पर नजर रखते हैं।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबद्ध स्थानीय समिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, स्थानीय उद्योग से दो प्रतिनिधि, एक श्रम से तथा स्थानीय रोजगार अधिकारी होते हैं। सलाहकार समिति का कार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण के विभिन्न मामलों में सलाह देना तथा स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाने हेतु उपाय सुझाना होता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधायें

3467. **श्री हाराधन राय :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संस्थान में आश्रम स्थल/धर्मशालाओं आदि संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं;

(ग) उक्त संस्थान में विशेषकर संस्थान के इंस्टिट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल में मरीजों के इलाज हेतु कितने बिस्तर उपलब्ध हैं;

(घ) क्या बिस्तरों के अभाव में संस्थान के आई॰आर॰सी॰एच॰ में कैंसर के मरीजों का दाखिला नहीं हो पाता है;

(ङ) क्या बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण उन अनेक कैंसर मरीजों को, जिनका इलाज पहले से आई॰आर॰सी॰एच॰ में चल रहा है, समय पर दाखिल नहीं किया जाता है जिससे उन्हें इंजेक्शन तथा दवाईयां देने में विलम्ब हो जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार मरीजों को दाखिल करने हेतु विशेषकर उक्त संस्थान के आई॰आर॰सी॰एच॰ में बिस्तरों की आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) गंभीर रोगियों के उपचार की पर्याप्त सुविधाएं संस्थान में उपलब्ध रहती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संस्थान में प्राइवेट वार्डों सहित 1626 पलंग उपलब्ध हैं जिनमें से 70 पलंग इंस्टीच्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल में हैं।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आई आर सी एच में पलंगों की कमी के कारण कभी-कभी कैंसर रोगियों को दाखिल करना संभव नहीं होता।

(च) आई आर सी एच में पलंगों की संख्या 150 तक बढ़ाने और इसकी अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी विस्तार कार्य की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

भूमि का आवंटन

3468. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से दिल्ली में रिजक्षेत्र में स्थिति पेट्रोल पम्पों को अन्य उपयुक्त स्थानों पर

स्थानान्तरित करने हेतु भूमि के आवंटन के संबंध में पेट्रोल पम्पों के मालिकों के साथ बातचीत करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन पेट्रोल पम्पों को भूमि आवंटित कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इन पेट्रोल पम्पों को कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) डीडीए ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.8.96 के आदेश द्वारा 11 पैट्रोल पम्प मालिकों को पैट्रोल पम्प स्थलों के आबंटन संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए 15.10.96 को अपराह्न 2.00 बजे आयुक्त (भूमि प्रबंधक), डीडीए के कमरे में होने वाली बैठक में भाग लेने का निदेश दिया था।

(ग) जी, हां। इन पैट्रोल पम्प मालिकों को 25.10.96 को हुए ड्रा में वैकल्पिक स्थल पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

(घ) इन पैट्रोल पम्प मालिकों को जिन स्थानों पर भूमि आवंटित की गयी है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वैकल्पिक स्थलों का विवरण

क्र॰सं॰	डीलर का नाम	वैकल्पिक स्थल
1	2	3
1.	रिज व्यू सर्विस स्टेशन	शालीमार बाग
2.	अरोड़ा सर्विस स्टेशन	पीतमपुरा रोड सं॰ 44
3.	चाणक्यपुरी सर्विस स्टेशन	पश्चिम विहार, जीएच-14 के सामने
4.	शंकर मार्ग फीलिंग स्टेशन	मादीपुर कम्युनिटी सेंटर
5.	सेठी आटो सर्विस स्टेशन	दिलशाद गार्डन, पुनः मंगाले पुरी जिला केन्द्र में प्रवर्तित
6.	दिल्ली आटोमोबाइलस	मथुरा रोड, जसोला रोड सं॰ 13-ए
7.	मैसर्ज किचनार रोड सर्विस स्टेशन	पीतमपुरा रोड सं॰ 41
8.	पूसा रोड सर्विस स्टेशन	नारी निकेतन जनकपुरी
9.	ए॰ए॰यू॰आई॰ सर्विस स्टेशन	मायापुरी
10.	पुष्पांजली सर्विस स्टेशन	नेलसन मंडेला रोड
11.	मैसर्ज लिंक रोड सर्विस स्टेशन	मैत्री कालेज चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में खान-पान सेवा

3469. डा॰ ए॰के॰ पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के लिए खान-पान सेवाएं उत्तम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खान-पान सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) संस्थान का एक पूर्ण आहार विज्ञान विभाग है। रोगियों के लिए खान-पान संबंधी सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं और उन्हें संस्थान द्वारा प्रशिक्षित आहार विदों के पर्यवेक्षण में वांछित स्तर तक बनाए रखने के लगातार प्रयास किए जाते हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र

3470. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर किन-किन स्थानों को उपयुक्त पाया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान अन्य कार्यों के शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुवाहाटी में सरकारी आवास

3471. श्री केशव महंत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारी सरकारी आवास के अभाव में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुवाहाटी में कितने सरकारी फ्लैट बनाये गये हैं; और

(घ) वहां तैनात सरकारी कर्मचारी के लिए और अधिक फ्लैट बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) साधारण पूल वास की श्रेणीवार मांग इस प्रकार है :—

टाइप-I	383
टाइप-II	691
टाइप-III	627
टाइप-IV	152

(ग) शून्य

(घ) गौहाटी में टाइप-I से टाइप-IV के सामान्य पूल के 80 क्वार्टर आवंटन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बनाये जा रहे हैं :—

टाइप-I	24
टाइप-II	16
टाइप-III	16
टाइप-IV	24

सुपर कम्प्यूटर

3472. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 में 'सुपर कम्प्यूटर' की भांति 'पैरेलल प्रोसेसिंग' पर आधारित कुछ सुपर कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) के सुपर कम्प्यूटर विश्व में सर्वप्रथम विकसित सुपर कम्प्यूटरों की श्रृंखला में एक है तथा यह अति उच्च गति के विशेष रूप से निर्मित संघटक पुर्जों पर आधारित थे जिसमें एमिटर लॉजिक कपल्ड (ईसीएल) प्रौद्योगिकी तथा पाइपलाइन वेक्टर संसाधन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है जो समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी से भिन्न है। समानांतर संसाधन प्रणालियों का निर्माण व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कम्प्यूटरों/उच्च गति माइक्रोप्रोसेसरों का प्रयोग करते हुए किया जाता है तथा इनका विन्यास उच्च आकलन क्षमता हासिल करने के लिए किया जाता है और इनकी आकलन गति, स्मृति तथा कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस परिवेश में समस्याओं का निदान प्रोग्रामों को समानांतर करके किया जाता है।

सरकार ने भारत में समानांतर संसाधन पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों के विकास की दिशा में पहल की। इसके फलस्वरूप, उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा राष्ट्रीय वांतारिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल) नामक विभिन्न सरकारी संगठनों ने समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कम्प्यूटर विकसित किए हैं। स्वयं इन सुपर कम्प्यूटरों का उपयोग करने वाले इन संगठनों के अतिरिक्त भारत में अन्य अनुसंधान एवं विकास तथा शैक्षिक संस्थान भी स्वदेश में विकसित सुपर कम्प्यूटरों का उपयोग कर रहे हैं। मिशन विशिष्ट अनुप्रयोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समानांतर संसाधन पर आधारित उच्चतर चरम क्षमता वाले सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण करने के लिए आगे विकास कार्य जारी है।

मध्य प्रदेश के लिए आवंटन

3473. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए कुल कितना योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों की तुलना में इस योजना में उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कितनी विकास दर की परिकल्पना की गई है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य हेतु निर्धारित कुल योजना परिव्यय 20075 करोड़ रु॰ बनता है।

(ख) राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के वृद्धि दर सार्वजनिक तथा साथ ही निजी निवेश पर निर्भर होगी। निजी निवेश की मात्रा इंगित नहीं की जा सकती क्योंकि निवेश स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा।

(ग) किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का विकास, प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। हालांकि, योजना आयोग, योजना निधियों के आबंटन के द्वारा राज्य के सम्पूर्ण विकास में मदद करता है। इसके अलावा, राज्यों को, विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से भी सहायता दी जाती है।

शिकायत प्रकोष्ठ

3474. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान फाउन्डेशन द्वारा एक अध्ययन कराया गया था जिसमें यह दर्शाया गया है कि अनेक चिकित्सकों को समाज में व्यापक रूप से फैली तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है और न ही इन बीमारियों के उपचार के उचित तरीके का भी ज्ञान नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने चिकित्सकों के विरूद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चिकित्सकों के विरूद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चिकित्सीय उपचार से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में 25 मार्च, 1997 को एक शिकायत निवारण कक्ष (स्वास्थ्य क्षेत्र) की स्थापना की गई है। ये शिकायतें जांच पड़ताल और उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं।

विशेष केन्द्रीय सहायता

3475. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि की तुलना में नौवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न उपयोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए पिछड़े तथा आदिवासी बहुल राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) से (ख) राज्य/राज्यों में पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं को सुधारने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना, पूर्वोत्तर परिषद् आदि के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती हैं। योजना आयोग में 9वीं योजना के लिए क्षेत्रीय कार्यनीति तथा आवंटन का कार्य वर्तमान समय में जारी है।

भारत-पेरू संबंध

3476. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरू के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और पेरू के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत और पेरू के बीच कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक समझौता आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के बारे में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच संबंधों में कहां तक सुधार आया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) यात्रा के दौरान 6 सरकारी करार सम्पन्न हुए। ये करार कृषि, अण्टार्कटिका, पेरू की राजनयिक अकादमी और भारत विदेश सेवा संस्थान के बीच सहयोग विदेश कार्यालयों के बीच नियमित विचार-विमर्श, तकनीकी सहयोग और पर्यटन से संबंधित है। यात्रा के दौरान दो वाणिज्यिक करारों पर भी हस्ताक्षर हुए। पहले करार में एफ आई सी सी आई और पेरूवियन वाणिज्यि और उद्योग परिसंघ के बीच संयुक्त वाणिज्यिक परिषद के गठन की व्यवस्था है। दूसरा पेरूवियन चैम्बर ऑफ साफ्टवेयर तथा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर खण्ड सर्विस कम्पनीज ऑफ इण्डिया के बीच सहयोग से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल है।

(ग) जी नहीं।

(घ) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तौर-तरीकों के अलावा अनेक क्षेत्रों में पेरू के साथ सहयोग करने की भारत की क्षमता पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति फूजीमोरी ने लघु और मध्यम आकार के व्यावसायिक उद्यमों के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करने में विशेष रूचि जाहिर की ताकि पेरू में कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। राष्ट्रपति फूलीमोरी की भारत यात्रा से द्विपक्षीय राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने में सहायता मिली है।

कल्याण निधि से स्थापित अस्पताल

3477. **श्री आर•एल•पी• वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक कल्याण निधियों के अन्तर्गत क्षेत्रवार और निधिवार स्थापित एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों और अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक औषधालय/अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) गरीब खान और बीड़ी मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम•पी• वीरेन्द्र कुमार) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) श्रम कल्याण संगठन बीड़ी और खान कर्मकारों को बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 12 अस्पतालों और 274 औषधालयों (जिनमें एक चेस्ट क्लीनिक भी है) को सीधे चला रहा है। बीड़ी कर्मकारों के लिए एक 50 बिस्तरों वाला अस्पताल पश्चिम बंगाल के धुलिया में भी स्थापित किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश संस्थाओं के पास अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए स्वयं की सचल इकाइयां हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त, इन कर्मकारों के लिए अनेक स्वास्थ्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इन योजनाओं की एक सूची विवरण-II संलग्न हैं।

विवरण-I

क्षेत्र	निधि	एलोपैथिक औषधालय	आयुर्वेदिक औषधालय	होम्योपैथिक औषधालय	अस्पताल	औषधालय/अस्पताल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. हैदराबाद	बीड़ी	36	–	–	–	36	–
	अभ्रक	2	2	–	1	4	1
	एल एस डी एम	2	–	–	–	2	–
	लोह	1	–	–	–	1	–
2. जबलपुर	बीड़ी	27	–	–	–	27	–
	एल एस डी एम	4	6	–	–	10	–
	लोह	4	–	–	1	4	1
3. बंगलौर	बीड़ी	39	–	–	1	39	1
	लौह	3	–	–	1	3	1
4. करमा	बीड़ी	22	–	–	1	22	1
	अभ्रक	4	–	–	2	4	2
	एल एस डी एम	2	–	–	–	2	–
	लौह	4	–	–	1	4	1
5. भीलवाड़ा	बीड़ी	11	5	–	–	16	–
	अभ्रक	2	1	–	–	3	–
	एल एस डी एम	9	6	–	1	15	1
6. इलाहाबाद	बीड़ी	19	–	–	1	19	1
	एल एस डी एम	2	–	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7. भुवनेश्वर	बीड़ी	14	–	–	–	14	–
	एल एस डी एम	2	–	–	–	2	–
	लौह	8	–	–	1	8	1
8. नागपुर	बीड़ी	15	2	–	–	17	–
	एल एस डी एम	–	1	–	–	1	–
	लौह	1	–	–	1	1	1
9. कलकत्ता	बीड़ी	18	–	–	–	18	–
	कुल	251	23	–	12	274	12

विवरण–II

1. खान और बीड़ी कर्मकारों के लिए टी॰वी॰ अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. टी॰वी॰ से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों का घर पर इलाज के लिए योजना।
3. चश्में की खरीद करने के लिए खान और बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
4. खान और बीड़ी कर्मकारों को कुष्ट राहत के लिए योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों के इलाज के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना।
6. अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में कार्य करने वाले खान कर्मकारों के लिए कृत्रिम अंग के लिए योजना।
7. अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, और क्रोम अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में कार्य करने वाले खान कर्मकारों के लिए घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना संबंधी योजना।
8. अम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रीम अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबंधनों को सहायता अनुदान की अदायगी की योजना।
9. कैंसर से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों को वास्तविक इलाज खर्च की प्रतिपूर्ति की योजना।
10. विशेष सुरक्षा के अधीन बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना।
11. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
12. परिवार कल्याण कार्यक्रम–बीड़ी कर्मकारों को बन्ध्याकरण के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रतिपूर्ति अदा किए जाने की योजना।
13. हृदय रोगों से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना।
14. गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए खान और बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में खर्च की प्रतिपूर्ति करने की योजना।

[हिन्दी]

उपनगरीय क्षेत्रों का विकास

3478. डा॰ अरविन्द शर्मा : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाले और उसके आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा उपनगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस राज्य सरकारों को यह निर्देश भी जारी किए हैं कि योजनाओं को अंतिम रूप से तैयार करते समय और विकास कार्यों पर खर्च करते समय संबंधित राज्य अपने-अपने स्थानीय संसद सदस्यों को विश्वास में लें?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ ठमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि उनकी क्षेत्रीय योजना 2001 के अनुसार फरीदाबाद, गुड़गांव, कोंडली, गाजियाबाद तथा नोएडा सहित चुनिंदा प्राथमिकता वाले शहरों/डी एम ए शहरों का निर्धारण दिल्ली के आसपास विकास हेतु किया गया है। उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के विकास कोष से अनुमोदित पद्धति के आधार पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

3479. श्री रनजीब बिसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के संबंध कोई ताजा अध्ययन किया है;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों और गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान के लिए वर्ष 1989 में योजना आयोग ने स्वर्गीय डी॰टी॰ लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान के लिए एक वैकल्पिक पद्धति की रूपरेखा तैयार की थी। विशेषज्ञ दल पद्धति को मार्च, 1997 में कुछ मामूली संशोधनों के साथ योजना आयोग द्वारा अपना लिया गया है।

(ख) विशेषज्ञ दल ने गरीबी रेखा को वर्ष 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में स्वीकार किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी मानदण्ड पर तैयार किये गये सामग्री बास्केट और सेवाओं के अनुसार है। इन गरीबी रेखाओं को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हुए राज्य गरीबी रेखाओं के राष्ट्रीय स्तर पर अलग कर दिया गया है।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की घटनाओं का उपभोक्ता व्यय के आधार पर पंचवार्षिक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से अनुमान लगाता है। गरीबी के दो नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 (एन एस एस 43वें दौर) और वर्ष 1993-94 (एन एस एस 50वें दौर) में आयोजित पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस प्रकार, हाल के तीन वर्षों के गरीबी का अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1987-88 तथा 1993-94 का राज्यवार गरीबी अनुमान विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और संख्या 1987-88 (संशोधित विशेषज्ञ दल)

	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	96.38	20.92	64.05	40.11	160.43	25.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.75	39.35	0.08	9.94	2.83	36.22
3.	असम	73.53	39.35	2.22	9.94	75.75	36.21
4.	बिहार	370.23	52.63	50.70	48.73	420.93	52.13
5.	गोवा	1.31	17.64	1.65	35.48	2.96	24.52
6.	गुजरात	74.13	28.67	48.22	37.26	122.36	31.54
7.	हरियाणा	18.86	16.22	6.51	17.99	25.37	16.64
8.	हिमाचल प्रदेश	7.27	16.28	0.25	6.29	7.52	15.45
9.	जम्मू और कश्मीर	14.11	25.70	2.85	17.47	16.95	23.82
10.	कर्नाटक	96.81	32.82	61.80	48.42	158.61	37.53
11.	केरल	61.64	29.10	26.84	40.33	88.48	31.79
12.	मध्य प्रदेश	200.02	41.92	64.29	47.09	264.30	43.07
13.	महाराष्ट्र	186.89	40.78	109.38	39.78	296.27	40.41
14.	मणिपुर	4.83	39.35	0.46	9.94	5.29	31.35

	1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	5.18	39.35	0.30	9.94	5.48	33.92
16.	मिजोरम	1.46	39.35	0.25	9.94	1.70	27.52
17.	नागालैंड	3.49	39.35	0.18	9.94	3.66	34.43
18.	उड़ीसा	149.96	57.64	15.95	41.63	165.93	55.58
19.	पंजाब	17.09	12.60	8.08	14.67	25.17	13.20
20.	राजस्थान	104.97	33.21	37.93	41.92	142.90	35.15
21.	सिक्किम	1.31	39.35	0.04	9.94	1.36	36.06
22.	तमिलनाडु	161.80	45.80	69.27	38.64	231.07	43.39
23.	त्रिपुरा	8.49	39.35	0.35	9.94	8.84	35.23
24.	उत्तर प्रदेश	429.74	41.10	106.79	42.96	536.53	41.46
25.	पश्चिम बंगाल	223.37	48.30	60.24	35.08	283.61	44.72
26.	अ॰ व नि॰ द्वीपसमूह	0.10	1.29	10.15	13.56	10.25	12.41
27.	चण्डीगढ़	0.83	45.80	0.26	38.64	1.09	43.89
28.	दादरा व नगर हवेली	0.08	14.67	0.76	14.67	0.84	14.67
29.	दमन और दीव	0.79	67.11	–	–	0.79	67.11
30.	दिल्ली	0.07	29.10	0.10	40.33	0.17	34.95
31.	लक्षद्वीप	1.33	45.80	1.72	38.64	3.05	41.46
32.	पांडिचेरी						
	अखिल भारत :	2318.79	39.09	751.69	38.20	3070.49	38.86

नोट :

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाना है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए किया जाता है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान के लिए किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर व नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादर और नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान के लिए किया जाता है।

विवरण–II

राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और संख्या 1993–94 (संशोधित विशेषज्ञ दल)

	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख)	लोगों का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.9	22.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3.	असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86

	1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.48	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू और कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.48	40.14	156.46	33.16
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अ॰ व नि॰ द्वीपसमूह	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादरा व नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पॉडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारत :	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

नोट :

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाना है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पॉडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन और दीव के लिए किया जाता है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान के लिए किया जाता है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर व नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादर और नगर हवेली के गरीबी अनुपात के लिए किया जाता है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात का प्रयोग जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 1993-94 के लिए किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स

3480. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले मकानों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और अधिक फ्लैटों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। मकानों के निर्माण में गिरावट भूमि तथा अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण है।

(ग) उपलब्ध भूमि, जहां कुछ आवास स्टॉक का निर्माण शुरू किया जाएगा, के आलावा, नगर के योजनाबद्ध विकास (मकानों सहित) के लिए अधिक भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी एजेंसियों से भी डीडीए की विकास परियोजनाओं के लिए समान अवस्थापना सुविधाएं देने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

चंडीगढ़ में पी॰जी॰आई॰ में आरक्षित पद

3481. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में यह कहा है कि अनेक संकाय पदों और पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च (पी॰जी॰आई॰) चण्डीगढ़ में पोस्ट-डाक्टरल पाठ्यक्रमों जैसे डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰ में आरक्षण वैध और संवैधानिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के बावजूद पी॰जी॰आई॰ ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संकाय पदों में आरक्षण बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पी॰जी॰आई॰ चण्डीगढ़ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद हैं और श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) उक्त संस्थान में आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) न्यायालयों में आरक्षण के समर्थन में और विरोध में दायर रिट याचिकाओं के कारण 1992 से संकाय पदों की कुल 102 रिक्तियां (प्रोफेसर-16 + सहायक प्रोफेसर-86) संचित हो गई हैं। शीर्षस्थ न्यायालय ने अब आरक्षणों को मान्य ठहराया है। इसलिए इन रिक्तियों में से सरकारी आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आरक्षित उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

उपर्युक्त रिक्त पदों को नियमों के अनुसार आरक्षण के प्रावधान के साथ शीघ्र ही विज्ञापित किया जा रहा है।

जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र

3482. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने हाल ही में जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "अन्जा" और टैंक भेदी गाइडेड प्रक्षेपास्त्र "बक्तर शिकन" विकसित किये हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इनमें से किसी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) एक प्रेस वक्तव्य में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 23 जुलाई, 1997 को जमीन से हवा में मार करने वाली अंघा प्रक्षेपास्त्र तथा एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल बक्तर शिकन का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है।

(ग) सरकार पाकिस्तान के विदेश समर्थित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और राष्ट्र की सुरक्षा पर इसके प्रभावों की सावधानी पूर्वक और निरन्तर समीक्षा कर रही है। खतरे की आशंका में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा नं हो।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

3483. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विचार प्रकट करने और विश्वव्यापी राजनीतिक मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करने के संबंध में एक विश्व मंच के रूप में अपनी प्रासंगिकता खो दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं की कितनी बैठकें हुई;

(घ) नई विश्वव्यापी वास्तविकताओं का सामना करने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने और अपनी नीति तैयार करने के संबंध में इन सम्मेलनों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या दिशा दी गई है; और

(ङ) पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व घटनाओं के संबंध में प्रकट की गई प्रतिक्रियाओं या कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ङ) गुट निरपेक्ष आंदोलन सार्वभौमिक राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मसलों पर विकासशील देशों के सामूहिक विचारों को प्रस्तुत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और आज के अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने 1992 में जकार्ता, इन्डोनेशिया में तथा 1995 में कार्टाजेना, कोलाबिया में दो शिखर सम्मेलन आयोजित किए। शिखर सम्मेलन के बीच की गई मंत्रिस्तरीय बैठकें मई, 1995 में काहिरा में तथा अप्रैल, 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके अतिरिक्त, तात्कालिक कार्यों को निपटाने और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने के लिए "नाम" के समन्वय ब्यूरो की बैठकें स्थायी प्रतिनिधियों के स्तर पर समय-समय पर न्यूयार्क में आयोजित की जाती रही है। इस आंदोलन ने शान्ति न्याय, समानता और लोकतंत्र पर आधारित, अभाव, भय तथा असहिष्णुता से मुक्त एक नवीन लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था को कायम करने के लक्ष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों का सम्मान करने के निर्देश दिये हैं। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन के बाद इस आंदोलन ने विश्व व्यापी घटनाओं पर बारीकी से अनुसरण किया है और इनके प्रति आंदोलन की प्रतिक्रियाए शिखर सम्मेलनों और मन्त्रिस्तरीय बठकों के समापन पर जारी अन्तिम दस्तावेजों और घोषणाओं में तथा समय-समय पर जारी विज्ञप्तियों में दी गई हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारी भत्ता

3484. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में अनेक संगठनों, राजनीतिक दलों से पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई मांग, ज्ञापन और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जिनमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जा रही निधि, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) जी, नहीं। बेरोजगारों के लिए भत्ते की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके नाम हैं : नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी)।

एन आर वाई : अक्तूबर, 1989 में आरंभ की गई थी जिसका लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धनों के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करना है। दो प्रकार के रोजगार पर विचार किया गया है : प्रथम लघु उद्यमों की स्थापना में लाभार्थियों की सहायता करके स्व-रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है तथा द्वितीय उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का सृजन करने के साथ-साथ आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से मजदूरी रोजगार उत्पन्न करने से संबंधित है।

पी एम आई यू पी ई पी : नवंबर, 1995 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों तथा 1991 की जनगणना के अनुसार पर्वतीय/पूर्वोत्तर राज्यों के एक लाख से कम आबादी वाले पर्वतीय जिला कस्बों में शहरी गरीबी के आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक आयामों का एक बहुपक्षीय, समन्वित नीति से निराकरण करना है। बेरोजगार तथा अल्प रोजगार शहरी निर्धनों को सेवा, छोटे व्यवसाय न उत्पादन से संबंधित लघु उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का एक घटक है। चुने हुए शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा नवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को इस घटक में शामिल किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिहार के लिए अनुदान

3485. **श्री थामस हंसदा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के लिए विशेषकर झारखण्ड के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी अनुदान राशि स्वीकृत तथा जारी की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अनुदान देने हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए कुल कितने अनुदान की मांग की गयी और कितना स्वीकृत किया गया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) वार्षिक योजना हेतु परिव्ययों को, योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से, सम्पूर्ण राज्य के लिये तय किया जाता है न कि राज्य के किसी क्षेत्र विशेष के लिये। बिहार को पिछले 33 वर्षों के दौरान कुल सामान्य केन्द्रीय सहायता आवंटित और जारी की गयी, वे निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु॰)

वार्षिक योजना	परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1994-95	947.31	890.32
1995-96	1053.86	1008.31
1996-97	1276.98	1109.83

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण आबादी का अन्तरागम

3486. श्री सुशील चन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में बहिरगमन करने से बाहरी आबादी प्रतिवर्ष काफी तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के बहिरगमन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी आबादी में आंशिक रूप से लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आकर बसने और काफी हद तक आबादी में होने वाली नैसर्गिक वृद्धि के कारण तीव्र दर पर वृद्धि हो रही है।

(ख) शहरों के समृद्धि के आकर्षण (नौकरियों की वजह से शहरों की ओर आकर्षण) और गरीबी की मार (ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जीवन यापन परिस्थितियों) के कारण लोग शहरी क्षेत्रों में आकर बसते हैं। जनसंख्या में अधिक नैसर्गिक वृद्धि शहरी क्षेत्रों में जन्मदर और मृत्युदर में अन्तर की वजह से होती है।

(ग) गांवों से लोगों के शहरों की ओर प्रवसन की समस्या से निपटने के लिए द्विआयमी नीति अपनाई है। ये है—जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मिलियन वैल्स स्कीम, रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि कई ग्रामीण विकास तथा रोजगार सृजन स्कीमों और चुनिन्दा क्षेत्रीय शहरी वृद्धि केन्द्रों के विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण गरीबों की जीवन यापन परिस्थितियों में सुधार करना है ताकि ये क्षेत्र छोटे तथा मझौले शहरों के एकीकृत विकास की योजना द्वारा समीपवर्ती ग्रामीण अन्तःक्षेत्रों के लिए आर्थिक वृद्धि और रोजगार अवसरों के केन्द्र के रूप में उभर सकें।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्यक्षेत्र

3487. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिक्षा विभाग ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत लाने हेतु कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय-संगठन और कतिपय अन्य संगठनों के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अधिकार-क्षेत्र में लाने का प्रश्न, उक्त संगठनों के कर्मचारियों को, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत लाए जाने के परिणामस्वरूप उस पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभी कुछ अतिरिक्त सूचना भेजी जानी है।

भूटान के साथ करार

3488. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और तत्कालीन भूटान महाराजा के प्रतिनिधियों द्वारा 8 अगस्त, 1949 को दार्जिलिंग में परस्पर मैत्री और पड़ौसी के नाते संबंधों को बढ़ाने और उनकी नींव मजबूत करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) क्या उस संधि के अनुसार भारत सरकार ने भूटान सरकार को प्रत्येक वर्ष जनवरी के दसवें दिन पांच लाख रुपए प्रति वर्ष भुगतान करने की सहमति दी थी और यदि हां, तो यह सहमति किस आधार पर दी गई थी; और

(ग) क्या पांच लाख रुपए की उक्त राशि नियमित रूप से भूटान सरकार को दी जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सिंचुला संधि के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत भूटान की सरकार को मंजूर किए गए और 8 जनवरी, 1910 की संधि द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे तथा 1942 में मंजूर की गई 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अस्थायी आर्थिक सहायता के स्थान पर भारत सरकार भूटान की सरकार को संधि के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये देने पर सहमत हुई है।

(ग) जी हां। भूटान की सरकार को यह राशि नियमित रूप से दी जा रही है।

अवसंरचनात्मक और आवास परियोजनाएं

3489. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने चालू वर्ष के दौरान देश में अवसंरचनात्मक और आवास परियोजनाओं के विकास के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रमुख क्षेत्र और आवास परियोजनाओं संबंधी धनराशि के उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवास और प्रमुख क्षेत्र की परियोजनाओं को किस हद तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने, बंगलौर उप क्षेत्र के चार चुने हुए शहरों अर्थात् मैसूर, तुमकुर, रामनगरम् और चेन्नापटना में अत्यावश्यक शहरी अवस्थापना सेवाएं प्रदान करने और/या सुधार करने के लिए एक एकीकृत शहरी अवस्थापना और सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के विकास के लिए कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास परियोजना को 85 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है। इस परियोजना के लिए ऋण-करार पर मई, 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास परियोजनाओं के लिए आवास विकास वित्त निगम को 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है। इस ऋण करार पर दिसंबर, 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और 20 मिलियन अमरीकी डालर की संपूर्ण राशि 1997-98 में आहरित की जाएगी।

बैंक ने, 1997 के दौरान संभावित सहायता की पाइप लाइन में 250 मिलियन अमरीकी डालर की एक आवास वित्त सुविधा परियोजना भी शामिल की है जिसे बढ़ाकर 3000 मिलियन अमरीकी डालर की जा सकती है। इस परियोजना में राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) तथा आवास एवं विकास वित्त निगम (एच डी एफ सी) ऋणक एजेंसियां होंगी। इस परियोजना में स्लम सुधार एवं निम्न आय आवास उप-परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय आवास वित्त प्रणाली के विस्तार के लिए लाभभोगियों को आवास के लिए ऋण, समुदाय आधारित वित्तीय संस्थाओं (सी एफ आई), आवास वित्त संस्थाओं को-ऑपारेटिव के माध्यम से या सीधे दिया जाता है। परियोजनाओं के ब्यौरे एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता होने और करार पर हस्ताक्षर के बाद प्राप्त होंगे।

(घ) जहां तक कर्नाटक शहरी अवस्थापना परियोजना का संबंध है, इसे जून, 2000 तक कार्यान्वित करने और तत्पश्चात परियोजना के पूरा होने के बाद एक वर्ष की अनुरक्षण अवधि की योजना है जिसे जून, 2001 तक बढ़ाया जाएगा।

केरल में पोषाहार कार्यक्रम

3490. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता कम करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) इंडिया कन्ट्री कार्यक्रम (1997-2000) के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम में संसाधनों की कमी के कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम ने देश में चल रही विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 60 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की खाद्य जरूरत के मुकाबले प्रति वर्ष कम कर के 27 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की 70,000 टन खाद्य सहायता की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए सभी चल रहे विश्व खाद्य कार्यक्रमों के आवंटन को तदनुसार कम कर दिया गया है।

ढांचागत विकास

3491. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा को दूर करने और गरीबी उन्मूलन के लिए ढांचागत विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए की गई भारत की मांग को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने अपनी समिति को एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ढांचागत विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि की सहायता दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) विश्व-बैंक के साथ विचार-विमर्श जारी रखते हुए बैंक ने भारत में आधार संरचना विकास की आवश्यकता की पहचान की है। 1997 हेतु इसकी देशों के लिए सहायता कार्यनीति के एक भाग के रूप में बैंक ने सार्वजनिक और निजी आधार संरचना निवेशों के लिए क्षमता निर्माण और संसाधन जुटाव पर अधिक बल देने का विनिश्चय किया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विश्व-बैंक ने इस प्रकार की किसी समिति के गठन अथवा कार्य कार्यक्रम को तैयार करने के संबंध में सरकार को सूचित नहीं किया है।

(घ) विभिन्न आधार संरचना परियोजनाएं विश्व-बैंक में विचाराधीन है और इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और ऋण को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही सहायता की मात्रा ज्ञात होगी।

वीजा नीति

3492. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने बहुत से देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत वीजा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि पर्यटकों को विमानपत्तन पर ही वीजा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या को दोगुनी करने के लिए ऐसा सुझाव दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को किस हद तक स्वीकार किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंसियों द्वारा प्रायोजित तथा पूर्व-निर्धारित यात्रा विवरण के साथ वायुयान अथवा समुद्री जहाज से पहुंचने वाले चार या इससे अधिक जत्थों के विदेशी पर्यटकों को ट्रेवल एजेंसियों के आव्रजन अधिकारी को संबोधित लिखित अनुरोध पर एयरपोर्ट पर वीजा दिया जा सकता है।

कश्मीरी प्रवासियों की सम्पत्तियों को बेचा जाना

3493. श्री प्रमोद महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों द्वारा कश्मीर घाटी में छोड़ी गई उनकी सम्पत्तियों को उनके द्वारा बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने कश्मीरी प्रवासी 1996-97 के दौरान घाटी में वापस लौट आए हैं;

(घ) सरकार द्वारा कश्मीरी प्रवासियों के हितों की रक्षा हेतु अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रवासियों को घाटी में लौट आने हेतु किन सुविधाओं तथा सुरक्षा की पेशकश की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने, प्रवासियों द्वारा की जाने वाली आपात बिक्री पर रोक लगाने और ऐसी अचल संपत्ति के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाने की तात्कालिक जरूरत के मद्दे नजर "जम्मू एवं कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण एवं आपात बिक्री रोक) अधिनियम, 1997" अधिनियमित किया है। अधिनियम में प्रवासियों को अपनी संपत्तियां बेचने से वंचित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, इसमें संरक्षण दिया गया है क्योंकि अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के प्रतिबंध लगाने गये हैं, सक्षम प्राधिकारी इस बात की छानबीन करेगा कि कोई बिक्री आयात बिक्री है या नहीं। अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी यदि मामले पर निर्णय नहीं लेते हैं तो मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है। अधिनियम में अन्य उपबंध भी हैं जिनमें प्रवासियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान है।

(ग) 13 कश्मीरी प्रवासी परिवार जिनमें 21 व्यक्ति थे, मई-जून, 96 में अपने घरों को लौट आए थे।

(घ) और (ङ) अक्तूबर, 1996 में राज्य विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद और एक लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थान को सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक वापस लौटने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने प्रवासियों की समस्याओं के सभी पक्षों की जांच के लिए राजस्व, राहत एवं पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। प्रवासियों के मत जानने के बाद उनकी वापसी के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए वित्त आयुक्त (योजना एवं विकास) के नेतृत्व में एक उप समिति भी गठित की गई है।

पेय जल का संदूषण

3494. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पेय जल के आर्सेनिक से संदूषित होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोग आर्सेनिक संदूषण का शिकार हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिम बंगाल के आठ जिलों के भू-जल के आर्सेनिक संदूषण के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दो परामर्शदाताओं नामतः डा॰ के॰एस॰ सुब्रामनियम तथा डा॰ माइकल कोसनेट द्वारा किए गए अध्ययन की एक रिपोर्ट भेजी है।

(ख) रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें शामिल हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल सरकार सम्पूर्ण राज्य में भू-जल के आर्सेनिक संदूषण की मात्रा का पता लगाने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करे।

(2) आर्सेनिक की उत्थित सांद्रता वाले पीने के पानी के स्रोतों को तेजी से वैकल्पिक स्रोतों में बदला जाए।

(3) आर्सेनिक प्रभाव से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने वाले कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।

(4) आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए एक विस्तारित स्थानीय तथा क्षेत्रीय चिकित्सा कार्यक्रम की आवश्यकता है।

(5) आर्सेनिक से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में जन तथा व्यावसायिक शिक्षा का गहन कार्यक्रम चलाना।

(6) पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आर्सेनिक समस्या के प्रति विशेष तौर पर समर्पित एक उच्च स्तरीय कार्यालय/कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अप्रैल, 1996 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के 45 लाख लोगों को इस रोग का खतरा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को निम्नलिखित धन राशि जारी की है :—

वर्ष	रुपये लाख में
1993-94	480.92
1994-95	607.04
1995-96	2873.79

आंत्रशोथ

3495. डा॰ कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आंत्रशोथ के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आंत्रशोथ से पीड़ित व्यक्तियों के उचित इलाज के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राजधानी में पिछले तीन वर्षों के दौरान जठरान्त्रशोथ/हैजा के मामलों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जठरान्त्रशोथ सहित मौसमी रोगों के उपचार और निवारण के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की है। रोगियों को उपचार प्रदान करने हेतु सभी औषधालयों और अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों में मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना कार्ययोजना का मुख्य घटक है। इस कार्ययोजना में निगरानी और अनुवीक्षण, मुखीय पुनर्जलीकरण नमक की आपूर्ति, पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति, क्लोरिन टेबलेटों का वितरण, पर्यावरणिक स्वच्छता, खाद्य स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा आदि भी शामिल है।

एच॰आई॰वी॰ संक्रमण के लिए अनिवार्य जांच

3496. श्री विजय हाण्डिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एच॰आई॰वी॰ संक्रमण के लिये कुछ जनसमूहों, विशेषकर कैदियों की अनिवार्य जांच में शामिल विवाद की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जैसा कि "राष्ट्रीय एच आई वी जांच नीति" में उल्लेख किया गया है, कैदियों समेत किसी जनसंख्या समूह की एच आई वी संक्रमण के लिए अनिवार्य जांच की सिफारिश नहीं की जाती है। अनिवार्य जांच केवल एच आई वी/एड्स समेत रक्त संचारित रोगों के निराकरण के लिए रक्त (रक्तदाता की नहीं) की जांच के लिए की जाती है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार और विशेषज्ञों के परामर्श से एच आई वी हेतु जांच नीति विषयक मौजूदा दस्तावेज तैयार किया है।

चिकित्सा

3497. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अफगानिस्तान सरकार के घायल सिपाहियों को भारत में चिकित्सा के लिये भेजा जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर स्थित गैर-सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में इन अधिकांश सिपाहियों की चिकित्सा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो भारत में कितने घायल सैनिकों की चिकित्सा हो रही है;

(घ) क्या भारत सरकार इन सिपाहियों की चिकित्सा का खर्च वहन कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि वहन की गई है;

(च) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के लिए विवेकाधीन अनुदान

3498. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश के कतिपय जरूरतमंद तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब भूमिहीन परिवारों को मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन आवेदकों को अनुदान दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) 1996-97 के दौरान संसद सदस्यों से 3 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें आंध्र प्रदेश के 3 रोगियों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई थी। 1997-98 के दौरान ऐसा केवल एक मामला प्राप्त हुआ। इन मामलों पर विशिष्ट ब्यौरों के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। एक मामला मौजूदा नीति के अन्तर्गत कवर नहीं था और इसलिए इस पर सहमति नहीं दी गई।

अभ्रक कल्याण निधि

3499. श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अभ्रक कल्याण निधि के अंतर्गत कितनी धनराशि प्राप्त हुई और कितना व्यय किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण उपायों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में कितने अभ्रक कामगारों को लाभ पहुंचा;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक कल्याण निधि में आई कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अभ्रक की स्वदेशी खपत पर उपकर लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत आय और व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत योजनावार और क्षेत्रवार लाभानुभोगियों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) मुख्यतः सस्ती स्थानापन्न वस्तुओं के विकसित हो जाने के कारण मांग में कमी की वजह से हाल के वर्षों में अभ्रक उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। किसी अतिरिक्त उपकर अथवा कर के लगाने के कारण अभ्रक कीमतों में वृद्धि होने से इसमें और मंदी आएगी और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों की आय और व्यय

(रु॰ हजारों में)

वर्ष	आय	व्यय
1994-95	14,892	23,147
1995-96	20,968	22,683
1996-97	20,347	22,346

विवरण–II

विगत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या

क्र॰सं॰	योजना का नाम	1994–95			1995–96			1996–97		
		भिलवाड़ा	हैदराबाद	कर्मा	भिलवाड़ा	हैदराबाद	कर्मा	भिलवाड़ा	हैदराबाद	कर्मा
1.	घातक और गम्भीर दुर्घटना के मामले	–	–	5	–	3	1	–	9	–
2.	औषधालयों में इलाज किये गये रोगी	28168	–	42250	27527	–	36737	18416	90563	27940
3.	टी॰बी॰ रोगियों का घर पर इलाज	–	–	54	–	–	–	–	–	–
4.	चश्मों की खरीद	–	–	–	–	–	–	–	1	–
5.	बच्चों को छात्र वृत्ति प्रदान करना	193	113	81	37	–	69	62	130	59
6.	एक सेट वर्दी, स्लेटों, पाठ्य पुस्तकें आदि की सप्लाई	95	91	154	15	–	90	–	83	79
7.	उपस्थिति प्रोत्साहन	–	–	14	–	–	–	–	–	–
8.	मध्याह्न भोजन	–	233	–	–	–	–	–	230	–
9.	सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया–कलापों का आयोजन	1	–	–	7	–	3	–	–	–
10.	फिल्मों का प्रदर्शन	–	13	25	–	–	85	11	–	30
11.	मिडिल और हाईस्कूल में पुरस्कृत छात्रों की सं॰	–	–	–	–	–	1460	–	–	–
12.	एम पी आई एस की सं॰	–	–	–	–	–	538	–	–	–

संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में बंद भारतीय

3500. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों के जेलों में इस समय बंद पड़े अनिवासी भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें वापिस भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) 31.5.1997 की स्थिति के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों की जेलों में बन्द अनिवासी भारतीयों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

क्र॰सं॰	देश	जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या	
1	2	3	
1.	बहरीन	176	
2.	ईराक	4	
3.	कुवैत	36	(17.6.97 की स्थिति के अनुसार)
4.	ओमान	195	
5.	कतर	57	
6.	सऊदी अरब	5284	
7.	संयुक्त अरब अमीरात	800	
8.	यमन	2	

(ख) किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, मिशन/केन्द्र गिरफ्तार व्यक्ति से मिलने के लिए तुरंत कॉसली सम्पर्क साधने का प्रयास करता है। कॉसली अधिकारी सबसे पहले गिरफ्तारी के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाता है। जहां आवश्यक होता है, मिशन मेजबान देश की सरकार के साथ उच्चतर स्तर पर या तो बन्दी की रिहाई अथवा यदि अभियोग चलाना अवश्यम्भावी हो तो, अभियोजन की कार्रवाई तत्परता से निपटाने के

लिए मामले को उठाता है। कैदियों को आमतौर पर उनके कारावास की अवधि पूर्ण कर लेने के बाद रिहा किया जाता है। तथापि, कई मिशन मानवीय आधार के उपर्युक्त मामलों में सजा को कम कराने में सफल रहे हैं।

हाउसिंग बोर्ड

3501. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के लिए एक हाउसिंग बोर्ड का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव पिछले एक दशक से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली के लिए एक अलग आवास बोर्ड गठित करने का निर्णय सरकार ने 1987 में लिया था। लेकिन राष्ट्रीय आवास नीति तथा मकानों के निर्माण में निजी क्षेत्र को व्यापक रूप से शामिल करने के संदर्भ में अब यह विचार बना है कि दिल्ली के लिए अलग आवास बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

भारत-जापान संबंध

3502. **श्री के॰पी॰ सिंह देव :**
श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए एक पैनल बनाने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। 23-25 जुलाई, 1997 तक जापान के विदेश मंत्री युकिहिको इकेदा की भारत यात्रा के दौरान विद्वानों की एक समिति गठित करने पर सहमति हुई थी। यह समिति हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक समृद्ध करने तथा उन्हें मजबूत करने की सम्भावनाओं का पता लगाएगी। आधिकारिक स्तर की आगे की वार्ता के दौरान इस समिति के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भविष्य निधि के लंबित मामले

3503. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पंजाब डिजिटल इंडस्ट्रियल सिस्टम लिमिटेड, मोहाली, पंजाब संबंधी भविष्य निधि में से धन निकालने के कई मामले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चंड़ीगढ़ के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित मामलों का तत्काल समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) 31.7.97 की स्थिति के अनुसार ऐसा कोई मामला लंबित नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

40 सूत्री रोस्टर

3504. **डॉ॰ बलिराम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सेवा में किया गया आरक्षण वर्ग "क" सेवा/पदों में लागू हैं जिनमें रिक्तियों को वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर भरा जाता है;

(ख) क्या विभिन्न समुदायों के लिए प्रति वर्ष रिक्तियों का सही परिकलन सुनिश्चित करने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के लिए 40 सूत्री रोस्टर बनाना आवश्यक है; और

(ग) उन कार्यालयों, जो रोस्टर को रखे बिना नीति को कार्यान्वित करने का दावा करते हैं, में विद्यमान अस्तव्यस्तता को दूर करने हेतु निर्देशों को दोहराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आर॰के॰ सब्बरवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम-स्वरूप, भारत-सरकार ने 2.7.1997 को सभी मंत्रालयों/विभागों को ये अनुदेश जारी किए कि वे विद्यमान 40-बिन्दु-रोस्टर सहित, रिक्ति-आधारित रोस्टर के स्थान पर, पद-आधारित रोस्टर को लागू करे। सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन अनुदेशों का पालन करें।

केरल हेतु केन्द्रीय सहायता

3505. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय क्षेत्र का निवेश बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इससे भी केरल में कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से आटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (1996) में सकल ब्लॉक निवेश वितरण सूचना केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान (1995-96) और वित्तीय संस्थानों से सहायता (95-96) के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्रक निवेश केरल में अन्य कई राज्यों से अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल-मल व्ययन तथा जलापूर्ति योजना

3506. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष हुडको ने आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य में जल-मल व्ययन तथा जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि से गत वर्ष राज्य में चलाई गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुडको ने चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को और अधिक धन देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। हुडको ने गत वर्ष कुल 274.93 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर 22 जल आपूर्ति स्कीमें मंजूरी की है। इस स्कीमों में हुडको की 192.33 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता शामिल है तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हुडको ने 31.53 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं (ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है)। गत वर्ष के दौरान किसी भी सीवरेज स्कीम को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हुडको ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 132.29 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर जल आपूर्ति और 2 सीवरेज स्कीम के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसमें 92.39 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता भी शामिल है। (ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है)।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में हुडको द्वारा स्वीकृत जल आपूर्ति और सीवरेज स्कीम (1.4.1996 से 31.3.1997 तक)

स्कीम का नाम - जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन

एजेंसी का नाम - आंध्र प्रदेश शहरी वित्त अवस्थापना और विकास निगम

(रु॰ लाखों में)

क्र॰सं॰	स्वीकृति तिथि	नगर	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्वीकृत ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	27.12.96	कोरूतला	130.27	91.19	14.63
2.	27.12.96	जनगांव	149.05	104.34	2.62
3.	27.12.96	विकासबाद	139.37	97.56	14.40
4.	27.12.96	सिद्दीपैट	2509.87	1756.91	258.92
5.	27.12.96	श्रीकालाहस्ती	985.48	689.84	154.57
6.	27.12.96	विजयनगरम्	2440.34	1708.24	211.92

1	2	3	4	5	6
7.	27.12.96	पोन्नूर	1154.50	808.15	69.24
8.	27.12.96	मुहम्मदनगर	4449.44	3114.61	368.33
9.	27.12.96	चित्तौड़	4656.07	3259.25	948.92
10.	27.12.96	मानापार्थी	1067.61	747.33	91.26
11.	27.12.96	कावली	1209.72	846.80	178.02
12.	27.12.96	एमीगानूर	1352.82	946.97	208.54
13.	28.12.96	गढ़वाल	335.80	235.06	33.17
14.	28.12.96	मदनापल्ली	426.03	298.22	22.25
15.	28.12.96	मुनगानूर	323.69	226.58	11.14
16.	28.12.96	अम्बालापुरम्	488.69	342.08	56.73
17.	28.12.96	भीमुनीपटनम्	266.80	186.71	10.16
18.	28.12.96	समालकोट	391.48	274.04	29.62
19.	28.12.96	कन्नूकूर	597.08	417.96	131.13
20.	28.12.96	सदासिवपेट	407.15	285.00	43.96
21.	14.3.97	रामागुंडम्	994.00	676.28	140.59
22.	14.3.97	कुरनूल	3017.89	2120.37	154.95
	योग		27493.15	19233.49	3153.07

विवरण–II

1.4.97 से 31.7.1997 तक

स्वीकृति तिथि : 29.7.1997

(रु॰ लाख में)

क्र॰सं॰	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि
1.	तिरूपति में जल आपूर्ति कार्यक्रम का विकास	आंध्र प्रदेश शहरी वित्त अवस्थापना विकास निगम	6848.85	4812.01
2.	तिरूपति में भूमिगत सीवरेज प्रणाली का कार्या॰	–वही–	3722.27	2567.07
3.	ब्लॉक–III गुंटूर के लिए पूर्ण सीवरेज स्कीम	गुंटूर नगर निगम	2658.00	1860.46
	योग		13229.12	9239.54

दिल्ली अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम

3507. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री सिद्दैया कोटा :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** दिल्ली अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम के बारे में 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 2715 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानून में विहित खामियों का ब्यौरा क्या है जिसके कारण इस अधिनियम के उपबंधों को 12 दिसंबर, 1987 से लागू नहीं किया जा सका;

(ख) कानून में ये खामियां सरकार के ध्यान में कब आई और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार ने गत दस वर्षों के दौरान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से राजकोष को हुए नुकसान की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नया संशोधित विधान कब तक लाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली एपार्टमेंट अधिनियम, 1986 को 23.12.86 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गयी और उसी दिन इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। प्रशासक अर्थात् उप राज्यपाल दिल्ली ने 10.12.87 को दिल्ली प्रशासन के सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अधिनियम लागू होने की तिथि 1.12.87 तय की थी और अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गयी थी।

तथापि, अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद अधिनियम की धारा 3(ग) में यथा उल्लिखित प्रावधान के अनुसार तथा प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कुछ मुद्दे उठाये गये थे। मामले पर विचार किया गया और यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि राजधानी शहर में एपार्टमेंट भवनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा में संशोधन किया जाये ताकि इसके अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जा सके। यह महसूस किया गया कि रिहायशी और वाणिज्यिक उपयोग वाले भवनों में हो रही वृद्धि के कारण संशोधनों की आवश्यकता है और व्यक्तियों के मालिकाना हक की सुरक्षा मुहैया कराना तथा अखण्ड आम हितों और सेवाओं के कारगर प्रबंध की आवश्यकता है। इसके साथ ही निर्माताओं और सम्पदा एजेंटों की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण लगाने पर विचार करना भी जरूरी था। मालिकाना हक को गिरवी रखकर आवास वित्त प्राप्त करने की फ्लैट खरीददारों की आवश्यकताओं के कारण भी अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। यह भी महसूस किया गया कि विद्यमान अधिनियम में पहले से निहित अनेक अन्य धारा यथा धारा 8, 13, 15 एवं 20 पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अनुपालन होने पर किसी दण्डात्मक प्रावधान न होने की वजह से अधिनियम के लागू होने के बारे में आशंकाएं थी।

(ख) इस मंत्रालय ने कथित अधिनियम के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उसकी जांच करने तथा मानक तैयार करने के लिए जून, 1988 में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने अनेक बैठकें की और अनेक प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की थी। अधिनियम में व्याप्त कमियों और भवन निर्माताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण विद्यमान अधिनियम के व्यापक आवश्यकता के कारण संशोधनों पर विचार करने की आवश्यकता को बल मिला। यह महसूस किया गया कि अधिनियम में कुछ संशोधन करने की बजाय एक व्यापक विधान का प्रारूप तैयार करना उचित होगा। तदनुसार, एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया था और उस पर दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों/विभागों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

(ग) चूंकि दिल्ली एपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक, 1986 उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कारणों से प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका इसलिए संशोधित विधेयक तैयारी की अन्तिम अवस्था में है। संशोधित विधेयक के कार्यान्वित होने के पश्चात ही यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि राजस्व घाटा, यदि कोई हो तो, वह किस सीमा तक है।

(घ) औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात संशोधित विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अधिकारी

3508. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान आतंकवादी, विध्वंसकारी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त जिन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से निलंबित किया गया उनके सेवामुक्ति अथवा निलंबन की तारीख सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल किया गया और बहाली के बाद पदोन्नतियां दी गई; और

(ग) श्रेणी-वार ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे लेकिन उन्हें सेवामुक्त नहीं किया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वसंत बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3509. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसंत बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन हेतु चयनित स्थल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से ले लिया है, यदि हां, तो इसे किस तिथि को लिया गया था;

(ख) क्या इस स्थल पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कंटीले तारों का बाड़ भी लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और इसे पूरा होने में अनुमानतः कितना समय लगेगा; और

(घ) कब तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय वसंत बिहार में खोल दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) भूमि तथा विकास प्राधिकरण/दिल्ली विकास प्राधिकरण संस्थागत प्लाटों संबंधी अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए संबंधित एजेन्सियों से नियमित आवेदन-पत्र मांगते रहते हैं। इसी संदर्भ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने एक दीर्घकालीन नीति के रूप में वसन्त विहार सहित दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्लाट लेने के लिए कदम उठाए हैं।

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा आबंटित प्लाट अभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सौंपा जाना है। स्थाई अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार आबंटित किए गए सभी प्लाटों के लिए कांटेदार तार की घेराबन्दी की व्यवस्था की जानी है ताकि उसे अनाधिकृत अतिक्रमण से बचाया जा सके।

वसन्त विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदण्डों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

न्यूजीलैंड के साथ बेहतर संबंध

3510. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड और अधिक द्विपक्षीय सहयोग तथा क्षेत्रीय क्षेत्र में आदान-प्रदान किए जाने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भारतीय शिष्टमंडल ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड की सरकार से इस संबंध में चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में किस हद तक सुधार हुआ है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार इत्यादि के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारत और न्यूजीलैंड के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं। एशिया के साथ और भी घनिष्ठ संबंध विकसित करने की न्यूजीलैंड की वर्तमान नीति के एक भाग के रूप में इसने न्यूजीलैंड-एशिया संबंधों को संवर्धित करने के लिए बनाए गए एशिया 2000 फाउन्डेशन के जरिए भारत के साथ और निकट का संबंध विकसित करने का प्रयास किया है। भारत और न्यूजीलैंड हाल में आसियान क्षेत्रीय मंच तथा आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद के सम्मेलन जैसे क्षेत्रीय मंचों पर कार्यकलाप करते रहे हैं।

(ख) नियमित द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं (वरिष्ठ अधिकारी बैठक) जिसमें आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की गई।

ऐसी आखिरी वार्ता मई, 1997 में न्यूजीलैंड में आयोजित की गई थी। ऐसी परामर्श बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। कपड़ा मंत्री श्री आर॰एल॰ जालप्पा तथा खाद्य प्रसंष्करण उद्योग राज्य मंत्री ने क्रमशः फरवरी, 1997 तथा जुलाई, 1997 में न्यूजीलैंड की यात्रा की तथा आपसी हित के मसलों पर बातचीत की।

(ग) हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देश अब अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर निकट सहयोग कर रहे हैं। व्यापार और निवेश संबंध और भी बढ़ रहे हैं। भारतीय और न्यूजीलैंड की कंपनियों के बीच विविध क्षेत्रों में अनेक संयुक्त उद्यम तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण करार सम्पन्न किये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) (1) व्यापार करार; तथा

(2) दोहरे कराधान के अपबंचन से संबद्ध करार ये करार अक्टूबर, 1986 में सम्पन्न किये गए।

गृह निर्माण अग्रिम

3511. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ अन्य सरकारी एजेंसियां दिल्ली में आवास की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर दिल्ली में प्रमुख भवन निर्माताओं से फ्लैट/प्लाट प्रदान कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में आवास की मांग पूरा करने में सरकारी एजेंसियों की असमर्थता के कारण इस प्रकार है :—

(1) अन्य राज्यों से लोगों के दिल्ली में लगातार आने से शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि।

(2) सेवा अवस्थापना के लिए भूमि का अभाव।

(3) कानूनी और नियामक समस्याओं के कारण भूमि अधिग्रहण की धीमी गति।

(4) अवस्थापना सेवाओं-सुविधाओं के विकास के लिए धन की भारी कमी।

(5) वैध आश्रय हासिल करने में बहुसंख्यक लोगों की वित्तीय असमर्थता।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि अब मौजूदा नियमों के अनुसार मकान निर्माण पेशगी धन तैयार मकानों/फ्लैटों की खरीद के लिए प्राइवेट पार्टियों, जिनमें पंजीकृत निर्माता, वास्तुकार, मकान निर्माण समितियां आदि शामिल हैं, से भी उपलब्ध है।

राजसहायता नीति

3512. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजसहायताओं को चरणबद्ध रूप से बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने नौंवी योजना के आवंटन पर विभिन्न मुख्यमत्रियों के साथ बैठक के दौरान ऐसी राजसहायताएं विशेषकर विद्युत तथा जल के क्षेत्र में बंद कर दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग के प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री कहां तक सहमत हुए हैं; और

(घ) राजसहायता को चरणबद्ध रूप से बंद करने के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) योजना आयोग ने रेखांकित किया है कि सब्सिडीस सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण एवं बढ़ता हुआ घटक बन गई हैं। आगे, आयोग ने इंगित किया है यद्यपि, सरकार के लिए समाज के धनी व निर्धन वर्गों के बीच राजकोषीय तदस्थता बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा, जो भी सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, उसे पारदर्शी एवं लक्षित वर्ग तक सीमित होना चाहिए।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 9वीं योजना परिचर्चा के दौरान, योजना आयोग ने, सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं पर प्रयोगकर्ता प्रभार एवं लागतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यापक रूप में, मुख्यमंत्री विद्युत एवं जल क्षेत्रकों में सब्सिडी एवं लागत वसूली के मामले पर सही मायने में, ध्यान देने पर सहमत हुए हैं। सब्सिडियों में चरणबद्ध तरीके से कटौती करने हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय-सीमा आज-तक तय नहीं की गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता

3513. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के मामले का समर्थन एक सराहनीय कदम है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने पाकिस्तान को सीमित सहायता मुहैया कराने का भी निर्णय किया है;

(ग) क्या दोनों निर्णयों से पता चलता है कि अमरीकी के रवैये में जो परिवर्तन आया है, भारत के अनुकूल है;

(घ) क्या इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां तो, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के मसले पर अमरीका के अद्यतन वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अमरीका सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों के रूप में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त रूप में समर्थन करता है। ये नए सदस्य या तो नामित अथवा बारी-बारी से बनाए जा सकते हैं। अमरीकी वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए किसी विकासशील देश के नाम का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अमरीका ने नए स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी और जापान का समर्थन किया है।

(ख) अमरीकी सीनेट ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी सैन्य और आर्थिक सहायता से संबद्ध कुछ प्रतिबन्धयों को हटाते हुए अमरीकी विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 में एक संशोधन पारित

किया है, जिसे पाकिस्तान के बाह्य रूप से सहायता प्राप्त नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के कारण स्थान दिया गया था। यह संशोधन, यदि विधिवत कार्रवाई के पश्चात् कानून बन जाता है, तो इससे पाकिस्तानी रक्षा सेवा अधिकारियों के सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और पाकिस्तान में चल रही परियोजनाओं में लगे हुए अमरीकी निगमों को विदेशी निजी निवेश साख (ओ पी आई सी) तथा एक्जीम बैंक गारन्टियों की अनुमति मिल जाएगी।

(ग) और (घ) विविध क्षेत्रों में सहयोग सहित इस समय भारत अमरीका के बीच बहुआयामी संबंध हैं। कुछ मसलों पर मतभेद कायम हैं, जिन पर दोनों देशों की सरकारें चर्चा जारी रखने की इच्छुक हैं। सरकार ने उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित घटनाओं के संबंध में भारत के दृष्टिकोण से अमरीकी सरकार को अवगत करा दिया है। सरकार ने अमरीकी सीनेट द्वारा पारित अमरीकी विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 में संशोधन पर चिन्ता जाहिर करते हुए एक वक्तव्य भी जारी किया है। सरकार ने सुस्पष्ट शब्दों में यह सूचित किया है कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी सैन्य और आर्थिक सहायता से संबद्ध मौजूदा प्रतिबन्धों को हटाना पाकिस्तान के नाभिकीय और मिसाईल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन के रूप में देखा जाएगा। इन घटनाओं का भारत की सुरक्षा के लिए गम्भीर निहितार्थ हैं।

(ङ) सरकार भारत के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है।

अमरनाथ यात्रा

3514. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये सेन दास गुप्ता समिति की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिये कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई बोर्ड गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके गठन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर सरकार ने डा॰ नीतिश के॰ सेनगुप्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार इस वर्ष यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए हैं। डा॰ सेनगुप्ता द्वारा की गई सिफारिशों में राज्य सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और भारतीय मौसम विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय शामिल है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने, तदनुसार, केन्द्र के सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करके उचित उपाय किए हैं ताकि सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई बोर्ड गठित नहीं किया है। तथापि, जम्मू व कश्मीर सरकार ने पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में दिनांक 23.4.1997 से एक अमरनाथ यात्रा बोर्ड का गठन किया है।

निशस्त्रीकरण संबंधी रिपोर्ट

3515. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ की कतिपय संस्थाओं तथा नार्थ राइन वेस्टफेलिया फेडरल स्टेट की सहायता से बोन इंटरनेशनल सेंटर फोर कनवरसेशन (बी॰आई॰सी॰सी॰) द्वारा तैयार की गई निशस्त्रीकरण संबंधी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने बोन इण्टरनेशनल सेंटर फोर कनवरसेशन (बी॰आई॰सी॰सी॰) द्वारा प्रकाशित "कन्वर्सन सर्वे" 1997, की रिपोर्ट देखी है। कन्वर्सन से सम्बधित मसलों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए बी॰आईसी॰सी॰ की स्थापना 1994 के सर्वेक्षण में विशेष रूप से विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण मसलों और अतिरिक्त हथियारों को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा

3516. श्री गुलाम रसूल कार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने नागरिकों द्वारा भारत (कश्मीर) का दौरा करने हेतु वीजा प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को कश्मीर की यात्रा हेतु वीजा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या आजाद कश्मीर के ऐसे पाकिस्तानी नागरिक, जो कश्मीर का भ्रमण करना चाहते हैं, को कश्मीर जाने हेतु दिल्ली से पुनः अनुमति लेनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) विगत एक वर्ष (1.7.96 से 30.6.97) के दौरान, इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन ने जम्मू और कश्मीर सहित भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को 61,749 वीजा प्रदान किए हैं। ऐसी प्रथा नहीं है कि वीजा जारी करने वाले प्राधिकारी विदेशी राष्ट्रिकों को प्रदान किए गए वीजा का राज्य-वार आंकड़े रखें।

(ग) और (घ) यात्रा पर आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान करने वाले भारतीय मिशन से भारत स्थित उन सभी स्थानों के लिए वीजा लेना अनिवार्य है जिनकी वे यात्रा करना चाहते हैं। कुछ श्रेणियों के मामलों पर दिल्ली में कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। यही सामान्य क्रिया-विधियां जम्मू और कश्मीर की यात्रा के लिए भी लागू होती है।

विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद

3517. **डा॰ अरविंद शर्मा :**

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद की कुल आय कितनी है;

(ख) विश्व मामलों सम्बधी भारतीय परिषद् में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद में भारी धनराशि के कुप्रबंध ओर दुर्विनियोग के बार में शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) 51 लाख रुपए।

(ख) 50

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय विश्व कार्य परिषद के प्रबंधन और कार्यकरण पर इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, दिल्ली को भेज दिया गया था जिसने मंत्रालय को सूचित किया है कि उसे सोसायटी के दैनंदिन कार्यों की देखरेख करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का कोई प्राधिकार नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि सोसायटी के किसी सदस्य अथवा कर्मचारी को परिषद के प्रबंधन के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वह सक्षम न्यायालय का सहारा ले सकता है।

चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाईन

3518. **श्री परसराम भारद्वाज :**

चौधरी रामचन्द्र बैंदा :

वैद्य दाऊ दयाल जोशी :

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाईन कब बनाई गई;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र का 12,000 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र भी चीन के कब्जे में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) मैकमोहन रेखा 24/25 मार्च, 1914 को सम्पन्न भारत-तिब्बत सीमा करार के अवसर पर निर्धारित की गई थी और शिमला अभिसमय 3 जून, 1914 को हुआ था।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र चीन के अधिकार में है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,120 वर्ग कि॰मी॰ भारतीय प्रदेश को अवैध रूप से चीन को हस्तार्तरित कर दिया था।

चीन की सरकार ने भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग कि॰मी॰ भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा किया है।

(घ) भारत और चीन सीमा के प्रश्न पर एक निष्पक्ष, सार्थक और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत-चीन संयुक्त कार्य-दल के बीच बातचीत चल रही है।

नाटो

3519. **श्री के॰ परसुरामन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाटो के नेताओं ने पूर्व सोवियत गुट के देशों अर्थात पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को संगठन के सदस्यों के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों को नाटो में शामिल करने से इनके द्वारा भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) 8-9 जुलाई, 1997 तक मेड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में नाटों में शामिल करने के उद्देश्य से औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए पोलैण्ड, हंगरी तथा चैक गणराज्य को आमंत्रित किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु बम

3520. श्री सनत कुमार मंडल :
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री पी॰ नामग्याल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक केन मेक ट्वैलव न्यूक्लियर बाम्बस इन सिक्स मन्थस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार अपने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों के लिए परमाणु शस्त्र विकसित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सरकार को पाकिस्तान के चोरी छिपे नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम की जानकारी है। सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें भी देखी हैं कि पाकिस्तान ने नाभिकीय शस्त्रों के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों का भी विकास किया है। सरकार पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम से सम्बद्ध सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा वातावरण संबंधित सभी गतिविधियों में मूल्यांकन के अनुसरण में इसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहती है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रिक्तियां

3521. श्री प्रमोद महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम (पी॰एस॰ई॰) में मुख्य कार्यकारियों तथा कार्यकारी निदेशकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) इस समय रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन पदों में से प्रत्येक पद, जिस तारीख से रिक्त पड़ा है, वह इस पद के सामने अनुबंध में दर्शाई गई है। इन पदों को भरे जाने के प्रस्तावों की जांच और उन पर अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे होने के कारण ये पद रिक्त पड़े हैं। कतिपय मामलों में अनुमोदन दे दिया गया है, किन्तु नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा अभी कार्य-भार ग्रहण किया जाना है।

(ग) ऐसी समय-सीमा, जिसके भीतर ये पद भरे जाने सम्भावनीय है, दर्शायी जा सकनी संभव नहीं है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियां

क्र॰सं॰	पद का नाम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम पद-अनुसूची	पद रिक्त होने की तारीख
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड अनुसूची-क	1.5.93
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि॰	1.10.92
3.	प्रबंध निदेशक, त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि॰ अनुसूची-ग	1.12.96
4.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि॰, अनुसूची-ग	1.2.97

1	2		3
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सब) कोल इंडिया लि॰ (सब्स), अनुसूची-ख	महानदी कोल फील्डस लि॰	1.12.96
		साउथ ईस्टन कोल फील्डस लि॰	1.2.97
		भारत कोकिंग कोल लि॰	1.2.97
		सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि॰	1.8.97
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पायराइट्स फास्फेट्स एंड कैमीकल्स लि॰, अनुसूची-ग		1.7.97
7.	प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया, अनुसूची-क		29.7.97
8.	अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि॰, अनुसूची-क		1.8.97
9.	प्रबंध निदेशक, मेजगांव डॉक लि॰, अनुसूची-क		1.12.96
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिश्र धातु निगम लि॰, अनुसूची-ख		1.8.97
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-क		31.7.95
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लि॰, अनुसूची-ग		18.10.96
13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियर्स इंडियन लि॰, अनुसूची-क		1.8.97
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरी लि॰, अनुसूची-ख		20.12.96
15.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बोन्गाई गांव रिफाइनरी एंड पैट्रो कैमिकल्स लि॰, अनुसूची-ख		1.2.97
16.	प्रबंध निदेशक, उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ अनुसूची-घ		21.12.96
17.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे, फाइनांस कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख		1.9.95
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰, अनुसूची-क		1.4.97
19.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰, अनुसूची-ख		1.10.96
20.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, अनुसूची-ख		31.5.95
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन, अनुसूची-ग		9.11.94
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलॅपमेंट कॉर्पोरेशन, अनुसूची-ग		27.6.96
23.	निदेशक, विपणन, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख		7.2.96
24.	निदेशक, (तकनीकी), भारत यंत्र निगम लि॰, अनुसूची-ख		1.5.96
25.	निदेशक (एम॰पी॰ एंड सी॰पी॰पी॰) एच॰एम॰टी॰ लि॰, अनुसूची-ख		1.4.97
26.	निदेशक (एम॰टी॰) एच॰एम॰टी॰ लि॰, अनुसूची-ख		1.6.97
27.	निदेशक (वित्त) पैट्रोफिल्स को-ऑपरेटिव लि॰, अनुसूची-ग		6.10.95
28.	निदेशक (उत्पादन) टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰, अनुसूची-ग		1.2.97
29.	निदेशक (कार्मिक) एंड्रू यूले एंड कंपनी लि॰, अनुसूची-ग		4.3.97
30.	निदेशक (संचार) इंस्ट्रूमेंटेशन लि॰, अनुसूची-ग		1.8.97
31.	निदेशक (परियोजना प्रबंध) ब्रिज एंड एफ कंपनी (आई॰) लि॰, अनुसूची-घ		9.12.96
32.	निदेशक (तकनीकी) सेमी कंडक्टर कांपलैक्स लि॰, अनुसूची-ग		29.1.97
33.	निदेशक (वित्त) प्रोजैक्ट एंड डेवलॅपमेंट इंडिया लि॰, अनुसूची-ग		7.4.96

1	2	3
34.	सदस्य (पी॰ एंड ए॰), एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनुसूची-ख	1.4.95
35.	सदस्य (योजना), एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनुसूची-ख	25.8.95
36.	निदेशक (विपणन), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰, अनुसूची-ख	1.11.96
37.	निदेशक (वित्त) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि॰, अनुसूची-ख	1.4.97
38.	निदेशक (वित्त) विदेश संचार निगम लि॰, अनुसूची-ग	1.5.92
39.	निदेशक (कार्मिक) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि॰, अनुसूची-ख	1.1.97
40.	निदेशक (कम॰ एंड एम॰एस॰) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि॰, अनुसूची-ख	1.1.97
41.	निदेशक (एच॰आर॰डी॰) भारत अर्थ मूवर्स लि॰, अनुसूची-ख	3.9.96
42.	निदेशक (वित्त) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि॰, अनुसूची-ख	1.3.97
43.	निदेशक (वित्त) गोवा शिपयार्ड लि॰, अनुसूची-ग	1.9.95
44.	निदेशक (वित्त) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख	13.2.95
45.	निदेशक (पॉवर) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख	8.3.96
46.	निदेशक (वित्त) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख	1.3.97
47.	निदेशक (ऑपरेशंस) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख	1.6.97
48.	निदेशक (तकनीकी) नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि॰	1.7.97
49.	निदेशक (माइंस) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि॰	1.7.97
50.	निदेशक (तकनीकी) टिहरी हाइड्रो डेवलॅपमेंट कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ग	6.9.96
51.	निदेशक (इलैक्ट्रिकल) नाफथा झाकरी पॉवर कॉर्पोरेशन, अनुसूची-ग	31.3.97
52.	निदेशक (इंजीनियरी) हॉस्पिटल सर्विसिस कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अनुसूची-ग	26.9.96
53.	निदेशक (परियोजना), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰, अनुसूची-ख	1.4.96
54.	निदेशक (योजना), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰, अनुसूची-ख	26.9.96
55.	निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ख	26.2.97
56.	निदेशक (कार्मिक), ऑयल इंडिया लि॰, अनुसूची-ग	8.9.96
57.	निदेशक (ऑयल), भाई॰बी॰पी॰ कं॰ लि॰, अनुसूची-ग	1.10.96
58.	निदेशक (परियोजना), इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन कंपनी लि॰, अनुसूची-ग	30.6.96
59.	निदेशक (कम॰) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰, अनुसूची-ख	1.1.97
60.	निदेशक (वित्त) मैगनीज ओर (इंडिया) लि॰, अनुसूची-घ	10.6.95
61.	निदेशक (तकनीक), नेशनल जूट म्यानुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ग	29.7.94
62.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल जूट म्यानुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ग	1.2.97
63.	निदेशक (विपणन), नेशनल जूट म्यानुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लि॰, अनुसूची-ग	1.4.97
64.	निदेशक (पी एंड एस), भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अनुसूची-ग	31.7.97
65.	निदेशक (कार्पोरेट प्लानिंग), आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड।	10.1.97
66.	प्रबन्ध निदेशक, रेरौल बर्न लि॰, अनुसूची-"ग"	22.12.93

1	2	3
67.	प्रबन्ध निदेशक, तुंगभद्रा स्टील उत्पाद, अनुसूची-"ग"	1.12.96
68.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, अनुसूची-"ग"	3.6.97
69.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि॰, अनुसूची-"ग"	6.6.97
70.	प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, अनुसूची-"ग"	1.7.97
71.	अध्यक्ष, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण। अनुसूची-"क"	15.10.96
72.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हॉस्पीटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अनुसूची-"ख"	16.5.97
73.	प्रबन्ध निदेशक, स्मिथ, स्टेनस्ट्रीट फार्मा स्यूटिकल्स लिमिटेड। अनुसूची-"ग"	1.6.97
74.	प्रबन्ध निदेशक, राइट्स। अनुसूची-"ख"	1.11.95
75.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ऑर कम्पनी लिमिटेड। अनुसूची-"क"	1.12.95
76.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मैटल स्क्रैब ट्रेड कारपोरेशन, लि॰, अनुसूची-"ग"	13.5.97
77.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय जूट निगम लि॰, अनुसूची-"ग"	1.3.97
78.	निदेशक (एफ), माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, अनुसूची-"ग"	13.12.95
79.	निदेशक (वित्त), इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टैक्नीकल डेवलॅपमेंट कारपोरेशन, अनुसूची-"घ"	1.4.94
80.	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (सब), अनुसूची-"ग"	31.1.97
81.	सदस्य (वित्त), भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, अनुसूची-"ख"	1.4.95
82.	निदेशक (तकनीकी), रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ग"	1.5.97
83.	ई॰डी॰ (वित्त), नेशनल फिल्म डैवलॅमेंट कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"घ"	1.3.93
84.	निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग निगम लि॰, अनुसूची-"ख"	15.9.95
85.	निदेशक (पर्सनल), सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰, अनुसूची-"ग"	1.11.96
86.	निदेशक (वित्त), नेपा लिमिटेड, अनुसूची-"घ"	29.6.92
87.	निदेशक (वित्त), नेशनल फर्टीलाइजर लि॰, अनुसूची-"ख"	17.3.95
88.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ग"	1.11.95
89.	निदेशक (नेटवर्क), विदेश संचार निगम लिमिटेड, अनुसूची-"ग"	नया सृजित पद
90.	निदेशक (वाणिज्य), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ख"	12.1.96
91.	निदेशक (वित्त), रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ग"	27.11.96
92.	निदेशक (वित्त) टिहरी हाइड्रो डेवलॅपमेंट कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ग"	8.5.97
93.	निदेशक (वित्त), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डैवलॅपमेंट एजेंसी, अनुसूची-"ख"	नया सृजित पद
94.	भूतपूर्व निदेशक (वित्त तथा प्रशासन), हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन, अनुसूची-"ग"	27.12.95
95.	निदेशक (आर एंड डी), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ख"	1.2.93
96.	निदेशक (आर एंड डी), इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ख"	1.4.94
97.	निदेशक (गैस क्रैकर), इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ख"	18.6.96
98.	निदेशक (पाइप लाइन), आई॰ओ॰सी॰एल॰, अनुसूची-"ख"	नया सृजित पद
99.	निदेशक (वित्त), बामर लॉरी एंड कंपनी, अनुसूची-"ग"	1.5.97

1	2	3
100.	निदेशक (तकनीकी), कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, अनुसूची-"ख"	31.12.96
101.	निदेशक (वित्त), स्पॉज आयरन इंडिया लि॰, अनुसूची-"घ"	नया सृजित पद
102.	निदेशक तकनीकी, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि॰, अनुसूची-"ग"	1.6.95
103.	निदेशक (वित्त), भारतीय जूट निगम लिमिटेड, अनुसूची-"घ"	13.2.97
104.	निदेशक (पर्सनल), एन॰टी॰सी॰ (एच॰सी॰) लि॰।	31.3.90
105.	निदेशक (मार्केटिंग), एन॰टी॰सी॰ (एस॰सी॰) लि॰।	1.1.94
106.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (एच॰सी॰) लि॰।	1.11.96
107.	निदेशक (पर्सनल), एन॰टी॰सी॰ (ए॰पी॰के॰के॰ एंड एम॰) लिमिटेड, बंगलौर।	31.3.93
108.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (ए॰पी॰के॰के॰ एंड एम॰) लिमिटेड।	26.9.95
109.	निदेशक (तकनीकी), एन॰टी॰सी॰ (टी॰एन॰ एंड पी॰) लिमिटेड, कोयम्बटूर।	18.12.96
110.	निदेशक (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (टी॰एन॰ एंड पी॰) लिमिटेड, कोयम्बटूर।	1.6.97
111.	निदेशक (तकनीकी), एन॰टी॰सी॰ (डी॰पी॰ एंड आर॰) लिमिटेड, दिल्ली।	31.8.96
112.	निदेशक, (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (डी॰पी॰ एंड आर॰) लिमिटेड, दिल्ली।	1.6.97
113.	निदेशक (तकनीकी), एन॰टी॰सी॰ (गुजरात) लिमिटेड, अहमदाबाद।	15.12.94
114.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (गुजरात) लिमिटेड, अहमदाबाद।	20.5.95
115.	निदेशक (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (गुजरात) लिमिटेड, अहमदाबाद।	24.10.90
116.	निदेशक (वाणिज्य), एनटीसी (गुजरात) लिमिटेड, अहमदाबाद।	24.10.90
117.	निदेशक (तकनीकी), एनटीसी (एम॰एन॰) लिमिटेड, मुम्बई।	29.3.96
118.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (एम॰एन॰) लिमिटेड, मुम्बई।	1.5.96
119.	निदेशक (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (एम॰एन॰) लिमिटेड, मुम्बई।	1.6.97
120.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (एम॰एन॰) लिमिटेड, मुम्बई।	1.6.97
121.	निदेशक, (तकनीकी), एन॰टी॰सी॰ (एम॰पी॰) लिमिटेड, इंदौर।	17.1.95
122.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (एम॰पी॰) लिमिटेड, इंदौर।	7.10.94
123.	निदेशक (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (म॰प्र॰) लिमिटेड, इंदौर।	24.10.90
124.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (म॰प्र॰) लिमिटेड, इंदौर।	1.6.97
125.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (एस॰एम॰) लिमिटेड, मुम्बई।	29.3.96
126.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (एस॰एम॰) लिमिटेड, मुम्बई।	6.1.95
127.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन॰टी॰सी॰ (उ॰प्र॰) लिमिटेड, कानपुर।	17.3.93
128.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (उ॰प्र॰) लिमिटेड, कानपुर।	24.10.90
129.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ एंड ओ॰) लिमिटेड, कलकत्ता।	20.5.95
130.	निदेशक (वित्त), एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ एंड ओ॰) लिमिटेड, कलकत्ता।	1.7.94
131.	निदेशक (कार्मिक), एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ एंड ओ॰) लिमिटेड, कलकत्ता।	31.5.95
132.	निदेशक (वाणिज्यिक), एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ एंड ओ॰) लिमिटेड, कलकत्ता।	24.10.90

विश्व बैंक सहायता

3522. **डा॰ ए॰के॰ पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान परिवार नियोजन के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य को अब तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण सहायता राशि का उपयोग कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार ने 10.61 करोड़ रुपये की कुल लागत से पांच वर्ष की अवधि के लिए बड़ोदरा जिले के लिए एक उप-परियोजना प्रस्ताव 1996-97 में भेजा है। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू किया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य परियोजना, जिसके संबंध में हाल ही में विश्व बैंक के साथ बातचीत पूरी की गई है, में शामिल करने हेतु इस परियोजना का मूल्यांकन करके इसे स्वीकार कर लिया गया है। प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य परियोजना इस समय भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने की अवस्था में है।

आरक्षण के लिए नियम

3523. **श्री अंचल दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 जनवरी, 1997 के बाद सामान्य श्रेणी के पदोन्नत किए गए उम्मीदवारों के साथ-साथ इससे पहले पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो परिपत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिपत्र के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को श्री जगदीश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश के 7 मई और 21 मार्च, 1997 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) जी, हां। भारत संघ तथा अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान इत्यादि (जे॰टी॰ 1995(7) एस॰सी॰ 231) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 30.1.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/96-स्था॰(घ) द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि यदि किसी आरक्षित रिक्ति पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी उम्मीदवार को अगले उच्चतर पद पर/ग्रेड में उससे वरिष्ठ सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, जिसे बाद में उक्त अगले उच्चतर पद/ग्रेड पर पदोन्नत किया जाए, से पहले पदोन्नत कर दिया जाए तो सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार उक्त अगले उच्चतर पद पर/ग्रेड में, इस प्रकार, पहले पदोन्नति किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की अपेक्षा अपनी वरिष्ठता दोबारा प्राप्त कर लेगा। फिर भी, इसी बीच यदि आरक्षित उम्मीदवार जिसने अगले उच्चतर ग्रेड में जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर ली थी, आगे अगले उच्चतर ग्रेड में और पदोन्नति प्राप्त कर ले तो सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को अपनी पदोन्नति के समय, उपर्युक्त वरिष्ठता संबंधी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये आदेश इनके जारी किए जाने की तारीख अर्थात् भावी तारीख से लागू होंगे।

इन आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनकी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून तथा उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए जांच की गई।

(घ) और (ङ) जी, हां। श्री जगदीश लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7.5.1997 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया है कि वीरपाल सिंह चौहान के मामले में नियत सिद्धांत, भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा तथा वह वीरपाल सिंह चौहान के मामले में दिए गए निर्णय से पहले की गई आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, चौहान के मामले में निर्णय को सांविधिक नियमों में इसके विपरीत उपबंध होने की स्थिति में कार्यपालन संबंधी अनुदेशों को जारी करके स्वतः प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठता को शासित करने वाले सांविधिक नियमों को संशोधित करना आवश्यक होगा। फिर भी जहां, वरिष्ठता को विनियमित करने वाले सांवधिक नियम नहीं हों वहां इस संबंध में अनुदेश जारी करना ही पर्याप्त होगा।

अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, पदोन्नति में आरक्षण को चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 21.3.1997 के निर्णय में संगत नियमों के अधीन, पदोन्नति में आरक्षण की वैधता को इस आधार पर उचित ठहराया है कि उसने (उच्चतम न्यायालय ने) इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय में पदोन्नतियों में आरक्षण की विद्यमान योजना को उक्त निर्णय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी है।

केरल में आई॰टी॰आई॰

3524. **श्री एस॰ अजय कुमार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में चलाए जा रहे 41 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् को स्वीकृति देने पर विचार कर रही है ताकि इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्र इन परीक्षाओं में बैठ सकें;

(ख) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) राज्य निदेशक, केरल से अनुसूचित जाति विकास विभाग केरल द्वारा चलाए जा रहे 41 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सम्बन्धन प्रदान करने की सिफारिश करने संबंधी स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इन रिपोर्टों के अभाव में, सम्बन्धन हेतु उनके मामलों पर विचार कर पाना सम्भव नहीं है।

जहां तक विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के प्रशिक्षुओं को अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में प्रवेश देने की अनुमति करने का सम्बन्ध है, जुलाई, 1997 में एक निर्णय लिया गया कि, संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा जिन संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा यह पाया गया है कि ये संस्थान एन॰सी॰वी॰टी॰ द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा करतें हैं, ऐसे संस्थानों के प्रशिक्षुओं को एन॰सी॰वी॰टी॰ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा, 1997 में अनंतिम रूप से प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। तथापि, ऐसे संस्थानों के प्रशिक्षुओं के परिणामों की घोषणा उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें एन॰सी॰वी॰टी॰ से व्यवसाय/एककों हेतु सम्बन्धन प्राप्त नहीं हो जाता। यह छूट सभी राज्यों को एक बार के लिए जुलाई, 1997 की परीक्षा हेतु दी गई थी। केरल के राज्य निदेशक ने सूचित किया है कि इन 41 संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को जुलाई, 1997 में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

3525. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में विशेष रूप से कालीकट में सेन्ट्रल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इनस्ट्रसटरस आफ आई॰टी॰सी॰ आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य बिजली बोर्ड

3526. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य बिजली बोर्डों में सरकार के हस्तक्षेप को 26 प्रतिशत कम करने के विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने शुल्क ढांचे को तर्क संगत बनाने और राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार करने पर बल दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस उपाय सुझाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन डी सी) की विद्युत समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1994 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की एक सिफारिश यह थी कि अन्त में राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीस) को प्रथमतः 51 प्रतिशत और तत्पश्चात प्रगामी रूप से 26 प्रतिशत तक घटी सरकारी इक्विटी सहित निगमित निकायों के रूप में प्रगामी रूप से पुनर्गठित किया जाये। विद्युत पर राष्ट्रीय उत्पादकता समिति की रिपोर्ट पर जून, 1997 में हुई पूरे योजना आयोग की बैठक में विचार किया गया था। यह विनिश्चय किया गया था कि रिपोर्ट को विचार के लिए एनडीसी की अगली बैठक में परिचालित किया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में सूचित किया गया था कि राज्य विद्युत बोर्डों की गिरती हुयी वित्तीय स्थिति देश में विद्युत विकास की कमी के अत्यधिक अति महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। सामूहिक रूप से एसईबीस के 1995-96 में वाणिज्यिक घाटे 7500 करोड़ रु॰ थे। बोर्डों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वह वाणिज्यिक और व्यवसायिक पद्धति से चल सके। नौवीं योजना के दौरान एसईबीस की प्रभावकता को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्गठन के वैकल्पिक प्रतिमानों की खोज की जाएगी। विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए ठोस और दृढ़ कदम उठाने चाहिए। टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाते समय टाइम-ज् ऑफ-टू-दी-मीटरिंग/पीक लोड प्राइसिंग से संबंधित मामलों की जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार का टैरिफ युक्तिकरण न केवल

एसईबीस द्वारा पर्याप्त आंतरिक संसाधन सृजित करने बल्कि निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए भी आवश्यक है जो बड़े पैमाने पर तभी आगे आयेंगे जब वह वित्तीय रूप से स्वस्थ बोर्डों से डील करा हो। इसमें आपूर्ति की लागत कम करने, पारेषण और वितरण (टी एण्ड डी) घाटे, विद्युत की चोरी को कम करने और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के सुधार के लिए विशिष्ट कदम उठाये जाने शामिल होंगे।

विद्युत पर सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना पर विचार विमर्श कर लिए 16 अक्तूबर, 1996 और 3 दिसम्बर, 1996 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुधार करने और पुनर्गठन जिसमें टैरिफ संरचना का युक्तिकरण शामिल है, और राज्य विद्युत बोर्डों के प्रचालन निष्पादन में सुधार की आवश्यकता पर सर्वसम्मति हुई थी।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 1994-95 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, इत्यादि।

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2339/97]

(3) (एक) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2340/97]

23 जुलाई, 1997 को श्री जयप्रकाश, संसद सदस्य द्वारा डी॰डी॰ए॰ फ्लैटों के आबंटन के संबंध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में शुद्धि करने वाले और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुये विलंब के कारणों के बारे में विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : डा॰ यू॰ वेंकटेस्वरलु की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(एक) 23 जुलाई, 1997 को श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य (हरदोई) द्वारा डी॰डी॰ए॰ फ्लैटों के आवंटन के संबंध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में शुद्धि करने वाले और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2341/97]

कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2342/97]

(3) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2343/97]

(5) (एक) भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2344/97]

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2345/97]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू (मदुरै) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं महिला आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : मैं काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सभी को बारी-बारी से बोलने की अनुमति दूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी-अपनी जगहों पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। अब श्री संतोष मोहन देव अपनी बात कहेंगें। मैंने उन्हें स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पटना हाई कोर्ट ने जो जजमैंट दिया है, मैंने उसके सम्बन्ध में नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी चैक करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : श्रीमती सुषमा स्वराज के अनुरोध पर प्रधान मंत्री जी उत्तर देने के लिए सहमत हो गये हैं। उसके बाद, आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। आप अब श्रीमती सुषमा स्वराज से बोलने के लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : संतोष मोहन देव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह का तेवर अगर हमारे पुरुष साथी अपना लेंगे तो हमारा काम ही बन जाएगा। प्रधान मंत्री जी बहुत उदार मन से मेरे आग्रह को स्वीकार करके बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हर आदमी को चांस मिलेगा। आप थोड़ा इंतजार क्यों नहीं करते? मैं हर किसी को एलाऊ करूंगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.05 बजे

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, पिछले तीन सत्रों से महिला आरक्षण विधेयक की दुर्गति हो रही है। हर सत्र के अंत में सरकार कहती है कि अगले सत्र के आरम्भ में यह बिल लेकर आएगी। पिछले तीन सालों से यह बात चल रही है। मैं पुरानी भूमिका न बनाते हुए केवल प्रधान मंत्री से यह कहना चाहती हूं कि पिछले सत्र के बिल्कुल आखिरी दिन आपने यह बिल कॉसिडरेशन के लिए यहां रख दिया था। बहुत मुश्किल के बाद रखा गया था, मगर रखा गया था। कायदे से चाहिये तो यह था कि इस सत्र का प्रारम्भ उस बिल के कंसीडेशन से होता लेकिन बार-बार कहा गया कि बी॰ए॰सी॰ में बात तय होगी, अगले हफ्ते आयेगा। अंत में गीता जी ने कहा कि यहां समझ बनी है कि 11 और 12 को यह बिल आयेगा। उसका मतलब यह था कि 11 और 12 को इस बिल पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोट की नौबत आयेगी, फिर बिल को आगे बढ़ायेंगे। लेकिन कल यह बिल आईटम नं॰ 20 पर था और आज भी लिस्ट में नीचे रखा हुआ है। उससे सरकार की नीयत नहीं लगती कि सरकार इस बिल पर चर्चा करना चाहती है या वोट कराना चाहती है। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सारी की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। बिल जाइंट सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है, उसकी रिकमेंडेशन्स आ चुकी है, सर्वदलीय बैठकें आप ले चुके हैं। आपका अपना मन इस बिल को पारित कराने का बना हुआ है। फिर क्या कारण है कि इस बिल को इतना नीचे लाते हैं? केवल आज का दिन हमारे पास है, कल प्राइवेट मैम्बर बिल होगा और 15 अगस्त को सत्र समाप्त हो जायेगा। आपकी नीयत में ऐसा क्या है कि इस बिल को पास नहीं करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी रैस्पांड करें कि देश की महिलाओं के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा और क्यों नहीं इस बिल पर चर्चा करके इसको पारित कराते? अभी प्रधानमंत्री जी एक मिनट के लिये रैस्पांड कर दें, हमारा काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? कृपया मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आपका एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर साहब के पास अंडर कंसीडेशन है।

[अनुवाद]

वे आपको इस संबंध में शीघ्र ही बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आप जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति ने कल सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि इस विधेयक पर चर्चा इस सत्र के दौरान ही की जायेगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी रेस्पांड करने के लिए खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार वुमैन बिल के बारे में कुछ कहना चाहेगी?

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधान मंत्री जी की बात सुनिए।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं आज से नहीं अपितु जब से यह मुद्दा उठाया गया है, तभी से किये जा रहे हस्तक्षेपों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस संबंध में अपना विश्वास बार-बार व्यक्त किया है और मैं इसे पुनः पुष्ट करता हूं। मेरा विश्वास है और मैं महसूस करता हूं कि भारत में महिलाओं को न केवल सामाजिक रूप से अपितु राजनैतिक रूप से भी आगे आना चाहिए और महिलाओं को शक्तियां

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

प्रदान करने का विचार स्वयं में एक महत्वपूर्ण विचार है। वास्तव में इस संबंध में कोई दृढ़ धारणा रखने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र इसे स्वीकार करेंगें। कठिनाई इसमें मेरे विश्वास की नहीं है, कठिनाई इसमें मेरी वचनबद्धता की नहीं है लेकिन कठिनाई तो मूलतः उन विभिन्न आपत्तियों अथवा विभिन्न संदेहों अथवा विभिन्न अविश्वासों की है जो व्यक्त किए गए हैं। मैं किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं किसी भी व्यक्ति को गलत अथवा सही नहीं कहना चाहता। महोदय, इस सभा में विगत में जब कभी भी हमने दूरगामी सामाजिक उपाय की बात की है, उसके बारे में सोचा है तो हमने हमेशा यह महसूस किया है कि सर्वसम्मति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः यदि मैं तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी आधार पर किसी बात का सहारा लेने का प्रयास करूं तो यह बेईमानी होगी। वास्तविकता यही है। यह कहने से मेरा अभिप्राय किसी का अनादर करने का नहीं है। कोई यह बात स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मैं यह बात स्वीकार करता हूं। मेरा यही मानना है कि प्रत्येक राजनैतिक दल में दोनों तरह के विचार होते हैं ...(*व्यवधान*)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : जी नहीं...(*व्यवधान*)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जी हां।...(*व्यवधान*)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वामपंथी दल में कोई दो राय नहीं है। वामपंथी दल इस संबंध में सर्वसम है...(*व्यवधान*)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि मूलतः ऐसे कई सम्मान्य अपवाद हैं और मैं उन सम्मान्य अपवादों का आदर करता हूं। मैं जानता हूं कि वामपंथ में कोई विभाजन नहीं है। मैं जानता हूं कि...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने अधीर क्यों है?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यदि मैं आपको बता दूं कि सदस्य मेरे पास आकर क्या कहते हैं, तो इससे उनका मुझमें जो विश्वास है, वह कम हो जायेगा। और मैं यह फिर से कह रहा हूं कि वामपंथ को छोड़कर प्रत्येक दल में विभाजन है...(*व्यवधान*)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : हम यह बात नहीं मानते ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको अलाऊ करूंगा। एक-एक करके बोलिये।

श्री शरद पवार (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने मेरी पार्टी के बारे में एक गलत बयान दिया है। इस बारे में किसी इनडिविजुअल की कोई ओपीनियन हो सकती है मगर हमारी समूची पार्टी की राय इस बारे में यह है कि प्रधान मंत्री इस प्रस्ताव को लाएं और हम उनका समर्थन करेंगे। हमारी आज भी यह राय है और कल भी यही रहेगी।...(*व्यवधान*) हमारे मेनिफेस्टो में तो दिया था मगर मैं यह वादा करना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल सदन में लाए। हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके लिए व्हिप इश्यू करेंगे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं इस प्रकार का दिया गया वक्तव्य एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं प्रधान मंत्री से अपना वक्तव्य वापस लेने का अनुरोध करूंगा...(*व्यवधान*)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य वापस लेना चाहिए। वह अपने वामपंथी दल की जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन उन्हें किसी दूसरे दल पर छीटांकशी नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा। यह किसी एक व्यक्ति अथवा दल का प्रश्न नहीं है। यह राजनैतिक संस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ओर सभा में, भी यह स्पष्ट कर दिया था कि यह व्हिप जारी करेगी। हम इस बात का समर्थन करते हैं। प्रधान मंत्री जी यह कैसे कह सकते हैं कि वामपंथी दल के इस संबंध में स्पष्ट विचार हैं और अन्य दलों के नहीं? प्रधान मंत्री जी को पहले इसे स्पष्ट रूप से वापस लेना होगा। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगें।

[हिन्दी]

डा॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को अपनी इच्छा को सदन में स्पष्ट करना पड़ेगा। अपनी गलतियों को प्रधान मंत्री जी दूसरों पर लाद नहीं सकते। प्रधान मंत्री जी को संयुक्त मोर्चा को संभालना चाहिए और दूसरी पार्टियों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।...(*व्यवधान*) संयुक्त मोर्चा को संभालने की इच्छा प्रधान मंत्री जी को डेवलप करनी पड़ेगी। हेल्पलेसनेस से काम नहीं चलेगा कि मैं 14 पार्टियों में घिरा हुआ हूं। आप अपनी गलती को दूसरों पर मत डालिये।...(*व्यवधान*)

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : यहां ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बैकवर्ड क्लास की महिलाएं आज ज्यादा पिछड़ी हैं। अगर महिलाओं का पिछड़ापन दूर करना है तो जो पिछड़ी जातियों की महिलाएं हैं उनको आरक्षण दो तब हम मानेंगे कि आप उनको आगे

बढ़ाने की सोच रखते हैं।...(*व्यवधान*) महोदय, राजनीति में आरक्षण से कभी किसी का भला नहीं हुआ और न होने वाला है। अगर महिलाओं के हमदर्द हो तो जनता दल की सारी टिकट महिलाओं को दे दो, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर महिलाओं के हमदर्द हैं तो अपनी पार्टी में सौ प्रतिशत सीटें महिलाओं को दे दो।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी जी, आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री जार्ज फर्नान्डीज को अपनी बात कहने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अगर यह आरक्षण दिया गया ...(*व्यवधान*) खून बहेगा और कुछ नहीं होगा।...(*व्यवधान*) लाठी और पुलिस उनको नहीं रोक सकेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी जी, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को धक्का पहुंचेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें समाप्त क्यों नहीं करने देते?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : यह समाज को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को सफल नहीं होने दिया जायेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रधान मंत्री जी के बयान पर आपत्ति है और वह आपत्ति दो कारणों को लेकर है। एक तो इन्होंने जो कहा कि वामपंथी दलों को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां इस पर आपस में बंटी हुई है। तो मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं। हमने अपनी पार्टी की भूमिका शुरू से इस सदन में और इस सदन के बाहर और सिलेक्ट कमेटी में हमारे प्रतिनिधि श्री नीतीश कुमार थे, उनकी अपनी टिप्पणी पर हम लोगों ने अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट की थी।...(*व्यवधान*) हमारी भूमिका यह है कि हम इस विधेयक के समर्थक है। इस विधेयक के ऊपर एक संशोधन हम दे चुके हैं, उसका नोटिस हम लोगों को आ गया है। हमारा संशोधन यह है कि जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें पिछड़े वर्गों की महिलाओं का एक विशेष आरक्षण होना चाहिए...(*व्यवधान*) लेकिन हमारी उसके साथ यह भी भूमिका है कि हम लोगों का जो संशोधन है अगर उसे यह सदन अस्वीकार करता है, तो भी हम उस विधेयक को पारित कराने के लिए अपना वोट देंगे। यह हमारी पार्टी की भूमिका है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज दलों के भीतर, अगर आपके दल के भीतर इस पर इस प्रकार की कोई भूमिका नहीं है, मैं यह तो नहीं जानता हूं कि वे दल कौन से हैं, लेकिन जो भी दल हैं हम इतना तो जानते हैं कि यह विधेयक आज लाने के लिए इस सदन में विपक्ष में बैठे हुए लोगों को आपत्ति नहीं है। आपत्ति आपके तथाकथित यूनाइटिड फ्रंट में हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए और हमें उपदेश देने की जगह पर आप बाकी सारे कामों को छोड़ दीजिए, उस विधेयक को अभी इस सदन के अंदर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की काफी इज्जत करता हूं। उनकी सामाजिक स्थिति के संबंध में समग्र देश जानता है। वे स्त्री-पुरूष की समानता में विश्वास रखते हैं। मैं उनका आदर करता हूं। इस संबंध में उनकी वचनबद्धता मेरे समान ही जग जाहिर है। इसलिए जहां तक स्त्री-पुरूष की समानता का संबंध है। हमारे दोनों के विचार समान है। किन्तु श्री फर्नान्डीज काफी समय से इस सभा के सदस्य हैं और उनकी राजनैतिक समझबूझ अद्वितीय है। इस संबंध में कोई सन्देह नहीं है। और उन्होंने वही कहा था जो मैंने कहा है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि अमेंडमेंट जो इसमें हैं वे वही बात कहते हैं जो डिवीजन के लिए शार्ट लिस्टिड है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देखिए आप मेरी बात नहीं समझे या आप यहां जानबूझ कर, तोड़ मरोडकर कह रहे हैं। हमने यह कहा कि हम विधेयक के लिए वोट देंगे। आप विधेयक लाइये और विधेयक को पास कराने के लिए हमारा वोट मिलेगा। हमारे संशोधन के ऊपर मेरा समर्थन निर्भर नहीं है। अगर हमारा संशोधन अस्वीकार हो तब भी हम विधेयक के पक्ष में खड़े होंगे।...(*व्यवधान*) हमारे संशोधन को आप गिरा दीजिए हम फिर भी इस विधेयक को पारित करायेंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं उनसे एक गारंटी चाहता हूं कि वह इसे संशोधित किए बिना पारित कर देंगे। क्या वह ऐसा करेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, यही मैं कह रहा हूं, मेरे विचार से वह हिन्दी नहीं समझते हैं। मैं उन्हें अग्रेंजी में बताऊंगा।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

हम यह कह रहे हैं कि हमने एक संशोधन दिया है। यदि यह संशोधन गिर जाता है—यदि यह गिर जाता है तो भी—हम मूल रूप में विधेयक के लिए वोट देंगे और यह देखेंगे कि यह पारित हो जाएं। यही मैं चाहता हूं, और मेरी पार्टी भी यही चाहती है...(*व्यवधान*)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ...(*व्यवधान*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा समर्थन सशर्त नहीं है। आपका सशर्त है।

[हिन्दी]

हम लोगों का यह कहना है और हमारी यह राय है। वह राय हम रख रहे हैं। वह राय आपको मंजूर नहीं है तब भी हम इस बिल को पास करायेंगे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया मेरी बात सुनें...(*व्यवधान*)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उनका रुख बिलकुल स्पष्ट है ...(*व्यवधान*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अपने अधिकारों की अदला-बदली नहीं की है...(*व्यवधान*)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैंने जो कुछ प्रारम्भ में कहा था, मैं उसे दोहराना चाहता हूं। पहला यह कि मैं स्त्री-पुरूष समानता और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने की बात पर अडिग हूं। यह मुख्य मुद्दा है और मेरे विचार से हम सभी इससे सहमत हैं। इसकी अनेक बातों पर आपत्तियां हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, चाहे ये सही हो या गलत किन्तु ऐसा है। कुछ संदेह हैं, कुछ भ्रम हैं, कुछ मनोवृत्तियां हैं तथा कुछ विगत से चला आ रहा है।

इसीलिए मैंने शुरू में कहा था और मैं यह दोहराता हूं कि यह एक मुख्य सामाजिक उपाय है। इसलिए मैंने कहा कि विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रतिपादन और उनके समायोजन की भी जरूरत है। यदि सरकार बहुसंख्यक क्षेत्र में इसका प्रसार करने के लिए आगे नहीं आ रही है तो मुख्यतः क्योंकि हम महसूस करते हैं कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन आ रहा है और वापस सामाजिक परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि हम एक-दूसरे के विचारों को समझें। श्री जार्ज फर्नान्डीज की कुछ राय है। मेरी कुछ भिन्न राय हो सकती है। श्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर पूरी तरह से उग्र हो जाते हैं। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मुझे पिछली बार यह अनुभव हो गया है इसलिए अब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा?

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं अत्यधिक अहिसंक व्यक्ति हूं, मैं कभी भी हिंसक नहीं हो सकता।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अतः मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मैंने अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध किया है कि उनकी मदद और सहायता से हम एक साथ आ सकते हैं और सर्वसम्मति पर पहुंच सकते हैं। यह बहुत उपयोगी होगा।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : हमारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। सब लोगों को इसकी जानकारी है और इस मुद्दे पर हम एकमत हैं मैं इस बात को दोहराता हूं कि जब तक कि अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को आरएज नहीं दे दिया जाता तब तक हम इस विधेयक से अपने आपकों नहीं जोड़ सकते हैं। इस बारे में कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए। हम अन्य पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के प्रश्न पर तथा अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के प्रश्न पर भावपूर्ण हो जाते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या हमने विधयेक पर चर्चा शुरू कर दी है? यदि ऐसा है तो हमें चर्चा शुरू कर देनी चाहिए...(*व्यवधान*)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : अन्य पिछड़े वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हताश लोगों को शक्तियां प्रदान करने में वे शर्म क्यों महसूस करते हैं? यह सामाजिक न्याय की मांग है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों को शक्तियां प्रदान करने में सभा तथा सरकार शर्म क्यों करती है? इस सभा में यहां 39 महिलाएं हैं; किन्तु केवल चार अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। आप अन्य पिछड़े वर्ग को राजनैतिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए उसे शक्ति क्यों प्रदान नहीं करते हैं? यहां पर अल्पसंख्यक लोगों का प्रश्न भी बिलकुल स्पष्ट है। सामाजिक न्याय की यह मांग है कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए। यही समय है जब हमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक लोगों को राजनैतिक शक्तियां दे देनी चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक मुस्लिम लीग अपने आपको इस विधेयक के साथ नहीं जोड़ेगी जिससे हमारे देश में सामाजिक तथा राजनैतिक असमानता और बढ़ जायेगी। ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके सबको मौका मिलेगा। श्री सुरेन्द्र सिंह मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस समय हम केवल यह चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमें विधेयक पर चर्चा शुरू करनी चाहिए अथवा नहीं; इस विधेयक के गुण-दोष पर नहीं। मैं यह समझता हूं कि यदि यह विधेयक चर्चा के लिए लिया जाता है तो माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इस विधेयक की नियति के बारे में अपना सन्देह व्यक्त किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वामपंथी दलों को कोई परेशानी नहीं है...(*व्यवधान*)। सभा में कांग्रेसी नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी एक साथ है। कल श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और यहां उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मैंने कल सुझाव भी दिया था; हम कल तक इसे पारित नहीं कर सकते; हमें चर्चा शुरू करनी चाहिए, प्रत्येक को अपने विचार व्यक्त करने दें। चर्चा के दौरान विचार व्यक्त किए जायेंगे।

संशोधन किए गए हैं; संशोधन किए जायेंगे। हमें ये संशोधन उचित समय पर करने चाहिए अर्थात प्रथम पठन के बाद करने चाहिए। अतः इस स्थिति में हमें विधेयक के गुण दोष के बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से समस्त सभा से अपील कर रहा हूं, इस चर्चा को शुरू होने दें। चर्चा शुरू होने पर विभिन्न दल अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप इसे रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह चर्चा और विचार-विमर्श की सभा है। एक-दूसरे का सन्देह दूर करना और दूसरों के विचारों को सुनना हमारा कर्तव्य है। अन्ततः कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

आम राय पर पहुंचने का—हम प्रयास कर रहे हैं—प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। किन्तु चेम्बर के बाहर आम राय बनना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया को जारी रहने दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष से अपील कर रहा हूं। चर्चा के माध्यम से आम राय बनने की प्रक्रिया को जारी रहने दें। चर्चा शुरू करने दें। इससे इस सभा की इस वचनबद्धता का पता चलेगा कि एक महत्वपूर्ण उपाय को उस तरीके से नहीं दबाया जाता है जैसा कि कुछ लोग सन्देह कर रहे हैं। लोग यह सन्देह कर रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। अतः आम राय के नाम पर मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अपील कर रहा हूं। चर्चा शुरू की जानी चाहिए। इसे अगले सत्र ले जाया जाना चाहिए। हम इसका विचार नहीं करेंगे। किन्तु इस मुददे के प्रति हमारी वचनबद्धता में कमी नहीं आनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष महोदय, चटर्जी साहब बताएं कि क्या कभी रूस और चीन में जो कम्युनिस्ट देश हैं, जिनके ये फौलोअर हैं, उन देशों में महिलाओं का क्या कभी आरक्षण हुआ है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री सुरेन्द्र सिंह को अनुमति दी है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है, लैफ्ट पार्टीज को छोड़कर प्रधान मंत्री जी ने बिलकुल दुरूस्त बताया कि हर पार्टी में मतभेद है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी शर्त यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो अमेंडमेंट दिया है, उसको इसमें इन्क्लूड कर लिया जाए और इस बिल को रीड्राफ्ट किया जाए और यही नहीं हम जो बहुत से साथी हर पार्टी के यहां बैठे हैं, वे जब आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर इस हाउस में हैं, वे कई मामलों में चुप रहते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव कि यह जो 33 प्रतिशत आरक्षण आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं, यह केवल 33 प्रतिशत पर ही जाकर नहीं रूकेगा, क्योंकि यदि यह बिल पास हो जाए, तो समझो 33 प्रतिशत तो हो ही गया, बाकी जो 67 प्रतिशत बचा है, उसमें से भी इनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अतः मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण आदमियों को जरूर पक्का कर दें। उसमें आप ओ•बी•सी• को ले लें, वीकर सैक्शंस को इन्क्लूड कर लें क्योंकि यह आरक्षण का मामला ऐसा है कि कोई रोज-रोज आने वाला नहीं है और न ही कोई अमेंडमेंट आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी पार्टीज के लीडर्स और हम जैसे जो बैक बैंचर हैं, जिनकी वोट मैटर करेगी, उनके लिए यहां से व्हिप नहीं हो सकता है। अगर वाजपेयी जी व्हिप इश्यू करेंगे तो इनकी बात मानी जाएगी क्योंकि इनकी पार्टी डिसीप्लिन्ड फोर्स है, लेकिन जो यहां बीच में बैठे हैं, इनमें कुछ गड़बड़ है। पंवार साहब अपने पीछे बैठने वालों की तरफ जरा देखें और फिर बताएं। मैं संतोष मोहन देव जी से भी कहूंगा कि अगर कहीं गड़बड़ है, तो हमारी पार्टी को छोड़कर यहां बीच में है। जहां तक ट्रेजरी बेंचेज का सवाल है, गुजराल साहब वैस्ट एफर्ट्स करेंगे, लेकिन जब ये बोलते हैं, तो इनके पीछे बैठने वाले लोग इतना ऊंचा हाथ ऊपर उठाते हैं। इसलिए मैं संजैस्ट करूंगा कि इस हाउस की एक कमेटी दुबारा बनाएं जो इस महिला आरक्षण विधेयक को री-कंसीडर करे, जिसमें जार्ज फर्नान्डीज साहब का सुझाव आए और जो बैक-बैंचर्स हैं, उनके सुझाव भी आएं। कोई भी पार्टी यदि इस पर व्हिप इश्यू करेगी, तो उसको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इनको मालूम है कि बाद में छुट्टी होनी है। इसलिए मेरा अनुरोध है और मैं समझता हूं कि इस बात पर सब सहमत होंगे कि महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद 33 प्रतिशत आरक्षण तो इनका हो ही जाएगा, लेकिन बाकी बचे स्थानों पर भी इन्हें चुनाव लड़ने से कौन रोकेगा। इसलिए इस पर अच्छी तरह से विचार कर के इस बिल को लाएं।

इस बात का एतराज करने की कि ओ•बी•सी• न आये, वीकर सैक्शन न आये।...(*व्यवधान*) मेरा आपसे सुझाव है कि अगले सत्र तक इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करें। हम इनको 33 परसेंट से भी ज्यादा देने को तैयार हैं बशर्ते बाकियों पर रोक न लगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव पहले भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए आया था। आज का सुझाव भी बहुत अच्छा है, हाउस इस पर ध्यान करेगा।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मत्री जी ने बात कही है कि हाउस में सर्वानुमति नहीं बन पा रही है इसलिए वह इस बिल को यहां लाने में सक्षम नहीं हैं। अभी जार्ज फर्नान्डीज साहब ने जो कहा, मैं भी लगभग उसी बात को कहना चाहती हूं कि अगर कोई डिवीजन है जो पिछले सत्र में भी देखने को मिली थी और कल भी जो नजारा यहां देखने के लिए मिला, उससे तो मुझे लग रहा है कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो गुजराल साहब के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उसी में परेशानी है।

दूसरा मेरा कहना यह है कि अभी तो डिवीजन स्वयं गुजराल साहब को लेकर भी है कि वह आखिर कौन से दल के सदस्य की

[कुमारी उमा भारती]

हैसियत से प्रधान मंत्री हैं।...(*व्यवधान*) अभी इस बारे में स्वयं गुजराल साहब को लेकर डिवीजन है। न वह कह पा रहे हैं कि मैं कौन से दल का हूं और न कोई दल अभी यह दावा कर पा रहा है कि वे कौन से दल के हैं। मेरा दूसरा आग्रह यह है कि मैं प्रधान मंत्री जी को राजनीति में आने से पहले जानती हूं। मैं उनका बहुत आदर करती हूं। मैं उनके साहस, उनके धैर्य और शालीनता का भी बहुत आदर करती हूं और निजी तौर पर भी मेरा उनसे बहुत गहरा परिचय रहा है। मैं इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हूं और मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप किस चीज के दबाव में हैं। आप किस बात को लेकर भयभीत हैं। महिलाओं के मामले में आपकी सोच बहुत उदारवादी है, यह सबको मालूम है। जो आपको नजदीक से जानते हैं, उनको भी मालूम है। आप किस चीज का भय खा रहे हैं जिसके कारण पार्लियामैंट में यह बिल डिबेट के लिए नहीं आ पा रहा है। आप इसको बहस के लिए आने तो दीजिए। बहस का अवसर तो आने दीजिए। जो लोग समर्थन कर रहे हैं ओ॰बी॰सी॰ का या माइनोरिटीज का जिसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी इस बात को मानती हूं कि गिट्टे तोड़ने वाली महिला और एस्टीम चलाने वाली महिला में अंतर एयरकंडीशंड बैडरूम में बैठने वाली महिला और खेत के कीचड़ में काम करने वाली महिला में अंतर है और बनातवाला चाचा जी अभी जो बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वह महिलाओं के लिए मांग करते हैं। मैं चाहती हूं कि बनातवाला साहब तलाक, विवाह और विरासत के कानून में, पर्सनल लॉ में स्त्री और पुरूष के अंदर जो अंतर है, अगर वह उसका विरोध करने के लिए तैयार हो जायें और पर्दा प्रथा का खुले आम विरोध करें और यह घोषणा करें कि भारत के अंदर किसी भी मुस्लिम स्त्री को पर्दे के अंदर नहीं रहना चाहिए...(*व्यवधान*) अगर वह यह घोषणा यहां करें कि भारत की हर मुस्लिम स्त्री को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति मिले, इसकी घोषणा करें...(*व्यवधान*) तो मेरा कहना है कि उनके इस प्रस्ताव पर भी इस बहस में विचार हो...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इनके मन की बात कहती हूं तो यह ताली बजाते हैं और जब मैं वह बात कहती हूं तो...(*व्यवधान*) इस प्रकार की आपत्ति करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि आप आज ही इसी वक्त इस बिल को यहां बहस में लाइये। सभी प्रकार की बातों को उस बहस में शामिल होने दीजिए। हाउस की सर्वानुमति बनने दीजिए और हमारी पार्टी के लोग किसी भी *कीमत पर पार्टी लाइन की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं* ...(*व्यवधान*) मैं प्रधान मंत्री जी को यह बता देना चाहती हूं। आपने लैफ्ट की बात तो कही क्योंकि आपका लैफ्ट के साथ कुछ प्रगाढ़ संबंध हैं लेकिन आप थोड़ा सामने का भी ध्यान रखिये। हमारे यहां भी इस बात को लेकर डिवीजन नहीं है जैसे कि जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कहा। आप इस बिल को यहां बहस में लाइये। बहस में सब अपनी-अपनी बातों को रखेंगे और अंत में वोट पड़ेगा तो कम से कम मेरी पार्टी की तरफ से पार्टी लाइन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे प्रधान मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सबको एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि इस डिसकशन का नतीजा क्या निकलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर पार्टी का एक-एक सदस्य बोलेगा तो कितनी पार्टियां हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 32 राजनैतिक दलों से अधिक दल हैं।

[हिन्दी]

एक-एक आदमी बोलेगा तो उससे क्या नतीजा निकलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : हमारे पास चर्चा के लिए अनेक अन्य मुद्दे हैं। हमने उनके लिए सूचना दे दी हैं।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो सवाल रखे, उसमें सबसे ज्यादा कष्ट कांग्रेस के साथियों को हुआ। आज ही कांग्रेस के नागालैंड के एक मैम्बर की महिला बिल पर साफ मंशा थी कि जब तक ओ॰बी॰सी॰ और माईनौरिटीज का सवाल इसमें नहीं आए तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के साथी या श्री जार्ज फर्नान्डीज, जो सबसे सीनियर साथी हैं, उन्होंने जो बातें कहीं हैं, मैं जानता हूं कि समता पार्टी की मंशा 33 प्रतिशत ओ॰बी॰सी॰ और माईनीरिटीज की है। लेकिन जिनके साथ जार्ज साइब हैं, वे दोनों को खुश रखना चाहते हैं। जो आगे

के बैंचों में बैठे हैं, उमा भारती जी भी दोनों को खुश रखना चाहती हैं। ये पिछड़ों का वोट लेने के लिए उनको भी खुश रखना चाहती हैं। उनका माईनौरिटीज से कोई मतलब नहीं है। जहां तक महिला बिल का सवाल है, कल भी इसपर सदन में काफी जोरों से चर्चा हुई थी। सुरेन्द्र जी ने सवाल रखा कि एक कमेटी पुनः बने। जहां तक संयुक्त मोर्चे का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने तो 5 महिला मंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि हम महिलाओं के सबसे ज्यादा पक्षधर हैं। हमारी समाजवादी पार्टी जो संयुक्त मोर्चा के साथ है, वह लैफ्ट पार्टी से भिन्न नहीं है। लेकिन हम ओ॰बी॰सी॰ और माईनौरिटीज के सबसे बड़े पक्षधर हैं। इन सवालों पर कोई समझौता नहीं होगा। हम सदन को बंटने नहीं देना चाहते। इस बिल को प्रधानमंत्री जी तब यहां लाएं जब नई छोटी कमेटी बनाकर पुनः इस बिल में सुधार किया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : ...**

उपाध्यक्ष महोदय : इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उनको औरों से मतलब नहीं है। लेकिन हमें गांवों में रहने वाली महिलाओं से मतलब है। इसलिए गांवों की महिलाओं की उपेक्षा करके...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह क्या बात है।**...*(व्यवधान)* आप इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस टिप्पणी को रिकार्ड से निकाल दीजिए।...*(व्यवधान)* यह क्या मतलब हैं। यह क्या शुरू हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।

[अनुवाद]

मैं वे सभी बातें रिकार्ड से निकाल रहा हूं। अब आप बैठिए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वाराज : उपाध्यक्ष जी, इसे आप रिकार्ड से निकालिए।...*(व्यवधान)* ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा जी, मैं वे बातें रिकार्ड से निकाल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चाहता हूं कि इस बिल को लाने से पहले ओ॰बी॰सी॰ और माईनौरिटीज को भी इसमें शामिल किया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर की कुछ और भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। यदि आप ऐसे करेंगे तो मैं किसी चीज को लाने के लिए ऐलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत चर्चा हो गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : करना क्या चाहिए, इस पर खंडों में भाषण हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया सभा पर नियन्त्रण करें और दूसरे माननीय सदस्यों को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी को बोलने देंगे या नहीं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, मैंने श्री फातमी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कुछ रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की तरफ आपकी निगाह गई। मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से सदन को और सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग भी महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। हम स्पष्टरूप से कह चुके हैं कि महिलाओं को पूरा-पूरा सम्मान, चाहे राजनीतिक सम्मान हो या सामाजिक सम्मान हो, मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक ही आपत्ति है। वह यह है कि इसके अंदर पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अक्लियत की महिलाओं को जोड़ा जाए। यहां पर लैफ्ट फ्रंट की और कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। आज ये बड़े ऐलानिया तौर पर ऐलान करते हैं कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। लैफ्ट फ्रंट वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पोलित ब्यूरो में एक भी महिला सदस्य है? इसी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर अभी दो दिन पहले चुनाव हुए, मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि उनके यहां एक भी महिला चुनकर क्यों नही आई? फिर किस तरह का राजनीतिक आरक्षण आप उनको देना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* ये लोग मुल्क के अंदर गलत प्रचार करना चाहते हैं ये लोग कहीं भी महिलाओं को इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज यहां इन्होंने कह दिया, स्पष्टरूप से बता दिया कि पिछड़ों को भी आरक्षण चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस मामले में मत जानने की कोशिश की जाए तो पता चल जाएगा कि जितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, जितने भी दलित लोग हैं, जिस तरह से बिल लाया जा रहा है, उसके खिलाफ हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही वह दुरूस्त है। पूरे सदन के अंदर विभाजन है। हर पार्टी के अंदर टूट है। जार्ज फर्नांडीज जी ने भी कहा, वे भी चाहते हैं कि पिछड़ी जाति और अक्लियत की महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मैं एक मर्तबा फिर से कहना चाहता हूं कि इस बिल का स्वागत है, लेकिन संशोधन के साथ यह आना चाहिए, जिसमें पिछड़ी जाति और अक्लियत वालों को भी शामिल किया जाए।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, महिला आरक्षण बिल पर हमारी पार्टी का व्यू पाइंट साफ है। हम महिलाओं का सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, महिलाओं को अधिकार देने के लिए हम इसका समर्थन करते हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जब माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी मजबूरी जाहिर की कि एकमत नहीं बन रहा, अगर नहीं बन रहा तो तीन दिन से यह चर्चा चल रही है, कितने ही और महत्वपूर्ण इश्यू हैं जो डिसकस किए जा सकते हैं। इसमें पहले सरकार अपना एकमत क्यों नही बनाती? सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस देश में यदि किसी महिला को वोट पाने का अधिकार मिला है तो वह अंग्रेजों के खिलाफ गुरूद्वारा की लड़ाई लड़कर जो शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी का हैड बना, उसमें महिला को वोट का अधिकार मिला। मुझे इस बात का दुख है कि आज माननीय प्रधान मंत्री जी महिलाओं के रिजर्वेशन बिल के मामले में अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर रहे हैं और शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट सरकार ने रातोंरात चेंज कर दिया। पिछले वर्ष जब इलेक्शन हुए, उसमें रिजर्वेशन कर दिया और तब किसी ने नहीं पूछा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस देश में माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किन लोगों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलता। माइनॉरिटीज हमारे देश में ऐसी हैं जिनको यहां आने का मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में कितने सिख हैं? उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद सिख नहीं आता। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज कमीशन में सिख मेम्बर नहीं लिया जाता। इस देश में केवल एक वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी कमीशन में सिख को लिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रिजर्वेशन का मामला अगर छेड़ना ही है, पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि महिला को रोका किसने है? पार्लियामेंट में सारी की सारी महिलाएं भी आ सकती हैं। जब कहीं रोका ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत है तो उसको आज यहां आने का मौका क्यों नही मिलता? इसका सर्वे होना चाहिए। उसके लिए कमेटी होनी चाहिए और वह कमेटी यह सोचे और समझे कि किन-किन लोगों को यहां आने का मौका नहीं मिलता। जहां-जहां भी माइनॉरिटीज हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए और कमेटी बननी चाहिए तथा महिला के साथ-साथ माइनॉरिटीज का भी रिजर्वेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भारी हृदय से तथा दुःखी होकर शुरू कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है। कृपया उनकी बात ध्यान से सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री संतोष मोहन देव को ही अनुमति दी है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इस वर्ष 4 जुलाई को एक युवक तथा एक 35 वर्षीय समाज सेवक श्री संजय घोष का असम में माजुली नामक स्थान से अपहरण किया गया था। इसके बाद आतंकवादियों के एक गुट, अल्फा (यू एल एफ ए) ने यह दावा किया है कि उसका अपहरण उन्होंने ही किया है।

श्री घोष, एक सुशिक्षित युवक हैं जो एक अत्यंत सम्पन्न परिवार से हैं, उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया था। उनकी संस्था, 'एवार्ड', सम्पूर्ण देश में कार्यरत है और विशेषतः पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब असम में एकीकृत शासन है अर्थात्, सेना तथा पुलिस एक साथ ही कार्य कर रही है, तब भी उन्हें पिछले चार दिनों में भी ढूंढा नहीं जा सका है। अखबारों में कई भ्रमित कर देना वाली खबरें छपी हैं। और अंततः यह ज्ञात हुआ कि अल्फा ने कहा है कि सैनिक कार्रवाई के दौरान एक चट्टान से गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी।

मैं सरकार का तथा इस महान सदन का ध्यान आतंकवादियों की गतिविधियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब वे सामाजिक गुटों अथवा संस्थाओं के विरूद्ध कुछ करने की चेष्टा करते हैं तो वह यह कहने का प्रयास करते हैं कि वह भ्रष्टाचार से मुक्त भारत चाहते हैं। यह युवक, श्री घोष, इसी क्षेत्र में कार्य करते थे।

एक परियोजना जो बी॰डी॰ओ॰ द्वारा 3 लाख रुपयों में पूरी की जाती, उसे श्री घोष की संस्था मात्र 50,000 रुपयों में पूरा करती है। इसीलिए ठेकेदार तथा भ्रष्ट अधिकारी जो अल्फा से मिले हुए हैं उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था। असम के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले धन का कुछ प्रतिशत अल्फा को भी देना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इस नवयुवक का उद्देश्य इस धन को मुक्त कराकर उसका उचित उपयोग करना था। अब उन्हें मार दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सेना का कहना है कि सिविल प्रशासन इसका ज़िम्मेवार है और सिविल प्रशासन का कहना है कि सेना ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। मैं किसी के भी विरूद्ध नहीं बोलूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाय उद्योग असम से चल रहा है। रिलायन्स वहां एक 'गैस क्रैकर प्लान्ट' खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे श्री पी॰वी॰ नरसिन्हा राव के समय में ही मंजूरी मिल गई थी, परंतु अब उन्होंने असम से बाहर ही यह प्लान्ट खोलने का निर्णय किया है। 'आयल इंडिया' तथा 'ओ एन जी सी' में नियुक्त किए गए प्रोद्योगिकी कीविद भी असम जाने से इंकार कर रहे हैं। वहां आतंकवादियों का राज है। प्रत्येक अधिकारी को ज़बरन ही अपने वेतन का कुछ प्रतिशत आतंकवादियों के सुपुर्द करना पड़ता है।

इस मृत्यु से पूरे देश में भय छा गया है। कल दिल्ली में, लगभग 10,000 युवक व युवतियों ने एक जलूस निकाला तथा माननीय अध्यक्ष महोदय को तथा सभी राजनैतिक पार्टियों को ज्ञापन पत्र दिया। मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने यह आदेश दिया है कि परेश-बरूआ को गिरफ्तार किया जाए। इस विषय में एक अंतर्राष्ट्रीय वारंट भी ज़ारी किया गया है। परंतु तब गृह मंत्रालय कहां था जब अपहरण तथा हत्या की घटनाएं प्रति दिन घटित हो रही थी? परेश बरूआ तो इसके तो इससे भी पहले से ही जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने यह पहले क्यों नहीं किया? यही प्रश्न जनता भी पूछ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को उन आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए जो सभ्य तथा ईमानदार समाज सेवियों को पूर्वोत्तर में कार्य नहीं करने देना चाहते। मैं आपके जरिए सरकार से अपील करता हूं कि वह सभा में विवरण प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ईश्वर प्रसन्ना हज़ारिका।

(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। पूर्वोत्तर में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सब नोटिस वहां हैं। मैं अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हज़ारिका को बुलाया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हज़ारिका (तेजपुर) : महोदय, गृह-मंत्रालय ने जारी किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

डा॰ रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो भी बोल रहे हैं, वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी रेकार्ड नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री हज़ारिका बोलेंगे।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : महोदय, हिमाचल भी उत्तेजित है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बारी का इंतजार करें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : गृह मंत्रालय ने असम की सरकार को निदेश जारी कर दिए हैं कि उन्हें अभियोजन चलाना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए तथा अल्फा के कथित कमांडर-इन-चीफ को एक समाज सेवी तथा एनजीओ कार्यकर्ता, संजय घोष की घृणित, वीभत्स तथा नृशंस हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। यह एक अत्यंत असाधारण परिस्थिति है। संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य की प्राथमिक तथा सर्वोच्च जिम्मेदारी है। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि केन्द्रीय-सरकार को राज्य सरकार के लिए किसी अपराध विशेष के अपराधी के विरूद्ध कदम उठाने के लिए कोई निदेश

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

जारी करने पड़े। अतः गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण कुछ प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

प्रथमतः ऐसा क्यों है कि गृह मंत्रालय राज्य सरकार को अपराधी के विरूद्ध कदम उठाने के निदेश देना आवश्यक समझती है? क्या केन्द्रीय सरकार ने असम में एजीपी सरकार की क्षमता, योग्यता तथा इच्छाशक्ति में विश्वास खो दिया है? उनका विचार यह है कि यदि राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया तो अपराधी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए निदेश जारी किए गए हैं। यदि नज़रिया यही है तो मैं गृह मंत्रालय से पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि असम में आज हमारी ऐसी सरकार है जो निष्क्रय है तथा वहां के लोगों के दुःख व पीड़ा के प्रति पूर्णरूप से संवेदनहीन है।

फिर हमारे पास संविधान का अनुच्छेद 355 है जो सरकार को आदेश देता है...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : ...राज्यों को विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के कर्त्तव्य...*(व्यवधान)* यदि इस अनुच्छेद के तहत यह निदेश जारी किया जाता है तो क्या सरकार अन्य मामलों, जैसे हाल ही में गुवाहाटी में हुई ब्रिगेडियर तथा कप्तान की हत्या, में भी वैसा ही करेगी?

एक माननीय सदस्य : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या यह सरकार महाराष्ट्र सरकार को भी मुम्बई में की गई गुलशन कुमार की हत्या के जुर्म में दुबई में बैठे श्रीमान् क के खिलाफ कदम उठाने के लिए निदेश जारी करेगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटित हों? यह एक असाधारण सी स्थिति है कि केन्द्र सरकार एक लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार को एक अपराधी के विरूद्ध कदम उठाने के निदेश देना उचित समझती है...*(व्यवधान)* अतः, इससे मैं केवल एक ही निष्कर्ष निकालता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कर दीजिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : ...कि सरकार का विश्वास वहां ए जी पी सरकार से उठ गया है। अतः, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि ए जी पी सरकार अपराधी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी और इसीलिए मैं इस निदेश का स्वागत करता हूं। परंतु, इसके साथ ही, ...*(व्यवधान)* सरकार को राज्य में ए जी पी सरकार को एक चेतावनी देनी चाहिए कि जब तक वे कोई उचित कदम...*(व्यवधान)* कानून और व्यवस्था की स्थिति में सार्थक सुधार लाने के लिए नहीं उठाएंगे ...*(व्यवधान)* तब तक केन्द्र को कोई वैकल्पिक कदम उठाना ही पड़ेगा चाहे वह संविधान के अनुच्छेद 356 को ज़ारी करना ही क्यों न हो।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पटना हाईकोर्ट ने कल जो ऐलान किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको मौका दूंगा। प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते? कृपया इंतज़ार कीजिए। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : महोदय, पटना हाई कोर्ट का यह कहना है कि बिहार में कानून और व्यवस्था अभी यहां तक आ कर पहुंची है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं आपको पहले ही अनुमति दे चुका हूं। अब कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, संविधान की धारा 356 के अलावा आज बिहार के लिए दूसरा कोई सहारा नहीं है। यह पटना हाई कोर्ट का कल का ऐलान है...*(व्यवधान)* इस ऐलान पर हाई कोर्ट को तब आना पड़ा जब हर ज़िले के स्तर पर लोगों के विकास के लिए आबंटित किया हुआ पैसा अधिकारियों ने राजनेताओं के साथ मिल कर हड़प कर लिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री नीतीश कुमार *पीठासीन* हुए)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, हम बिहार के संबंध में मामला उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम उसके लिए तीन वर्ष से लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं पहले ही अगले विषय पर पहुंच चुका हूं अर्थात् नियम 377 के तहत मामले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऐसे हाउस नहीं चलेगा। आपने पहले समय का उचित इस्तेमाल नहीं किया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसे हाउस नहीं चल सकता। अब आप इसे दूसरे दिन लाने की तैयारी कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो सोनकर साहब बोलेंगे, वह रिकार्ड में जाएगा।

*(व्यवधान)***

अपराह्न 2.08 बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 2.08 बजे

इस समय, श्री सुख राम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले आप लोग अपने स्थान पर जाइए। क्या वैल में आना आपको शोभा देता है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले बैठ जाइए, बैठने के बाद अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह प्वाइंट आफ ऑर्डर उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.09 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य वापिस अपने-अपने स्थान पर चले गए।

अपराह्न 2.09 बजे

इस समय, श्री सुख राम और कुछ अन्य माननीय सदस्य वापिस अपने-अपने स्थान पर चले गए।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं आपके सामने जो बात उठाना चाहता हूं वह किसी पार्टी के पक्ष या उसके खिलाफ नहीं है। पूरे देश में जो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : नहीं महोदय, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इस समय हम 356 पर बात नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सामना कर रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप प्वाइंट आफ ऑर्डर सुन तो लीजिए। वह उसे रेज करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्वाइंट आफ ऑर्डर सुने बिना क्या कह सकते हैं?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जीरो आवर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह जीरो आवर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : महोदय, हम अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : अब शून्यकाल समाप्त हो गया है।

श्री सत महाजन : हम इसे नहीं मानते। हिमाचल प्रदेश में 500 आदमी मर गए हैं। आप इसे छोटी बात मान रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत महाजन : वहां पर 500 आदमी मर गये हैं।

सभापति महोदय : आप लोग एक मिनट बैठ जाईये। राम नाईक जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री राम नाईक : सभापति जी, यदि किसी कारण से...

श्री सत महाजन : सर, इनको क्यों मौका दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं?

सभापति महोदय : क्या ऐसा कोई रूल है कि सिर्फ आप ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता? आप ऐसा रूल बता दें कि सिर्फ आपको ही मौका मिले। यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो पहले आप बैठ जाईये। राम नाईक जी कुछ कह रहे हैं।

श्री सत महाजन : वहां पर 500 आदमी मर गये हैं।

सभापति महोदय : यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो पहले बैठ जाईये। राम नाईक जी को सुनिये।

श्री राम नाईक : मेरा सुझाव है कि कुछ सदस्यों को बोलना था और मौका नहीं मिल सका। अब कल अंतिम दिन है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स का महत्व है, वह पूरी होनी चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि जिन जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, उनको कल के जीरो आवर में बोलने का मौका मिले तो पूरा बात कर पायेंगे...*(व्यवधान)* नहीं तो आपने यदि एक सदस्य को भी आज बोलने का मौका दिया तो दूसरा कहेगा कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। इस भूमिका में मेरा निवेदन है कि यदि आप यह एश्योरेंस दे दें कल सब को बोलने दिया जायेगा तो बात पूरी हो सकती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक मिनट बैठ तो जायें। आप इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ भी रेकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, दोनों के एक साथ बोलने से बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। आप इनको सुन तो लें।

श्री राम नाईक : इसलिये मैं कह रहा था कि जब जार्ज साहब बोल रहे थे तो उस बात को आप देख लें कि पूरा करना है, आप निर्णय कीजिये। जहां तक जीरो ऑवर की बात है, मुझे मालूम है कल भी ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा है तो जीरो ऑवर में सदस्यों की बात आ नहीं पाती। अब कल अंतिम दिन है, आपको फैसला करना है कि किस प्रकार से जीरा आवर को डील करना है।

सभापति महोदय : एक बात तो यह हो सकती है कि जिन सदस्यों ने जीरो ऑवर के लिये आज नोटिसेज़ दिये हैं, वे कल के लिये मान्य हों और सब लोग कल ही अपनी बात उठायें। आज सरकारी बिजनैस दिया हुआ है, उसको चलने दीजिये। यह संभव है।

श्री सत महाजन : वहां पर 500 आदमी मर गये हैं।

सभापति महोदय : यह मामला कल उठायेंगे तो आसमान से कोई तारा तो नहीं टूट जायेगा?

श्री सत महाजन : ऐसे मामले को रूटीन मैटर में नहीं लें। नेचुरल कलैमटीज हुई है।

सभापति महोदय : हाउस की कठिनाइयों को आप जानिये। पहले आप सुन तो लें। फातमी जी, आप बराबर बोलते जा रहे हैं। अब सवाल है गवर्नमेंट बिजनैस का। यहां पर सप्लीमेंटरी बजट पास करना है। या तो आप तय कर लें कि पहले सप्लीमेंटरी डिमांड्स पास करनी है या फिर आप जीरो ऑवर चलाईये। आपको यह बताना जरूरी है कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स पास होकर राज्यसभा में जायेंगी। इसलिये आप अपनी बात कल उठायें और सरकारी बिजनैस करने दें। आपके नोटिसेज़ कल तक के लिये मान्य होंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यदि आप एक को मौका देंगे तो दूसरों को भी देना पड़ेगा। इसलिये कल उठा लें।

सभापति महोदय : इसलिये हमारा सुझाव है कि यदि इनको मौका देंगे तो सब को देना पड़ेगा और फिर जार्ज साहब ने अपनी बात खत्म नहीं की थी, उनको मौका देना होगा और अब प्रिय रंजन दास मुंशी ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। तो ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, क्या आप हमें सुनना नहीं चाहते?

सभापति महोदय : नोटिस तो जीरो ऑवर का है, बेहतर है आप कल उठायें। आज गवर्नमेंट बिजनेस चलने दीजिये।

अपराह्न 2.14 बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यहां से तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.15 बजे

इस समय श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक खास स्थिति में हिमाचल की बाढ़ के मामले को उठाने की इजाजत दी जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फैसला कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिमाचल की बात पहले सुनेंगे। उसके बाद बिहार की बात सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तब तो सभी को मौका देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। अगर सबको सुनना है तो सबसे पहले श्री जार्ज फर्नान्डीज़ अपनी बात कह रहे थे। उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद सब अपनी बात कहें। मैंने तो सुझाव दिया था कि कल सारी बात हो। अब आप सभी लोग बोलना चाहते हैं। अगर सभी लोग बोलना चाहेंगे तो जो बोल रहे थे, पहले उन्हीं को मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह से गलियारे में खड़े होकर नहीं बोला जाता। अपनी सीट पर जाइए। आप दूसरों को फौलो मत करिये आप एक पुलिस आयुक्त रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, यहां अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं। माननीय सदस्य उनको उठाने के इच्छुक हैं, जिनमें भारी बाढ़ का मामला भी सम्मिलित है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं। हम सभी उसके बारे में चिंतित हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य सदस्य भी कुछ मामले उठाना चाहते हैं। किंतु बात यह है कि सरकारी कार्य अर्थात् अनुपूरक मांगें आज ही पारित की जानी हैं, अन्यथा यह दूसरी सभा में नहीं जा सकती। हमारे पास कम समय है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सरकारी कार्य पहले किया जाए और इसके बाद जो कुछ मामले हैं, उन्हें कल उठाया जाए। केवल हिमाचल प्रदेश का मामला सुनिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किंतु कोई भी सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, यह महत्वपूर्ण है। अतः मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इन मामलों को कल उठाया जाये।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सदस्यों से अनुरोध करें। कोई भी आपका सुझाव स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि सी॰बी॰आई॰ की इनक्वायरी हुई थी, उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी भी आप मेरा एक अनुरोध मान लीजिए। सुख राम जी को मैं कहूंगा कि अब तो मंत्री ने रेस्पोण्ड कर दिया। यह बात समूचे देश में चली गई कि आप हिमाचल के सवाल को उठाना चाहते थे। आप विस्तार से उसको कल उठाएं। बाकी सारे विषय भी कल उठाए जाएं। आज गवर्नमेंट बिज़नेस पास कर लें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर कल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) **:** हमने ऐडजर्नमेंट नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हिमाचल में जो फ्लैश फ्लड आया है जिसमें इतने लोगों की जान गई है और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। इस सारी स्थिति पर सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। सरकार इस पर एक वक्तव्य दे, यह बात हो गई।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : हां महोदय...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सारे विषय जिनके बारे में आज नोटिस दिये गए हैं, श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के विषय को मिलाकर, वह कल लिये जाएंगे और आज के नोटिस को कल मान्य किया जाएगा।

सभापति महोदय : अब रूल 377 के अधीन मामले चलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : देखिये दो बजकर बीस मिनट हो रहे हैं, अभी बजट पास होना है और फिर वह राज्य सभा में जाना है। यह ठीक नहीं है, आप यह कल उठाइयेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसको कल रेज कर लीजिए। सारी बात सब लोग बोल चुके हैं, अब इसको कल लीजिए। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कल ही सब रेज कीजिएगा। आप लोग क्यों खड़े हैं, आपके लिए सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है। क्या आप केवल बोलने के लिए बोलना चाहते हैं, या कोई डिमांड करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तो आप बोलने के लिए बोलना चाह रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बोलिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सवाल दो मिनट का नहीं है। सवाल यह है कि सब लोग बोलना चाहते हैं, सभी लोग बोलेंगे। सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है। सारे मैम्बर्स अपनी चिंता प्रकट करना चाहते हैं। एक को मौका मिला तो सबको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग बिहार के सदस्य वैल में चले आयेंगे तो केवल बिहार का ही सवाल नहीं है। सब लोग अपने-अपने राज्य के सवाल उठायेंगे। अकेले बिहार का मामला नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप एक मिनट बैठ जाइये। आप पहले बैठ जाइये। हमारा एक प्रोपोजल है, आप सुन तो लीजिए। अब आपको हम पहले कह रहे हैं कि सुन लीजिए। या तो आप ऐसा करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठकर सुनना चाहेंगे या नहीं।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। यह प्रायोरिटी पर आता है। आपको इसको लेना चाहिए।

सभापति महोदय : आप कौन सी कोर्ट में रहे हैं। आप बैठिये सवाल साफ है कि अगर आप इश्यूज रेज करना चाहते हैं तो एक उपाय हो सकता है। सरकार का बजट का बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है, उसको आप बिना बहस के पास कर दीजिए, इसके बाद आप जो इश्यूज रेज करना चाहते हैं, करिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर सदन की यह राय हो तो यह हो सकता है। आप बैठिये, इस पर कल बात हो सकती है। वरना यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है, इसको राज्य सभा में भी जाना है। ऐसा संभव नहीं है कि आप इस ढंग से किसी एक सवाल पर बिजनेस स्टॉल नहीं कर सकते हैं। आपको कोआपरेट करना पड़ेगा। आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो सरकार को भी अपने बिजनेस को यहां पर पूरा करना होगा। या तो आप इस बिजनेस को बिना बहस के पारित करिये, इस पर हम आपकी राय चाहेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं दो मिनट का समय नहीं है, यह पूरे एक घंटे का समय लेगा। उधर जॉर्ड फर्नांडीज बोल रहे हैं, लोढ़ा जी को बोलना है, श्री पी॰आर॰ दासमुंशी को बोलना है, आप सब लोगों को भी बोलना है, सब लोग बोलना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें समय लगेगा। आप हाउस को एग्री करा दें, गवर्नमेंट बिजनेस करा दीजिए, उसके बाद आप बोलिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनके सुझाव को सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं...*(व्यवधान)* कृपया हिमाचल प्रदेश के सदस्यों को दो मिनट के लिए सुनें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका सुझाव क्या है?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मेरा सुझाव है कि आप दो मिनट हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्यों, दो मिनट रा॰ज॰द॰ संसद सदस्यों और दो मिनट श्री जार्ज फर्नांडीज की बात सुनें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उन्हें दो मिनट सुनने का प्रश्न नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि या तो आप उन्हें सुनें और तत्पश्चात् अनुपूरक मांगें शुरू करें अथवा आप अनुपूरक मांगों को पूरा करने के लिए सभा की राय लें और सुनिश्चित करें कि आज अनुपूरक मांगें पारित करने के बाद इस मामले को लेने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर आप सबकी राय हो तो यही हमारा सुझाव है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अगर आप उन्हें एलाव करेंगे तो हम भी बोलेंगे। हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हिमाचल के ईस्यू पर सरकार ने भी कह दिया और गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने के लिए चेयर से भी डायरेक्शन हो गई फिर क्या आप सिर्फ मैटर को रेज करने के लिए रेज करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं सबको अनुमति दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इसे कल भी सदन में रेज कर सकते हैं। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर भी रिक्वैस्ट कर रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं है। इस सवाल को कल भी उठा सकते हैं। इसमें क्या प्रौब्लम है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हिमाचल में फ्लड के ईश्यू पर गवर्नमेंट भी स्टेटमेंट देगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरी बात मानिए और इस सवाल को कल उठाइए। अब नियम 377 के अधीन मामलों को टेक-अप करने दीजिए। कल इस सवाल को उठाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं, इस सवाल को आप कल उठाइए। आपके सारे नोटिस कल के लिए वैलिड रहेंगे। सभी माननीय सदस्य कल इस ईस्यू को उठाएं, इसमें क्या प्रौब्लम है। जिन्होंने आज के जीरो-ऑवर के लिए नोटिस दिए हैं, वे सब कल के लिए वैलिड रहेंगे। जिन्होंने नहीं दिए, वे भी नोटिस दे सकते हैं, उनके नोटिस भी आयेंगे और आज के नोटिस भी आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : हम बहुत समय से नोटिस देते आ रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप चेयर के साथ को-ओपरेट कीजिए। फातमी साहब, राम कृपाल जी, आप सभी सीनियर मैम्बर्स हैं। काफी बात हो गई।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यकीन मानिए, ऐसा नहीं हो सकेगा। इसमें कम से कम दो घंटे लगेंगे क्योंकि सारे लोग बोलना चाहते हैं - यह कैसे संभव है। ऐसा संभव नहीं है। इसे आप कल उठा लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी•आर• दासमुंशी : आप केवल हिमाचल प्रदेश में हुए हादसे पर बोलने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको मालूम नहीं है, यह दो मिनट का मामला नहीं है बल्कि दो घंटे का मामला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी•आर• दासमुंशी : महोदय, यह एक मानव त्रासदी है... *(व्यवधान)* हिमाचल की ट्रेजडी के बारे में शायद आपको पता नहीं है। वहां 500 लोग मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कल ले लेंगे।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमानमल लोढा : सभापति जी, बिहार के मामले पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए ...*(व्यवधान)* इस मामले पर होम मिनिस्टर को सदन में स्टेटमेंट करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कल ले लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां लीडर ऑफ द हाउस बैठे हैं। जो भी सवाल उठाना हो, कल उठा लीजिए।

श्री के•डी• सुल्तानपुरी : आप हमारी बात भी सुन लीजिए। हमारे नेता सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी• चिदम्बरम् : महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि यहां...*(व्यवधान)*

श्री पी•आर• दासमुंशी : हिमाचल प्रदेश में एक मानव त्रासदी हुई है। क्या इसे सभा में नहीं सुना जाना चाहिए? 500 लोग मारे गए हैं। अतः उन्हें सुना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : फिर आप हाउस को कंडक्ट कर लीजिए। यदि इन्हें एलाव करने की बात आएगी तो सारे लोगों को एलाव करना पड़ेगा। दासमुंशी जी, क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि हिमाचल की ट्रैजडी यह हाउस सुनना नहीं चाहता। वहां की ट्रेजडी के बारे में समझकर ही मिनिस्टर ने रैस्पौंड किया तथा चेयर से कहा गया कि सरकार स्टेटमेंट दे। फिर क्या आप सिर्फ बोलने के लिए बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि एक संसद सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसे बोलने का अधिकार है। अतः आप ऐसा नहीं कह सकते।

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप समस्या पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है। क्या किया जा सकता है?

(व्यवधान)

श्री पी॰ चिदम्बरम : सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया वित्त मंत्री को सुनें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मानव त्रासदी को अन्य सभी से पहले लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। किंतु हमें वित्त मंत्री को सुनने दें।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, मुझे एक सुझाव देने दें। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, जिसे अन्य ने महसूस नहीं किया हो या नहीं कहा हो। मेरा विनम्र सुझाव है कि पहले 10 मिनट अथवा लगभग इतना समय हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्य को त्रासदी के बारे में कुछ कहने के लिए दें। तत्पश्चात् कृपया 45 मिनट या लगभग इतने समय में अनुपूरक मांगों का निपटान करें और उसके बाद कृपया किसी को कोई मुद्दा उठाने दें जो वह चाहें। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, हिमाचल के इश्यू को उठाने देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन 45 मिनट में सप्लीमैंट्री डिमांड्स कैसे होंगी?

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होगा। यानी हिमाचल के इश्यू को रेज करने के बाद बजट टेकअप किया जायेगा। इसके बाद बाकी समय में यदि आप बाकी इश्यू रेज करना चाहेंगे, तो रेज कर सकते हैं। यह बात होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी नहीं होगा। आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक घंटे के बाद, गवर्नमेंट बिजनेस के बाद उठायेंगे तो आसमान से कोई तारा नहीं टूट जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : सभापति महोदय, हम श्री चिदम्बरम् के आभारी हैं कि उन्होंने इस समस्या को हल किया।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : सभापति महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। हिमाचल के इश्यू के बाद आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हिमाचल के इश्यू के बाद कोई दूसरा इश्यू नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कोई रास्ता तो निकालने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कितनी बार बताया जाये कि कब सुना जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : महोदय, हम श्री चिदम्बरम और अन्य मंत्री जी दोनों के ही आभारी हैं जिन्होंने उत्तर दिया। मुझे श्री दासमुंशी, सारी सभा और आपका भी धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें यह मुद्दा उठाने का समय दिया।

महोदय, समूचा हिमाचल प्रदेश गहरी वेदना और दुख में है। समूचा हिमाचल प्रदेश पानी में डूब गया है। बादल फट गया था और यह बताया गया है कि लगभग 500 व्यक्ति मारे गए हैं। यह न्यूनतम संख्या है जो मैंने बताई है। मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। सरकारी भवन और बहुत से गांव बाढ़ में बह गए हैं। बहुत से ट्रकों और बसों को पानी बहाकर ले गया और वहां संचार में बाधा आ गई है। इसी तरह, सारा खाद्यान्न बह गया। हमारी समस्या यह है कि राज्य सरकार इससे कैसे निपटेगी। पिछले वर्ष उन्होंने सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए ज्ञापन दिया था। केन्द्रीय दल वहां गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आतिथ्य सत्कार का आनन्द लिया, किंतु एक पैसा भी नहीं दिया। हम बाढ़ में बर्बाद हो जाते हैं, किंतु वे हमें एक पैसा भी नही देंगे। यही समस्या है। पिछली बार उन्होंने अनुमान लगाया था कि 18 करोड़ रुपये दिए जाएं लेकिन उन्होंने केवल 18 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने हमारे आतिथ्य सत्कार का आनन्द लिया, किंतु उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया।

[हिन्दी]

निकलता क्या है चूहा। हम चाहते हैं कि कोई पाजिटिव स्टैप लें।

[अनुवाद]

हमें बहलाइए नहीं, हमें उचित सहायता दें। हम त्रासदी और वेदना से गुजर रहे हैं। हमारा राज्य छोटा है। हमें हटा दिया जाता है। चम्बा जिले में 25 करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई है। सभी गाड़ियां चलने से बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बह गए हैं। हम मानवता से परे हैं। हम जल में डूब गए हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए। सारी सभा को हमारी सहायता करनी चाहिए और सरकार को हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के जिला शिमला में राहड़ू एक जगह है। वह पूरी की पूरी तहसील पानी में बह गयी है। वहां कम से कम 40 आदमी नदी में बह गये हैं। उसके अलावा गांव के रास्ते जगह-जगह से टूट गये हैं। नेशनल हाईवे का तो बहुत बुरा हाल है। वहां कालका से किन्नौर जो सड़क जाती है उसमें जगह-जगह नहर बन गयी हैं। यह नुकसान केवल हिमाचल प्रदेश का ही नहीं है बल्कि यह पंजाब और हरियाणा का भी है क्योंकि जब पानी बहेगा तो उसका असर वहां भी होगा। मैं चिदम्बरम साहब और अपने प्रिय नेता श्री प्रियरंजन दास मुंशी तथा इस हाउस को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह मामला हमें उठाने की इजाजत दी है।

सभापति जी, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने सारे रूल तोड़कर केवल हमको ही बोलने का मौका दिया। हमने भारत सरकार से 800 करोड़ रुपये मांगा था लेकिन हमें अभी तक एक पैनी भी नहीं दी गयी।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी वहां जायें और हम उनके साथ चलेंगे। अगर वे नहीं जा सकते हैं, तो चिदम्बरम जी को भेजें या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भेजें। हम चाहते हैं कि खुद वहां जाकर देखें और जल्दी से जल्दी टीम भेजें, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। वहां के सारे रास्ते बन्द हो गए हैं। लोगों को आने-जाने की सुविधा नहीं है। सड़क मार्ग बन्द हो गए हैं। उनका सुधार करने के लिए सरकार प्रयत्न करे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : महोदय, मैं केवल एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश का दौरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मंडी) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, वह शायद ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई हो। इतना बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ है। जैसा कि के॰डी॰ सुल्तानपुरी जी कह रहे हैं, पूरे के पूरे गांव नदी के रूख में बदल गए। सारे गांव तबाह हो गए हैं। कोई भी आदमी जीवित नहीं बचा है। किन्नौर जिले के सारे मार्ग बन्द हो गए हैं। जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं, जितने पुल हैं, वे सब टूट गए हैं। 15-18 गांव तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक जगह तो पहाड़ के टूटने से, सड़क के टूटने से नदी सतलुज पर बांध सा बन गया है। सात किलोमीटर की लेक बनी हुई है।

अपनाह्न 2.37 बजे

(श्री चित्त बसु *पीठासीन* हुए)

वहां कोई आने-जाने का साधन नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सारी सड़कें बन्द पड़ी हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है। सिर्फ एक ही साधन है कि टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रात को मुझे सूचना मिली है, किन्नोर, लाहोलस्फीति और लद्दाख, जो कि हाइयस्ट डैजर्ट है, हालत बहुत खराब है। वहां पर रेत के बने हुए पहाड़ हैं और एक वर्ष में ढ़ाई इंच वर्षा होती है, लेकिन वहां पर इतनी बारिश हुई कि स्थिति खराब हो गई और सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिल सकती है। सूचना के आधार पर 500 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन बहुत सी जगहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत से कास-शैड्स तबाह हो गए हैं और कैटल हैड्स मिले हैं। हजारों लोग बेघरबार हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के मंडी के सुन्दरनगर में अर्थक्वेक आया था, तो मैं प्रधान मंत्री जी से मिला था, लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी गई है। मैं इस बात को सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से आज हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसेस से गुजर रहा है। मैं नहीं समझता कि सड़कों को ठीक करने के लिए जितने रिलीफ की आवश्यकता है और जितने...

सभापति महोदय : आप घटना के बारे में बोलिए।

श्री सुख राम : मैं नहीं समझता कि हिमाचल प्रदेश में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उससे निकल पाने में सक्षम होगा, जब तक कि उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। इसलिए प्रधान मंत्री जी और यहां जो वित्त मंत्री बैठे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि दो-तीन करोड़ रुपए इमिडिएटली हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिए जायें, ताकि वहां पर रिलीफ लोगों को दी जा सके। वहां पर सिर्फ जानकारी के लिए एक ही साधन है और वह साधन है, टेलीफोन, जिससे सारी जानकारी मिल सकती है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश की पार्टी की तरफ से प्रभारी होने के नाते अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

चाहूंगा। हिमाचल के शिमला, किन्नौर जिलों के अंदर भारी वर्षा के कारण तथा चटगांव नामक स्थान पर बादल फट जाने के कारण सतलुज तथा आंध्रा नदी में भयंकर बाढ़ आने से सैंकड़ों व्यक्ति मौत के मुंह में जा चुके हैं। हजारों व्यक्ति लापता हैं तथा करोड़ों रुपए की जन-धन की और पशुधन की हानि हुई है। वहां अत्यंत भयावह स्थिति है।

महोदय, हिमाचल सरकार के पास साधन सीमित हैं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता अविलम्ब कराने का कष्ट करे तथा जो लापता लोग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश पर हुई चर्चा का उत्तर देना है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : सरकार माननीय सदस्यों की वेदना और चिंता में शरीक है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ का मामला उठाकर व्यक्त की है। हम पीड़ित परिवारों, जिन्होंने अपनी संपत्ति गंवाई है और पीड़ा उठाई है, के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति सम्प्रेषित करते हैं। हम राहत प्रदान करने के प्रयासों में हिमाचल प्रदेश के साथ हैं। आज या कल जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार हमें सूचित करेगी, कि वे एक दल प्राप्त करने के लिए है। मैं अपने सहकर्मी कृषि मंत्री जिनके अधीन प्राकृतिक आपदा का विषय है, से तत्काल एक दल भेजने का अनुरोध करूंगा। दूसरे, मैं माननीय मंत्री को माननीय सदस्यों की चिंता से भी अवगत कराऊंगा कि तत्काल राहत दी जाए और मुझे विश्वास है कि कल तक प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश को तत्काल राहत की घोषणा कर देंगे।

अपराह्न् 2.41 $^{1}/_{2}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं, कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम अगले मामले पर विचार करेंगे। हम नियम 377 के तहत विवरणों पर विचार करेंगे।

अपराह्न् 2.42 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) आरक्षित कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई रसोई गैस एजेंसी/पेट्रोल डीलरशिप का लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री विद्यासागर सोनकर (सैदपुर) : महोदय, पेट्रोलियम विभाग द्वारा आरक्षण कोटे के अन्तर्गत एल॰पी॰जी॰ एवं पेट्रोल पम्प की डीलरशिप हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है तथा उनको डीलरशिप तथा एजेंसी जारी की जाती है। किन्तु उनका साक्षात्कार लेकर डीलरशिप देने तक इतना विलम्ब किया जाता है कि जिसके पक्ष में डीलरशिप या एल॰पी॰जी॰ की एजेंसी जारी होती है, उसके दौड़ते-दौड़ते पैर थक जाते हैं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। डीलरशिप या एजेंसी आबंटित होने के बाद भी विभाग द्वारा यह कह कर के दौड़ाया जाता है कि कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है जबकि आवेदन पत्र का जो विज्ञापन किया जाता है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि अमुक एजेंसी के डीलरशिप की पूरी व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जाएगी तथा उसका पूरा पैसा किश्तों में कम्पनी द्वारा डीलरशिप के स्वामी से वसूला जायेगा लेकिन ऐसा व्यवहार में होता नहीं है।

इसके स्थान पर कभी-कभी दूसरे भी व्यक्ति के पक्ष में एजेंसी आबंटित कर दी जाती है जिसकी वजह से आरक्षण कोटे के अंतर्गत विज्ञापन तो निकाले जाते हैं लेकिन उसका प्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिल पाता है।

अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में समुचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें ताकि अनुसूचित जाति एवं अन्य आरक्षित वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

(दो) फिरोजाबाद के औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आगरा के निकट तहसील खेरागढ़ और फतेहाबाद, बाह की आबादी लगभग 20 लाख है। इन क्षेत्रों में उद्योग की दृष्टि से हर विकास की योजना से यह क्षेत्र वंचित है। सारा डाकू बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र चम्बल ओर यमुना के बीच में बसता है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भुखमरी और लाचारी से यह क्षेत्र गुजर रहा है। पढ़ा लिखा

शिक्षित युवक रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण डाकू बनने पर मजबूर हो जाते हैं। आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है जो कि नागरिकों की प्राथमिक जरूरत है। वह पानी के अभाव में नलों और तालाबों का गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं। इस कारण कई संक्रामक रोग और प्राणघातक बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उपरोक्त क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घाषित किया जाए ताकि भारत सरकार और उ॰प्र॰ शासन दोनों मिल कर इन क्षेत्रों का विकास संबंधी कार्य करें और एक बड़े उद्योग की भी यहां स्थापना हो सके, जिससे कि यहां बेरोजगारी की दर में कमी आए।

(तीन) मध्य प्रदेश में विशेषतः जबलपुर क्षेत्र में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में दिनांक 22.5.97 की सुबह 4 बजकर 22 मिनट पर भयंकर भूकम्प का झटका आया। तब से लेकर अब तक अर्थात दो माह के अंदर भूकम्प के छोटे झटके 20 के लगभग आए, इस भूकम्प में म॰प्र॰ शासन के अनुसार 38 मौतें हुई हैं परन्तु अशासकीय आंकड़ा 50 के ऊपर जाता है। साढ़े तीन वर्ष पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के लातूर जिले में, भयानक भूकम्प आया था तथा शासकीय आंकड़ों के अनुसार 10 हजार के ऊपर मौतें हुई थीं। भूकम्प की तीव्रता जबलपुर संभाग में 6.3 थी तथा लातूर में 6.4 थी। भूकम्प केन्द्र की गहराई लातूर में 10 कि॰मी॰ नीचे थीं, जबकि जबलपुर में वह सतह से 30-35 कि॰मी॰ नीचे थी। यह प्रमाणित करता है कि लातूर की अपेक्षा जबलपुर संभाग में भूकम्प अधिक तीव्रता से आया था परन्तु लातूर का भूकम्प ठंड के दिनों में होने के कारण आम जनता घरों में सोयी थी और मकान मूलतः पत्थरों के बने होने के ~~कारण जन~~ हानि हुई। जबलपुर संभाग का भूकम्प गर्मी में होने के कारण 90 प्रतिशत जनता घरों के बाहर सोयी थी तथा मिट्टी के मकान होने के कारण जन-हानि नगण्य हुई।

जबलपुर संभाग में जबलपुर जिला, सिवनी जिला तथा नरसिंह पुर जिला में धन हानि बहुत हुई थी। जबलपुर नगर में यह स्थिति है कि पांच प्रतिशत मकान भी अच्छी हालत में नहीं बचे। 96 प्रतिशत मकानों में या तो मकान धराशायी हो गए हैं अथवा बड़ी-बड़ी दरारें हो गई हैं। यह डर लग रहा है कि आने वाले दो माह में बारिश के कारण हजारों की संख्या में मकान गिरेंगे तथा बड़ी मात्रा में जनहानि होगी।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि उचित सहायता प्रदान कर इस धनहानि तथा मनुष्य हानि को बचाया जाए एवम् संबंधित सभी भूकंपित जिलों को आपदा-ग्रस्त घोषित किया जाए तथा औद्योगिक दृष्टि से यह पूरा क्षेत्र पिछड़ा घोषित किया जाए।

(चार) लद्दाख के अरगोन और सईद जाति के समूहों को अनुसूचित जनजाति घोषित किए जाने की आवश्यकता।

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, आठ जातियों जो लद्दाख की जनसंख्या का लगभग 95 प्रतिशत है, को संविधान के अनुसार 1989 के (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। परंतु, दुर्भाग्यवश दो छोटी जातियों अरगोन और सईद के लोग जिनकी जनसंख्या लगभग 4000 है, को किन्हीं तकनीकी आधारों पर सम्मिलित नहीं किया गया था। यह दो जातियां मूलतः कश्मीर तथा अन्य पडोसी देशों से आई थीं तथा लद्दाख में कई शताब्दियों से रह रही है। इन शताब्दियों में यह जातियां लद्दाख के जीवन में पूर्णतः सम्मिलित हो गई हैं। वे वही भाषा बोलते हैं, उनकी वही संस्कृति है और उनकी परम्पराएं वही हैं जो अन्य आठ जातियों की हैं।

अतः, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अविलम्ब आरगन और सईद जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करे।

(पांच) केरल के त्रिसूर जिले में वाडक्कनचेरी में एक ऊपरि रेल पुल के निर्माण की आवश्यकता।

श्री एस॰ अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, त्रिसूर जिले के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है कि केरल के त्रिसूर जिले में वाडक्कनचेरी में एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। त्रिसूर केरल का सांस्कृतिक केन्द्र है। महान् कवि वल्लाठल नारायण मेनन का विश्व विख्यात स्मारक केरल कलामण्डलम् वाडक्कनचेरी के समीप ही स्थित है। त्रिसूर मेडिकल कॉलेज भी वाडक्कनचेरी के बहुत ही समीप है।

अतः, त्रिसूर के वाडक्कनचेरी क्षेत्र में ऊपरी रेल पुल के निर्माण का कार्य कृपया शीघ्र ही आरम्भ किया जाए।

(छः) तिरूअनन्तपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के तमिलनाडु में आने वाले भाग की मरम्मत का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता।

श्री एन॰ डेनिस (नगर कोइल) : तिरूअनन्तपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का तमिलनाडु में आने वाला भाग काफी लम्बे अरसे से खराब स्थिति में है जिसके कारण यात्रियों तथा आम जनता को असुविधाओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार-बार निवेदन-पत्र भेजे जाने के बावजूद रख-रखाव का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मार्ग पर अनेक गड्ढे, दरारें व छिद्र हैं। सड़क के दोनों ओर गहरी खाइयां बन गई हैं। हाल ही की मानसून वर्षा के कारण होने वाली गंभीर क्षतियों से स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। अतः यह बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। इससे यात्रियों तथा वाहन इत्यादि के यातायात के लिए भारी खतरा हो गया है। यह देश के अत्यंत व्यस्त मार्गों में से एक है तथा एक समय में इसकी भारत के सर्वाधिक लम्बे सीमेंट मार्ग के रूप में

[श्री एन॰ डेनिस]

सराहना की गई थी। परंतु अब यह बदतरीन रख-रखाव वाला मार्ग है। यदि रख-रखाव कार्य और अधिक समय तक नहीं कराया गया तो इससे यात्रियों की परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी तथा वाहनों तथा यात्री यातायात पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कार्य के निष्पादन में और अधिक विलम्ब न करे तथा जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 47 के तमिलनाडु में आने वाले भाग क तात्कालिक रख-रखाव के अतिआवश्यक व महत्वपूर्ण कार्य की ओर विशेष ध्यान दे ताकि यात्रियों तथा आम जनता को लम्बे अरसे से जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, उनका शीघ्र ही अन्त हो।

[अनुवाद]

(सात) बिहार में मुंगेर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, मुंगेर एक प्राचीन नगर है जहां अभी कर्णचीरा पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का योगाश्रम एवं गंगा दर्शन चल रहा है। विदेशों से हजारों लोग यहां आते हैं। भारत के नौ महाशक्तिपीठों में से एक चण्डी स्थान मुंगेर में है जिस का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यात्रीगण यहां आते हैं। यहां गर्म पानी का झरना सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक बड़ा मेला लगता है। दूर-दराज के हजारों लोग उसे देखने और पूजा-अर्चना करने आते हैं। महाभारतकालीन भीम बांध जो अपूर्व मनोरम दृश्य उपस्थित करता है, उसे देखने एवं आनन्द मनाने हजारों लोग जाते हैं। मध्यकालीन मीर कासिम का किला यहां है। इसके तीन दरवाजे, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में हैं और इसके पश्चिम में गंगा नदी बहती है। इस किले के तीनों ओर गहरी खाई है जिसमें पहले गंगा नदी का पानी भरा रहता था। वहां लोग नौका विहार करते थे लेकिन अब बदइन्तजामी के चलते वह सिर्फ खाई बन कर रह गया है।

अतः मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मुंगेर को पर्यटक केन्द्र घोषित कर उसकी सारी सुविधा मुहैया कर आर्थिक सहयोग देकर उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक केन्द्र बनाने में योगदान करें।

[अनुवाद]

(आठ) चीते और बाघ के अवैध शिकार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री के॰पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : डब्ल्यू॰डब्ल्यू॰एफ॰ भारत द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में चीतों के निर्बाध शिकार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। सूत्रों के अनुसार जुलाई, 1993 और जनवरी, 1995 के बीच देश के विभिन्न भागों से चीतों की 262 खालें पकड़ी गई। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, पश्चिम बंगाल में दार्जलिंग, गुजरात में सूरत और उड़ीसा में शिमलीपाल जैसे पर्यटक स्थलों में चीते की खाल बिना किसी रोक टोक के बेची जा रही हैं। यह मामला विभिन्न मंचों में कई विशिष्ट व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों द्वारा उठाया गया था। परंतु इस प्रकार के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नाम मात्र उपाय किए गए हैं।

कलकत्ता और देश के बहुत से अन्य नगरों के चोर बाजारों में बाघ और चीते की खाल और हड्डियों की भारी मांग है। इनकी मांग बहुत अधिक है क्योंकि बाघ के अंगों के लिए बहुत अच्छे मूल्य मिलते हैं चूंकि संरक्षित क्षेत्रों के दायरे के बाहर चीते बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं, उनका चोरी छिपे शिकार आसानी से किया जा सकता है। 1993 की गणना के अनुसार चीतों की संख्या बाघों की संख्या से दुगनी है। देश में बाघों की संख्या 3750 तथा चीतों की 7500 थी। परंतु चीतों के अवैध शिकार की दर उपरोक्त अवधि के दौरान बढ़कर पांच गुना हो गया है।

जब तक वनों की कटाई को नहीं रोका जाता चीतों का अवैध रूप से शिकार जारी रहेगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों से विद्यमान वनों के उचित संरक्षण तथा वन लगाने के लिए उचित तथा पर्याप्त उपाय करने के लिए कहे ताकि चीतों और बाघों के अवैध शिकार को रोका जा सके।

अपराहन् 2.55 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98—जारी

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 7 अर्थात, अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर आगे विचार-विमर्श करेंगे।

इस विषय में मैं इस सभा के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस विचार विमर्श के लिए दो घंटों का समय निर्धारित किया गया था तथा हम पहले ही एक घंटा और 57 मिनट का समय ले चुके हैं। अब केवल 3 मिनट ही शेष हैं। और दूसरी ओर अभी लगभग 9 सदस्यों का विचार-विमर्श में भाग लेना अभी बाकी है। अतः, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें ताकि माननीय वित्त मंत्री जी इस सभा के कार्य समाप्त करके उसे दूसरी सभा में भेज सकें।

मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि हर सदस्य कथन को केवल बजट पत्रों तक ही सीमित रखें।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' अपनी बात कह रहे थे।

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, मैंने कल इस पर प्रारम्भ किया था तभी दूसरा विषय आ गया और आपके गणित के हिसाब से 10 सैकंड बोले जायेंगे तो 3 मिनट पूरे हो जायेंगे। मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ मिनट दिये जायें क्योंकि मैं पहली बार बजट पर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि हमारी सरकार 60 करोड़ रुपये की अफीम खरीदने की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है। मैं नहीं समझा कि एक तरफ नशाबंदी के लिये प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ अफीम और तस्करी में इतनी पकड़ी जाती है कि 60 करोड़ रुपये की अफीम निर्यात हो सकती है। मेरी अपनी बुद्धि में यह बात समाई नहीं। इसके अलावा मांग सं॰ 14 दूर संचार विभाग से संबंधित है जिसके लिये 26060.96 करोड़ रुपया और उसके बाद इस विभाग की स्थिति जितनी खराब है, शायद सत्ता और विरोध पक्ष के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि नीति और नियम का पालन बहुत कम होता है। जिस तरह से देरी लगती है, लोग मजबूरी में रिश्वत देने को बाध्य हैं। समाज में ऐसी स्थिति है जिसका चैक होना चाहिये, मानिटरिंग होनी चाहिये।

वन और पर्यावरण के लिये मांग संख्या 22 है। मैं नहीं समझता कि पर्यावरण के नाम पर सरकार क्या करना चाहती है। हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमरीका के दबाव में या अपने बल पर उद्योग लगाने में आवश्यकता महसूस नहीं करते। लघु उद्योग विदेशी मुद्रा कमाते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, यह एक रैकेट बना हुआ है। मैं ऐसी स्थिति में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जहां ऐसे लोगों के संस्कार समाप्त हो गये हैं, संविधान का उल्लंघन हुआ है लेकिन पर्यावरण के नाम पर लघु उद्योग उजाड़े जा रहे हैं और सरकार चुपचाप रहती है। कहीं कोई परसुयेशन नहीं, कोई सवाल नहीं उठाता, समझने की प्रक्रिया नहीं आती, वकील खड़ा नहीं किया जाता। ताजमहल के पास फिरोजबाद, एटा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर जिलों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। प्रदूषण दूर करने के लिये सरकार की क्या प्रक्रिया है, क्या परियोजना है, यह समझ में नहीं आया। मुझे तो यह लगता है कि जो स्वयं प्रदूषित हों, वे दूसरों का प्रदूषण क्या दूर करेंगे? जैसा जार्ज साहब ने कहा कि भूटान को 40 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। उनकी राय से यह रुपया तब तक नहीं दिया जाये जब तक वहां लोकतंत्र की स्थापना न हो और इस बात की गारंटी न हो कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। हम लोकतांत्रिक देश हैं और गांधीवाद, लोकतंत्र और मानवता की दुहाई देते हैं, रंग भेद नीति पर लड़ते हैं। यदि लोकतंत्र के हत्यारों को धन देंगे तो यह कौन सा राष्ट्र हित पूरा होगा, मैं नहीं समझ सकता? इस संदर्भ में एक छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें प्रत्यक्ष करों की बात की गई है। हमारे यहां कर प्रणाली बड़ी अजीब है। मेरा तो ख्याल है कि इस काम में समझौते होते हैं कि इतना धन टैक्स में ले लो, इतना छोड़ दो और इतना तुम अपनी जेब में रख लो। मेरा सुझाव है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि लोग स्वतः बिना बिचौलिये के कर जमा करा सकें।

अपराह्न 3.00 बजे

यहां भी एक रैकेट है जहां पूरे समझौते होते हैं। एक लाख रुपये टैक्स लगता है तो 20 हजार रुपये सरकार के खाते में जमा होता है, 20 हजार रुपये बिचौलिये खाते हैं, 20 हजार रुपये अधिकारी लेता है और सरकार को 20 हजार रुपये का नुकसान होता है। चीनी के लिए मांग की गई है। खुफिया सेवा के लिए धन मांगा गया है। यह कोई बुरी बात नहीं है लेकिन खुफिया सेवा से लाभ तो होना चाहिए। गुप्त सूचनाएं तो आनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारी गुप्त सूचनाएं विदेश में चली जाती हैं। इसी के लिए अगर पैसा खर्च करना है तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा।

विद्युत के लिए जो मांग की गई है, उसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण मैं नहीं समझता कि किसका करना चाहते हैं? अरबों रुपये खर्च होते हैं और फिर भी समस्या आ जाती है और वह भी हमारे सदन में न आए, दिल्ली में बैठकर नौर्थ अवेन्यू और साउथ अवेन्यू में न आए, लेकिन जब यहां से निकलते हैं तो बड़े-बड़े महानगर अंधेरे में रहते हैं चाहे वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के हों। गांवों की तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिस गरीब किसान की बात हम करते हैं, जिसके वोट पर हम जीतकर आते हैं, जिसके बारे में हम कहते हुए थकते नहीं हैं, उसके लिए भी कुछ करें।

श्रम मंत्रालय के लिए जो धन मांगा गया है वह भी बहुत उचित नहीं है क्योंकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। बजट में और अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश की बहुत अनदेखी की गई है। हमारे यहां 16 करोड़ की आबादी है। दसवें वित्त आयोग ने विशेष सहायता की सिफारिश की है पर अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 90 बहुत महत्वपूर्ण मामले और परियोजनाएं 1995-96 से केन्द्रीय सरकार को दे रखी हैं। उसमें से 16 परियोजनाएं कृषि मंत्रालय के अधीन हैं। इसके साथ-साथ शेष परियोजनाओं में मत्स्य विभाग की दो परियोजनाएं, वन विभाग की चार परियोजनाएं, ग्राम विकास विभाग की एक परियोजना, पर्यावरण और ताज ट्रैपेजियम की पांच-सात हजार करोड़ रुपये तक की एक-एक परियोजना है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां नियम लागू किया कि कोई भी धुआं देने वाला उद्योग नहीं चलेगा जिसके अंतर्गत वहां कांच उद्योग, फाउंड्री उद्योग, बिछुआ उद्योग, रौना उद्योग बरबाद हुआ तो उसमें यह भी कहा था कि 24 घंटे अबाध गति से गैस और बिजली की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन हमारी सरकार ने एक पक्ष तो लागू कर दिया कि उद्योग तो बंद कर दिये जिससे करीब 10 लाख लोग वहां बेकार हो गए हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष था जिसमें कुछ खर्च होना था, जिसके माध्यम से उद्योग खड़े हो सकते थे, बेरोजगार हाथों को रोजगार प्राप्त हो सकता था और 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जो अकेला फिरोजाबाद कमाता था, उससे देश को लाभ होता, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीन वर्ष उस निर्णय को बीत गए लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाहती। इसके साथ-साथ सिंचाई की छः परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग की पांच

[प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर']

परियोजनाएं, ऊर्जा की सात परियोजनाएं, भारी उद्योग की चार परियोजनाएं, लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन की छः परियोजनाएं—इस प्रकार से लगभग 90 परियोजनाएं वहां हैं और सरकार इन योजनाओं पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पायी है। मैं नहीं समझता कि सरकार के सामने कौन सी कठिनाई थी कि इनके लिए वह कुछ करने को तैयार नहीं है। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे वह संपूर्ण बजट हो, चाहे अनुपूरक बजट हो, उसे पढ़ने के बाद उसकी मनःस्थिति देखने के बाद जो निष्कर्ष निकलकर आते हैं, मैं सदन के साथियों का ध्यान चाहूंगा कि अगर मेरी बात सही हो तो मुझे भेजें थपथपाकर समर्थन नहीं चाहिए लेकिन मन से कम से कम यह देखें कि यह बात बजट पर लागू होती है या नहीं। मैं जब कोई बात कहता हूं तो मैं यह भी कहता हूं कि अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे चैलेन्ज दें कि मेरी बात गलत है।

सबसे पहला परिणाम जो मेरे दिमाग में आया है, वह यह है कि किसानों को कोई राहत नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां देश में आलू की रेकार्ड पैदावार हुई। यह किसानों का शायद अपराध रहा होगा। उत्तर प्रदेश में विशेषकर रेकार्ड उत्पादन हुआ और उसमें भी फर्रूखाबाद जिला और हमारे यहां जलेसर क्षेत्र में खुडौली क्षेत्र ने तो गजब कर दिया लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि उनका 40 प्रतिशत आलू खेत से सड़ गया और बाकी जो शीतगृह में पहुंचा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फसल का कोई बीमा नहीं है। निर्यात के लिए सरकार का प्रयास नहीं है। सरकार अगर केवल यह घोषणा कर देती कि हम आलू का निर्यात कर रहे हैं तो शायद किसानों की बचत हो जाती। इस आलू से रूस में बोदका बनती है, शराब बनती है। शायद निर्यात करने के लिए ही कुछ फैक्ट्रियां देश में खुल जाती तो कुछ लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा कष्ट है कि तकनीकी मामलों में देश का दर्द दब जाता है और सदन का एक घंटा तो हल्ला मचाने में ही चला गया और जब देश के दर्द की बात आती है तो तकनीकी कारणों से घंटी बज जाती है। यह मेरी आवाज नहीं है यह पूरे देश की आवाज है। इसलिए सदन के समय का सदुपयोग होना चाहिए। मुझे इस मामले में कुछ मिनट चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें श्रमिकों को कोई राहत नहीं है। अगर श्रमिकों को कोई राहत है तो मुझे बतायें। सेवानिवृत्ति के लिए छंटनी के लिए पैसा खर्च करना है तो उसे राहत नहीं माना जा सकता। कम वेतन पर भी मजदूर रखे जाएं, कारखाने चलाये जाएं। दूसरी तरफ कारखाने बंद हो रहे हैं। हम लोग आयात कर रहे हैं। दूसरे देश डम्पिंग करते हैं। मैंने उस दिन भी यह उठाया था। कागज का जो भाव हमारे यहां 22 रुपये किलो है वही कागज स्वीडन, अमरीका, कनाडा और रूस में 30 रुपये किलों है। वे एक परसेंट पर हमारे तमाम उद्योगों को बरबाद करने पर तुले हैं और एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगी तो उस पर लोग खड़े हो गये, सरकार दब गई। किसी भी स्थिति में देख लें। केबल उद्योग में लाखों लोग लगे हैं, लेकिन अमरीका का केवल एक व्यापारी जो मीडिया किंग है, वह आकर पूरी सरकार को दबाये दे रहा है। बिना लाइसेंस के अपना काम शुरू कर दिया। यानी हम क्या करेंगे, क्या केवल इस देश को दीवालिया बनाने के लिए सरकार बनी है। हम लोग यहां पर भाषण देते हैं। कहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं तो स्वदेशी मजदूर और जनता के साथ सहयोग करना पड़ेगा। कहीं तो आखिर हम लोगों को जहर पीना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को कोई राहत नहीं है। भारतीय उद्योगों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। विदेशी वस्तुओं को नाजायज आमंत्रण दिया जा रहा है। महंगाई पर प्रतिबंध नहीं है। आतंकवादियों को प्रति तुष्टिकरण की नीति बजट के हिसाब से दिखायी देती है। ग्रामीण विकास का यहां अभाव है, जलसंसाधनों का यहां दुरूपयोग है। दलितों में भी जो खास दलित हैं, जिनको बाल्मीकि बंधु बताया जाता है। उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए, आप तो समझदार मैम्बर हैं।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : मैं एक मिनट और चाहूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं का नितांत अभाव है। परिवहन व्यवस्था का नितांत अभाव है। तस्करी और आयकर चोरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शासकीय उपक्रमों में भारी भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट एवं बेईमान अधिकारियों को संरक्षण है। मैं बात कर रहा हूं और इशारा भी कर रहा हूं। आई॰टी॰डी॰सी॰ के चेयरमैन को नाजायज रूप से यहां नियुक्त किया गया और उसका कार्यकाल बढ़ाये जाने की साजिश की जा रही है। तो यह स्थिति है, फिर आप चाहते हैं कि विकास हो। अच्छे अधिकारियों को हटाया जा रहा है। अगर कोई रेड करके 80 करोड़ की चोरी पकड़ ले तो उसे सस्पेंड कर देते हैं। यहां पर यह स्थिति है। मंत्री जी पूछना चाहें तो मैं उसका नाम बता दूंगा। 1996-97 में पिछले साल ही वह सस्पेंड हुए हैं। हमारे देश में यह स्थिति है। आत्मनिर्भरता का कोई प्रयास नहीं है। शासन में इच्छाशक्ति का अभाव है। साथ ही साथ जनसेवा और उत्पादकता का अभाव पूरे ही बजट की हर मद में दिखायी देता है। न जनसेवा का कोई उद्देश्य है और न उत्पादकता की स्थिति है। ऐसे बजट के लिए मैंने कुछ बातें कहीं थीं और अंतिम रूप से मैं चार पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहता हूं और सदन का समर्थन भी इस संदर्भ में चाहता हूं। हम बढ़िया कल्पना कर लें, बढ़िया भाषण कर लें, उससे बात नहीं बनती, यह सब व्यवहार में होना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रोफेसर साहब, अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : सभापति महोदय, कविता की चार पंक्तियां है, मैं इन्हें पढ़ूंगा। मैं यह नहीं कहता कि मैं सबसे अनुशासित हूं। लेकिन आप मुझे हल्ला मचाकर खड़ा होता नहीं देखेंगे, न आज तक देखा होगा।

सभापति महोदय : इसीलिए तो मैं आपका विरोध कर रहा हूं।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : मैं कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं और इस बजट की व्याख्या कर रहा हूं।

आलीशान महल के वासी, हो गलियों के काम नहीं तुम,
इन आंधियारी झोंपड़ियों को जलते हुए चिराग नहीं तुम,
हो केवल शोषण के फंदे, दीनों के अनुराग नहीं तुम,
सुन लो ओ मदिरा के प्यालों, हो उत्कृष्ट पराग नहीं तुम
साथ उजालों में चलकर ही, खुद को मीत समझने वालों,
मैं तो मीत तभी मानूंगा, अंधियारों में साथ चलोगे,
साथ किनारों तक चलकर ही खुद को मीत समझने वालों,
मैं तो मीत तभी मानूंगा, मझधारों में साथ चलोगे।

इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री की प्रारम्भिक टिप्पणियों को नहीं सुन सका क्योंकि मैं दूसरी संसदीय समिति की बैठक में व्यस्त था। मैं नहीं जानता कि यह उपयोगी है या अनुपयोगी है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब हम आम बजट पर चर्चा करते हैं तो पहले हम अनुदानों की मांगों को स्वीकृत करते हैं तथा फिर हम वित्त विधेयक को लेते हैं। पृष्ठभूमि में बजट भाषण होता हैं जिसके आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि जिन अनुदानों की मांगों को हम स्वीकृत कर रहे हैं, क्या वे उन मांगों की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगी या नहीं। ऐसी रिपोर्टें हैं : जो हमारे मन में यह उत्सुकता उत्पन्न करती हैं कि क्या इस वर्ष के दौरान अब तक राजस्व एकत्र करने की निराशाजनक स्थिति दर्शाती है। मैं इस बारे में वित्त मंत्री से एक विवरण चाहता हूं। मैं इसकी मांग कर रहा हूं। राजस्व एकत्र करने की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसके द्वारा हम अतिरिक्त व्यय के रूप में 1,900 करोड़ रुपए उपलब्ध करा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मांगों का उत्तर देते समय इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करें।

यह बताया गया है कि आधी धनराशि का वित्त पोषण बचत से किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति को वर्ष के अन्त में बचत की चिन्ता होती है जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने अनुदानों की अनेक मांगों को स्वीकृत किया है। क्या माननीय मंत्री के लिए यह उचित नहीं है कि वह सभा के समक्ष यह बतायें कि क्या बचत हुई हैं अथवा नहीं? हमें पता लग जायेगा कि क्या वह संशोधन किए जा रहे हैं जिन्हें आम बजट स्वीकृत करते समय हमने उपयुक्त माना है। ताकि उस प्रकार की सूचना हमें दी जानी चाहिए। बचत कहां है? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में धनराशि की बचत नहीं की जानी चाहिए। यह केवल नेशनल रिन्यूअल फण्ड के माध्यम से संग्रहक्षा ही नहीं हैं बल्कि स्वत: बचत हैं। इसलिए मैं इसपर माननीय मंत्री से एक विवरण चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव की गयी राशि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उनके बारे में टिप्पणी करूंगा जिनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया हैं। यद्यपि, मुझे वित्तीय कठिनाइयों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यद्यपि कुछ वित्तीय कठिनाइयां हो सकती है फिर भी मैं वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या इन बातों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा अथवा नहीं।

एक प्रश्न इंडियन बैंक के संबंध है जिसे 1,300 करोड़ रुपए की हानि हुई है। मुझे बताया गया है कि ग्राहक इंडियन बैंक से दूर भाग रहे हैं; इसे और कठिनाइयों में डाल रहे हैं। इसके बावजूद इंडियन बैंक के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसका उत्तर दें। क्योंकि यह बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वेतन आयोग के संबंध में अपने विवरण में उन्होंने बताया है कि अतिरिक्त व्यय 2,000 करोड़ रुपए होगा।

यदि संशोधन किया जाता है, यदि वेतनमानों को पुन: तैयार करके समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यह वास्तव में कम है, इस पर और व्यय होगा। किन्तु इसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मैं इस संबंध में उत्तर चाहता हूं।

सब लोग जानते हैं कि संयुक्त मोर्चा इस बात का बहुत इच्छुक है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। हमने इसके लिए न्यूनतम अर्थात् 10 किलोग्राम तक उपलब्ध कराया है। 30 किलोग्राम की मांग की गयी थी। जैसे ही खाद्यान्न भण्डार की स्थिति सुधरेगी, इसे बढ़ा दिया जायेगा। 10 किलोग्राम देने का निर्णय तब किया गया था जबकि खाद्य भण्डार की स्थिति बहुत खराब थी। अब स्थिति सुधर गयी है, वे इसमें वृद्धि करेंगे तथा इसका मतलब है कि व्यय और बढ़ जायेगा। किन्तु अनुदानों की अनुपूरक मांगों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। श्री राम विलास पासवान और श्री चतुरानन मिश्र तथा अन्य लोग यहां आये थे और हमें यह बताया था कि "हम क्या कर सकते हैं? निधियां नहीं हैं; वित्त मंत्री निधियां उपलब्ध नहीं करा रहा है।" इस प्रकार की बात मंत्रिमंडल के लोगों ने ही कही है। रेल मंत्री ने यह वायदा किया है कि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को खपा लिया जायेगा। किन्तु अभी तक वे ऐसा नहीं कर सके हैं और यह प्रक्रिया चल रही है। हमें रेलवे को और निधियां क्यों नहीं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि सभा के नेता द्वारा किए गए वायदे को जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जा सके।

इसी प्रकार की एक और बात है। सभी हवाई पत्तनों से एक शिष्टमंडल नगर विमानन मंत्री से मिला था। उच्चतम न्यायालय का भी एक निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, नागर विमानन के पत्तनों सहित विभिन्न हवाई पत्तनों के ठेका श्रमिकों को सेवा में खपाया जाना चाहिए। हमने कहा था कि यदि 31 अगस्त तक

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

ऐसा नहीं किया जाता है तो हम हड़ताल करने का नोटिस दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि यद्यपि वायदा किया गया था किन्तु संसाधनों की कमी के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाइयां हैं। मैं इस संबंध में उनकी टिप्पणियां जानना चाहता हूं।

किसी अन्य दिन प्रश्नकाल के दौरान दलहन का प्रश्न उठा। इस क्षेत्र में भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं करायी जा रही है और न ही पर्याप्त निधियां दी गई हैं। अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुदानों की अनुपूरक मागों में क्या उपलब्ध कराया जाता है? दलहन को गरीब लोगों का प्रोटीन माना जाता है।

मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूं। वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण राज्यों को निधियों के अन्तरण के बारे में मैं यह कहूंगा कि राज्यों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने राज्यों को अन्तरित करने के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध क्यों नहीं कराई हैं? एक बहस का मुद्दा यह है कि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के माध्यम से एकत्र की गयी राशि का 75 प्रतिशत राज्यों को मिलेगा। यह एक अतिरिक्त संसाधन होगा किन्तु मैं नहीं जानता कि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की स्थिति क्या रहेगी। मैं नहीं जानता कि यह **वार्षिक आय** घोषणा योजना है या स्वैच्छिक आय घोषणा योजना; यह जो कुछ भी हो, हम इसके बारे में विवरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम उस आधार पर इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने चाहिए।

मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, वह वास्तव में अंतिम मुद्दा है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलबध करायेंगे।

सभापति महोदय : वह इसका उत्तर देंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा हो सकता है कि वह दिसम्बर में अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांग प्रस्तुत कर दें।

दूसरा मुद्दा यह है कि तीन या चार वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह इस सभा तथा व्यापक रूप से देश के लिए एक असाध्य स्थिति है। आरक्षित धनराशि के लिए प्रावधान कहां हैं? वे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि इसके लिए निगम या कम्पनियां ही उत्तरदायी हैं तथा उन्हें सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करने के लिए न्यायालय में घसीटा जा सकता है।

अन्ततः उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। अतः ये सेवानिवृत्ति लाभ और बकाया वेतन उन्हें देय है किन्तु उन्हें दिया नहीं जाता। मैं इस बात से सहमत हूं कि थोक सूचकांक के अनुसार मूल्यों में गिरावट आ रही है। कोई यह नहीं कहता कि यह उस तरीके से दर्शायी गयी है जैसे कि उपभोक्ता मूल्यों की परिकल्पना की गयी थी। हमें यह याद रखना चाहिए कि निम्नतर स्तर के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं दिया जाता है। वे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सभा में क्या कर रहे हैं? अतः इसे अनुदानों की अनुपूरक मांगों में भी छोड़ दिया गया है। इससे मुझे कष्ट पहुंचा है। मैं एक असमंजस की स्थिति में हूं और इस स्थिति का वित्त मंत्री भी सामना कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ऐसा कहेंगे। इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राथमिकता की दृष्टि से मैं उनसे उत्तम नहीं है जिनके लिए उन्होंने व्यवस्था की है? इस मुद्दे पर उनकी क्या टिप्पणी होगी?

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा दल बिना किसी दुविधा के इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है तथा श्री निर्मल कांति चटर्जी सरकार में शामिल होकर समर्थन दे रहे हैं...

सभापति महोदय : उनका दल भी बाहर से समर्थन दे रहा है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : परन्तु जैसा कि हम देखते हैं कुछ मतभेद हैं। हम पीछे बैठकर बोलने में भी विश्वास नहीं सकते हैं इसलिए संभवतया यह मतभेद तो है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह आंतरिक तथा बाहय लॉबी की तरह है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : मैंने पिछली सीट से बोलने के बारे में कहा है। मैं सोचता हूं कि आपको पीछे बैठना पसंद है। परन्तु हमें यह अच्छा नहीं लगता है। उसके बावजूद मुझे 4000 करोड़ रुपये की पूरक अनुदानों की मांगें जिन्हें माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, का समर्थन करने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

मैं शीघ्रता से कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप श्री निर्मल कांति चटर्जी को अनुमति दे चुके हैं।

सभापति महोदय : आप तुलना न करें, आपको समय मिलेगा। आपको समय सीमा की जानकारी भी है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, जी हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह मुझसे किसी भी प्रकार से कम आदरणीय नहीं है।

सभापति महोदय : आप समय सीमा को ध्यान में रखकर बोलें।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : मैं समझता हूं तथा इसकी प्रशंसा करता हूं।

इस मुद्दे पर मेरे कानों में वित्त मंत्री महोदय का एक वाक्य गूंज रहा है यद्यपि यह एक टिप्पणी अथवा श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की टिप्पणी के प्रत्युत्तर में अकस्मात ही की गयी थी। वह मंत्री महोदय के दल की नीति के बारे में थी। उन्होंने शीघ्रता से जवाब दिया कि वह उस दल से संबद्ध है जोकि जोश में बनी तथा मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। फिर भी मैं सुधार संबंधी उदारीकरण की पूरी तरह से प्रशंसा नहीं कर सकता हूं जिसके बारे में मैं श्री चिदम्बरम से वर्ष 1991 से कह रहा हूं। मैं उदारीकरण संबंधी नीति का पूरी तरह से समर्थन नहीं

कर सकता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं जोकि बहुत बड़ी सीमा तक कतिपय क्षेत्रों में पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं।

मैं नहीं जानता हूं कि क्या मैं वह शब्द प्रयोग कर सकता हूं अथवा नहीं। हमारे जैसे समाज में जोकि बहुत सारी बातों तथा तरीकों से पिछड़ा हुआ है। संभवतया, उदारीकरण जिस तरह से सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, सही नहीं है। मुझ याद है तथा मैं यह सब वर्ष 1991 से याद रख रहा हूं।

देश की तिजोरिया असल में खाली थी तथा ऐसा लोगों द्वारा किया गया जिनको कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी का दल भी समर्थन दे रहा था। जब वह लगभग दिवालिया थी एक सरकार सत्ता में आई तथा सरकार ने पर्याप्त रूप से वास्तविक संचय निधि बनाई तथा आज श्री चिदम्बरम 25 बिलियन यू॰एस॰ डालरों की संचय निधि विदेशी विनियम के साथ आराम से बैठे हैं। यह भारत की संचय निधि है।

इस पर हम सब गर्व महसूस करते हैं, इसी समय मैं एक बात बताना चाहता हूं यदि आप इसमें अंतिम पखवाड़ा अथवा एक महीना लेते हैं तो हमारे विदेशी विनिमय भंडार नहीं बढ़ेंगे। यह तो पीछे की ओर वापस जा रहे हैं, यह कम हो रहे हैं यदि मेरे पास जो आंकड़े है वह सही हैं तो यह 1.2 बिलियन तक कम हो गए हैं। वित्त मंत्री इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूं। मैं इससे इन्कार करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह दूसरे तरीके से हो। परन्तु आंकड़े बताते हैं तथा विश्व रिपोर्ट बताती है कि भारत निवेश हेतु विश्व के लिए उचित स्थान नहीं है। विभिन्न अन्य देशों के लोग अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जोकि और अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं वे भारत को उचित स्थान मानते हैं।

मैंने हाल ही में **'फार इर्स्टन इकोनामिक रिव्यू'** में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट को देखा है यदि आप एशिया के देशों को लें तो भारत का स्थान तेरहवां है। पाकिस्तान अथवा म्यानमार अथवा श्रीलंका जैसे बहुत ही कम देश हैं जो भारत से पीछे हैं अतः भारत का अब उचित स्थान नहीं है। मुद्रा नहीं आ रही है, हमने अर्थव्यवस्था को उदार कर दिया है, हमने इसे खुला रखा है। हम विकास की दर के बारे में बोल रहे हैं। मैंने किसी अन्य दिन वित्त मंत्री को यह कहते हुए सुना है कि इस देश में गरीबी उन्मूलन के लिए एकमात्र समाधान विकास की दर को प्राप्त करना है जोकि सात प्रतिशत है। मुझे याद है तथा इस देश ने देखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी अग्रणीय सुधारवादी थी, एक बार उन्होंने कहा था अकेले विकास की दर गरीबी उन्मूलन का मानदंड नहीं हो सकती है, अतः अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाना है। वित्त मंत्री क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या यह निवेश की दर के समानुपाती है। इस देश में निवेश की दर क्या है? मेरे पास बहुत से क्षेत्रों की जानकारी रखने का समय नहीं है परन्तु मैं वित्त मंत्री महोदय की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं।

विद्युत क्षेत्र में, लगभग 80 के करीब कंपनियों ने लगभग 35,000 मेगावाट विद्युत के लिए देश की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक मेगावाट विद्युत पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। पैतीस हजार मेगावाट विद्युत से बहुत भारी धनराशि लगेगी, ये धनराशि कहां से आएगी? 20 कपनियां हैं जो 11000 मेगावाट के करीब विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। अभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। लेकिन क्या वे आ रही हैं? हमारी व्यवस्था का क्या हो रहा है? लोग निवेश हेत चीन में जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ममाले के संबंध में श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के दल से अलग हूं परन्तु मैं सोचता हूं कि हम संयुक्त रूप से कम से कम सुधार संबंधी प्रक्रिया के बारे में वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकते हैं कि जो कुछ चीन में हो रहा है, भारत द्वारा उसकी नकल की जानी चाहिए। संभवतया यह पहला मौका है जब मैंने खुलेतौर पर उनकी प्रशंसा की है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, वह व्यक्तिगत रूप से सहमत हो जाएंगें क्योंकि निवेशकर्त्ताओं के लिए विश्व में सर्वोत्तम स्थान चीन है। यह किस प्रकार हो रहा है? वह रणनीतिक कारणों से सदन में इनका विरोध कर सकते हैं। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, आप इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं; सत्य को स्वीकार करने में उन्हें कुछ और समय लगेगा परन्तु विलंब के कारण बहुत कम लोग ही भारत में आ रहे हैं। अर्थात यह एक क्षति है। अधिक से अधिक करारों पर हस्ताक्षर होंगे। एम॰ओ॰ यूज पर हस्ताक्षर हो गए हैं तथा सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परन्तु लोग नहीं आ रहे हैं। वे अभी भी भारत में आकर निवेश करने हेतु तैयार नहीं हैं। ऐसा सिवाय महाराष्ट्र में एक अथवा दो परियोजनाओं के मामलों के हर ओर हो रहा है, अब तक कुछ भी कार्यान्वित नहीं होगा। देश में पिछले चार अथवा पांच वर्षों में इस संबंध में लंबा वार्तालाप हुआ है। केवल एक यही क्षेत्र नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में देश में यह हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना किसी वास्तविक निवेश के सात प्रतिशत से ऊपर विकास की दर का स्वप्न न देखें। निवेश को निवेश के अनुपात में ही आना चाहिए। इस तरह से आप विकास की दर प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्वप्न देखना ठीक है, यह एक बात है परन्तु उसी समय देश में जो हो रहा है वह पूरी तरह से भिन्न है। राजनीति में भ्रष्टाचार सतत रूप से व्याप्त है। भ्रष्टाचार अधिकारियों में काफी गहराई तक है इसी कारण से देरी हुई जिसके कारण ये सारी चीजें हैं, निवेशकर्त्ता, भारत से दूर भाग रहे हैं। उस तरह की स्थिति इन सभी चीजों की पृष्ठभूमि में है।

वित्त मंत्री महोदय ने इस देश में कतिपय चीजों के लिए प्रस्ताव किए हैं। मैं तीन चीजों के लिए उनका समर्थन तथा प्रशंसा करता हूं। मैंने इस सभी चीजों को शीघ्रता से देखा है उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए छात्रवृत्तियों हेतु दस करोड़ रुपये की मांग की है। हमारे पास वैज्ञानिक समुदाय है जो कि संख्या तथा गुणवत्ता में विश्व के किसी भी विकासशील देश की तुलना में बहुत अच्छा है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक को वह हक अथवा पहचान नहीं मिल रही है जिसके वह पात्र हैं। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। वे भारत को अंतरिक्ष-युग में ले गए; हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यदि कोई भी इन पूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता है तो मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से इससे सहमत है।

यह स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ है। हमें हमारे महान पूर्वजों द्वारा इस देश के लिए किया गया संग्राम तथा उनकी कुर्बानियां याद हैं। उनमें

[श्री पी॰सी॰ चाक्को]

से बहुत से लोगों की जीवन लीला सेलुलर जेल में ही समाप्त हो गई। इसलिए, यहां सेलुलर जेल में सुधार करने की पूरक मांग है। वह एक राष्ट्रीय-स्मारक भी है। श्री मोरारजी देसाई की समाधि भी इन चीजों में शामिल की गई है। इस उत्तेजना पूर्ण प्रक्रिया में, संभवतया ये चीजें मेरी जानकारी में आई। मैं इन चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं।

मेरी कुछ गंभीर आलोचना भी हुई है। इसे बहुत ही शीघ्रता से करना है। कृषि प्राधिकरण बनाने के लिए मांग सं॰ 2 भी है। देश की समग्र कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया। यह कार्य हमेशा बड़े लोग ही नहीं करते हैं बहुत से छोटे लोग वे भी अपने पूरे जीवन की बचतें कृषि में निवेश करते है। अब देश में पर्यावरण से जुड़े लोगों का आन्दोलन भी चल रहा है।

आप इतिहास तो जानते ही हैं। पश्चिमी देश अब चुप्पी साधे बैठे हुये हैं। वे पर्यावरणविदों के आन्दोलनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उन सभी आंदोलनों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही बहुत से पर्यावरणविदों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के इशारों पर किए जा रहे हैं जो उन्हें गुमराह अथवा उकसा रही है जिससे हमारी प्रगति में भी बाधा आ रही है।

देश में मत्स्यपालन गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं। यह सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? माननीय वित्त मंत्री जी धन की मांग कर रहे हैं और हम वह देने को तैयार हैं। लेकिन उन्हें यह तो बताने दीजिए कि उस विधेयक का क्या हुआ। इस विधेयक को पर्याप्त वरीयता नहीं दी गई है। इस सत्र में पहली बार आज इस विधेयक को कार्यसूची में शामिल किया गया है। हम सभी जानते हैं कि आज कार्यसूची को कितनी मदों पर विचार किया जायेगा। इस उद्योग को, जिसमें सैंकड़ों करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है, सरकार द्वारा पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण यह पूरी तरह ठप्प हो गया है। पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए मत्स्यपालन को नियमित किया जाना चाहिए। यह विधेयक, यदि इस सत्र में नहीं तो इस सदन में जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिए। अन्यथा देश में मत्स्यपालन के प्रति घोर अन्याय होगा।

हमारे वित्त मंत्री जी ऐसे हैं जो पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसाकि उन्होंने एक बार कहा था, यह स्वतंत्रता प्राप्ति की रात्रि को पैदा हुये बच्चों के संबंध में है। मांग सं॰ 10, 11, 14, 15, 88 और 89 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात देश में हम कितने रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं? हम मूक दर्शक बने ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें लोगों के साथ "गोल्डन हैंडशेक" दिया जाता है और उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। यदि रोजगार हाथ से निकल रहा है और नये रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जा रहा है, तो संभवतः उसका कोई और विकल्प खोजा जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के "गोल्डन हैंडशेक" के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से ज्यादा से ज्यादा धनराशि आंबटित की जाये। "गोल्डन हैंडशेक" को स्वीकार करने के पश्चात वे कहां जाते हैं? उनमें से अधिकांश लोगों के बच्चों की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गयी है। कई परिवार इसके बाद से कंगाल हो गये हैं। जीवन भर संघर्ष करने के बाद जब वे नौकरी के लिए जाएंगें तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा। इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। हम चाहते हैं कि इस देश में और अधिक विकास हो ताकि उन लोगों के लिए, जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं, रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा हो सकें और उसमें स्थायित्व लाया जा सके।

हाल ही में वित्त मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण स्वैच्छिक आय प्रगटन योजना की घोषणा की है। आयकर विभाग इस योजना की निगरानी कर रहा है। श्री निर्मल कांति चटर्जी ने इसका उल्लेख किया है और मैं भी आशावादी हूं। मंत्री जी ने काफी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि, "30 प्रतिशत कर और 100 प्रतिशत मानसिक शांति"। माननीय मंत्री जी के लिए इस योजना की प्रगति के बारे में इतनी जल्दी कुछ कहना कठिन हो सकता है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वह मुझे कम से कम इतना तो बता दें कि क्या उन्हें इस योजना की सफलता के बारे में पूरा विश्वास है। यह संभवतः देश में इस प्रकार का अंतिम प्रयोग हैं। हमने विगत में कई बार इस प्रकार की योजनाएं आरंभ की थीं लेकिन उनका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। यदि इस योजना के वांछित परिणाम नहीं निकलते हैं तो भविष्य में देश में समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या होगा? मैं श्री चिदम्बरम जी से इसका केवल सीधा-साधा उत्तर चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वह एक सक्षम व्यक्ति हैं। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। मैं उनसे कुछ और नहीं जानना चाहता।

आयकर विभाग को गाड़ियां, कम्प्यूटर तथा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए यहां मांग की गई है। यह विभाग माननीय वित्त मंत्री जी के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। यह विभाग जितनी सेवा इस समाज के लिए कर रहा है, उस दृष्टि से इस विभाग का कुल व्यय 1.5 प्रतिशत से कम है। वे उन्हें धनराशि देने में इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उन्हें कुछ धनराशि दी है। लेकिन इस विभाग में सहायक आयकर आयुक्त अथवा आयकर उपायुक्त को भी कोई वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब यह विभाग प्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री जी के नियंत्रणाधीन है तो क्या वह इस संबंध में सहज रह सकते हैं? व्यक्ति को छोटी-छोटी बातों की बजाय महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। संभवतः वित्त मंत्री जी से पहले के सभी वित्त मंत्री इस संबंध में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते थे और इन महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते थे। इस विभाग को और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि वह ऐसी योजना की निगरानी कर रहे हैं जो संभवतः देश में इस प्रकार की अंतिम योजना होगी।

मुझे एक बात की काफी चिंता है। मैंने देखा है कि मांग सं॰ 38 काफी अच्छी है। यह 10 लाख टन चीनी के सुरक्षित भंडार के रखरखाव का प्रावधान करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चीनी उत्पादकों की सहायता की जाती है। हमने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है और मुझे यह कहते हुये दुःख हो रहा है कि उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं किया। देश में मेरे केरल राज्य में 99.9 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। रबड़ की कीमतों

में कमी आ रही है। जब श्री चिदम्बरम वाणिज्य मंत्री थे तो उन्होंने रबड़ उत्पादकों की सहायता की थी। पिछले वर्ष रबड़ की यह कीमत 60 रुपये प्रति किलो थी जबकि इस समय कोचीन में इसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलो चल रही है। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रबड़ उत्पादकों को कितना अधिक नुकसान हुआ होगा। भारत में पांच लाख टन रबड़ का उत्पादन किया जाता है। यदि रबड़ का एक किलो के पीछे 20 रुपये का नुकसान होता है तो देश में रबड़ उत्पादकों को कितना अधिक नुकसान पहुंचा होगा? लेकिन टायर की कीमतों में कमी नहीं आई है। टायर विनिर्माता कच्चे माल की 60 रुपये प्रति किलो अथवा इससे भी अधिक कीमत को ध्यान में रखते हुये अपने मूल्यों का हिसाब लगा रहे हैं। जब कीमतों में कमी आती है तो इससे केवल किसानों को ही नुकसान होता है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय वित्त मंत्री अलग से कुछ राशि का प्रावधान करें ताकि रबड़ का सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) रखा जा सके। वित्त मंत्री जी इस समस्या के संबंध में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यदि 25 टन रबड़ इकट्ठा करके उस छः महीनों के लिए बफर स्टाक में रखा जाये तो बाजार मूल्यों में सुधार आयेगा और यह स्थिति निरंतर बनी रहेगी।

मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। यदि कम से कम 25,000 किलो ग्राम रबड़ खरीदा जाये तो बाजार स्थितियों में सुधार हो जायेगा, मूल्य बढ़ जायेंगे और किसानों को लाभ होगा। आज की कीमत के हिसाब से, 40 रुपये प्रति किलो को यदि 25,000 किलो रबड़ से गुणा किया जाये तो यह 100 करोड़ रुपये से कम है। भारत सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। एस टी सी को बफर स्टाक रखना चाहिए। हम सभी ने इस संबंध में अभ्यावेदन दिया था...

श्री पी॰ चिदम्बरम : मेरी अध्यक्षता में मूल्यों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने एस॰टी॰सी॰ को रबड़ खरीदने के अनुदेश पहले ही दे दिये हैं। रबड़ खरीदा जा रहा है। यह बताना उचित नहीं है कि रबड़ की कितनी मात्रा में खरीद की गई है क्योंकि इससे बाजार मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मूल्य निर्धारित किया गया है और रबड़ को उसी निर्धारित मूल्य पर खरीदा जा रहा है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : लेकिन निर्धारित मूल्य का निर्णय तो ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : वह निर्धारित मूल्य नहीं। हमने नया मूल्य निर्धारित किया है और उसी मूल्य पर रबड़ की खरीद की जा रही है। यदि आप उसके अकेले में ब्यौरे चाहते हैं तो आप या तो वाणिज्य मंत्री जी से बात कीजिए या फिर मुझसे। मैं आपको अकेले में वे ब्यौरे दे सकता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां उनके ब्यौरे बता देने से बाजार प्रभावित हो। महोदय, ये अनुदेश कुछ दिन पहले ही दिये गये थे।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : यदि ये मूल्य हाल ही में निर्धारित किये गये हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन कम से कम किसानों को तो रबड़ का उचित मूल्य दिलाया जाना चाहिए।

मेरे माननीय मित्र श्री निडर जी कह रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश में हाल ही में आलू की और कर्नाटक में टमाटर की बहुत अधिक पैदावार हुई; तो क्या सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आई? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में पचास पैसे प्रति किलो और 20 किलो का कार्टन 10 रुपये में बेचा गया था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? क्या उन किसानों को इस उदारीकरण का कोई लाभ नहीं मिलेगा? यदि उदारीकरण का लाभ किसानों को नहीं मिलता है तो ऐसे उदारीकरण से घृणा करता हूं। जहां टमाटर का मूल्य घटकर 50 पैसे और इससे भी कम हो रहा है, वहां आलू के ढेर को निकालने की भी एक समस्या है।

उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में हैजा फैल रहा है जहां इनकी खेती की जाती है। आपने वह रिपोर्ट देखी होगी। क्या यह सरकार किसानों के बचाव के लिए आगे आई? क्या हम उदारीकरण से यही अपेक्षा करते हैं? किसानों की सहायता और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाये जायें।

माननीय मंत्री जी ने श्री महाजन और हिमाचल प्रदेश के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ है। हिमाचल प्रदेश में चट्टान खिसकने (भूस्खलन) से 140 लोगों की मृत्यु हो गई। इदुक्की तथा केरल में कई स्थानों पर भू स्खलन से सैंकड़ों लोग मारे गये। मरने वालों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। आपदा राहत के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है? हम ऐसे क्षेत्रों में आपदा राहत हेतु धनराशि प्रदान कर रहे हैं जहां ओला वृष्टि हो, जहां अत्यधिक वर्षा हो, जहां बाढ़ आये और जहां भूमि अपनी जगह से खिसक जाये। चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो या न हो, आपको इतनी धनराशि ही मिलती है। किसी भी उत्तरदायी सरकार को इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान करने हेतु संसद की अनुमति मांगें।

हाल ही में आई बाढ़ों, सूखा और भू-स्खलनों के संबंध में हमने केंद्र सरकार से उन क्षेत्रों में दल भेजने के लिए कहा था। वह दल बाढ़ वाले क्षेत्रों का दौरा करने के लिए काफी विलंब से गया। यदि कोई दल 15 दिनों के बाद बाढ़ वाले क्षेत्रों/राज्य में, का दौरा करता है तो तब तक कई बाढ़े आ-जा चुकी होंगी। वे वहां जाकर क्या निरीक्षण करेंगें? वे किस तरह की रिपोर्ट तैयार कर सकेगें? उन्हें कृषि हेतु बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसे भी समाप्त किया जा रहा है। हमें सैकड़ों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। यदि आप इसकी तुलना नियमित रूप से मिलने वाले शेयर से और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत हमें जो कुछ दिया जा रहा, से करें, तो आपको मालूम होगा कि हमें उसकी बहुत अल्पमात्रा मिल रही है।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस संबंध में फिर से विचार करें। देश को चलाने, विशेष रूप से देश की वित्त व्यवस्था करने का यह कोई तरीका नहीं है। कम से कम प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों को उनका उचित हिस्सा और उन पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर॰ जाधव (परभनी) : सभापति जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में यह जो सप्लीमेंटरी बजट लाया गया है, इसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह सरकार जब सत्ता में आई, और उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें कुछ और बातें होंगी लेकिन वित्त मंत्रालय के मेन-बजट में, सप्लीमेंटरी बजट में विदेशी अर्थव्यवस्था का नाम लेकर, देशी अर्थव्यवस्था और देशी कारखाने बंद करने वाले शासन की नीतियां हैं।

अपराह्न 3.40 बजे

(श्री पी॰सी॰ चाको *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में रोजगार की पहले से ही कमी है। यूनाइटिड फ्रंट की सरकार जो कि अपने आपको किसानों को बेटा कहती है, उसने ग्राम विकास के लिए, कृषि की उन्नति के लिए, विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बातें अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कही हैं। जब बजट पेश किया जाता है, उसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोई बात नहीं होती है। रोजगार दिनोंदिन घटता जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि वह देश की सबसे बड़ी रोजगार की समस्या की तरफ ध्यान दें। वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमैंट्री डिमांड्स पेश की हैं, उनमें 47 डिमांड्स हैं। वे सदन की स्वीकृति के लिए रखी गई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाहे सप्लीमैंट्री डिमांड्स हों या मेन बजट हो, उससे हमारे देशी कारखानों पर बड़ा असर पड़ा है। इसके द्वारा विदेशी कम्पनियों को बढ़ावा मिल रहा है। जो देश की आम जनता है, जो कि देहातों में रहती है, उनके लिए जो न्यू टासोटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसी स्कीम्स चल रही हैं, उनका उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन योजनाओं से आम जनता और किसान सीधे जुड़े हुए हैं। ये स्कीम्स आम जनता का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाने के लिए चलायी गई थी। जो न्यू टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसकी तरफ वित्त मंत्रालय को सप्लीमैंट्री डिमांड्स में ध्यान देना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे निर्यात में कमी आई है। जब से यूनाइटिड फ्रंट की सरकार सत्ता में आई है, तब से निर्यात में दिनोंदिन गिरावट आई है। इसका क्या कारण है? यह गम्भीर चिन्ता की बात है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें बढ़ोत्तरी करने की बहुत जरूरत है। वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था जो पैसा जिस मद के लिए दिया जाता है, वह कहीं और खर्च न हो। वह उसी मद पर खर्च होना जरूरी है। वित्त मंत्रालय इसे देखे।

वित्त मंत्रालय गैर योजना खर्च पर कंट्रोल करे क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 1980 के बाद हमारे बजट घाटे में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर बोलते समय हमारे सीनियर मोस्ट नेता जार्ज फर्नान्डीज जी ने विदेशी मामलों की बात कही।

हमारे यहां इरीगेशन के प्रकल्प पैंडिंग हैं और कई वर्षों से पूरे नहीं हो पाये हैं। फिर भी हमारा घर जल रहा है और हम विदेश को बचाने के लिये निकल रहे हैं। भूटान के लिये जो 40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे यहां कृषि को बढ़ावा देने के लिये सप्लीमेंटरी बजट में उचित धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है। हमारे देश में बिजली की भारी कमी है तो हम औद्योगिक विकास नहीं कर सकते। इसलिये इस सप्लीमेंटरी बजट में विद्युत के लिये धन का प्रावधान होना चाहिये था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पैंडिंग पड़े हुये हैं लेकिन कास्ट बढ़ती जा रही है। जब तक हमारे देश में कृषि नीति आगे नहीं बढ़ती तब तक हमारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होगी, यह सत्य बात है। मैं आपसे रोजगार, ग्राम विकास, कृषि बढ़ाने के लिये अपील करता हूं। आपने नई टी॰पी॰डी॰सी॰ चलाई है जो हितकारी है। इसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में प्रावधान कर दें तो अच्छा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सभापति जी, सरकार उदारीकरण का नाम लेती है लेकिन विदेश नीति को दबा रही है। महात्मा गांधी का नारा था—'स्वदेशी अपनाओ और गांव की ओर चलो।' आज हम देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसलिये इस ओर ध्यान देकर सप्लीमेंटरी बजट में आबंटन करना जरूरी था जो नहीं हुआ।

मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको कोई नकार नहीं सकता लेकिन इस देश में कृषकों की जो समस्या हैं, उनको वे लोग जानते हैं जो उस परिवार से आते हैं या उस समाज में रहते हैं। अभी हम देश की आजादी की 50वीं जयन्ती मना रहे हैं और इसपर अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। अभी हमारी खेती की समस्या है क्योंकि दो साल पहले उत्तरी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जूट की कीमत 1000 रुपये से 2000 रुपये क्विंटल थी।

आज चार सौ से पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल है। आप समझ सकते हैं किसानों पर क्या गुजरती है। किसानों की सही मायने में जो स्थिति है, उसकी व्याख्या करें तो बहुत लोगों को उससे कष्ट होगा। जूट की फसल ऐसी है कि वह सबसे ज्यादा मेहनत, पूंजी और लागत की फसल है। इतनी पूंजी और श्रम लगाकर भी बहुत कम किसानों को हम फायदा दे पाते हैं और वह नुकसान में ही रहते हैं।

पूर्व की वी॰पी॰ सिंह सरकार जो ग्यारह महीने चली थी, उसमें खाद की कीमतें नहीं बढ़ी थी। लेकिन उसके बाद के पांच सालों में कांग्रेस सरकार जब केन्द्र में आई तो कोई भी उर्वरक खाद ऐसी नहीं है जिसकी कीमत उस समय में न बढ़ी हो। संयुक्त मोर्चा की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उर्वरक की कीमत इन लोगों ने भी नहीं बढ़ाई है। फिर भी इसमें किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, हम लोग आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और अभी तक गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए बजट में कोई प्रावधान हम नहीं कर पाए हैं और न हमने कोई कार्यक्रम बनाया है। न्यूनतम साझा कार्याक्रम में कहा गया है कि इसको बनाएंगे लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है कि निश्चित समय सीमा के अंदर गांवों में पानी और बिजली की व्यवस्था हो सकेगी। देश के बड़े-बड़े शहरों में अरबों रुपया फव्वारों तथा बिजली के उपकरणों पर तथा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खर्च होता है लेकिन गांवों में पचास साल की आजादी के बाद भी हम पानी और बिजली नहीं दे पाये हैं। शिक्षा की कोई व्यवस्था हम गांवों में नहीं कर पाए हैं। जो भी समस्याएं हैं, वह गांवों में हैं, शहरों में उतनी समस्याएं नहीं हैं। अगर गांवों से अन्न नहीं मिले तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा क्योंकि अधिकतर वस्तुएं गांवों से पैदा होकर शहरों में आती हैं।

सभापति महोदय, पूरे देश में करोड़ों-करोड़ बेरोजगार लोग यूं ही सड़कों पर भटक रहे हैं। उसके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है कि पूरे देश में बेरोजगारों के लिए इस समस्या का समाधान हम कर पाएं। बेरोजगारों की यह स्थिति है कि मास्टर्स डिग्री लेने के बाद भी वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से चतुर्थ श्रेणी की नौकरी ही मिल जाए। हम माननीय वित्त मंत्री जी से और माननीय प्रधान मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसी योजना बनाए जिससे बेरोजगार युवकों की समस्या का समाधान हो सके। वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो बेरोजगार लोग अपना सर्टिफिकेट बैंक में गिरवी रखकर लोन लेते हैं, उनके ऊपर वारंट इश्यू हो रहे हैं और उनकी कुर्की हो रही है। यह परेशान हैं। हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां बेरोजगारों का तांता लग जाता है कि कोई उपाय निकालिये जिससे बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो। नहीं हो तो माननीय वित्त मंत्री महोदय या प्रधान मंत्री महोदय निर्देश जारी करें कि जिन बेरोजगार लोगों ने बैंक में सर्टिफिकेट गिरवी रखकर लोन लिया है, उनका सूद माफ होगा, ताकि वे मूल देने की स्थिति में हों। लेकिन ऐसी व्यवस्था भी हम नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाके में भीमनगर बैराज बना है। उससे वहां के किसानों की तबाही और बरबादी हो रही है। जितनी भी मेन कैनाल हैं, उससे निकलती हुई जो ब्रांच कैनाल हैं, सभी में बालू भर गयी है और वह इस तरह से भर गई है कि जितने क्यूसेक्स पानी आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति इस तरह से खराब है कि वह चाहकर भी मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल्स की सफाई नहीं करा पा रही है। इसलिए हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार करें।

मेन कैनाल से सही मानों में उत्तर बिहार के किसानों को नहर से पानी मिल सकता है और अगर उसकी सही ढंग से व्यवस्था नहीं होगी तो कुछ ही दिनों के बाद मेन कैनाल में ब्रेकेज होने की संभावना है। इससे कुछ ही दिनों में पूरा बिहार निश्चित रूप से जलमग्न हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से आग्रह कहना चाहता हूं कि कम समय में जो सुझाव मैंने रखें हैं उन पर गम्भीरता से विचार करें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री के॰एच॰ मुनियप्पा** (कोलार) : सभापति महोदय, मैं 1997-98 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, जो हमारे राष्ट्र की प्रगति का निर्धारण करेगा। वे हमारे पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वह हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं।

हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषक और कृषि कर्मकार हैं। इसलिए जनसंख्या के अनुसार बजटीय धनराशि आबंटित करना आवश्यक हो गया है। अर्थात कुल बजट का 70 प्रतिशत कृषकों को मिलना चाहिए। कृषकों के समक्ष मुख्य समस्या पानी की कमी है। वास्तव में पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषकों को पानी मुहैया कराने के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने गंगा, कावेरी, महानदी आदि जैसी महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ऐसा करने से करोड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जायेगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया था कि हम सभी नागारिकों को दो समय का भोजन मुहैया करा सकेंगे। कर्नाटक में, 8 से 10 जिलों में पानी की कमी है। मेरे अपने स्वयं के जिले में भूमि जल 600 फुट के नीचे स्तर पर पहुंच गया है। भारत सरकार सूखा राहत और बाढ़ राहत कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करती है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों पर पर्याप्त राशि खर्च की जा रही है। मैं भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वे प्रत्येक जिले में 50 करोड़ रुपए की और राशि खर्च करे तो वे सदैव के लिए हमारे किसानों की पानी की कमी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें सम्पूर्ण देश में टैंकों की गाद निकालने के कार्य को महत्व देना होगा। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वनों की कटाई रोकनी चाहिए तथा वनरोपण कार्यक्रमों में शीघ्रता लायी जानी चाहिए। इस सभी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता की आवश्यकता है।

* मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के॰एच॰ मुनियप्पा]

अपराह्न 4.00 बजे

हमारे माननीय मंत्री श्री रामूवालिया कल्याण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे वित्त मंत्री ने लड़कियों के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोलने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे महात्मा गांधी के नाम से देश के सभी जिला मुख्यालयों में लड़कों के लिए भी आवासीय विद्यालय खोले। अपने देश की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अपने राष्ट्रपिता को सम्मान देने का निर्णय बुद्धिमत्तपूर्ण निर्णय होगा। इन आवासीय विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के समान ही चलाया जाना चाहिए। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित अधिकांश विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा।

उदारीकरण की नीति से हमारे सिल्क उद्योग भी कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। सिल्क के आयात पर शुल्क 60 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे हमारे देश में आयातित सिल्क का भंडार हो जायेगा जो हमारे स्वदेशी सिल्क उत्पादन विशेष रूप से हमारे सिल्क के लघु उद्योग को बर्बाद कर देगा। यह आयात नीति देश में समग्र स्वदेशी उद्योग को प्रभावित करेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने ठंडे पेय पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। मैं इस बात पर बल दूंगा कि रसना, सुधा आदि जैसे स्वदेशी ठंडे पेय को इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए। 25 से अधिक माननीय संसद सदस्यों में कुछ महीने पूर्व माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी तथा इन ठंडे पेयों पर शुल्क की छूट देने हेतु उनसे अनुरोध किया था। कोका कोला जैसे अन्य पेय की तुलना में ये ठंडे पेय सस्ते हैं। ये ठंडे पेय फलों से बनाये जाते हैं और किसान शादियों और अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों में इनका उपयोग करते हैं। इसलिए, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन ठंडे पेय के लिए उत्पाद शुल्क कम करने पर विचार करें। मैं फलों से बने ठंडे पेय पर उत्पाद शुल्क 18 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। रसना और सुधा ठंडे पेय भी फल से बने ठंडे पेय हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन ठंडे पेय पदार्थों को भी शुल्क से छूट प्रदान करें।

यह सभा भलीभांति जानती है कि हमारे भूत-पूर्व वित्त मंत्री डा॰ मनमोहन सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक कुशल वित्त मंत्री के रूप में बहुत नाम कमाया है। मुझे आशा है कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री माननीय चिदम्बरम भी इस स्तर तक पहुंचेंगे। इसके लिए जैसाकि मैने प्रारम्भ में बताया था कि उन्हें किसानों और कृषि कर्मकारों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी होगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देते रहें। जब किसानों को बजट आवंटन 70 प्रतिशत का उचित हिस्सा दिया जायेगा तब ही वित्त मंत्री का यह महत्वपूर्ण पद सार्थक पद साबित होगा। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति जी, पिछले बजट सैशन के लास्ट दिन मैंने प्रधान मंत्री जी को एक स्मरण-पत्र दिया था जिसमें उनसे कालाहांडी, नयापाड़ा और उड़ीसा के पश्चिमी इलाकों में आए अकाल का निराकरण करने का अनुरोध किया था। अकाल से वहां की जनता और किसानों को बचाने के लिए मैंने उसमें कई योजनाओं का सुझाव दिया था, कई मीडियम इरीगेशन प्रोजैक्ट्स का सुझाव दिया था और मैं विश्वास करता था कि सप्लीमेंटरी बजट में उनमें से कुछ मांगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से एक भी मांग को इस सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लिया गया। अपने स्मरण पत्र की एक प्रति मैंने फाइनैंस मिनिस्टर साहब को भी दी थी।

इस वर्ष जब हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री जी उदारीकरण और निजीकरण को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था है, उसमें हम कहां तक कामयाब हो पाएंगे - मुझे नहीं मालूम। हमारे वित्त मंत्री जी उदारीकरण और निजीकरण के मामले में जहां देश की अगुवाई करें, उसके साथ-साथ वे नौजवानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि जो निराशा और हताशा आज हमारे नौजवानों में फैली है, उसे देखते हुए वे देश के करोड़ों नौजवानों के हित में, उनमें फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कैम्प्स लगाने की कोई घोषणा करेंगे लेकिन इस सप्लीमेंटरी बजट में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस प्रोसैस में, पूरे देश के लोग इन्वौल्व हैं। लेकिन जो गांव में रहने वाले हैं उनके स्वास्थ्य की हालत क्या है? आज भी भारत में 70 जिले ऐसे हैं जहां गर्भवती महिला को 40-50 किलामीटर दूर उठाकर ले जाना पड़ता है जिसके कारण वह रास्ते में ही मर जाती है। मामूली सी औषधि भी गांव में उपलब्ध नहीं हो पाती। ग्रामीण स्वास्थ्य की व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया गया है। भारत में बहुत से अन-एक्सेसेबल एरियाज हैं। ग्रामीण कंडक्टिविटी को भी इस सप्लीमेंट्री बजट में कोई जगह नहीं दी गयी है। पहले गांवों में विद्युतिकरण करने के लिए आप अपनी योजना के अन्तर्गत लाते थे लेकिन आज भी लाखों गांव ऐसे रह गये हैं जहां विद्युतीकरण नहीं है। आने वाले दिनों में उनका विद्युतीकरण दिखाई नहीं पड़ रहा है।

अपराह्न् 4.06 बजे

(कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए)*

मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब से अनुरोध करूंगा कि आप इसे देखें। बिहार में एक स्टेट लैंड डेवलपमैंट बैंक है जिन्होंने

1996-97 में किसानों को कर्ज देने के लिए लोन सैंक्शन किया। उन्होंने लोन सैंक्शन करने के दस्तखत भी करा लिये और नाबार्ड से पैसा भी ले लिया। लेकिन किसानों को वह पैसा नहीं दिया गया। लोन खाता में दिखा दिया गया है लेकिन किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। बाद में जब हल्ला हुआ तो कुछ किसानों को पैसा दे दिया गया लेकिन बिहार राज्य में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको लैंड डेवलपमैंट से पैसा नहीं मिला है। मैं चिदम्बरम साहब से निवेदन करूंगा कि वे इसकी स्पेशल जांच करायें।

हमारे पश्चिम उड़ीसा में रूरल डेवलपमैंट आंचलिक बैंक है। उसमें 1986 में किसानों का कर्ज माफ हुआ था। उस समय सन्नापली ब्लाक, बोर्डन ब्लाक, नयापाड़ा ब्लाक ऐसे इलाके हैं जहां बैंक ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। किसानों का कर्जा लेजर में दिखा दिया गया है और फिर से किसानों पर कर्जा दिखाकर उनसे उसकी वसूली कर रहे हैं। उस पर भी मैं ध्यान दिलाने के लिए चिदम्बरम साहब से अनुरोध करूंगा। आज हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस बार नहीं तो कम से कम अगली बार एक्सैप्ट करेंगे कि इस देश में जो जमीन बंजर पड़ी हुई है, उस जमीन में बेरोजगार नौजवानों को किसी तरह से नियोजित किया जाये। मैं आशा करता हूं कि माननीय चिदम्बरम साहब इसकी व्यवस्था अपने आने वाले साल के बजट में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाबे चेयरमैन साहब, मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 108 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर में कर्ज माफ करके कर्जदारों के एवज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देने का जो ऐलान किया था, उसका प्रोविजन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं वजीर-ए-आजम से यह कहना चाहता हूं कि जम्मू में यह अफवाह है कि यह कर्ज सिर्फ कश्मीर वेली के कारखानेदारों का ही माफ होगा और जम्मू प्रांत को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनाउंस किया था तब वह पूरी स्टेट के लिए किया था। जैसे कश्मीर वेली डिस्टर्ब्ड है वैसे ही जम्मू के पुंछ, राजोरी, जम्मू, कठुवा, उधमपुर व डोडा आदि तमाम जिले डिस्टर्ब्ड है। इसलिए चिदम्बरम साहब को इतना इंश्योर करना चाहिए ताकि इससे पूरी रियासत के लोगों को एग्जम्पशन पहुंचे। अगर कोई इलाका छोड़ दिया जाये तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी तरफ भी वे ध्यान दें। साथ ही साथ मुझे यह खुशी है कि दूलहस्ती प्रोजैक्ट जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ी प्रोजैक्ट और रंजीत सागर प्रोजैक्ट जिसे पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, तालीम कर रही है। इन तीन प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए भी 900 कुछ करोड़ रखा गया है, यह भी अच्छी बात है। मेरा यह कहना है कि जहां उड़ी प्रोजैक्ट, डूलहस्ति प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए काम तेज किया जाए, वहां रणजीत सागर, थीम डेम के बनने से बसौली इलाके के लोगों को 42 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि जैसे नार्थ जौन काउंसिल में 1989 में श्रिनगर में यह डिसीजन हुआ था कि बसौली के नजदीक रावी नदी पर पुल बनाया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत हो और लोगों को 42 किलोमीटर का जो ज्यादा सफर करना पड़ता है वह न करना पड़े, उस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए मेरा कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट को कहा जाए कि वह पुल का काम हाथ में ले ताकि बसौली, कठुआ के इलाके के लोगों को सहूलियत हो। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि जो पावर ग्रिड के लिए पैसा दिया गया है उसमें ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाने का अच्छे ढंग से इंतजाम किया जाए ताकि जहां सरप्लस बिजली हो उसको हम ऐसे इलाकों में, ऐसे स्टेटों में ले जाएं जहां बिजली की कमी हो तो उससे पूरे देश को फायदा होगा। इसी के साथ-साथ मैं, यह महसूस करता हूं कि हमारे जो पुंछ, राजौरी और जम्मू-काश्मीर बार्डर जिले हैं वहां आए-दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, इसलिए हमारी जो फोर्सेस हैं उनके पास इतने अच्छे हथियार होने चाहिए कि वे पाकिस्तान का अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। इसमें डिफेंस के लिए प्रोविजन किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, एक मेरा कहना यह भी है कि मिलिट्री और आर्मी के साथ-साथ पुलिस फोर्स को भी मार्डनाइज किया जाए, उसके लिए भी पूरे इंतजामात किए जाएं, क्योंकि देखने में यह आया है कि बार्डर के जो इलाके हैं उन थानों में न पूरी फोर्स है, न उनके पास पूरे व्हीकल्स हैं, न मैनपावर है, न अच्छे साधन हैं; इस कारण से वे अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो पैसा होम को या डिफेंस को दिया जा रहा है उससे इन दोनों फोर्सेस को मजबूत करने के लिए इंतजामात होने चाहिए। इसी के साथ-साथ जो दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क जम्मू-काश्मीर में है वह पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही कमजोर है तो मैं यह कहूंगा कि जम्मू और काश्मीर में रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पैसा दिया जाए ताकि यह ज्यादा प्रभावी हों और पाकिस्तानी प्रचार का अच्छे ढंग से जवाब दिया जा सके तथा उसका जो असर हमारे लोगों पर होता है उससे वे बच सकें।

महोदय, हमारे माइग्रेंट्स परेशानी की हालत में हैं उनको अपने घरों में भेजने के लिए इंतजामात होने चाहिए। हालात को नार्मल करने के बाद उनके घरों को दोबारा तामीर किया जाए और ऐसे मौके पर उनको वहां भेजा जाए जब हालात नार्मल हों और वहां जाकर वे अपनी जायदाद को संभाल सकें। मैं समझता हूं कि जम्मू-काश्मीर की जो फाइनेंशियल मदद की गई है उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जैसे पंजाब स्टेट के सेंट्रल लोन माफ कर दिये गए हैं उसी तरह से जम्मू-काश्मीर के भी माफ कर दिए जाएं, क्योंकि दोनों स्टेट्स के एक जैसे हालात हैं ताकि वे लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसलिए मेरा पुनः कहना है कि जम्मू-काश्मीर और पंजाब के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए जैसे उनके कर्जे माफ किए गए हैं वैसे ही इनके कर्जे भी माफ किए जाएं। मेरा यह भी कहना है जिस अच्छे ढंग से यह भारत में पैसे का इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए यह सराहना के योग्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, अनुदानों की पूरक मांगें जो सरकार द्वारा रखी गयी हैं, मैं इसका समर्थन

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

करता हूं। साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस की नयी आर्थिक नीति को जो अपनाया है, उसका मैं विरोध करता हूं। जब से यह नयी आर्थिक नीति लागू हुई है, जब से इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निमंत्रित किया है, उससे हमारे देश के जो लघु-उद्योग हैं वे पिछड़ते चले जा रहे हैं। जिन लघु उद्योगों से हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे, वे आज बहुत पीछे चले जा रहे हैं। साथ ही साथ भूटान के लिए, तालापन बिजली के लिए जो सहायता दी है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन पहले तो आप यह देखें कि वहां का एक देशभक्त नेता दोस्जी, जो आज अपने देश को छोड़ चुके हैं, उनकी जान बचाने के लिए आप आज कुछ सोच सकते हैं तथा वहां की सरकार से कुछ बातचीत कर सकते हैं।

अब अपने राज्य की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिहार राज्य बहुत पीछे चला गया है, सब मामलों में वह पिछड़ा हुआ है। आज वहां बिजली की हालत क्या है? भारत से सभी राज्यों के मुकाबले वहां कम बिजली पैदा होती है। वहां केवल 9.4 पाइंट बिजली पैदा होती है। आप सोच सकते हैं कि इतनी कम बिजली से बिहार कैसे तरक्की कर सकता है। आप वहां जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना चला रहे हैं, या गरीबी उन्मूलन योजना, या और बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जो बेरोजगार नौजवानों को उद्योग खड़ा करने के लिए चला रहे हैं। उद्योग तो बिजली पर ही खड़ा हो सकता है, लेकिन आज वहां बिजली नहीं है। इसलिए ये सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। इस ओर भी आपको देखना होगा। शास्त्री भवन में 11 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, जहां हमारे बिजली मंत्री जी भी थे। बिजली मंत्री से यह पूछा गया था कि आखिर हमारे बिहार ने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे पिछले तीन सालों से उसका विद्युतीकरण करने के लिए पैसा मिलने का जो हक है वह उसे नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि उसके ऊपर बकाया था। जो राज्य आर्थिक मामलों में कमजोर हो गया है, उसका बकाया माफ करके उसे आगे विकास की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह एक सवाल है जो उठता है। इसलिए वित्त मंत्री से मेरा आग्रह है कि बिहार में विद्युत का पैसा जो बाकी है, उसको आप माफ करें और उसका जो पूरा हक है उसे उस हक को दें।

बिहार से आप बहुत चीजें प्राप्त करते हैं। वहां की कोल-माइन्स से आपको जितना लाभ होता है, अगर उस लाभ का एक अंश भी आप देते हैं तो बिहार का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। आज बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है।

कृषि के मामले में सभापति महोदय, बिहार में बहुत उन्नत किस्म की खेती है, जमीन है, लेकिन आज वहां पैदावार नहीं है क्योंकि सिंचाई के साधन, सरकारी और पब्लिक दोनों मिलाकर 22 प्रतिशत हैं। कृषक की क्या हालत आज वहां हो रही है। प्राकृतिक प्रकोप से कृषक की जितनी बर्बादी हुई है, उसको देखते हुए मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वहां के कृषकों के लिए फसल बीमा एकदम लागू करें और उसके अनुसार उन लोगों के लिए मुआवजा तय करें। उनको जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा किया जाए। यह स्थिति वहां बिजली की है।

शिक्षा का भी यही हाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां लाखों लोग वित्त रहित शिक्षा में काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में क्या कोई ऐसा और राज्य है जहां वित्त रहित शिक्षा चलाई जा रही है। वहां के लोगों को एक पैसा नहीं मिलता। वहां रिटायरमैंट हो रहे हैं। वे लोग धरने पर बैठे हैं। उनका पांच तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। चेयर की तरफ से निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार इसका भुगतान करके हमें इसकी सूचना दे लेकिन एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। आज बिहार की यह स्थिति है। आज बिहार की तरफ गौर करने की जरूरत है। वित्त मंत्री जी इस तरफ गौर करें और देखें कि बिहार की स्थिति में कैसे सुधार आ सकता है। आज वहां पढ़े-लिखे लोगों की बहुत कमी है। हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ स्वर्ण जयन्ती के रूप में मनाने जा रहे हैं। बिहार इस बात का प्रमाण है कि वहां की मुख्यमंत्री अनपढ़ हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि बिहार सबसे आगे हैं। बिहार ने कृषि में पहला स्थान लिया है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आप तो अनुशासित आदमी हैं। आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दें।

मैं गरीबी उन्मूलन की बात भी कहना चाहता हूं। जो रुपया केन्द्र सरकार ने गांवों में खर्च किया है, पता नहीं वह कहां चला गया? हमारे क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन पर जितना पैसा खर्च हुआ, उसका 80 परसैंट पैसा पानी में चला गया। वह लूट में बदल गया। बैंक वाले और कारखानों के मालिक उन नौजवानों को लूटते हैं। नौजवानों को कोई काम नहीं मिलता। बैंक वाले वह पैसा अपने घर में लगा देते हैं। मैंने इस बारे में बार-बार लिख कर शिकायत की। आपने गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर जो अरबों रुपया खर्च किया, उसकी जानकारी सदन में देनी चाहिए क्योंकि उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला है। आप इसकी जांच करवाएं। जितना पैसा इस पर खर्च किया गया, उसमें से एक पैसा भी उन तक नहीं पहुंचा। मैं आपकी बात मानकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं यूनाइटेड फ्रंट के तेज तर्रार मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि बिहार जो कि देश की पिछली पंक्ति में आज खड़ा है...*(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय : क्यों खड़ा है?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उसकी उपेक्षा केन्द्र से बहुत हुई है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। विद्युत विभाग का 90 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर बकाया था। 90 करोड़ का ब्याज 310 करोड़ हो गया है। उसको जोड़ लिया जाए तो 400 करोड़ रुपया बकाया हो जाता है। केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में बिहार विद्युत बोर्ड का 500 करोड़ बकाया है। उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

हमारा सूद बढ़ता जा रहा है। आपके यहां ऐसा नियम है, जो विसंगतियां हैं, उनको समाप्त करना चाहिये। देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत का भिन्न-भिन्न रेट है। कास्ट आफ प्रोडक्शन राज्य सरकार को बीयर करना पड़ता है। राज्य सरकार की जो लागत बैठती है, उसके आधार पर विद्युत खरीदनी पड़ती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देश में कोंकण रेलवे बन रही है, इसको बनाने में जो लागत बैठ रही है और 100 साल पहले रेलवे का निर्माण हुआ, उस पर जो कास्ट आफ प्रोडक्शन थी, क्या उसी रेशों से भाड़ा लेते हैं?

सभापति महोदय : आपके पास समय केवल 5 मिनट का है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप अपने पाइंट पर जल्दी बोलिये क्योंकि मंत्री जी को भी बोलना है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति जी, यह एक गंभीर विषय है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बिहार सरकार की उपेक्षा होती है। यह बिहार पिछड़ा राज्य क्यों हुआ? इसके एक-दो कारण हैं। इनमें भाड़ा असामान्य, वजन का आधार रायल्टी, गाडगिल फार्मूला ऐसी चीजें हैं जिससे बिहार पिछड़ा राज्य बन गया है।...*(व्यवधान)* मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और आपसे विवाद नहीं करना चाहता। मैं भाषण करता हूं तो लोग टोका-टाकी करते हैं, इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य हैं, इसको विकसित करने के लिए एक वृहद् कार्य योजना बना दें और उसके तहत बिहार को सहायता प्रदान कर इसे आगे बढ़ाने का काम करें। देश के अन्य राज्यों की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करें। माननीय मंत्री जी, बिहार के लिये मैं आपका आभारी होऊंगा। बिहार में उग्रवाद आया है तो इसका कारण गरीबी और पिछड़ापन है, आप इस ओर ध्यान दें और हमारी उपेक्षा को दूर करें। आप बजट में ऐसा प्रावधान कर दें कि वृहद कार्य योजना शुरू हो सकें। उन जिलों में, जहां उग्रवाद है, गरीबी है और जहां पिछड़ापन है, इसको लागू करें जिससे गरीब राज्य का विकास हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रनेन बर्मन** (बलूरघाट) : सभापति महोदय, मैं अपनी मातृ भाषा बंगाली में बोलूंगा। मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 1997-98 पर बोलन का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने दल आर एस पी की ओर से अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के बाद मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों में किए गए प्रावधानों पर, कुछ आपत्तियां व्यक्त करना चाहता हूं। यह वर्ष हमारी स्वतन्त्रता का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है और हम धूमधाम से इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण परिवेश से संबंधित होने के कारण हमें खेतों में कार्य करने वाले, मिट्टी की दुताई करने वाले अर्थात निचले स्तर के लोगों का व्यावहारिक अनुभव है। यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी कृषि पर निर्भर 80 प्रतिशत लोगों को फसलों का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपने कृषि उत्पाद की बिक्री करने हेतु विपणन सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं। उर्वरकों का अधिक मूल्य भी गरीब किसानों की बुरी हालत के लिए उत्तरदायी है। इसलिए किसानों के लिए उर्वरकों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए। देश का विकास कृषि पर निर्भर करता है तथा किसान राष्ट्रीय समृद्धि के मुख्य निर्माता हैं। इस दिशा में तत्काल उपयुक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

किसानों को लाभकारी मूल्य, सस्ते आदान, उर्वरकों पर राज सहायता तथा उचित सिंचाई सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा, उन्नत संचार और परिवहन प्रणाली की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। यदि परिवहन प्रणाली को विकसित कर दिया जाता है तो किसानों को अच्छी विपणन सुविधाएं मिल सकती हैं। मैं दक्षिण दीनाजपुर से आया हूं और यह आश्चर्य की बात है कि मेरे क्षेत्र में न तो रेलवे लाइनें हैं और न ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है। स्वतन्त्रता की आधी शताब्दी के बाद भी भारत के अनेक भागों में इतनी बुरी स्थिति है। मेरी मांग यह है कि हमारे देश के उचित विकास के लिए इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अनेक फैक्ट्रियों और उद्योगों के बन्द कर दिए जाने के कारण पहले से तंगहाल कर्मकारों के लिए भारी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को या तो रूग्ण घोषित कर दिया गया है या फिर बन्द कर दिया गया है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा बन्द पड़े उद्योगों के कर्मकार कठिन पारिस्थिति से गुजर रहे हैं और बुरी तरह से कुंठित हो गये हैं। मेरी मांग यह है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने हेतु उचित प्रयास करने चाहिए। बन्द पडी फैक्ट्रियों को भी शुरू किया जाना चाहिए ताकि कर्मकार अपनी रोजी-रोटी बनाये रख सकें। किसानों और कर्मकार वर्ग के लोगों की अवस्था में सुधार लाने के यथार्थ प्रयास से ही स्वतन्त्रता के 50 वर्षों का यह चमकदार उत्सव सार्थक बन सकेगा।

महोदय, विनम्रतापूर्वक दिए गए इन सुझावों के साथ ही मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया।

सभापति महोदय : अकाली दल के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है इसलिए मैं प्रो॰ चन्दूमाजरा को दो मिनट बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : चेयरमैन साहब, मैं बजट की सप्लीमेंट्री डिमांडस् पर चंद बातें बोलना चाहता हूं। देश की आजादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है और बजट का उतना हिस्सा उस पर खर्च नहीं किया जाता। इसी कारण जो जीडीपी का 1950-51 में कृषि क्षेत्र का 52 प्रतिशत हिस्सा था, वह घटकर 27

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

प्रतिशत रह गया है। इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्रौप इंश्योरेन्स स्कीम के लिए सरकार ने बहुत बार बोला और ऐश्योरेन्स भी दिया, पर वह ऐश्योरेन्स ही रहा और इंश्योरेन्स नहीं बना। कृषि इंश्योरेन्स होना चाहिए। ऐग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से बहुत वायदे किये गए लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। ऐग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का खर्चा दे दें तो कृषि क्षेत्र जो घाटे में जा रहा है, वह ठीक हो सकता है।

दूसरी बात इंप्लीयमेंट की है। लिबरलाइजेशन की पोलिसी से अनइंप्लोयमेंट बढ़ रहा है क्योंकि यहां कैपिटल बेस्क इंडस्ट्री आ रही है। इस देश में लेबर बेस्ड इंडस्ट्री आनी चाहिए। इसलिए इंप्लोयमेंट के लिए भी सोचने की जरूरत है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रोजैक्ट्स जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में चल रहे थे, वह पूरे नहीं हुए। 241 में से केवल 64 प्रोजैक्ट पूरे हुए हैं। उनकी कीमत भी बढ जाती है और उनका लाभ नहीं होता। जैसे थीम डेम है और माननीय प्रधान मंत्री जी पंजाब गए थे और उन्होंने इसके लिए पैसा भी लिया है। हम चाहते हैं कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स के जरिये पूरा पैसा मिल जाए और ये थीम डैम मुकम्मल हो जाए। हमारी बिजली की जरूरत पूरी हो जाए। अंत में मैं एक बात कहूंगा कि पंजाब के गोविंदगढ़ में स्टील की इंडस्ट्री है और आज स्टील इंडस्ट्री देश में घाटे में जा रही है। वहां पर 12 तारीख से लोग स्ट्राइक पर हैं। उनके ऊपर जो एक्साइड ड्यूटी लगायी गई है और उसका जो तरीका है वह चेंज किया गया है और वह घाटे में जा रही है। पहले जो प्रोडक्शन होता था उस पर एक्साइड ड्यूटी लगती थी। अब प्वाइंट कैपेसिटी पर लगाने से वह घाटे में जाने लगी है। इसलिए इस एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी चेंज करें। स्टील के लिए आज पावर भी महंगी हो गई है, कोयला भी महंगा हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट दिये जाएं मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : देखिये न तो आपका नाम आपकी पार्टी ने भेजा है। जॉर्ज फर्नांडीज पहले बोल चुके हैं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको अपना नाम तो भेजना चाहिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति महोदय, मैंने अपना नाम दिया है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय : चलिये दो मिनट के लिए आप बोलिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : चेयरमैन साहब, मेरा भी नाम है और मैं एक मिनट के लिए बोलूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री को राज्य सभा में जाना है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति महोदय, इसमें 78 डिमांड जो ट्रांसपोर्ट के बारे में है और इसमें वित्त मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वह सिर्फ दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश के लिए 95 करोड़ रुपये के लगभग की है और दूसरी ट्रांसपोर्ट में जो व्ययस्था इन्होंने की है वह पोर्ट्स, लाइट हाउस और शिपिंग की है। जो लगभग 625 करोड़ रुपये की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे भागों में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राज्य सरकार के जो प्रोपोजल्स हैं उसके संबंध में इस पूरक बजट में एक भी पैसा नहीं है। मेरा कहना यह है कि बिहार सरकार ने 1977 में मोकामा से लेकर फरक्का तक जो कि मास्टर प्लान में था, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रोपोजल दिया है। 20 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया है। उसी तरह से मोकामा से खगड़िया होते हुए नेशनल हाइवे है, उसके लिए भी पैसे की मांग की गई थी लेकिन उसमें भी एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : मंडल जी आपने दो मिनट मांगे थे, आपको तो ज्यादा मिनट मिल गये हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1994 में मुंगेर में रेल के पुल के निर्माण के लिए छः सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब बिहार सरकार का 1977 का राष्ट्रीय राजमार्ग घाषित करने का प्रोपोजल है तो उसे घोषित करके रेल ब्रिज बनाने ही वाले हैं तो रोड ब्रिज के लिए भी प्रावधान करें। यह कम पैसे में ही बन सकता है। रेल ब्रिज बनाना चाहते हैं, रोड ब्रिज नहीं बनाते हैं, कृपया पूरक बजट में इसकी व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, हमारे पास भारत उर्वरक निगम का एक उर्वरक संयंत्र है। प्रबन्धकों तथा कर्मकारों का यह ईमानदार प्रयास रहा कि इसे 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाया जाए। अब वे इससे लाभ कमा रहे हैं। यह हमारी स्वतन्त्रता का 50वां वर्ष है। हमें आत्म निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे तलचर स्थिति इस उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष रूचि ले।

दूसरी बात यह है कि हम विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं। एन टी पी सी कन्हला में एक विद्युत संयंत्र चला रहा है, जहां विद्युत

का उत्पादन किया जाता है किन्तु बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के कारण इसका पारेषण नहीं किया जा रहा है। हमारे पास विद्युत की भारी कमी है किन्तु वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है जिसका कि पारेषण नहीं किया जा रहा है। एन टी पी सी को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर इस बहस में भाग लिया है।

हमारे पास समय की बहुत कमी है। मुझे कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करनी होगी ताकि राष्ट्रपति महोदय को सिफारिशें भेजी जा सकें और फिर राज्य सभा की बैठक आज के लिए स्थगित होने से पूर्व हम राज्य सभा की बैठक में जा सकें।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हू कि हमें प्रत्येक रुपए का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना होगा। ससाधनो की कमी है। हमारे **संसाधनों पर मांगों की होड़ लगी है।** रक्षा सेवाओ, सुरक्षा बलों, कानून और व्यवस्था बलों तथा अनेक अन्य अभिकरणों, जो देश की सुरक्षा से आन्तरिक रूप से जुडे हैं, से निधियों की मांग आ रही है। इस संबंध में, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से निधियों की मांग की जा रही है। हम उन्हें निधियों के लिए मना नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि निवेश के लिए निधियों की मांग है। माननीय सदस्य ने बताया है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो निवेश में वृद्धि करनी होगी। मैं यह कड़े शब्दों में नहीं कह सकता। जब तक इस देश में निवेश में बढोत्तरी नहीं की जाती तब तक हम सात प्रतिशत की वृद्धि दर बरकरार नहीं रख सकते हैं; न ही हम 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का धन्यवाद करना होगा कि इस देश में बचत की दर में वृद्धि हुई है और निवेश की दर भी बढ़ गयी है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बजट में जो हमने कुछ कदम उठाये हैं नामतः व्यक्तिगत आय कर दरों में कटौती, भविष्य निधि अंशदान 8.33 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ाकर सविदागत बचत में वृद्धि करके, मेरा ऐसा विश्वास है कि इन सभी से इस वर्ष बचत में वृद्धि होगी और निवेश में वृद्धि होगी।

तीसरी मांग निःसन्देह सामाजिक क्षेत्र से है। हम लाखों लोगों की पेयजल, सडक, परिवहन, विद्युत आदि की न्यायोचित मांग को ठुकरा नहीं सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र हमेशा हमारे साथ है और हमें उसके लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अतः प्रत्येक रुपये को ध्यानपूर्वक किफायत से प्रबन्ध तथा खर्च करना होगा।

मैंने अनुदान संबंधी एक सन्तुलित अनुपूरक मांग रखी है, इसलिए नहीं कि अन्य मांगें नहीं हैं। कई माननीय सदस्यों ने कई मांगें रखी हैं। ये प्रतिस्पर्धी मांगें हैं तथा इसमें से चयन करना पड़ेगा। हमने यह किया है कि अभी हम आपके पास 1,989,48 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त राशि के लिए आए हैं। कृपया देखें कि यह पैसा कहां जा रहा है। इस मुद्रा का अधिकांश हिस्सा, लगभग 988 करोड़ रुपए विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए जा रहा है। मैंने यह पहले भी कहा था तथा मैं इसे पुनः कहता हूं। विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए मुद्रा की कमी नहीं है। मैंने विद्युत मंत्रालय से एक स्पष्ट प्रस्ताव किया है कि यदि इससे वित्तीय घाटे में कुछ वृद्धि भी होती है जब भी सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र में वे जितनी मुद्रा निवेश के लिए चाहते हैं, दी जाएगी। अतिरिक्त मुद्रा का आधा हिस्सा, जिसका मैं आज प्रावधान कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के लिए ही है। 128 करोड़ रुपए की राशि कोडीगुलन नाभिकिम विद्युत परियोजना तथा तारापुर आणविक विद्युत परियोजना के लिए जा रही हैं। 20 करोड़ रुपए की राशि भारतीय जूट निगम को दी जा रही है। 188 करोड़ रुपए की राशि जम्मू और कश्मीर को ऋण सहायता के लिए दी जा रही है। 285 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दी जा रही है क्योंकि हमारे करों में इसका हिस्सा नहीं है और इसीलिए हम इसे अनुदान के रूप में दे रहे हैं। मेरी प्रमुख शीर्ष हैं जिनके अन्तर्गत हम 1989 करोड़ रुपए की राशि का प्रमुख हिस्सा निर्धारित कर रहे हैं।

हम 1946.93 करोड़ रुपए की राशि की बचत अथवा अतिरिक्त संसाधन भी जुटा रहे हैं तथा उन्हें पुनर्विनियोजित किया गया है और अन्य कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है। मेरे पास इसका विवरण है परन्तु इसका संपूर्ण विवरण देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि 31.76 करोड़ रुपए की राशि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन को इसकी वित्तीय पुनर्संरचना के लिए दी जा रही है।

इसी प्रकार मैं 18 करोड़ रुपए की एक छोटी राशि जेसप की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए दे रहा हूं। मैं अन्य दावों पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने निवेदन किया है कि बचत के मानदण्ड को आम व्यवहार का दर्जा दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : अभी नहीं

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम जानना चाहते हैं। हमने उनके लिए मत दिया है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : अन्य दावों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा। सरकार द्वारा इन खर्चों के अनुमोदन के पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो हम अतिरिक्त अनुपूरक मांगों को लेकर संसद के समक्ष आएंगे। फिलहाल मेरा सुझाव है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा जो मैं इस माननीय सदन से मांग रहा हूं वह निवेश के लिए है तथा इससे वृद्धि दर बढ़ेगी।

महोदय, कई मुद्दे उठाए गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन सभी का तीन या चार मिनटों में कैसे उत्तर दिया जाए। मुझे उनमें से कुछ, जो सर्वाधिक सदस्यों को प्रमाणित करते हुए लग रहे हैं, मुझे उनका जिक्र करने दीजिए।

प्रथमतः मैं नारियल के लिए तिलहन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन पर आऊंगा। कोचीन में स्थित एक पृथक नारियल विकास बोर्ड 1929 से है। यह बोर्ड नारियल उद्योग के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया था। बोर्ड नारियल अनुसंधान संस्थान, अत्यधिक उत्पादन

[श्री पी• चिदम्बरम]

संकरणों का विकास, कृषकों को सलाह देना इत्यादि जैसे विभिन्न कार्य करता है। नारियल तिलहनों में सर्वाधिक योजना लागत वाला एकमात्र तिलहन है। नारियल के लिए आठवीं योजना-लागत 79.21 करोड़ रुपए थी। 1997-98 में नौवीं योजना के हिस्से के रूप में हमने एक वर्ष में नारियल तिलहन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था तथा नौवीं योजना के अन्तर्गत और अधिक का प्रावधान किया जाएगा। नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान है जो कि 1996 में वृक्ष जनित तिलहन मंत्रणा के रूप में घोषित किया गया था और यह मूल्य कैबिनेट की कृषि लागत तथा मूल्यों संबंधी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है।

जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को सूचित किया था, मैंने रबड़ पर एस•टी•सी• द्वारा बाजार हस्तक्षेप प्रक्रिया का अनुमोदन कर दिया है। एम•टी•सी• पिछले कुछ दिनों से बाजार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एस•टी•सी• को रबड़ खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह एक उचित मूल्य से निम्न स्तर पर न जाए।

जूट के बारे में मेरे पास काफी जानकारी हैं। पुनः जूट पर, जैसा कि मैंने कहा, मैंने भारतीय जूट निगम के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जूट निगम अब बाजार में है। वस्त्र मंत्रालय से मुझे प्राप्त हुए एक पत्र के अनुसार, उन्होंने अब तक 33.888 क्विंटल जूट खरीदा है। जूट निगम की बाजार समर्थन प्रक्रिया को मान लिया गया है। बैंक से 33 करोड़ रुपए का नकद उधार प्राप्त किए जाने के लिए गारंटी देने तथा भारतीय जूट निगम को 10 करोड़ रुपए जारी करने की बात मान ली गई है। हमने अनुपूरक अनुदान के रूप में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले तीन से चार वर्षों में जूट के मूल्य अधिक थे। उनमें कमी दिखाई पड़ती है लेकिन टीडी-1 से टीडी-5 के बाजार मूल्य और डब्ल्यु-1 से डब्ल्यु-4 के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं। जूट निगम हस्तक्षेप जारी रखेगा तथा बाजार प्रक्रिया जारी रखेगा।

श्री अनिल बसु : यह सत्य नहीं है।

सभापति महोदय : कोई व्यवधान न करें। आप अन्त में पूछ सकते हैं।

श्री पी• चिदम्बरम : यह सूचना मुझे वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त हुई है। मैं इसे आपको दे रहा हूं। यदि कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कृपया आप वस्त्र मंत्री को लिखें।

श्री अनिल बसु : भारतीय जूट निगम एक सांकेतिक खरीद कर रहा है। वे बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

श्री पी• चिदम्बरम : यदि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाता है तो वे हस्तक्षेप कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। जब मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं तो हम खरीद नहीं सकते।

माननीय सदस्यों ने अन्य कई प्रश्न उठाए हैं। वेतन आयोग के बारे में कुछ प्रश्न भी जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, यह सत्य है कि लगभग 1600 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वायदा है। परन्तु हमें आशा है कि बकायों का 50 प्रतिशत पुनः भविष्य निधि में वापस आएगा और दो वर्षों के लिए स्थिर हो जाएगा जो कि अधिकांश रूप से उस अतिरिक्त नकद निकास को बराबर कर देगा।

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना पर हमने प्रश्नों का उत्तर दिया है। यह संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त रूप से सफल होगी। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मैंने किसी राशि के लिए भरोसा नहीं दिया है। इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे विश्वास है कि योजना के विकास की वर्तमान रफ्तार के अनुसार यह पर्याप्त अथवा अत्यधिक महत्वपूर्ण राशि लेकर अर्जित करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण गोपनीयता बनाए रखने तथा विश्वास बढ़ाने के लिए मैं केवल अवधि के अन्त में ही जायजा लूंगा।

इसी बीच, आयकर आयुक्तों को यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत अपनी आय घोषित करने के लिए प्रेरित करने तथा संपूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के आदेश दे दिए गए हैं।

आपदा राहत के लिए पिछले वित्त आयोग ने 7000 करोड़ रुपए दिए थे जिसमें 6,300 करोड़ रुपए राज्यों के पास हैं और 700 करोड़ रुपए केन्द्र के पास हैं। माननीय साथी, श्री चतुरानन मिश्र की अध्यक्षता में एक समिति है। हम यथासंभव उदार हैं। हमने केन्द्रीय खाते से पहले ही अधिक ले लिया है। केन्द्रीय खाता प्रत्येक वर्ष केवल 140 करोड़ की अनुमति देता है। हमने इस खाते से पहले ही अधिक निकाल लिया है। परन्तु मैंने उस मुद्रा को रोका नहीं है। जब भी समिति ने राज्यों को मुद्रा आवंटित किया है। मैंने आपदा राहत कोष में अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश का मामला आपदा राहत कोष को जाएगा। मंत्री जी ने ठीक पांच बजे टिप्पणी करने का वायदा किया है।

प्रो• प्रेम सिंह चंदूमाजरा : पंजाब के विषय में क्या हुआ?

श्री पी• चिदम्बरम : पहले एक दल हिमाचल प्रदेश जाएगा। यदि दे जाते हैं कि पानी पंजाब में बह गया है और उससे पंजाब प्रभावित हुआ है तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पंजाब में भी दल भेजेंगे।

इस पर चर्चा करना अभी असामयिक होगा। पहले हम वेतन आयोग के फलस्वरूप अपनी स्वयं की समस्याएं सुलझा लें। उसके बाद हम राज्यों को समर्थन के बारे में बात कर सकते हैं।

एक प्रश्न भूटान के बारे में था। मेरा विचार है कि ये संवेदनशील मामले हैं। मुझे यों ही ये उत्तर नहीं देना चाहिए। भूटान हमारे क्षेत्र का एक हिस्सा है। हम भूटान के अच्छे मित्र हैं। हमारी अपनी राजनैतिक अवधारणाएं हैं। परन्तु उससे भूटान के साथ हमारे अच्छे पड़ौसी संबंधों

पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए हमने राशि के प्रावधान करने का वायदा किया है। विद्युत का अधिकांश हिस्सा भारत में आएगा। मैं समझता हूं कि हमें भूटान के लिए 40 करोड़ खर्च करना चाहिए।

अन्य राजनैतिक मुद्दे अन्य मंचों पर उठाए जाने चाहिए। हमें इसे 40 करोड़ रुपए के साथ नहीं उठाया जाना चाहिए जो हम भूटान को दे रहे हैं।

श्री दोरजी के बारे में कुछ प्रश्न किये गये हैं मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं क्वालालम्पुर में था। मैंने "एशियन" सम्मेलन में भाग लिया। मैंने म्यांमार के संबंध में जो दृष्टिकोण रखा था उसे आप जानते हैं। मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट है। मैंने कहा था कि विश्व के सभी देशों को स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की राह पर चलना चाहिए और म्यांमार को इसका अनुसरण करना चाहिए। जब से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया यही हमारा दृष्टिकोण है।

परन्तु मुद्दा यह है कि श्री दोरजी को भूटान द्वारा प्रत्यावर्तन के वैधानिक आग्रह पर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मामला एक भारतीय न्यायालय के विचाराधीन है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक भारतीय न्यायालय भारतीय कानून के अन्तर्गत मामले पर निष्पक्षता तथा सही निर्णय देगा। इन कार्यवाहियों में श्री दोरजी को उनकी पसंद के वकीलों द्वारा बचाव किया जा रहा है। एक भारतीय न्यायालय विश्व का एक स्वतंत्रतम न्यायालय है जहां एक व्यक्ति के अधिकारों का बचाव किया जा सकता है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

स्पष्ट रूप से मैं लंबे समय तक बोलने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको इस पर मतदान करना होगा...(व्यवधान) मेरे पास वस्तुतः उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर है। मैं माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से लिखूंगा अथवा संबंधित मंत्रियों से माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से लिखने का आग्रह करूंगा।

मैं सम्मानपूर्वक सदन से अनुदान की अनुपूरक मांगों पर मत देने की अपील करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं 1997-98 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को मत विभाजन के लिए रखूंगा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें - मांग संख्या 2, 4 से 6, 9 से 11, 14, 15, 22, 23, 26, 28, 34, 36, 38, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 57 से 59, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 98 से 102"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1997-98 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग राशि	
1	2	3	
		राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	1,00,000	-
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	37,50,00,000	-
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	2,50,00,000	-
6.	उर्वरक विभाग	46,99,00,000	1,00,000
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	50,00,000	-
10.	कोयला मंत्रालय	2,50,00,000	-
11.	वाणिज्य विभाग	2,00,00,000	-
14.	दूर संचार विभाग	42,97,00,000	-
15.	रक्षा मंत्रालय	5,50,00,000	-
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	-
23.	विदेश मंत्रालय	40,00,00,000	-
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	-	85,00,00,000

1	2	3	
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	285,00,00,000	–
34.	राजस्व विभाग	7,20,00,000	–
35.	प्रत्यक्ष कर	93,30,00,000	–
38.	खाद्य मंत्रालय	125,00,00,000	–
43.	गृह मत्रालय	15,00,00,000	–
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	108,00,00,000	–
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	16,37,00,000	21,56,00,000
50.	संस्कृति विभाग	4,76,00,000	–
52.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	1,00,000	–
54.	भारी उद्योग विभाग	106,76,00,000	18,01,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,01,00,000	–
57.	प्रसारण सेवाएं	2,00,000	2,00,000
58.	श्रम मंत्रालय	4,50,00,000	–
59.	विधि और न्याय	73,00,000	–
62.	खान मत्रालय	17,00,00,000	–
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50,00,000	–
67.	योजना	1,00,000	–
70.	विद्युत मंत्रालय	200,00,00,000	697,50,00,000
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	50,00,00,000	–
77.	इस्पात मंत्रालय	34,00,00,000	–
78.	भूतल परिवहन	95,01,00,000	–
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1,00,00,000	–
81.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	10,18,00,000	249,87,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	–	1,00,000
86.	जल संसाधन मंत्रालय	2,50,00,000	–
88.	परमाणु ऊर्जा	1,50,00,000	–
89.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	–	147,00,00,000
98.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	11,48,00,000	2,72,00,000
99.	चंडीगढ़	5,52,00,000	1,35,00,000
100.	दादरा और नागर हवेली	80,00,000	1,91,00,000
101.	दमन और दीव	–	2,36,00,000
102.	लक्षद्वीप	1,77,00,000	1,50,00,000
कुल जोड़		1379,41,00,000	1228,82,00,000

अपराह्न् 4.55 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक

सभापति महोदय : मद संख्या 8 श्री चिदम्बरम वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय, श्री राम नाईक से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि प्रारूप अधिसूचना लोक सभा में 28 को रखी गयी थी...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसे मुझे उठाने दें।

श्री पी॰ चिदम्बरम : समय नहीं है। समय बिल्कुल नहीं है। हमें 5.00 बजे जाना है।

श्री राम नाईक : यह गलत बात है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मुझे बताएं कि क्या किया जाना है।

श्री राम नाईक : इसके बारे में सभा को बताएं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं आपको बता रहा हूं कि यह क्या है। ठीक है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्तुत हुआ :

> "कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। स्माल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रो और रूरल इंडस्ट्री की डिमांड की मांग 55 जो है, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन में बजट के समय में यह कहा था कि स्माल स्केल इंडस्ट्री की प्लांट और मशीनरी की जो लिमिट है वह 60 लाख से 3 करोड़ तक बढ़ा दी जाएगी। आज 6 महीने हो गए हैं वह अब तक बढ़ाई नहीं गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि वह लिमिट कब तक बढ़ाई जाएगी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : अधिसूचना का प्रारूप 20 मार्च, 1997 को लोक सभा और 21 मार्च, 1997 को राज्य सभा में रखा गया था। नियम 11 ख (तीन) के अनुसार, अधिसूचना 30 कार्यदिवसों के लिए संसद में रखनी पड़ती है। 30 कार्यदिवस आज पूरे हो जाएंगे। अतः यह आज अथवा परसों लागू हो सकता है...*(व्यवधान)* मैं आपको लिखित में उत्तर दूंगा। कृपया इसे पारित होने दें।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं एक-दो वाक्यों में अपनी बात कहूंगा। एक तो मांग संख्या 55 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। खादी और ग्राम उद्योग वर्तमान में भारी संकट में है और उनको प्रबल छूट प्रदान न करने से लाखों श्रमिक बेकार हो गये हैं। यह स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है और महात्मा गांधी को स्वदेशी और खादी से कितना प्यार था। खादी और ग्राम उद्योग के ऊपर जो रिबेट प्रदान की जाती थी वह वापस लिये जाने के कारण आज लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार देने वाला जो खादी और ग्राम उद्योग है, जो लघु उद्योग के अन्तर्गत आता है, भारी संकट में पड़ गया है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, यह केवल एक मद तक सीमित रहेगा और मैं उत्तर दूंगा। पूरे वर्ष के लिए छूट 10 प्रतिशत थी और अतिरिक्त 10 प्रतिशत 40 दिनों की अवधि के लिए। हमने उसे बदल दिया है। कल तक हम 18 प्रतिशत जारी रखेंगे किंतु कल से अर्थात् 15 अगस्त, 1997 से 14 अगस्त, 1998 तक की 12 महीने की अवधि के लिए यह छूट पूरे वर्ष 15 प्रतिशत रहेगी। 10 प्रतिशत के स्थान पर यह पूरे वर्ष 15 प्रतिशत होने जा रही है। मैंने खादी और ग्राम उद्योग आयोग को धन दिया है। श्री सुरेन्द्र मोहन मुझसे मिले हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग से किसी कर्मचारी की छंटनी करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि कोई ऐसी रिपोर्ट है, तो उसके बारे में मुझे बताया जाए, मैं कार्यवाही करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड दिये गये

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि वे चाहें तो हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ जानकारी दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : सभापति महोदय, जीरो आवर में माननीय सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में मामला उठाया कि वहां बाढ़ आई हुई है। उसके बारे में चेयर की तरफ से कहा गया कि कृषि मंत्री को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए। मैंने सवेरे नौ बजे से कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश से सम्पर्क स्थापित हो लेकिन सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। मेरी थोड़ी देर पहले वहां के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। मुख्यमंत्री एफेक्टिड एरियाज के दौरे से लौट कर आए हैं। 133 आदमी मिसिंग हैं। वे मर गए हैं यह नहीं मरे हैं, यह पता नहीं। इसके बारे में तुरन्त कहा नहीं जा सकता। उन्होंने मुझ से कहा कि हमें करीब 20 करोड़ रुपया तुरन्त चाहिए। वहां की सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। फल बगैरह ले जाने के लिए सब रास्ता बंद हो गया है। हमने कियेमिटी रैलिफ फंड से 10 करोड रुपया तुरन्त दे दिया। हमारी टीम ज्वाइंट सैक्रेटरी श्री चड्ढा जी के नेतृत्व में 10 अगस्त को वहां जाएगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद हम बाकी काम करेंगे।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : कई लोग लापता हो गए हैं और नदियों में बह गए हैं।...(*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मैंने बिहार के सम्बन्ध में नोटिस दिया हैं। जब जार्ज फर्नान्डीज जी इस पर बोल रहे थे तो मैंने भी उस समय अपनी बात रखनी चाही थी...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : स्पीकर साहब ने बतलाया है कि जीरो आवर में एक-दो आदमी रह गए हैं। उनको बोलने की इजाजत दी जाए। पहले राम कृपाल यादव जी अपनी बात कहें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम लोगों को भी इस पर बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय : इसमें राम कृपाल यादव जी का नाम है।

श्री नीतीश कुमार : यह ऐसा इशू है जिस पर हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। यह जिस विषय पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब भी बोल रहे थे लेकिन एक बजे सदन दो बजे तक के लिए स्थगित हो गया। बाद में जब यह चर्चा शुरू हुई तो यह सवाल फिर उठा और कहा गया कि उनको बोलने का मौका मिलेगा। अगर वह उस सवाल को उठा रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही हमारा निवेदन है।

सभापति महोदय : जार्ज साहब यहां नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : वह नहीं हैं तो अलग बात है लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर दूसरे पक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : इस सवाल को सुबह लोढा जी उठाना चाहते थे।...(*व्यवधान*) बिहार के बारे में पटना हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि जीरो आवर में कोई प्वाइंट उठाया जाएगा तो उसके ऊपर डिसकशन या डिबेट शुरू हो जाए।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : उनका एडजर्नमेंट मोशन था। उनको कहा गया था कि इस पर बोलने की बाद में आज्ञा मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ कोदंड रमैया : मेरी भी सूचना है। मैंने शून्य काल के लिए सूचना दी है। मैंने इसी विषय पर सूचना दी है।

सभापति महादेय : वह अध्यक्ष महोदय के पास होगी। वह अभी मेरे सामने नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इस पर मेरा भी नोटिस है।

सभापति महोदय : पप्पू जी, मेरे सामने तो नोटिस है नहीं। शायद स्पीकार साहब के पास होगा। वहां से जो आदेश आएगा, हम उसका पालन करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग ही बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बोलो।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक आवश्यक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

आज जो स्थिति हो रही है, वह चिन्ता का विषय है। खासकर जो बिहार में उत्पन्न स्थिति है। सब व्यवस्था एक संविधान के तहत यह देश चल रहा है और कानून बना हुआ है। सबके अपने अलग-अलग ज्युरिसडिक्शन्स हैं। न्यायपालिका का अपना है, कार्यपालिका का अपना है और विधयिका का अपना ज्युरिसिडक्शन है। मगर ऐसा लगता है कि आज जिस स्थिति में खासकर बिहार में न्यायपालिका ओवरएक्ट करने का काम कर रही है, उससे लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। आज न्यायपालिका के स्तर पर जो आब्जर्वेशन हो रही है...

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में भाषण नहीं देना होता, जो आपके प्वांट्स हैं, उसपर असहमति से बोल सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं प्वांइट्स बता रहा हूं और अपनी बात कहना चाहता हूं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी परिस्थति पैदा हो गई है...*(व्यवधान)*... जब 6 दिसम्बर, 1992 को घटना हुई थी तो उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकारें गिरा दी गई थीं, वे क्यों गिराई गई थीं? ...*(व्यवधान)*... यदि इनको बोलने का मौका मिलेगा तो हमें भी मिलना चाहिये...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

सभापति महोदय : आप टू दी पाइंट कहिये।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, मैं पाइंट पर ही बोल रहा हूं। आज स्पष्ट रूप से जनतंत्र खतरे में पड़ गया है। आप भी उसमें आने वाले हैं, यह सदन आने वाला है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप रिएक्ट न करें। जो कोई इंट्रप्ट करें, आप अपनी बात रखते रहिये।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपनी भावना यहां रख रहा हूं। जिस तरह से आज बिहार में न्यायपालिका कभी सेना के लिये आदेश देने का काम कर रही है, कभी 356 लागू करने की बात कर रही है तो क्या लोकतंत्र बचेगा?

सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि हर आदमी की अपनी अलग-अलग ज्यूरिस्डिक्शन्स हैं। न्यायपालिका किस आधार पर यह बात कहना चाहती है, किस कानून के तहत उन्हें प्रावधान है कि वह आदेश कर दे और किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिये सेना बुलाने की बात करे। यह चिन्ता का विषय है। जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, उसको खत्म करने की बात कह रहे हैं, ऐसी आब्जर्वेशन हो रही है। एक अधिकारी के कहने पर सेना को बुलाने का काम किया जा रहा है। अलग-अलग ढंग से अपने-अपने नियम और कानून से बंधे रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से न्यायपालिका पर न्याय का भरोसा है, यदि इस तरह का यहां काम करेगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र बचने वाला नही है, यह हम लोगों के लिये चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, जो कल आब्जर्वेशन आया है और हाई कोर्ट का आब्जर्वेशन बिहार सरकार के खिलाफ आया है, उनको कहां प्रावधान है कि वह कह दें कि 356 धारा लागू होनी चाहिये। बिना किसी बात की छानबीन किये यह आब्जर्वेशन दे रही है और कह रही है कि हमारे अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई राजनेताओं से सांठ-गाठ किये हुये हैं, इसलिये 356 धारा लगाना मान लिया।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं अपनी बात रख ही रहा हूं।

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में पूरा भाषण नहीं होता है, जो लोकसभा का कन्वेंशन है, उसके अनुसार चलिये।

(व्यवधान)

प्रो॰ रासा सिंह रावत : न्यायाधिकरण ने सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया है या नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महाराष्ट्र में न्यायपालिका की क्या हालत है...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए लोगों को जेल में जाना पड़ा।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह की औब्जर्वेशन हवाला कांड पर आई थी और राजनीतिज्ञों को राजनीति से संयास लेने की स्थिति आ गई। हवाला कांड में कोर्ट का आदेश आया कि यह मामला ट्रायल के लिए फिट है और उसके आधार पर सात लोगों पर चार्जसीट हुई। बड़े-बड़े नेताओं पर चार्जसीट हुई और जब हवाला कांड की तहकीकात करने की बात हुई तो यह कहा गया कि एफ॰आई॰आर॰ ही नहीं बनती है। अगर इसी तरह से काम होते गए तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बचने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के खिलाफ कोर्ट ने जो आदेश दिया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात से बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सीबीआई के अधिकारी ने गलत ढंग से चलने का काम किया है। गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे। उसकी जांच हो भी गई है लेकिन जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था। जब मैं खड़ा हुआ था, तभी शोरगुल शुरू हुआ। व्यवस्था यह दी गयी थी कि अनुदानों अनुपूरक मांगों के बाद अन्यों के साथ इसको भी सुना जाएगा और मैं बैठ गया। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय : मुझे सूचित किया गया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज खड़े हुए थे इसलिए अध्यक्षपीठ ने उस समय व्यवस्था दी थी कि उन्हें बोलने का एक अवसर दिया जाएगा।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, आप कार्यवाही वृत्तान्त को देख सकते हैं। जब सभा 2.00 बजे पुनः समवेत हुई थी, तब मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर था।

सभापति महोदय : ठीक है, अब मुझे सूचित किया गया है कि आप भी उस समय खड़े हुए थे, इसलिए आप बोल सकते हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : धन्यवाद महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अनुच्छेद 356 तक सीमित है। मैं किसी व्यक्ति या किसी दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं संस्था और संसदीय लोकतंत्र के बचाव में बोल रहा हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आज मैं देश पर शासन करूं अथवा कोई अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय लोकतंत्र बना रहना चाहिए।

अनुच्छेद 356 इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि किसी राज्य में उस राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। निर्णय मंत्रीमंडल द्वारा लिया जाएगा और तत्पश्चात् राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। यही प्रथा है। यदि यह गलत है, तो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को सही या गलत ठहराने का पूरा अधिकार है। लेकिन संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निर्वाचित सरकार को भंग करने के लिए प्रधान मंत्री या सरकार अथवा किसी अन्य को निर्देश दे सकता है।

यदि हम संसद में बैठकर केवल अपने राजनैतिक लाभ के लिए इस टिप्पणी को प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दें...*(व्यवधान)* मैं अध्यक्षपीठ से कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : करूणानिधि की सरकार को भी गिराया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा इंटरप्ट न करें।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : ये लोग वंशवाद की आलोचना करते थे, अब समर्थन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि चाहे कोई सरकार रहे या जाए, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। यह राज्यपाल के ऊपर है...*(व्यवधान)* प्रो॰ रासा सिंह मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, जबकि मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

ये क्या तरीका है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह संसद संविधान के अनुसार चलेगी, किसी अन्य तरीके से नहीं। यह देश संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। उच्चतम न्यायालय से लेकर संसद के अध्यक्ष और मुझ तक सभी संविधान के अनुसार चलने को बाध्य हैं और किसी तरह नहीं।

यदि संविधान अनुमति देता है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को किसी राज्य के राज्यपाल को सरकार भंग करने का निर्देश देने का अधिकार है और यदि कल उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश निर्देश देता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, आपने अपनी बात पूरी कर ली है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : नहीं महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि कृपया इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जाए। यह न्यायिक कार्यकलापों का निर्वाचित विधायिका के अधिकारों, राज्यपाल के सांवैधानिक प्राधिकारों के अधिकारों पर न्यायिक अतिक्रमण का स्पष्ट उदाहरण है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपनी बात कह चुके।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जनता दल अथवा कांग्रेस अथवा किसी अन्य दल का मामला नहीं है। सरकार इसे भंग कर सकती है, किंतु न्यायालय के निर्देश अथवा सुझाव पर नहीं।'

मैं इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की निंदा करता हूं जो लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे अथवा बाधा पहुंचाये...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, नीतीश जी का तो नोटिस भी नहीं है, उनको कई बार मौका मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे यह बताया गया है कि जीरो ऑवर जब खत्म हुआ तो जॉर्ज साहब खड़े थे

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जॉर्ज साहब को बुलाया जाए...*(व्यवधान)* दूसरा कोई क्यों बोलेगा, हम लोगों ने बिहार की सिचुएशन पर नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* आप देखिये हमारा वहां पर नाम है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे पास राम कृपाल जी का नाम था, वह बोल चुके हैं, इनके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर था। अब नीतीश कुमार जी दो मिनट के लिए बोलेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक बातें सुनी हैं, मैंने बीच में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव को बोलने को पूरा अवसर दिया गया है और अब मैं श्री नीतीश कुमार जी को दो मिनट का समय देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जब रामकृपाल जी बोल रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था। यह क्या तरीका है यह बीच में बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उन्होंने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)* हम लोगों ने यहां पर नोटिस दिया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मि॰ फातमी आप चेयर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैंने तो यह कहा कि मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : जब रामकृपाल जी बोल रहे थे तब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैंने नोटिस दिया है, मुझे मौका दीजिए। नीतीश जी को किसलिए मौका मिलेगा।

सभापति महोदय : मुझे यह बताया गया है कि वह बोल रहे थे।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, उनमें क्या खास बात हैं? महोदय मैंने सूचना दी है। इसलिए कृपया मुझे बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय, यह बिहार विधान सभा है या संसद?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, यह आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, यह ऐसा कैसे कर सकते हैं।. ..*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या आपने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी मौका मिलेगा, पर आप बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, आपने नीतिश जी को मौका दिया है।...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : फातमी साहब, आप यह ज्यादती कर रहे हैं। सिर्फ एक का प्वाइंट ऑफ व्यू रखा जायेगा, दूसरे का बिलकुल नहीं रखा जायेगा, यह बात ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने नीतीश जी को बुलाया है, आपने नोटिस दिया है तो उनके बाद आप बोलेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि संसदीय लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसाकि श्री पी॰आर॰ दासमुंशी ने जोर देकर कहा है, क्योंकि यह विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच के संबंधों से संबंधित है।

मेरा यह सुझाव है कि हमें कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि न्यायपालिका कोई गलती करती है तो उससे हम भी कोई गलती करने के हकदार नहीं बन जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की बजाय अध्यक्ष महोदय विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलायें और इस मामले पर चर्चा करें कि संविधान के अनुच्छेद 356 अथवा किसी अन्य अनुच्छेद के बोर में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए इस प्रकार के निर्णयों के संबंध में क्या किया जाए। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को और आगे लटकाने की बजाय यह सब होने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। यह एक ऐसा मामला है जो हमारे संविधान से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : आपने मुझे बोलने के लिए आंमत्रित किया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हमने इस ईस्यू पर नोटिस दिया है इसलिए पहले हमें बोलने का राइट है।...*(व्यवधान)*

हम हाउस को नहीं चलने देंगे। जिसने नोटिस दिया है, वह पहले बोलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो कुछ हो रहा है, वह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 5.23 बजे

इस समय श्री अनिल कुमार यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

अपराह्न 5.23$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री आनन्द मोहन आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 5.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5.53 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.53 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.53 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी व्यथा किस प्रकार व्यक्त करूं। आज सभा में जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद जैसी महान संस्था के लिए ऐसा उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैं इसे बरदाश्त करूंगा। हम इस राष्ट्र के नेता हैं। मेरे विचार से, हममें से प्रत्येक को अनुशासन के न्यूनतम मानदंड तो अपनाने होंगें। मैंने वीडियो पर कार्यवाही देखी थी। मैं इसे फिर से दो बार-तीन बार देखूंगा और मुझे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा लेकिन आज नहीं क्योंकि मैं इस संबंध में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.54 बजे

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (दूसरा संशोधन) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : हम अब कार्यसूची की अगली मद पर विचार करेंगे। मद सं॰ 10 और 11 पर एक साथ विचार किया जायेगा। अब मैं डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी को आमंत्रित करता हूं।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्नम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में अधिनियमित किया गया था। उस समय जमानत के रूप में पैसे जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब केवल एक शर्त थी कि दो लोग नाम का प्रस्ताव करें और दो ही लोग समर्थन करें। इस कारण सैंकड़ों लोग नामांकन पत्र भरते थे और इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं। 1974 में एक संशोधन यह किया गया कि इसके लिए जमानत राशि भरने की शुरूआत की गयी और प्रस्तावकों तथा समर्थकों की संख्या बढ़ाकर राष्ट्रपति के मामले में दस तथा उपराष्ट्रपति के मामले में पांच कर दी गई। यह भी पर्याप्त नहीं था। 2500 रुपये की जमानत राशि के भुगतान और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए क्रमशः दस और पांच प्रस्तावकों तथा समर्थकों के प्रावधान के बावजूद काफी लोग नामांकन पत्र भरते थे। जिस व्यक्ति को एक या दो मत भी नहीं मिलते थे वे भी नामांकन पत्र भरते थे जिससे देश के इस उच्च पद की गरिमा कम हुई।

मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष 1997 के दौरान निर्वाचन आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जमानत की राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया जाये तथा राष्ट्रपति के मामले में प्रस्तावकों की संख्या 50 कर दी जाये तथा उपराष्ट्रपति के मामले में यह संख्या 15 कर दी जाये। इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया। अब यह सुझाव लोक सभा के समक्ष पारित होने के लिए आया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथा व्यावहारिक संशोधन है। इससे हम अधिकांशतः ऐसे उम्मीदवारों को कोई अवसर नहीं देंगे जो गंभीर नहीं हैं और जो केवल मजा लेने के लिए और अपना नाम समाचारपत्रों में देखने के लिए ही नामांकन पत्र भरते हैं। एक और कठिनाई यह है कि आपको मतपत्रों में तीस-चालीस से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम देखने को मिलेंगे जो काफी उबाऊ और बोझिल होगा। पहले हमने इस पर आपत्ति उठाई थी क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 15,000 रुपये की यह जमानत की राशि काफी नहीं है। रुपये का मूल्य कम हो गया है। यह काफी अधिक होना चाहिए। इसलिए, 15000 रुपये की बजाय यह 25,000 अथवा 30,000 रुपये होना चाहिए। तथापि इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मेरे माननीय मित्र, श्री सुब्बारामी रेड्डी इस विधेयक के सिद्धांतों और इसे पारित करने की आवश्यकता के संबंध में पहले ही बता चुके हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे इसे विस्तार में बताने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"
>
> "कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का प्रश्न है जैसे रेड्डी साहब ने अभी कहा कि सारी पार्टियां इस बात में सहमत हैं कि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं थे, उन्हें हटाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं एक विनती करना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा के लोग आम सहमति की बात करते हैं। अच्छा होगा यदि इन मामलों को भी आम सहमति से लाया जाये, तो जो स्थिति सरकार ने इस आम सहमति को पैदा न करके अपने लिए राज्य सभा में पैदा की है, वह बदकिस्मती थी।

अध्यक्ष महोदय : आप उस ओर मत जाइये।

श्री सत्य पाल जैन : इन मामलों को उन मामलों से ऊपर रखा जाये, तो अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सब विवादों से परे होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिए लेकिन सरकार जब उसको दलगत दृष्टि से देखती है तो उसके कारण इस उच्च पदों पर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में कई अननेसेसरी कमेंट्स आते हैं, कई विवाद आते हैं।

---

* दिनांक 13.8.1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

[श्री सत्य पाल जैन]

मैं आशा करता हूं कि कम से कम आगे के लिए सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और इस मामलों के संबंध में आगे से आम सहमति पैदा करने के बाद कोई और कदम उठायेगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, यह सरकार सभी राजनैतिक दलों के साथ चर्चा करने के पश्चात ही यह विधेयक लायी थी। इसलिए इसपर आपत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस आशा के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि इसे राज्य सभा में कल पारित किया जायेगा।

श्री सेबेस्टियन पाल (अर्नाकुलम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से इस विधेयक के पारित होने से देश के सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय हेतु निर्वाचन में गंभीरता आयेगी। मैं समय के अभाव के कारण इस विधेयक के विस्तार में नहीं जा सकता लेकिन मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं कि धरती पकड़ नाम के एक सज्जन हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। मुझे बहुत असुविधा होती है जब वे कहते हैं कि साइन करो।

जैसा अभी मेरे पूर्व साथी श्री जैन कह रहे थे। चुनाव सुधार के मामले में बहुत समय से बात चल रही है और दुर्भाग्य यह है कि जो भी सत्ता दल आता है, वह इसके बारे में गंभीरता से विचार नहीं करता और टुकड़ों में चुनाव सुधार की बातें की जाती हैं। इसके बारे में हम गंभीरता से विचार करें और फैसला लें। यह बहुत आवश्यक है और मेरा आपसे आग्रह है कि जो बहुत सारी बातें आम सहमति के आधार पर निश्चित हो चुकी हैं, उनके हिसाब से चुनाव सुधार के बारे में जो बहुत प्रतीक्षित निर्णय लेने बाकी हैं, उनको तत्काल लिया जाए। मैं और अधिक न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महादेय, क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं?

श्री रमाकांत डी॰ खलप : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

खंड 2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

[हिन्दी]

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"पन्द्रह हजार रुपये" **के स्थान पर** "सात हजार रुपये" **प्रतिस्थापित** किया जाए।(2)

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है कि राष्ट्रपति का पद बहुत महान् होता है। इसमें समर्थकों की संख्या जो बढ़ाई गई है, वह बहुत अच्छा है। लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए केवल रुपये से नहीं आंका जाए क्योंकि हमारे यहां राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बहुत त्यागी हों, तपस्वी हों, उनके लिए धन का ज्यादा महत्व न हों। इसलिए मैंने अपना अमैंडमैंट दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : मैं विदड्रा कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खडं 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 –

"दूसरे संशोधन" **के स्थान पर**

"संशोधन" **प्रतिस्थापित कीजिए**

(1)

(श्री रमाकांत डी॰ खलप)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, बिल की थर्ड स्टेज है इसलिए मुझे कुछ कहना है। हम विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे सरकार से एक विनती करनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इस देश का प्रधान मंत्री ऐसा ही व्यक्ति हो जो इस देश में जन्म लेकर इस देश का नागरिक हो। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज के दिन जब बहुराष्ट्रीय कम्पनीज अपने वैश्वीकरण के काम में लगी हैं, अरबों नहीं खरबों रुपया दुनिया के किसी भी देश में खर्च करने की क्षमता रखती हैं, दुनिया के अनेक देशों में उन्होंने वहां की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है, यह हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे ताकतवर देश हैं जो इस साल और अगले साल के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले 50, 100 और 200 साल की योजनाएं अपनी विदेश नीति के बारे में बनाते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे विधेयक को लाना चाहिए कि जो इस देश का नागरिक मात्र ही नहीं, बल्कि इस देश में जन्मा हुआ नागरिक हो, वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हो सकता है। यही मेरी सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यदि वे बंगलादेश अथवा पाकिस्तान में पैदा होते तो क्या स्थिति होती।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब विधेयक आयेगा, तब इस पर बहस होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि सरकार इसका यहां और अभी उत्तर देगी।

श्री रमाकान्त डी॰ खलप : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.06 बजे

कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक को 11 दिसम्बर, 1996 को पुरःस्थापित किया गया था और संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, आप सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री आर॰एल॰ जालप्पा : इससे मुझे केवल पांच मिनट लगेंगे।

यह एक बहुत साधारण विधेयक है। इसे तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा था। संसदीय स्थायी समिति ने मार्च, 1996 में अपने अंतिम प्रतिवेदन में इस विधेयक के निरसन की सिफारिश की थी। किन्तु प्रक्रियात्मक आवश्यकता के कारण इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सका।

यह एक बहुत पुराना विधेयक है और इसे एक बार 1982 में संशोधित किया गया था। चूंकि हमने कपास नियन्त्रण अधिनियम पारित कर दिया है और कपास को उपयोगी वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था, हम महसूस करते हैं कि यह अनावश्यक हो गया है। इसलिए, मैं सभा से यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस विधेयक को पारित करने दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल (इरून्दोल) : महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु इसे प्रस्तुत करने और इस पर चर्चा करने के बाद लोक सभा भंग कर दी गयी थी। मैं ऐसा नहीं सोचता कि अब भी ऐसा हो सकता है। यह विधेयक वास्तव में उद्योग के लिए किसी तरह से इतना मददगार नहीं है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि मैं इसका समर्थन करता हूं फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रमिकों को कुछ प्रोत्साहन दे और अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में आधुनिकीकरण करने का प्रयास करे तथा प्रदत्त सेवाओं के लिए उचित मूल्य वसूल करे और श्रमिकों का शोषण न करे। मेरा यही निवेदन है। हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण अथवा इसे खुला रखने के साथ ही अन्य कपास के बीजों को संसाधित करने, उसका विपणन और खपत के तरीकों में अनेक परिवर्तन आये हैं। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में परिवर्तन आने के कारण कपास ओटाई और दबाई कारखानों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक हो गया है।

सरकार को उन श्रमिकों की समस्याओं को देखना चाहिए जो कारखानों में कार्य कर रहे हैं और कपास की ओटाई करके कई निकाल रहे हैं। मेरा प्रस्ताव यह है कि उनकी सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आपने इसे नोट कर लिया है, प्रत्येक सदस्य इसका समर्थन कर रहा है।

प्रश्न यह है :

> "कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी।

खण्ड-2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-2, दिनांक 13-8-1997 में प्रकाशित।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री आर•एल• जालप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.14 बजे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : महोदय, मैं श्री एस•आर• बोम्मई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985, राज्य सभा द्वारा पारित, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985, राज्य सभा द्वारा पारित, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो• रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 जिस उद्देश्य को लेकर लाई है उस उद्देश्य के संदर्भ में तो मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें धारा 3 और धारा 6 के अंदर संशोधन किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा में "परंतुक" जोड़ा जाएगा, "कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर भी अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।" धारा 6 में "संपूर्ण भारत पर" इसके साथ-साथ भारत के बाहर अध्ययन केन्द्रों पर भी शब्द जोड़े जाएंगे।

महोदय, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कभी हम नालंदा और तक्षशिला के बारे में ही सुना करते थे कि यहां शिक्षा के बड़े-बड़े केन्द्र हैं और बाहर से विदेशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो अनौपचारिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है और जो प्राइवेट शिक्षार्थी, पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए वरदान बन गया है। अब चूंकि संयुक्त अरब अमीरात, मोरिशस आदि देशों में प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, भारतीय भाषाओं के जानकार भी रहते हैं तथा अप्रवासी भारतीय भी रहते हैं। वे भी अपने यहां पर केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं ताकि यहां पर वे भी इनका लाभ उठा सकें। इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए 1985 में मूल अधिनियम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का बना था और 1987 से लेकर आज तक देश में 17 क्षेत्रीय केन्द्र हैं और 255 इसके अध्ययन केन्द्र हैं। इसके माध्यम से लगभग प्रथम वर्ष के अंदर 7461, द्वितीय वर्ष के अंदर 6,000 और तृतीय वर्ष के अंदर 8,000 हैं, लेकिन जितनी संकाय खोली गई हैं उनमें जितने विद्यार्थी होने चाहिए उतने विद्यार्थियों की पर्याप्तता नहीं है और इसके साथ-साथ माध्यम भी अंग्रेजी बना हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ तो आप जिनको कालेजों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जहां भीड़ बहुत ज्यादा है, जहां अनुशासन की समस्या है, जहां पर नौकरी-पेशा लोग भर्ती होकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, गांवों में रहने वाले लोग या प्रातःकाल तथा सायं काल में जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते, जब ऐसा विश्वविद्यालय उनकी सुविधा के लिए खोला हैं तो भारतीय भाषाओं को इसका माध्यम बनाया जाना चाहिए।

हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं इसलिए अंग्रेजी के साथ-साथ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का और पत्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन केन्द्रों में भी हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही विदेशों में जो केन्द्र खोले जा रहे हैं उनकी परीक्षा प्रणाली क्या होगी, नियंत्रण कैसे रखा जा सकेगा, इसके बारे में भी थोड़ा मंत्री जी स्पष्टीकरण दे सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन अन्य राज्यों में उसके केन्द्र खुले हैं लेकिन वहां नियुक्ति के मामले में अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन अनियमितताओं को दूर करने का प्रयत्न करें जिससे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की सेवाओं का क्रियान्वयन देश और विदेश में अच्छे तरीके से हो। हमारे यहां की संस्कृति, ज्ञान, परम्पराओं और सामाजिक विशेषाताएं विदेशों तक पहुंचे तथा वे लोग भी उनसे लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब कोई प्रोफेसर किसी विश्वविद्यालय के बारे में बात करे तो मैं जानता हूं कि इसका कोई अन्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मुझे ऐसी बात कहनी है जो विधेयक के समर्थन के साथ है। बात मैं यह छेड़ना चाहता हूं कि सरकार जब ऐसी संस्थाओं का निर्माण करती है तो किसी

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 13-8-97 में प्रकाशित।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

एक व्यक्ति विशेष के नाम पर ही कितनी संस्थाओं का निर्माण करना चाहेगी? इस देश में इस पर सोच होनी चाहिए। ऐसा माहौल हमारे देश में है जहां सामंतवाद पहले से बना हुआ है। आज आजादी की 50वीं वर्षगांठ में हम हैं और ऐसे अवसर पर सामंतवादी परम्पराओं को छोड़ने का भी संकल्प हम लोगों को करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश के प्रधान मंत्रियों में से एक रहीं और इस देश की सरकार चलाने के कार्य में जो योगदान उनका था वह उनकी जगह पर है।

अपराह्न 6.17 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अध्यक्ष जी, हमें इस बात से परेशानी होती है कि चाहे अस्पताल हो, विश्वविद्यालय हो, हवाई-अड्डे हों, सड़कें हों, मकान हों, जहां दफनाने जाते हैं वह जमीन हो, ट्रस्ट हों, एक परिवार के नाम पर बनें। इन सारी चीजों पर हमें बड़ी आपत्ति है। फिर एक चीज हमारे देश में चल रही है। आज के दिन 18 करोड़ लोग बेरोजगार हैं ऐसा हम मानते हैं लेकिन जो रोजगार योजना है वह उनके नाम पर है जिन्होंने बेरोजगारी की नींव डालने में योगदान दिया था। इस देश में करोड़ों लोगों के लिए मकान नहीं हैं लेकिन आवास योजना ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिन्होंने लोगों को बेघर बनाने में अपना योगदान दिया था। पीने का पानी गांव में नहीं है लेकिन पानी की योजना कुछ और व्यक्ति के हाथों में है जिन्होंने पानी न मिले इसकी इंतजामी की थी। इसलिए अध्यक्ष जी, ये कुछ जीते हुए भी बने रहें और मरने के बाद भी इस देश के निर्माण कार्यों में जहां-जहां पैसा लगना है वह पैसा इनके नाम पर लगाए जाएं। यह कुछ लोगों को कटु लगता होगा, लेकिन यह मामला किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए शोभा देने वाला मामला नहीं है, प्रजातांत्रिक विचारधाराओं के लिए शोभा देने वाला मामला नहीं है। इसलिए सरकार से मेरी विशेष प्रार्थना है। बोम्मई-साहब यहां बैठे हैं और बोम्मई साहब तो एम॰एन॰ राय के शिष्य रहे हैं। एक परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, सामंतवाद के शत्रु रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जब इस प्रकार के विधेयक वगैरह भविष्य में लाने की बात आ जाएगी तो इस सवाल पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देकर जहां नाम बदलने की जरूरत है वहां नाम बदलें, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लाखों तो मर चुके हैं लेकिन अगर नामी लोगों को ही गिनना हो तो मैं हजारों लोगों की सूची दे सकता हूं। इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देकर भविष्य में नाम के बारे में विचार करके सदन के सामने आ जाएं।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इस बिल के समर्थन में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मुझे मालूम है कि लाखों गांवों में प्राथमिक स्कूल नहीं है। यह मेरी चुनौती है। इसका सर्वे करा लिया जाए। इंटर कालेज, हाई स्कूल, डिग्री कालेज 20-20, 25-25 और 50-50 किलोमीटर तक नहीं है। हम विदेशों में तो इसकी शाखाएं खोलने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन देश के लोग जो अपने देश में रह कर, हमारे साथ कष्ट भोग कर कंधे से कंधा मिला कर देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं, उनके बच्चों, नौजवानों के लिए हम शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर अपने घर में ही कैंसर के मरीज हैं तो आप दूसरों के जुकाम में इतने चिंतित क्यों होते हैं? मेरा कहना है कि जो धन विदेशों में इसकी शाखाएं खोलने पर खर्च किया जा रहा है, उससे देश में ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनौपचारिक रूप से क्यों नहीं की जाती? मुझे इसलिए कष्ट हो रहा है कि इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में जो घोटाले हो रहे हैं, उनको चैक करने का, प्रतिबंध लगाने का और दोषी व्यक्ति की खोज करके उन्हें दंडित करने का भी प्रबन्ध नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने 10 मार्च को एक लैटर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, मुझे तो शिक्षा मंत्री याद आता है, मानव संसाधन विकास मंत्री जो मानव को संसाधन के रूप में विकसित करना चाहते हैं, यानी संवेदनहीन मानव का निर्माण करना चाहते हैं, मानव को संसाधन बना देंगे तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसमें वेदना नहीं होगी, उसमें संवेदना नहीं होगी, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा मंत्री कहता हूं। मेरी इसमें गलती है, मैं इसे सुधार रहा हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी को मैंने अपने हस्ताक्षर करके एक पत्र दिया। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। 16 दिसम्बर 1996 को 800 मीट्रिक टन कागज आपूर्ति के लिए निविदा नम्बर एफ नम्बर-1-35 एम॰डी॰डी॰-96-97 सहायक कुल सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया। उसमें यह शर्त रखी गई कि उन्हीं से कागज खरीदा जाएगा जो कागज के निर्माता होंगे। कागज की जो गुणवत्ता थी उसमें यह बात थी कि निविदा के साथ जुड़े हुए कागजों का आकार 30×40 सी॰एम॰एस॰ होगा। इसकी क्वालिटी का नाम सरफेस साइज ऑफसेट प्रिंटिंग था। यह स्थिति थी। 61×88 सी॰एम॰ए॰ तथा वजन 70 से 80 जी॰एस॰एम॰ हो, यह शर्त थी। इसमें जो निविदाएं आई वे ऐसे लोगों को दे दी गई जो इस कागज को बनाते ही नहीं हैं। मैंने इसका नाम भी लिख कर दिया। 800 मीट्रिक टन कागज की कीमत दो करोड़ रुपए थी। इसमें 20 लाख रुपए का घोटाला कम से कम हुआ है। कागज किसी क्वालिटी का मांगा गया है और सप्लाई किसी और क्वालिटी की हुई है। आप इसकी खुली जांच करवा लें। जिन कम्पनियों को कागज सप्लाई के लिए आदेश दिया गया, वह उनका निर्माण ही नहीं करते थे। मैं नहीं जानता कि उनका दिल्ली में मुख्यालय है या नहीं? सरकार की नाक के नीचे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ मापदंड होते हैं। अगर केन्द्र सरकार को 21 रुपए किलो कागज मिलता है तो 22-23 की बात समझ में आती है। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि अगर 21 में मिल रहा होगा तो वह कहीं और से 27 में खरीद लेगी। सरकार विश्वास पर चलती है। स्थिति यह है कि मुझे मेरे पत्र का उत्तर नहीं मिला। शिष्टाचारवश जो दो पंक्ति का उत्तर होता है कि आपका पत्र मिला, हम इसे दिखवा रहे हैं, यह जहमत भी इस विभाग ने उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे इस पर वेदना तब हुई जब एक माननीय सदस्य ने इस पर एक तारांकित प्रश्न दे दिया। उसके उत्तर में आया कि निडर जी ने यह प्रश्न उठाया था।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप इसकी शाखाएं खुलवा दें। फंड कितना ही ले लें क्योंकि वह हमारी जेब से जाता नहीं है। वह पूरे देश के खून पसीने की कमाई है। हमें यहां खर्च करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन वह धन कम से कम सही रूप में खर्च हो, उसका दुरूपयोग न हो और जिनके लिए व्यय हो रहा है, उनको उसका लाभ मिले। विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उनको मिले। जो सामान्य नैतिकता है, उसका बचाव हो। मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह कहना है कि इसमें एक और क्लाज जोड़ दें कि हर हालत में इस विश्वविद्यालय में नैतिकता और संस्कारों की शिक्षा दी जायेगी क्योंकि इस विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से एम॰पी॰ बनकर आता है तो वह शालीनता का व्यवहार करे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून को बनाने का स्वागत करता हूं। इस संशोधित विधेयक से हम दूरवर्ती स्थानों और विदेशों में और अधिक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेंगे।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने नाम परिवर्तित करने के संबंध में एक बहुत ही हल्की बात की है। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज की सरकार थी—यद्यपि यह कुछ महीनों के लिए थी उन्होंने विलिंग्टन अस्पताल का नाम बदलकर डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया था। हम डा॰ राम मनोहर लोहिया का बहुत आदर करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। पूरे विश्व में यही प्रक्रिया हैं जहां लोग हवाई पत्तनों, संस्थाओं, अस्पतालों और सड़कों का नाम उन विख्यात व्यक्तियों, राजनैतिक नेताओं और राजनेताओं के नाम पर रख देते हैं जिन्होंने उस विशेष राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम अपने हवाई पत्तन, न्यास अस्पताल और रोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे विख्यात व्यक्तियों के नाम पर रखने से शर्मिन्दा नहीं है। बल्कि हमें इस बात का गर्व है। पहले भी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जीवित थी, मैं जानता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज उनकी आलोचना करते थे। किन्तु मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे अब जीवित नहीं हैं और उन्हें उनके प्रति अपने विद्वेष को भुला देना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जीवनपर्यन्त इस महान राष्ट्र के लिए की गयी सेवाओं की उन्हें प्रशन्सा करनी चाहिए।

मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने असाधारण कार्य किया है। अब कार्यक्रमों की आयोजना करने के लिए देश के बाहर इसके अध्ययन केन्द्र खोलने से निश्चित रूप से हमारे देश का सम्मान और बढ़ेगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता परन्तु इस विश्वविद्यालय को 12 वर्ष हो गये हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी आउटपुट की जांच की जाये। मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री जी को तीन पत्र लिखे कि इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुये छात्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है, प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं रूहेलखंड के क्षेत्र से आता हूं तो वहां भी इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा निरंतर लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जैसा कि निडर जी कह रहे थे कि आज हम देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह आदेश दें कि हमारे देश के साढ़े पांच लाख गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलें।

[अनुवाद]

श्री समीक लहिरी (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं इस विधेयक का, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करना चाहता हूं मैं समझता हूं कि यह सरकार की ओर से एक अच्छी शुरूआत है। किंतु मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में बहुत से अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए है तथा बहुत से नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं परन्तु उनमें एक कमी है : विश्वविद्यालय विभिन्न केन्द्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी कमी है।

एक अन्य बात यह है कि हमारे देश की विविधता के पहलू को इस विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जो इस इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, ने पूरी तरह से अपने जेहन से निकाल दिया है। मुझे आशा है कि सरकार इन दो पहलुओं पर विचार करेगी।

मैं सरकार की इस शुरूआत का समर्थन करता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। मेरे माननीय मित्र जार्ज फर्नान्डीज ने इस विश्वविद्यालय के नाम पर आपत्ति की है। इसका नामकरण दस वर्ष पहले किया गया था जब संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था।

मैं उसमें एक छोटा संशोधन मात्र प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए इसका नाम बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु मैं इस बात की ओर जरूर ध्यान दूंगा जो श्री फर्नान्डीज ने सुझाई है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जब कभी हम किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय का नामकरण करें, तब हमें अपने जेहन में सभी राष्ट्रीय नेताओं को रखना चाहिए; वे किसी भी दल के हो सकते हैं और चाहे वह श्री एम॰एम॰ राय हों, मैं कहना नहीं चाहता...(*व्यवधान*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कहना चाहता हूं कि

श्री एस॰आर॰ बोम्मई : इसलिए, नाम का मामला उस समय पर निर्भर करता है जब सरकार निर्णय लेती हैं; और अब संसद ने उसे पहले ही पारित कर दिया है। अतः इस अधिनियम में केवल एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। किन्तु निश्चय ही सरकार श्री जार्ज फर्नान्डीज के सुझाव को ध्यान में रखेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री पी•सी• चाक्को : महोदय, सरकार जार्ज फर्नान्डीज के किस सुझाव को ध्यान में रखने जा रही है, वह हमें समझ में नहीं आया है ...(*व्यवधान*)। हम यह नहीं कह रहे हैं। यदि आंशिक राय व्यक्त की जाती हैं और यदि वह भी राजनैतिक पूर्वाग्रहपूर्ण है, तो माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि सरकार उसका ध्यान रखेगी?...(*व्यवधान*) यह तरीका नहीं है...(*व्यवधान*)

श्री एस•आर• बोम्मई : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात सुने...(*व्यवधान*)

श्री पी•सी• चाक्को : नहीं महोदय, मंत्री जी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह ऐसा विचार रखे जो इसका भाग नहीं है। यह तरीका नहीं है।

श्री एस•आर• बोम्मई : महोदय, जो मैं कह रहा हूं वह ...(*व्यवधान*)

श्री पी•सी• चाक्को : इसका क्या मतलब है...(*व्यवधान*) उस समय माननीय मंत्री सहित वे सरकार में थे और हम जानते हैं कि एक अस्पताल का नाम बदलकर डा• राम मनोहर लोहिया रखा गया था। हम डा• राम मनोहर लोहिया का आदर करते हैं किन्तु उस सरकार का समग्र योगदान यह था कि उसने दो माह के भीतर अस्पताल का नाम बदल दिया। लोग कह रहे हैं कि यह नाम नहीं होना चाहिए ...(*व्यवधान*) पूर्व प्रधान मंत्री का देश के प्रति क्या योगदान है? यह केवल राजनैतिक पूर्वाग्रह के कारण है। यह सही नहीं है।

श्री एस•आर• बोम्मई : मैंने समर्थन किया जो उन्होंने ...(*व्यवधान*)

श्री ए•सी• जोस (इदुक्की) : नहीं, माननीय मंत्री ने कहा "कि सरकार ध्यान में रखेगी"...(*व्यवधान*) महोदय, जब एक माननीय मंत्री सभा में ऐसा कहते हैं, तो यह एक बहुत गंभीर बात है ...(*व्यवधान*) मुझे यह नहीं समझ आया कि मंत्री जी का आशय क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री एस•आर• बोम्मई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने केवल यह कहा कि दल का लिहाज किए बिना सभी राष्ट्रीय नेताओं का नाम ध्यान में रखना चाहिए। मैंने यही केवल बात कही है और मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयोजन ही उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना है जो गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के कारण सतत सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। यह विश्वविद्यालय सुदूरवर्ती शिक्षा तथा पत्राचार द्वारा शिक्षा प्रदान करता है।

मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस विश्वविद्यालय के 20 प्रतिशत छात्र महिलाएं हैं। इस विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि यह प्रत्येक महाविद्यालय में एक केन्द्र की स्थापना करता है; उस महाविद्यालय के अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं और उस महाविद्यालय की पठन सामग्री का उपयोग किया जाता है। पत्राचार पाठ्यक्रम तो कई विश्वविद्यालयों में है किंतु इस विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा नहीं दी जाती है। यहां वास्तव में अध्यापन किया।

इस देश में कवेल 268 केन्द्र हैं। मैं चाहता हूं इन्हें बढ़ाया जाए। इस विश्वविद्यालय में एक अन्य अवसर उपलब्ध है जो अन्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, अर्थात् एक विज्ञान का छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में कला विषय नहीं ले सकता। इस विश्वविद्यालय में ऐसा है, यहां कला और विज्ञान विषय का मेल हो सकता है। कुछ लोग जो रोजगार कर रहे हैं और जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, वे इन केन्द्रों का लाभ उठा सकते हैं। इस देश में इसे और बढ़ाया जाना चाहिए, विशेषकर पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में। मैं इससे सहमत हूं।

अब हम इन्हें देश के बाहर भी खोल रहे हैं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में अनिवासी भारतीय हैं, जो भारतीय डिग्री और भारतीय शिक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी सहायता करने हेतु हम यह विश्वविद्यालय विदेशों में खोलने जा रहे हैं, जो स्वयं वित्तपोषक होंगे। अध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा। वे स्व-वित्तपोषी है। हम इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। अध्यापकों को मानदेय दिया जायेगा। वे स्वयं वित्तपोषण करेंगे। इस पर सरकार की कोई धनराशि खर्च नहीं होगी। हम अधिकांश लोगों, जो भारतीय है, को अपनी डिग्रियां दे रहे हैं इसलिए यह समुचित प्रणाली है और मैं प्रत्येक सदस्य से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 राज्य सभा द्वारा यथा पारित में संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिया गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस•आर• बोम्मई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पारित कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.37 बजे

आयकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस विधेयक को देखा नहीं है। मैं नहीं जानता विधेयक क्या है ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैंने विधेयक केवल पुरःस्थापित किया है ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें इसकी प्रति नहीं मिली है ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : इसे परिचलित किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम तो इसके पुरःस्थापन का विरोध करना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि यह बिल क्या है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम : माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक निदेश दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल सुबह 11.00 बजे दुबारा समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 6.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 14 अगस्त, 1997/23 श्रावण, 1919(शक) के प्रवाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 13.8.1997 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित किया गया।